खंड 5
कुल आय की गणना और कर दायित्व

पाठ्यक्रम परिचय

पिछले खण्डों में आपने वेतन से संबंधित कर मकान सम्पत्ति से आय संबंधित प्रावधानों के बारे में जान लिया है। और व्यापार एवं पेशे तथा पूंजीलाभ एवं अन्य स्रोतों से आय की कराधान का अध्ययन किया है, आय का मिलान करना तथा घाटे की आय को आगे ले जाना से सम्बन्धित प्रावधानों को पढ़ा। अब इस खण्ड में, जिसमें छह इकाइयाँ हैं, आप सीखेंगे सकल आय से अनुमत विभिन्न कटौती का आकलन करने के बारे में, व्यक्तिगत, फर्म और ऑनलाइन रिटर्न को दाखिल करना। तथा आयकर के विभन्न प्रमुखों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मामले।

इकाई 15 – सकल कुल आय में से कटौती

यह इकाई सकल कुल आय से कटौती को बताती है, बचत को प्रोत्साहित करना, कुछ व्यक्तिगत व्यय, स्वैच्छिक बचतों को प्रोत्साहित करना एवं धर्मार्थ और सामाजिक रूप से वांछनीय गतिविधियों और आर्थिक विकास में भागीदारी लेना। यह इकाई आय में कटौती को भी उजागर करती है। विदेशी मुद्रा, रॉयल्टी आय के कटौती में बचत बैंक खाते के ब्याज में कटौती की चर्चा करती है।

इकाई 16 व्यक्तियों का कर निर्धारण

यह इकाई आय और गणना की मुख्य सकल कुल आय की संगणना बताती है। यह अध्याय VIA के तहत विभिन्न कटौती पर भी प्रकाश डालता है और व्यक्तियों की कर देयता की गणना का भी वर्णन करता है।

इकाई 17 फर्म का कर निर्धारण

इस इकाई को दो भागों में विभाजित किया गया है : भाग 'अ' और भाग ब। भाग 'अ' और उसके आवश्यक विशेषताओं की परिभाषा और यह भी सहभागिता फर्म के पंजीकरण और उसकी अवधारणा की व्याख्या करता है– फर्म का पंजीकरण भाग ब धारा 184 के प्रावधान से संबंधित है।

धारा 40 b के बारे में फर्म एवं उसके प्रावधान और उसके मूल्यांकन तथा यह पुस्तक लाभ की गणना का भी वर्णन करता है, फर्म की कुल आय की गणना और कर देयता की गणना के बारे में चर्चा करती है। यह हिस्सा टैक्स भुगतान और फाइलिंग की प्रक्रिया को भी मज़बूत करता है।

इकाई 18 आय की विवरणी दाखिल करना तथा आयकर पदाधिकारी

इस इकाई में आयकर विवरणी, करनिर्धारण अधिकारी और फाइलिंग, के प्रकार की अवधारणा के बारे में बताती है। यह इकाई रिर्टन दाखिल करने के लिए नियत तारीखों पर प्रकाश डालती है तथा स्थायी खाता संख्या और आधार संख्या। यह इकाई मूल्यांकन के प्रकार भी बताती है और ई-फाइलिंग ऑफ रिटर्न की व्याख्या करती है। यह कर अधिकारियों की संरचना पर भी प्रकाश डालता है और रिटर्न और नतीजे दाखिल करने में देरी के परिणाम को भी बताती हैं।

इकाई 19 आयकर विवरणी का ऑनलाइन दाखिला

यह इकाई आयकर रिटर्न (ITR) को परिभाषित करती है और दस्तावेजों को भी समझाती है। आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताती हैं। यह ई-

फाइलिंग प्रक्रिया को कदम दर कदम पर प्रकाश डालता है। रिटर्न के ई-फाइलिंग के लिए हर कदम पर पथ प्रदर्शक करती है।

इकाई 20 सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) द्वारा कुछ प्रमुख मामलों पर फैसले

यह इकाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए प्रमुख मामले एवं विभिन्न शीर्षों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के विभिन्न मामलों की व्याख्या करती है। आयकर के आधार पर और आयकर के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों पर दिया गया निर्णय भी शामिल हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 15 सकल कुल आय में से कटौती

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 सकल कुल आय से कटौतियाँ

15.3 बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कटौतियाँ

15.3.1 जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अंशदान, कुछ इक्विटी शेयरों और डिबेंचर आदि के लिए धारा 80C के अन्तर्गत कटौती

15.3.2 पेंशन कोष में अंशदान के संबंध में कटौती (धारा 80CCC)

15.3.3 केंद्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती (धारा 80CCD)

15.4 कुछ व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौतियाँ

15.4.1 चिकित्सा बीमा प्रीमियम के अन्गर्तत कटौती (धारा 80D)

15.4.2 असमर्थता से युक्त किसी आश्रित व्यक्ति के अनुरक्षण के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80DD)

15.4.3 करदाता स्वयं और आश्रित रिश्तेदार के लिए चिकित्सा व्यय के संबंध में कटौती के अन्तर्गत (80DDB)

15.4.4 उच्च शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80 E के अन्तर्गत

15.4.5 आवासीय मकान सम्पत्ति के लिए, लिए गए ऋण पर व्याज के लिए कटौती (धारा 80EE)

15.4.6 मकान किराये के भुगतान के संबंध में कटौती (धारा 80GG)

15.5 पुण्यार्थ तथा सामाजिक कल्याण की संस्थाओं में स्वेच्छा से अंशदान के सम्बन्ध में कटौती

15.5.1 कुछ पुण्यार्थ संस्थानों को दान के संबंध में कटौती (धारा 80G)

15.5.2 कुछ अनुमोदित संस्थानों को अभिदान (धारा 80GGA)

15.5.3 कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदान के संबंध में कटौती (धारा 80GGB)

15.5.4 राजनीतिक दलों को किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए अभिदान के संबंध में कटौती (धारा 80GGC)

15.6 आर्थिक विकास के लिए कटौतियाँ

15.6.1 संरचना के विकास में लगे उद्यम के उपक्रमों से लाभ के संबंध में कटौती (धारा 80IA)

15.6.2 संरचना विकास उपक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिक उपक्रम से लाभ के संबंध में कटौती (धारा 80IB)

15.6.3 गृह निर्माण परियोजना से लाभ के संबंध में कटौती (धारा 80IBA) (करनिर्धारण वर्ष 2018–19 से प्रभावी

15.6.4 विशेष वर्ग के राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभ के संबंध में कटौती (धारा 80IC)

15.6.5 नये स्टार्टअप की पात्रता के सम्बंध में कटौती (धारा 80IAC)

15.6.6 कुछ विशिष्ट क्षेत्र में होटलों और सम्मेलन केन्द्रों के व्यवसाय के लाभों के संबंध में कटौती (धारा 80ID)

15.6.7 उत्तर–पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ निश्चित उपक्रमों के संबंध में चलाये जा रहे व्यवसाय धारा 80IE के अन्तर्गत कटौती

15.6.8 जैव श्रेणी करणीय अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यापार के लाभ धारा 80JJA के अन्तर्गत कटौती

15.6.9 नये कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80JJAA)

15.6.10 बैंक की विदेश में स्थित इकाई एवं अन्तराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के केन्द्र के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80LA)

15.6.11 सहकारी समितियों के आय के सम्बन्ध में कटौती (80P)

15.7 विदेशी मुद्रा विनियमय से उपार्जन के अन्तर्गत कटौतियाँ

15.7.1 प्रोफेसर, शिक्षकों आदि द्वारा विदेशों से अर्जित आय पर कटौती (धारा 80R)

15.7.2 विदेशी स्रोतों से आय के संबंध में कटौती (धारा 80RR)

15.7.3 भारत से बाहर प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त आय के संबंध में कटौती (धारा 80RRA)

15.8 रायल्टी आय के संबंध में कटौतियाँ

15.8.1 कुछ पुस्तकों के संबंध में लेखकों की रायल्टी से आय जो कि पाठ्य पुस्तक से अलग हो के संबंध में कटौती (धारा 80QQB)

15.8.2 पेटेन्ट पर रॉयल्टी के संबंध में कटौती धारा (80RRB)

15.9 बैंकों के बचत खातों पर ब्याज में कटौती (धारा 80TTA और TTB)

15.10 शारीरिक रूप से अयोग्य (विकलांग) व्यक्ति के संबंध में कटौती (धारा 80U)

15.11 सारांश

15.12 शब्दावली

15.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.14 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

15.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप

- सकल कुल आय में से विभिन्न कटौतियों के सम्बन्ध में बता सकेंगे;
- प्रत्येक कटौती की राशि की गणना कर सकेंगे; और
- विभिन्न कटौतियों को घटाने के बाद करदाता की करयोग्य आय की गणना कर सकेंगे।

15.1 प्रस्तावना

भारतीय आयकर कानून के कुछ प्रावधान सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं जो करदाताओं को प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे प्रावधान अध्ययन VIA में सकल कुल आय से कटौतियों के रूप में दिए गए हैं। इन कटौतियों के कारण एक ओर करदाता की कर योग्य आय कम हो जाती है, कर दायित्व कम हो जाता है तथा दूसरी ओर कर भुगतान के पश्चात् बची हुई आय बढ़ जाती है। यही कारण है कि इन प्रावधानों से करदाता वांछित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। प्रस्तुत इकाई में इस प्रकार की कटौतियों को विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

15.2 सकल कुल आय से कटौतियां

करयोग्य आय की गणना में सर्वप्रथम आय के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत शुद्ध आय की गणना की जाती है जिसके लिए शीर्षक की सकल आय में से उन आयों को अर्जित करने के सम्बन्ध में किए गए व्यय को घटा दिया जाता है। विभिन्न शीर्षकों की शुद्ध आय के योग को सकल कुल आय कहा जाता है और कर योग्य आय की गणना के लिए सकल कुल आय से भी कटौतियां स्वीकृत की जाती है और इस प्रकार कुल आय की गणना निम्न विधि से की जाती है :

1)	वेतन से आय (Income from Salaries)	–
2)	मकान संपत्ति से आय (Income from House Property)	–
3)	व्यापार एवं पेशे से लाभ (profit & gain from Business or Proefession)	–
4)	अन्य स्रोतों से आय (income from Other Sources)	–
5)	पूँजी लाभ (Capital Gains)	–
	सकल कुल आय (Gross Total Income)	–
	अध्याय VIA के अंतर्गत कटौती घटाइए	–
	(Less deduction under Chapter VI A)	–
	कुल आय (Total Income)	–

- करदाता द्वारा कटौती मांगी जानी चाहिए।
- अनुमन्य कटौतियों को सकल कुल आय से घटाया जाता है।
- कटौतियों की राशि का योग सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकता। यदि कटौतियों की राशियों का योग सकल कुल आय से अधिक हो तो भी कटौती घटाई जाने वाली राशि सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती। इसका आशय यह है कि कटौती की राशियों का योग अथवा सकल कुल आय तक सीमित रहेगा।
- माँगे जाने पर करदाता द्वारा कर अधिकारी के समक्ष मांगी गई कटौती का सबूत देना होगा।
- यदि किसी व्यक्तियों के समूह अथवा व्यक्तियों के संघ की कुल आय की गणना में विशिष्ट कटौती दी गयी हो तो उस धारा के अन्तर्गत उस समूह या संघ के सदस्य की आय की गणना में कटौती नहीं दी जा सकती। इससे कटौती की दोहरी अनुमन्यता समाप्त हो जाती है।
- एक व्यक्ति करदाता अथवा संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा धारा 80C के अन्तर्गत अधिक से अधिक रु. 1,50,000 की कटौती अनुमन्य होती है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि धारा 80C के अन्तर्गत अधिकतम उपलब्ध कटौती की राशि रु. 1,50,000 है परन्तु धारा 80 की अन्य उपधाराओं की राशियों की कटौती अलग से ली जा सकती है परन्तु हर दशा में धारा 80 के अन्तर्गत मान्य कटौतियों का योग सकल कुल आय से अधिक नहीं होगा।

15.3 बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कटौतियाँ

15.3.1 बीमा प्रीमियम, स्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अंशदान कुछ इक्विटी शेयरों और डिबेंचर आदि के लिए धारा 80C के अन्तर्गत कटौती

a) कटौती के लिए पत्रता

धारा 80C के अन्तर्गत कुछ व्यय एवं विनियोग कर मुक्त होते हैं। इस धारा के अन्तर्गत केवल व्यक्ति एवं संयुक्त हिन्दू परिवार करदाताओं को विशिष्ट कटौती योग्य राशि के भुगतान करने अथवा जमा करने पर कटौती प्राप्त होती है।

b) कटौती के लिए शर्तें

यह कटौती विशिष्ट कटौती योग्य विनियोगों/अंशदानों/जमाओं/भुगतानों की गत वर्ष की सकल कुल कटौती योग्य राशि के बराबर होती है। कटौती योग्य सकल राशि में जीवन बीमा प्रीमियम जीवन बीमा निगम की वार्षिक योजना या किसी अन्य बीमा कर्ता के लिए निम्नलिखित योजना अधिसूचित किया गया है। नई जीवन धारा, नया जीवन धारा–1, नया जीवन अक्ष्य, नया जीवन अक्षय–1 और नया जीवन अक्षय–2, राष्ट्रीय बचत पत्र, वार्षिकी योजना, भविष्य निधि, अधिवर्षता निधि सुकन्या समृद्धि खाते, यूनिट लिन्कड इन्श्योरेन्स प्लान (यूलिप), पारिस्परिक निधि, म्यूचल फण्ड, पेंशन प्लान, गृह निर्माण ऋण की मूल राशि का भुगतान, टयूशन फीस का भुगतान, अनुमोदित अंशों एवं ऋणपत्रों में विनियोजन, 5 वर्षीय कर बचत स्थाई जमा, बाण्डस में अंशदान नाबार्ड द्वारा जारी किया गया। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 में जमा राशि तथा पाँच वर्ष की समय जमा योजना आदि को सम्मलित किया जाता है। कटौती योग्य राशि में उपरोक्त में से सभी अथवा इनमें से कुछ अथवा केवल एक सम्मलित हो सकती है।

c) कटौती की अधिकतम रकम

अधिकतम कटौती इस धारा के अन्तर्गत रु.1,50,000 है। यदि करदाता या नामाकिती द्वारा परिपक्वता अवधि से पूर्व है इस वार्षिकी योजना को समर्पण कर दिया जाता है तो इसका समपर्ण मूल्य करदाता या नामकिती (जैसे भी स्थिति हो) की रकम प्राप्ति के वर्ष की कर योग्य आय होगी।

15.3.2 पेंशन कोष में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 CCC)

a) कटौती के लिए पात्रता

यह कटौती केवल व्यक्ति एवं अनिवासी को प्रदान की जाती है।

b) कटौती की अधिकतम रकम

जब एक व्यक्ति अपनी कर योग्य आय में से जीवन बीमा निगम अथवा अन्य किसी बीमाकर्त्ता की किसी एन्युटी योजना के अन्तर्गत फण्ड से पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई राशि का भुगतान करता है अथवा जमा करता है धारा 10(23A AB) के अन्तर्गत।

c) कटौती की अधिकतम रकम

व्यक्ति करदाता द्वारा दिए गए अंशदान की रकम अथवा रु. 1,50,000 (दोनों में जो भी कम हो) की कटौती स्वीकृत की जायेगी। करदाता या उसके नांमाकिती को प्राप्त पेंशन की रकम उस व्यक्ति या नामांकिती की गत वर्ष की आय होगी।

15.3.3 केंद्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती धारा (80CCD)

a) कटौती की पात्रता

यह कटौती केवल एक व्यक्ति करदाता को दी जाती है जिसे केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद नियुक्त किया गया है, जिसने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन खाते में राशि जमा की है या गत वर्ष में पेंशन योजना में योगदान दिया है।

b) कटौती की अधिकतम मात्रा

1) जहाँ एक करदाता, व्यक्ति होने के नाते, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किया है या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियुक्त होने पर, या किसी अन्य करदाता के रूप में गत वर्ष में, अधिसूचित पेंशन योजना के अन्तर्गत अपने खाते में कोई राशि का भुगतान या जमा करता है, तो पूरी राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो अधिक नहीं है।

   a) गत वर्ष में अपने वेतन का 10% एक कर्मचारी होने पर और

   b) किसी अन्य करदाता के मामले में गत वर्ष में उसकी सकल कुल आय का 20%

   अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत एक करदाता रकम जमा कर सकता है, जिसकी कटौती दी जाएगी (अधिसूचना संख्या 50529(E) दिनांक 19-02-2016।

2) अधिकतम कटौती राशि 1,50,000 रुपये होगी।

3) जहाँ उपधारा (1) में उल्लेखित करदाता लिए केन्द्र सरकार या कोई अन्य नियोक्ता, उसके खाते में कोई योगदान देता है, उस उपधारा में संदर्भित करदाता को अपनी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा अंशदान की गई पूरी राशि गत वर्ष में उनके वेतन के 10% से अधिक नहीं होगा।

4) उपधारा (1) में उल्लेखित एक करदाता चाहे उसे उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई कटौती प्राप्त हो या नहीं [धारा 80CCD (IB)] की सीमा तक कटौती की अनुमति दी जाएगी।

   a) गत वर्ष में भुगतान की गई या जमा की गई पूरी राशि या
   b) 50,000 रुपये

   } जो दोनों में कम हो।

5) निम्नलिखित राशि को पेंशन योजना से निकालने पर छूट की सीमा

a) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से किसी कर्मचारी को अपने खाते बंद करने या उसके चयन धारा 80CCD के कारण जोकि भुगतान करने की सीमा तक, उसे देय कुल राशि के 40% अधिक नहीं होना चाहिए यह धारा 10(12A) के अनुसार यह राशि कर से मुक्त होगी।

b) राष्ट्रीय पेंशन योजना ट्रस्ट से किसी कर्मचारी को भेजी गई पेंशन योजना के धारा 80CCD के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की राशि, जोकि नियमों और शर्तों के अनुसार उसके खाते से बाहर की गई आंशिक निकासी पर पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों में आते हैं, यह करदाता द्वारा किए गए अंशदान की राशि के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6) धारा 80C के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि जिस राशि पर धारा 80CCD(1) और 80CCD (1B) [धारा 80CCD(4) के अन्तर्गत कटौती का दावा किया जाता है।

नोटः वेतन में मंहगाई भत्ता शामिल है, यदि रोज़गार की शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं, लेकिन अन्य सभी भत्तों और परिधि को बाहर कर देती हैं। लेकिन अन्य सभी भत्तों और अनुलाभों को बाहर रखा जाता है।

15.4 कुछ व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौतियाँ

15.4.1 चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80D)

a) कटौती की पात्रता

यह योजना व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) और संयुक्त हिन्दु परिवार के लिए लागू होती है।

b) कटौती के लिए शर्तें

i) बीमा की योजना भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा निर्मित एवं केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा संचालित योजना बीमा विनियमक विकास प्राधिकरण 1RDA द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

ii) प्रीमियम का भुगतान रोकड के अतिरिक्त किसी भी माध्यम (चेक, ड्राफ्ट या बैंक का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ECS, NEFT और RTGS) द्वारा किया जाना चाहिए जोकि करदाता के अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य, माता पिता एवं आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम के सन्दर्भ में हो।

iii) केन्द्र सरकार की केंद्रीय स्वास्थ्य योजना में दिया गया योगदान

c) कटौती की अधिकतम रकम

i) व्यक्ति की दशा में

i) व्यक्तिगत और परिवार (पति या पत्नी और आश्रित बच्चों) के लिए कटौती	25,000 रु.
ii) माता-पिता के लिए अतिरिक्त कटौती	25,000 रु.
यदि उपरोक्त (i) और (ii) कोई परिष्ठ नागरिक है तो कटौती की राशि	25,000 रु.
iii) यदि उपरोक्त (i) में कोई वरिष्ठ नागरिक है और उसके ऊपर चिकित्सा पर खर्च का भुगतान किया गया है, लेकिन चिकित्सा बीमा नहीं किया गया है	50,000 रु.
iv) यदि उपरोक्त (ii) में माता-पिता में कोई वरिष्ठ नागरिक है, तो चिकित्सा पर खर्च किया गया है, लेकिन उकसे पास कोई चिकित्सा बीमा नहीं है	50,000 रु.
तो कुल खर्च पर (i) और (iii) पर अधिकतम कटौती	50,000 रु.
तो कुल खर्च पर (ii) और (iv) पर अधिकतम कटौती	50,000 रु.

ii) संयुक्त परिवार की स्थिति में

i) परिवार के सदस्यों के लिए किया गया बीमा प्रीमियम	25,000 रु.
यदि सदस्य वरिष्ठ नागरिक है	50,000 रु.
ii) यदि परिवार के सदस्य वरिष्ठ नागरिक हैं, तो चिकित्सा पर किया गया खर्च, लेकिन चिकित्सा बीमा नहीं किया गया	50,000 रु.
अधिकतम कटौती (i) और (ii) में	50,000 रु.

नोट :

i) वरिष्ठ नागरिक जो भारत का निवासी हो और जिनकी आयु गत वर्ष या उससे सम्बन्धित वर्ष में 60 वर्ष या उससे अधिक हो।

ii) स्वास्थ बीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्वास्थ्य योजना तथा सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीकरण) अधिनियम 1972 की धारा 9 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा बनाई गई किसी योजना के अनुसार होना चाहिए अथवा बीमा नियामक एवं विकास सत्ता अधिनियम 1999 (Insureance Regulatory and Development Authority Act, 1999) की धारा (3) तथा उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित बीमा नियामक एवं विकास सत्ता द्वारा अनुमोदित किसी अन्य बीमाकर्त्ता द्वारा बनाई गई किसी योजना के अनुसार होना चाहिए।

15.4.2 असमर्थता से युक्त किसी अश्रित व्यक्ति के अनुरक्षण के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80DD)

a) कटौती के लिए पात्रता

यह कटौती एक निवासी व्यक्ति और संयुक्त हिन्दु परिवार के लिए अनुमति दी जाती है।

b) कटौती के लिए शर्तें

i) व्यक्ति/हिन्दु अविभाजित परिवार द्वारा व्यय अपने ऊपर आश्रित अथवा/एवं असमर्थ व्यक्ति की चिकित्सा, उपचार, प्रशिक्षण, परिचर्या (Nursing) पुनर्वास के सम्बन्ध में किये गये हो।

ii) व्यक्ति संयुक्त हिन्दु परिवार ने जीवन बीमा निगम की योजना के अन्तर्गत जमा राशि को जो कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

iii) करदाता को प्रत्येक वर्ष चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी, जिस करदाता अपना आय का विवरणी के साथ धारा 139 के अन्तर्गत जमा करेगा जिस वर्ष कटौती के लिए दावा पेश करेगा उसी वर्ष में वापसी का दावा भी पेश करेगा।

c) कटौती की अधिकतम रकम

यह कटौती की राशि 75,000 रु. की मिश्रित राशि की अनुमति होगी और गंभीर विकलांगता के लिए यह 1,25,000 रुपये हैं। यह वास्तविक व्यय पर ध्यान दिए बिना कटौती की जायेगी।

नोट :

1) एक विकलांग रिश्तेदार का अर्थ है एक रिश्तेदार जो गंभीर रूप से शारीरिक विकलांगता (अंधापन सहित) से पीड़ित है या जो मानिसक कमजोरी के अधीन है। आयकर नियम के अन्तर्गत प्रमाणित होना चाहिए और किसी चिकित्सक, सर्जन, ऑक्यलिस्ट या सरकारी अस्पताल में कार्यरत मनोचिकित्सक के द्वारा प्रमाणित करवाना चाहिए तथा ऐसा व्यक्ति, यह सामान्य कार्य के लिए उसकी क्षमता को काफी कम होने या लाभप्रद रोज़गार या व्यवसाय में संलग्न न होने का प्रभाव होना चाहिए।

2) शरीरिक रूप में असमर्थ। आयोग्य व्यक्ति का आशय उस व्यक्ति से है– जो निम्नलिखित शारीरिक असमर्थताओं में से किसी भी असमर्थता से कम से कम 40 प्रतिशत ग्रस्ति हो तथा ऐसी असमर्थताएं किसी चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

   a) अन्धापन (Blindness)
   b) कम दृष्टि (Lowvision)
   c) कुष्ट रोग (Leprosycured)
   d) भूक बफिर (Hearing impairment)
   e) चलने में असमर्थता (Locomotor Disability)
   f) मानसिक मन्दता (Mental retardation)
   g) मानसिक अस्वस्थता (Mental Illness)

3) जो व्यक्ति उपरोक्त वार्णित बीमारियों से 80 प्रतिशत या इसमें अधिक ग्रसित है जोकि धारा 56 की उपधारा (4) में सन्द्रभीत है उसे गम्भीर रूप से असमर्थ व्यक्ति समझा जायेगा। (Equal opportunitis, protection of right and full participation) Act, 1995/

15.4.3 करदाता स्वयं और आश्रित रिश्तेदार के लिए चिकित्सीय उपचार के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80DDB)

a) कटौती के लिए पात्रता

यह कटौती एक निवासी व्यक्ति या निवासी संयुक्त हिन्दु परिवार को प्रदान की जाती है।

b) कटौती के लिए शर्तें

इस कटौती को वास्तव में व्यक्ति या रोगों के संबंध में एक आश्रित के चिकित्सा उपचार पर भुगतान किए गए व्यय के लिए अनुमति दी जाती है जिसे नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। निर्दिष्ट रोग न्यूरोलॉजिकल रोग, कैंसर, एड्स, हीमोफीलिया, किडनी के गंभीर रूप से खराब होने की दशा।

c) कटौती की अधिकतम रकम

इस कटौती को अधिकतम राशि 40,000 रुपये तक की अनुमति है और यदि करदाता वरिष्ठ नागरिक है, तो कटौती अधिकतम राशि 1,00,000 रुपये तक की अनुमति होगी। हालांकि, यदि चिकित्सा उपचार के लिए बीमाकर्ता से बीमा के अन्तर्गत कोई राशि प्राप्त होती है, तो कटौती उसी राशि से कम हो जाएगी।

15.4.4 उच्च शिक्षा के लिए, लिए गये ऋण पर व्याज के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80E)

a) कटौती के लिए पात्रता

यह कटौती किसी व्यक्ति करदाता जिसने अपने लिए, अपने जीवन साथी एवं बच्चों की पूर्णकालीन शिक्षा हेतु ऋण लिया है, को मिलेगी।

b) कटौती के लिए शर्तें

करदाता ने ऋण अपनी उच्च शिक्षा किसी वित्तीय संस्था अथवा अनुमोदित संस्था से लिया है तो यह कटौती जिस वर्ष व्याज का भुगतान प्रारम्भ किया गया हो, उस प्रारंभिक वर्ष में और अगले 7 कर निर्धारण वर्षों में स्वीकृत की जायेगी या यदि ऋण पर व्याज का भुगतान इस अधिक के पूर्व ही हो जाता है (दोनों में जो जल्दी होगा)। यह कटौती करदाता के रिश्तेदारों के शिक्षा के लिए मान्य है।

c) कटौती की अधिकतम रकम

गत वर्ष में भुगतान की गई व्याज की सम्पूर्ण रकम।

नोट :

i) व्यक्ति – करदाता के सम्बन्ध में रिश्तेदार से आशय करदाता की पत्नी/पति, उनके बच्चे तथा कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसका व्यक्ति कानूनी संरक्षक है।

ii) उच्च शिक्षा से आशय – 'उच्च शिक्षा' से आशय इंजीनियरिंग (शिल्पकार की शिक्षा सहित), चिकित्सीय विज्ञान, प्रबन्ध के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और व्यवहारिक विज्ञान (Applied Science) जिसमें गणित एवं सांख्यिकीय शामिल है।

15.4.5 आवासीय मकान सम्पति के लिए, लिए गए ऋण पर व्याज के लिए कटौती (धारा 80EE)

a) कटौती के लिए पात्रता

यह कटौती व्यक्ति को पहली बार मकान के लिए प्रदान की जाती है।

b) कटौती के लिए शर्तें

ऐसे आवास ऋण की राशि 35 लाख रु. से अधिक नहीं हो सकती और ऐसे मकान का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता। ऋण 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया जाना चाहिए। करदाता को ऋण की स्वीकृति की तीथि तक कोई अन्य घर नहीं होना चाहिए। यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत 2 लाख रु. की सीमा से अधिक उपलब्ध है। 01.04.2017 और बाद के कर निधारण वर्षों से शुरू होकर आने वाले कर निर्धारण वर्षों के लिए व्यक्ति की कुल आय की गणना करने के अन्तर्गत कटौती की अनुमति दी जाएगी। (धारा 80EE) के अनुसार।

c) कटौती की अधिकतम रकम

यह कटौती बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से लिए गए गृह ऋण पर ब्याज राशि पर 50,000 रु. तक उपलब्ध है।

15.4.6 मकान किराये के भुगतान के संबंध में कटौती (धारा 80GG)

a) कटौती की पात्रता

कटौती एक गैर वेतन भोगी करदाता अथवा वेतन भोगी करदाता जिसे अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं हो रहा है और जो किराये के मकान में रह रहा हो को मिलेगी। यह छूट संयुक्त हिन्दु परिवार के उपरोक्त प्रकार के सदस्य को भी मिल सकती है। ऐसे मकान (सुसज्जित अथवा असुसज्जित के सम्बन्ध में किया हो जिसमें वह स्वयं रहता है साथ ही उसका या उसके जीवन साथी का या उसके नाबालिक बच्चों का या संयुक्त हिन्दू परिवार (यदि करदाता इसका सदस्य है तो) का कोई भी निवास स्थान वर्तमान कार्य स्थल की जगह या भारत में या विदेश में कहीं नहीं है।

b) कटौती के लिए शर्तें

यदि करदाता किसी अन्य स्थान पर किसी भी आवासीय मकान का मालिक है और ऐसे आवास के संबंध में स्व-कब्जे वाले घर की रियायत प्राप्त करता है, तो करदाता को धारा (80GG) के अन्तर्गत कटौती का अधिकारी नहीं होगा। भुगतान किए गए किराए का विवरण फॉर्म 10BA में दी जाएगी।

c) कटौती की अधिकतम रकम

इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन रकमों में से सबसे कम रकम की कटौती की जायेगी (धारा 80GG)

i) 5,000 रु. प्रतिमाह

ii) समायोजित सकल कुल आय का 25 प्रतिशत

iii) समायोजित सकल कुल आय के 10 प्रतिशम से अधिक चुकाये गये किराये की रकम

समायोजित सकल कुल आय से आशय उस सकल आय से है जिसमें से धारा 80C से 80U तक स्वीकृत कटौतियां घटा दी गई है (धारा 80GG की कटौती को छोड़कर) तथा जिसमें से दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 111A के अन्तर्गत अल्पकालीन पूंजी लाभ तथा धारा 115A अथवा 115D की राशियों को घटा दिया गया है।

उदाहरण– अगर आय 4,35,000 रु. है तथा किराये का भुगतान 8,000 रु. प्रतिमाह है तो कटौती की राशि –

i) (8000 × 12) – (96,000 – 4,35,000 का 10% = 43,500 = 52,500 रु0

ii) 4,35,000 रु. का 25% = 1,08,750 रु.

iii) 8,000 × 12 = 96,000 रु.

उपरोक्त में सबसे कम अर्थात् 52,500 रु. होगी।

15.5 पुण्यार्थ तथा सामाजिक कल्याण की संस्थाओं में स्वेच्छा अंशदान के सम्बन्ध में कटौती (Deduction for Voluntary Participation in Charitable and Socially Desirable Activities)

आयकर अधिनियम 1961 कुछ पुण्यार्थ संस्थाओं को दिये गये दोनों के सम्बन्ध में कटौती स्वीकार करता है। ये कटौतियाँ धारा 80G के अन्तर्गत वर्णित की गई है।

15.5.1 कुछ पुण्यार्थ संस्थाओं को दिये गये दानों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80G)

a) कटौती की पात्रता

यह कटौती उन सभी करदाताओं को प्रदान की जाती है जिन्होंने पुण्यार्थ संस्थाओं में दान दिया है।

b) कटौती की शर्तें

i) किसी व्यक्ति विशेष को की गई सहायता दान के लिए कटौती योग्य नहीं होगी। दान किसी निदिृष्ट संस्था को दिया जाना चाहिए।

ii) दान नकद, चैक या ड्राफ्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। वस्तु एवं सेवाओं के रूप में दिया गया दान कटौती योग्य नहीं होगा। नकद दान 2000 रु. से अधिक मान्य नहीं है।

iii) दान के भुगतान का प्रमाण आवश्यक है।

iv) अगर दान किसी विशेष जाति वर्ग अथवा धर्म के लिए दिया गया है तो यह दान धारा 80 जी. के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं होगा।

v) किसी राजनीतिक पार्टी को दिया गया दान कटौती योग्य नहीं होगा।

c) कटौती की अधिकतम सीमा

दान को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है–

1) बिना सीमा वाले दान अर्थात ऐसे दान जिनके सम्बन्ध में करदाता को 100 प्रतिशत रकम की कटौती मिलती है।

2) सीमा वाले दान अर्थात् कटौती योग्य राशि निम्नलिखित को घटाने के बाद सकल कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

i) दीर्घकालीन पूंजी लाभ

ii) धारा 80CCC से 80U तक की कटौतियां (धारा 80G को छोड़कर)

iii) कर मुक्त आय

iv) धारा 115A, 115AB, 115AC, 115AD अर्थात् एन.आर.आई. (NRI) और विदेशी कम्पनियों आदि से प्राप्त आय को संदर्भित करता है जो कर की विशेष दर पर कर योग्य है।

v) धारा 111A के अन्तर्गत अल्पकालीन पूंजीलाभ

दानों को आगे और भी वर्गीकृत किया गया है :

a) दान की कटौती योग्य राशि की सम्पूर्ण अर्थात् 100 प्रतिशत स्वीकृति

b) दान की कटौती योग्य राशि की 50 प्रतिशत राशि की स्वीकृति

A) बिना सीमा वाले दान जिनके संबंध में 100 प्रतिशत कटौती प्राप्त होती है :

- अफ्रीका (सार्वजनिक अंशदान – भारत) कोष
- स्वच्छ भारत कोष
- साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउण्डेशन
- राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त किसी किसी विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा संस्था को दान
- राष्ट्रीय/राज्य रक्त ट्रान्सफ्यूजन काउंसिल को दिया गया दान जो राज्य सरकार द्वारा गरीबों की सहायता के लिए स्थापित किया गया हो
- तकनीकी विकास एवं प्रयोग कोष
- आन्ध्र प्रदेश मुख्यमंत्री तूफान राहत कोष
- स्वच्छ गंगा कोष के केन्द्रीय कल्याण कोष
- मुख्यमंत्री/लैफ्टीनैन्ट गवर्नर राहत कोष
- थल सेना/वायु सेना का केन्द्रीय कल्याण कोष/नौसेना की निधि
- राष्ट्रीय खेल कोष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो
- जिला साक्षरता समिति
- केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृति कोष
- ड्रग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष
- गुजरात सरकार द्वारा स्थापित कोई भी कोष जो भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए हो
- मानसिक, कमजोरी, मस्तिष्क घात, बहु असमर्थता एवं Autism से पीड़ितों के कल्याण हेतु दान
- राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष

- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भूकम्प राहत कोष
- राष्ट्रीय सुरक्षा कोष
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष
- राज्य सरकार के चिकित्सा राहत कोष
- प्रधानमंत्री आर्मीनिया भूकम्प सहायता कोष
- राष्ट्रीय बाल कोष

B) बिना सीमा वाले दान जिनके संबंध में 50 प्रतिशत कटौती प्राप्त होती है :

- जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष
- प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष
- इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट
- राजीव गांधी फाउण्डेशन

C) सीमा वाले दान जिनके संबंध में 100 प्रतिशत कटौती प्राप्त होती है :

- परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए सरकार या किसी ऐसी स्थानीय सत्ता या संघ को दान जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए अनुमोदित है।
- एक कम्पनी करदाता द्वारा गत वर्ष में भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित खेलकूद संघ अथवा भारतीय संस्था को निम्न प्रयोजन हेतु दिया गया दान।
  - i) खेलों के लिए अवसंरचना के विकास के लिए
  - ii) भारत में खेलकूद के प्रयोज्य हेतु।

D) सीमा वाले दान जिनके संबंध में 50 प्रतिशत की कटौती प्राप्त होती है :

- मान्यता प्राप्त अनुमोदित कोष या सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्था को दान
- स्थानीय सत्ता या सरकार को किसी भी पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए दान परिवार नियोजन को छोड़कर
- किसी भी ऐसी सत्ता को दान जो भारत में भवन निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति, योजनाबद्ध विकास या सुधार के लिए कानून द्वारा स्थापित हो
- अल्प संख्यक समुदाय के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम को दान
- ऐसे दान जो मंदिर–मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च एवं अन्य अधिसूचित ऐसे स्थानों की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु दान।

धारा 80G के अन्तर्गत कटौती की राशि ज्ञात करने की विधि

1) धारा 80G के अन्तर्गत आने वाले बिना सीमा वाले सभी अनुमोदित दानों को जाड़िये।
2) अधिकतम कटौती योग्य सीमा ज्ञात कीजिए जोकि सकल कुल आय के 10 प्रतिशत में से धारा 80CC से 80U तक की कटौतियां घटाने के बद प्राप्त होगी। (धारा 80G को छोड़कर)
3) सीमा वाले दानों की कटौती योग्य राशि जो कि सकल कुल काय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4) बिना सीमा वाले दानों की कुल राशि में उपरोक्त वर्णित राशि (3) को जोड़िये।

5) उपरोक्त कुल राशि (4) कटौती योग्य राशि होगी।

6) उपरोक्त (5) वे सभी दान जो 100 प्रतिशत कटौती योग्य है को अलग कीजिए।

7) उपरोक्त दोनों की कुल राशि को संख्या (5) में वर्णित राशि में से कम कीजिए।

नोट :

1) वस्तु में दिए गए दान कटौती के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं।

2) किसी भी व्यक्ति को सहायता कटौती के लिए मान्यता नहीं दिया जाता तो वह है।

3) किसी जाति विशेष या धर्म के लिए किसी भी धर्मार्थ संस्था को दिया गया दान तो वह कटौती के योग्य नहीं है।

4) किसी राजनीतिक दल को दान कटौती के योग्य नहीं है।

5) नकद दान 2000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। 2000 रुपये से अधिक का चंदा किसी अन्य रूप में पैसे के लेन-देन में किया जा सकता है।

6) दान का भुगतान प्रमाण अनिवार्य है।

15.5.2 कुछ अनुमोदित संस्थानों में अभिदान (धारा 80GGA)

a) कटौती की पात्रता

यह कटौती इन सभी करदाताओं को प्रदान की जायेगी जिनकी सकल कुल आय में ''व्यवसाय या पेशे के लीा'' शीषर्क की कोई आय शामिल नहीं है।

b) कटौती के लिए शर्तें

1) कटौती की अनुमति निम्नलिखित में 100 प्रतिशत के बराबर है :

i) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने के लिए एक अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ या एक अनुमोदित विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थाओं से योगदान

ii) किसी ऐसे संगठन या संस्था का योगदान जो ग्रामीण विकास के स्वीकृत कार्यक्रम को शुरू करने के उद्देश्य से हो या किसी एसोसिएशन या संस्था के योगदान जिसमें ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए व्यक्तियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य हो।

iii) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उनमूलन कोष को भुगतान किए गए ग्रामीण विकास निधि या रकम को अधिसूचित करने में योगदान (करदाता की धारा 35CCA के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडेगा।

iv) सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए अनुमोदित विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संघ या अन्य संस्थान में योगदान।

v) सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने या जनता के उत्थान के लिए एक पात्र परियोजना या योजना को आगे बढ़ाने के लिए निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण या अनुमोदित संघ या संस्था को दिया गया योगदान। करदाता धारा 35AC के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत धरना होगा।

15.5.3 कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिये गये योगदान के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80GGD)

a) कम्पनियों द्वारा अपनी आय में से गत वर्ष में यदि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में पंजीकृत राजनैतिक दल अथवा चुनावी ट्रस्ट को किसी राशि का अंशदान दिया है।

b) उसे इस राशि को 100 प्रतिशत के बराबर की कटौती प्राप्त होगी। यद्वपि नकद अंशदान की दशा में यह कटौती नहीं मिलेगी।

c) किसी राजनैतिक दल के स्वामित्व वाली मैगजीन में दिये गये विज्ञापन पर व्यय राजनैतिक दल को अंशदान माना जायेगा। एक चुनावी ट्रस्ट एक लाभार्जन न करने वाली कम्पनी होती है जिसका निर्माण किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से स्वेच्छित अंशदान प्राप्त करने तथा ऐसे अंशदान को पंजीकृत कम्पनियों में वितरण करने हेतु किया जाता है।

15.5.4 राजनीतिक दलों को किसी भी व्यक्ति द्वारा दिये जाने वाले अभिदान के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80GGC)

a) किसी करदाता (स्थानीय सत्ता तथा कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति जो पूर्णतः अथवा अंशतः सरकार से कोष प्राप्त करते है को छोड़कर) को उसके द्वारा गत वर्ष में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अधीन पंजीकृत राजनैतिक दल अथवा चुनावी ट्रस्ट को दिये गये अंशदान के 100 प्रतिशत के बराबर कटौती मान्य होगी।

b) यद्यपि नकद अंशदान कटौती हेतु स्वीकृत नहीं है।

c) एक चुनावी ट्रस्ट बिना लाभ की कम्पनी होती है जो किसी व्यक्ति से व्यवस्थित तरीके से अंशदान प्राप्त करके राजनैतिक दलों में वितरित करती है।

नोट : कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से धारा 80 HH; 80 HHA; 80 HHB; 80 HHBA; 80 HHC; 80 HHD; 80 HHE; 80 HHF तथा 80-I के अधीन कटौतियाँ नहीं हैं।

15.6 आर्थिक विकास के लिए कटौतियाँ (Deduction for Economic Growth)

बहुमुखी आर्थिक उन्नति के लिए तथा नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए आयकर अधिनियम 1961 में कुछ कटौतियाँ स्वीकृत की गई है। इस प्रकार की कटौतियाँ निम्न हैं :

15.6.1 संरचना या मूलभूत विकास कार्य में संलग्न उपक्रमों आदि के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-IA)

a) कटौती की पात्रता

इस धारा के अन्तर्गत कटौती उन करदाताओं को मिलेगी जिनकी कुल आय में निम्नलिखित प्रकार के व्यवसाय की आय शामिल है –

i) दूरसंचार सेवायें

ii) आधारभूत सुविधाएं

iii) औद्योगिक पार्क

iv) विद्युत उत्पादन एवं वितरण

b) कटौती की शर्तें

यह कटौती व्यवसाय एवं पेशे के लाभ से उत्पन्न होने से मान्य है।

a) मूलभूत सुविधाएं : इसका आशय

i) सड़क, पुल अथवा रेल पद्धति

ii) हाइवे परियोजना जिसमें मकान भी शामिल हैं।

iii) जलपूर्ति एवं जल उपचार, सिचाई एवं सफाई परियोजना

iv) बन्दरगाह, हवाई अड्डा, आन्तरिक जलमार्ग या आन्तरिक बन्दरगाहै।

यह कटौती निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर मान्य होती है।

i) संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, संचालन एवं रख–रखाव 1 अप्रैल 1995 लेकिन 31 मार्च 2017 तक।

ii) भारतीय कम्पनी का केन्द्रीय सरकार के मध्य एक अनुबन्ध होना चाहिए।

iii) ऐसी कम्पनी जो भारत में रजिस्टर्ड हो और किसी प्रधिकरण द्वारा बोर्ड और कार्पोरेशन, केन्द्र और राज्य सरकार के संविधान द्वारा बनाया गया–

b) **दूरसंचार सेवायें** : ऐसे नये उपक्रम जो पुरानी प्लाण्ट एवं मशीनरी के हस्तान्तरण द्वारा निर्मित नहीं हुए है तथा जो दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराने के व्यवसाय में संलग्न है। इसमें सेलुलर सेवा, रेडियो, पेजिग, घरेलू उपग्रह सेवा नेटवर्क एवं इन्टरनेट सेवाओं में संलग्न उपक्रम शामिल है। ये सेवायें 31.3.1995 के बाद तथा 31.3.2005 तक या इसके पूर्व प्रारम्भ हो जानी चाहिए।

c) **औद्योगिक पार्क** : ऐसे उपक्रम जो औद्योगिक पार्क को विकसित एवं अनुरक्षण करने के व्यवसाय में 1.4.1997 को या इसके बाद किन्तु 1.4.2006 (स्पेशल इकॉनामिक जोन) और इन औद्योगिक पार्क का संचालन 1 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2011 के बीच में प्रारम्भ हो जाना चाहिए।

d) **विद्युत उत्पादन एवं वितरण** : ऐसे नये उपक्रम जो पुरानी प्लाण्ट एवं मशीनरी के हस्तान्तरण द्वारा न बने हो तथा जो विद्युत उत्पादन एवं वितरण के व्यवसाय में संलग्न है।

i) विद्युत वितरण 31.3.1993 के बाद किन्तु 31.3.2017 के पहले

ii) 1.4.1999 को या इसके बाद परन्तु 31.3.2017 तक नयी वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाता है।

या

नयी वितरण लाइनों को बिछाता और वितरण शुरू करना।

e) **प्राकृतिक गैस के वितरण में संलग्न व्यवसाय** : यदि (Cross country) गैस का वितरण जिसमें पाइप लाइन क्रास और भण्डाण सुविधा शामिल है। इसका संचालन कुछ शर्ते के पूरा होने पर कटौती मान्य है।

C) अधिकतम कटौती

a) दूरसंचार सेवायें

i) पहले पाँच करनिर्धारण वर्ष लाभ का 100%

ii) अगले पाँच करनिर्धारण वर्ष 15 वर्षों के लाभतार लाभ का 30%

b) अन्य 100% लाभ अगले लगातार 10 वर्षों का (15 वर्ष) शुरू के वर्ष को मिलाकर जब से संचालन प्रारम्भ हुआ है।

15.6.2 संरचना विकास उपक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिक उपक्रमों, आदि के लाभों के संबंध में कटौती (धारा 80-IB)

a) कटौती की पात्रता

यह कटौती उपक्रम करदाता को मिलती है जो निम्न प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, मकान परियोजना का विकास एवं निर्माण, खाद्यान्न के रख–रखाव, संग्रहण एवं परिवहन, खनिज तेलों का उत्पादन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल का संचालन एवं रख रखाव। औद्योगिक उपक्रम जिनमें शामिल है कोल्ड चेन (Cold chain) सुविधा बहुमंजिले सिनेमा ग्रह, व्यवसायिक होटल, सभाकेन्द्र।

b) कटौती के लिए शर्तें

यह धारा भारत में स्थापित ऐसे उपक्रमों पर लागू होती है जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो आयकर अधिनियम की 11वीं अनुसूची में दर्शाई कम प्राथमिकता वाली वस्तुएं नहीं हैं।

ऐसे औद्योगिक उपक्रमों का पुर्नगठन किसी पुराने व्यापार से न हुआ हो। पुरानी मशीनें कुल मशीनों की लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि औद्योगिक उपक्रम पिछड़े राज्य में स्थापित है और उसका उत्पादन 1.4.1993 से 31.3.2004 (जम्मू और कश्मीर के लिए 31.3.2012) प्रारम्भ हो जाता है

i) **कम्पनी की दशा में** – प्रथम 5 वर्षों तक 100 प्रतिशत तथा अगले 5 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत होगी

ii) **सहकारी संस्था की दशा में** – प्रथम 5 वर्षों में 100 प्रतिशत तथा अगले 7 वर्षों तक 25 प्रतिशत

iii) **अन्य किसी करदाता के लिए** – 100 प्रतिशत प्रथम पांच वर्ष तक तथा अगले 5 वर्ष तक 25 प्रतिशत कटौती दी जायेगी।

I) **वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान व विकास के संबंध में धारा 80IB(8):** यह कटौती उन कम्पनियों को मिलेगा जो भारत में पंजीकृत है एवं कम्पनी कुछ समय के लिए 1.4.1999 से पूर्व किसी भी समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। यह कटौती कर–निर्धारण वर्ष 1997–98 से प्रदान की जायेगी। कटौती कर निर्धारण वर्ष से लगातार 5 कर निर्धारण वर्ष तक लाभों के 100 प्रतिशत की मिलेगी। यदि उपक्रम निर्धारित प्राधिकारी द्वारा 31.3.2000 के बाद किन्तु 1 अप्रैल 2007 से पहले किसी भी समय अनुमोदित किया जाता है तो कटौती लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों तक मिलेगी। यह कटौती प्रारम्भिक कर निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ की जायेगी।

II) **खनिज तेलों का उत्पादन के सम्बन्ध मं (धारा 80IB(a))** : यह कटौती उन औद्योगिक उपक्रमों को दी जायेगी जो उत्तरी–पूर्वी राज्यों में स्थापित है और खनिज तेल का उत्पादन 1.4.1997 से पूर्व प्रारम्भ कर दिया हो। यदि उत्तर–पूर्वी राज्यों के अतिरिक्त कहीं अन्यंत्र स्थापित है और उत्पादन 1.4.1997 को या इसके बाद परन्तु 1 अप्रैल 2017 से पूर्व प्रारम्भ कर दिया हो तो ऐसे उपक्रमों को लाभों की 100 प्रतिशत कटौती उस वर्ष से 7 वर्षों तक लगातार दी जायेगी जिस गत वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हुआ है। ऐसा औद्योगिक उपक्रम जो 1.10.1998 को या इसके बाद परन्तु 31.3.2012 के बाद नहीं, खनिज तेल के शोधन के व्यवसाय में संलग्न है, वह भी इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्राप्त करने का पात्र होगा। यदि वाणिज्यिक गैस का उत्पादन 1.4.2009 या उसके पश्चात किया जाता है।

III) **मकान परियोजना का विकास एवं निर्माण के सम्बन्ध में धारा 80IB(10):** यह कटौती ऐसे मकान से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए प्रदान की जायेगी जिसे स्थानीय सत्ता द्वारा 31.03.2008 से पूर्व अनुमोदित कर दिया गया हो एवं परियोजना ऐसी भूमि के भूखण्डों के सम्बन्ध में है जिसका क्षेत्रफल कम से कम 1 एकड़ है। आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इकाई दिल्ली अथवा मुम्बई अथवा इन शहरों की नगर निगम की सीमा से 25 किलोमीटर के अन्तर्गत स्थापित है। इन शहरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर आवासीय इकाई का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। उपक्रम के द्वारा मकान परियोजना का निर्माण एवं विकास 1.10.1998 को या इसके बाद प्रारम्भ कर दिया गया हो तथा 31.3.2008 से पहले पूरा हो गया हो (जब मकान परियोजना स्थानीय सत्ता द्वारा 1 अप्रैल 2004 से पूर्व अनुमोदित हो) अथवा यदि मकान परियोजना वर्ष 2004–05 के मध्य अनुमोदित हो तो इसे अनुमोदित वर्ष से अगले 4 वर्षों में पूरा होने चाहिए अथवा जहाँ मकान परियोजना 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद अनुमोदित हो तो इसे स्थानीय सत्ता के अनुमोदन के वर्ष की अन्तिम तिथि से 5 वर्ष के अन्दर पूर्ण होना चाहिए। वाणिज्यिक प्रतिस्थानों के लिए निर्मित मात्र के 3 प्रतिशत अथवा 5000 वर्ग फिट की सीमा होगी। ऐसी परियोजना से प्राप्त लाभों की शत–प्रतिशत (100 प्रतिशत) कटौती प्रदान की जायेगी।

IV) ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल का संचालन एवं रख–रखाव : लाभ में से 100% कटौती प्राप्त होगा जोकि अस्पताल के संचालन प्रारम्भ होने के वर्ष अगले 5 वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। परन्तु भिन्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। यह कटौती उन सभी करदाताओं की दी जायेगी जो निम्न शर्ते पूरी करता है–

i) अस्पताल में कम से कम 100 मरीजों के लिए विस्तार है।

ii) अस्पताल का निर्माण 1.10.2004 से 31.3.2008 की अवधि के बीच स्थानीय सत्ता के नियमानुसार हुआ है। करदाता को कटौती चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रारम्भिक वर्ष से लगातार 5 वर्षों तक लाभों के 100 प्रतिशत की कटौती प्रदान की जायेगी।

iii) अस्पताल ने 1.4.2008 तथा 31.3.2013 के मध्य कार्य प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए।

V) खाद्यान्न के रख–रखाव, संग्रहण एवं परिवहन के सम्बन्ध में : यह कटौती उन उपक्रमों के मिलेगी जो खाद्यान्न के रख–रखाव, संग्रहण एवं परिवहन की गतिविधियों में संलग्न हैं एवं उपक्रम ने यह व्यवसाय 1 अप्रैल 2001 से पहले प्रारम्भ किया है।

कटौती कम्पनी करदाता को प्रथम 5 वर्षों के लाभों को 100 प्रतिशत तथा अगले 5 वर्षों के लिए लाभों का 30% मिलेगी। सभी अन्य करदाताओं को प्रथम पांच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत तथा अगले 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत मिलेगी।

15.6.3 गृह निर्माण परियोजना के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80IBA) (करनिर्धारण वर्ष 2018–19 से प्रभावी)

a) कटौती की पात्रता

यह कटौती व्यक्ति, संयुक्त हिन्दु परिवार, (व्यक्तियों का समुदाय एवं फर्म) आदि को प्राप्त होता है।।

b) कटौती की शर्तें

i) अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देशित सुविधाओं के साथ गृह परियोजना प्रमुख रूप से रिहायशी इकाई के रूप में होनी चाहिए।

ii) सुयोग्य अधिकारी ने परियोजना की स्वीकृति 1 जून 2016 के बाद परन्तु 31 मार्च 2019 से पूर्व होनी चाहिए।

iii) सुयोग्य अधिकारी की प्रथम स्वीकृति के अधिक से अधिक 5 वर्षों में परियोजना पूर्ण होनी चाहिए।

iv) एक परियोजना के पूर्ण होने या पूर्ण हुई मानी जाने के लिए सुयोग्य अधिकारी द्वारा परियोजना के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत होगा तथा उसे करदाता द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

v) परियोजना में जमीनी क्षेत्र के 3 प्रतिशत से अधिक का भाग दुकानों एवं वाणिज्यक स्थान के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए।

vi) भूखण्ड का आकार, रिहायशी इकाइयों का क्षेत्र ज़मीनी क्षेत्र के न्यूनत प्रयोग का अनुपात (Floor Area Ratio) निम्न माण दण्डों को पूर्ण करते हुए होना चाहिए।

परियोजना का स्थान		
क्षेत्र	चिन्नई, दिल्ली, कोलकता एवं मुम्बई शहर में अथवा म्यूनिसिपिल सीमा से 25 किमी. के अन्दर	अन्य किसी क्षेत्र में
परियोजना का क्षेत्र	1000 वर्ग मीटर से कम नहीं	2000 वर्ग मीटर से कम नहीं
रिहायशी इकाइयों का क्षेत्रफल	30 वर्ग मीटर से अधिक नहीं	60 वर्ग मीटर से अधिक नहीं
अनुमन्य का FAR (Floor area Ratio) प्रयोग	90 प्रतिशत से कम नहीं	80 प्रतिशत से कम नहीं

vii) एक व्यक्ति को एक ही रिहायशी इकाई दी जानी चाहिए तथा साथ ही उस व्यक्ति को स्वयं या उसके जीवन साथी को या अवयस्क बच्चों के नाम भी दूसरी इकाई नहीं दी जा सकती है।

viii) करदाता को गृह परियोजना के लिए अलग से खाता बहीं (हिसाब–किताब) रखना होगा।

c) कटौती की अधिकतम रकम

करदाता को गृह निर्माण परियोजना एवं उनको विकसित करने पर प्राप्त आय अथवा लाभ के 100 प्रतिशत के बराबर कटौती मान्य होती है।

15.6.4 विशेष वर्ग के राज्यों में स्थापित उपक्रमों से लाभों के सम्बन्ध में कटौती – (धारा 80IC) (कर निर्धारण वर्ष 2004–05 से प्रभावी)

a) कटौती की पात्रता

यह कटौती उन करदाताओं को मिलेगी जो किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या औद्योगिक संवर्धन केन्द्र या औद्योगिक पार्क या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई योजना के अनुसार किसी वस्तु का निर्माण करता है। वस्तुओं के उत्पादन में उन वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जायेगा जो 13वीं अनुसूची में शामिल हैं लेकिन अनुसूची xiv में कटौती पात्र होगें।

b) कटौती की शर्तें

i) उपक्रम पूर्व में प्रयोग की जा रही मशीन/प्लाण्ट को नये व्यापार हेतु हस्तान्तरण से बना होना चाहिए।

ii) उपक्रम का निर्माण किसी पुराने व्यापार को तोड़ने अथवा पुर्नगठन से न हुआ हो।

c) कटौती की अधिकतम रकम

यदि सिक्किम में औद्योगिक, उपक्रम किया जाता है और 23 दिसंबर, 2002 से 31 मार्च 2007 के बीच उत्पादन या विस्तार होता है तो पहले 10 वर्षों के लाभ के लिए 100% कटौती की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह, यदि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं और उत्पाद विस्तार 07 जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2012 के बीच होता है, तो लाभ का 100% कटौती पहले 5 वर्ष के लिए और लाभ का 25% (कंपनी के मामले में 30%) की अनुमति दी जानी चाहिए। औद्योगिक उपक्रम पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित किया गया है और 24 दिसंबर, 1997 और 31 मार्च 2007 के बीच उत्पादन विस्तार शुरू होगा जिसके लिए कटौती को पहले 10 वर्षों के लिए लाभ के 100% के रूप में अनुमति दी जाएगी।

15.6.5 नये स्टार्ट अप के पात्रता के संबंध में कटौती (धारा 80IAC)

a) कटौती की पात्रता

इस कटौती को स्टार्ट–अप करदाता को दी जाती है जो व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने में उपयुक्त है।

b) कटौती के लिए शर्तें

एक सक्षम स्टार्ट–अप जोकि एक कंपनी या सीमित देयता भागीदारी (एल.एल.पी.) है और व्यवसाय में सम्मिलित है को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। और इस कटौती के लिए दावा पेश कर सकते हैं।

i) इसे 01.04.2016 को या उसके बाद शामिल किया गया हो लेकिन 01.04.2021 से पहले

ii) ऐसी कंपनी या एलएलपी (LLP) का वार्षिक कुल विक्री कर निधार्रण वर्ष से संबंधित गतवर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसके लिए कटौती का दावा धारा 80IAC)(1)) से किया जाता है।

iii) ऐसे उपयुक्त स्टार्ट–अप (कंपनी और एलएलपी LLP) के पास केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण (अंतर–मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन) से पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

c) **कटौती की अधिकतम रकम**

करदाता को शुरू होने वाले सात वर्षों में से लगातार 3 वर्षों के लिए ऐसे व्यवसाय के लाभ और से 100% कटौती की अनुमति दी जाएगी जिसमें उपयुक्त स्टार्ट-अप को शामिल किया गया है। उपयुक्त व्यवसाय का आशय है कि जो व्यवसाय नवाचार, प्रगति और उत्पाद के उन्नति तथा सेवाओं एवं प्रसंसकरण में शामिल है जो कि रोजगार बढ़ाने तथा सम्पत्ति सजृन से सहायक है।

15.6.6 विशिष्ट क्षेत्रों में होटल एवं सम्मेलन केन्द्र (Convention Centre) के व्यवसाय के लाभ के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80ID)

a) कटौती की पात्रता

यह कटौती एक करदाता को दी जाती है जिसकी सकल कुल आय में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थिति एक होटल के व्यवसाय से प्राप्त लाभ शामिल हैं।

b) कटौती की शर्तें

कटौती को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें को पूरा करना होगा।

i) इस छूट को प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसाय को विखण्डित न किया गया हो अथवा पुर्ननिर्माण ने किया गया हो।

ii) पहले से विद्यमान कोई भी इमारत होटल या कन्वेशन सेन्टर के रूप में इस्तेमाल नहीं की गई (जैसा भी मामला हो) को नये व्यापार के लिए मान्य है।

iii) उपरोक्त प्रकार के योग्य व्यवसाय हेतु पूर्व में प्रयुक्त 'प्लान्ट एवं मशीनरी को प्रयोग नहीं होना चाहिए।

iv) निर्धारित तिथि से पूर्व आय विवरणी धारा 139(i) के अधीन जमा होनी चाहिए।

v) आय विवरणी के साथ अंकेक्षण रिर्पोट प्रेषित होनी चाहिए।

vi) इस धारा का लाभ उन 2,3,4 सितारा होटलों एवं सम्मेलन केन्द्रों को प्राप्त है जिनका निर्माण 1 अप्रैल 2007 से 31 जुलाई 2010 तक विशिष्ट क्षेत्रों में हुआ हो।

vii) विश्व धरोहर स्थल पर स्थापित 2,3,4 सितारा होटलों को भी यह लाभ प्राप्त है यदि उन्होंने 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2013 तक कार्य प्रारम्भ कर दिया हो।

viii) यदि निर्दिष्ट क्षेत्र में एक सभाकेन्द्र के निर्माण स्वामित्व और संचालन का व्यवसाय किया जाता है और इस तरह के सभा केन्द्र का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 से 31 जुलाई 2010 के बीच किया गया है।

c) कटौती की अधिकतम रक

करदाता की प्रारम्भिक मूल्यांकन वर्ष से शुरू होने वाले लगातार 5 मूल्यांकन वर्षों के लिए उपरोक्त व्यवसायों से अर्जित लाभ का 100% कटौती की अनुमति दी जायेगी।

15.6.7 उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ निश्चित उपक्रमों के संबंध में चलाये जा रहे व्यवसाय के अंतर्गत कटौती (धारा 80-IE)

a) कटौती की पात्रता

यह कटौती एक करदाता को दी जाती है जिसकी सकल कुल आय में पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमो में से प्राप्त कोई लाभ शामिल हैं। इसमें होटल, बिजनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग होम, हार्डवेयर यूनिट्स, आईटी से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर जैसी पात्र सेवाओं को शामिल किया गया है।

b) कटौती के लिए शर्तें

i) यदि कोई उपक्रम किसी भी मौजूदा व्यवसाय के बंटवारे या पुनर्निर्माण के बिना और पूर्वोत्तर राज्यों में से किसी में 20% से अधिक पुराने संयंत्र और मशीनरी (या नए व्यवसाय में मशीनरी के कुल मूल्य) का उपयोग किए बिना बनता है।

ii) करदाता 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के बीच किसी भी उपयुक्त व्यवसाय के निर्माण या उत्पादन या उत्पादन के लिए विनिर्माण या उत्पादन या पर्याप्त विस्तार के अपने संचालन की शुरुआत करता है।

iii) इस कटौती की अनुमति लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ आयकर विवरणी की धारा 139(1) प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन है।

c) कटौती की अधिकतम रकम

करदाता निर्माण या उत्पादन या पर्याप्त विस्तार के गत वर्ष से शुरू होने वाले लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे उपयुक्त व्यवसाय के लाभ की 100% कटौती के लिए पात्र होगा।

15.6.8 जैव-श्रेणी करणीय अवशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए व्यवसाय से लाभ संबंध में कटौती (धारा 80JJA)

a) कटौती की पात्रता

यह कटौती केवल उपरोक्त प्रकार के व्यवसाय के लिए दी जाती है और यदि ऐसी गतिविधि नौकरी में काम करने वाले ग्राहकों द्वारा की जाती है तो इसकी अनुमति नहीं है।

b) कटौती के लिए शर्तों

आय की वापसी में दावा न किए जाने पर इस कटौती की अनुमति नहीं दी जाती है।

c) कटौती की अधिकतम रकम

एक करदाता को इस तरह की सकल कुल आय से 100% कटौती (व्यवसाय शुरू होने के गत वर्ष से शुरू होने वाले लगातार 5 करनिर्धारण वर्षों की अवधि के लिए) की अनुमति दी जाती है जिसमें बिजली पैदा करने या जैव उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों या

अन्य जैविक एजेंटों का उत्पादन करने या जैव-गैस के उत्पादन के लिए जैव-डिग्रेडेबल कचरे के संग्रहण और प्रसंस्करण या उपचार के व्यवसास का कोई लाभ जो ईंधन या जैविक खाद के लिए पैलेट या ईंट बनाना शामिल है।

15.6.9 नये कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 JJAA)

a) कटौती की पात्रता

इस धारा के अन्तर्गत कटौती उन करदाताओं को दी जायेगी जो अपने कारखाने में निर्मित माल का लाभ कमा रही है तथा उन पर आयकर अधिनियम की धारा 44AB लागू है।

b) कटौती की शर्तें

इस कटौती को प्राप्त करने हेतु निम्न शर्ते हैं :

i) व्यवसाय किसी अन्य सत्ता के साथ मिलाया नहीं गया है अथवा हस्तान्तरित न किया गया हो।

ii) व्यवसाय किसी विद्यमान व्यवसाय को पुर्नसंगठन के अन्तर्गत खण्डित करके अथवा हस्तान्तरित करके न किया जा रहा हो।

iii) आयकर विवरणी के साथ किसी चार्टड लेखापालक की रिर्पोट भी संलग्न हो।

c) कटौती की अधिकतम रकम

यदि ऐसे करदाताओं की सकल कुल आय में उक्त लाभ सम्मिलित है तो उन्हें प्रथम कर निर्धारण वर्ष के मध्य नियुक्त किये गये कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली आन्तरिक मजदूरी लागत के 30 प्रतिशत बराबर कटौती स्वीकृत होगी। वह कटौती 3 कर निर्धारण वर्षो तक स्वीकृत होगी। गत वर्ष से सम्बन्धित वह कर निर्धारण वर्ष भी सम्मिलित है जिस वर्ष में रोज़गार प्रदान किया गया है।

नोट : धारा 80(JJAA) के विस्तृत अध्ययन के लिए आयकर अधिनियम को सन्दर्भित करें।

15.6.10 बैंक की विदेश में स्थित इकाइयों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के संबंध में कटौती (धारा 80LA)

a) कटौती की पात्रता

यदि कोई करदाता एक अनुसूचित बैंक या विदेशी बैंक है, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economics) में विदेश स्थित बैंकिंग की इकाई या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं की इकाई है और ऐसे करदाता की सकल कुल आय में शामिल है;

i) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थित विदेशी बैंकिंग इकाई से कोई आय

ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य उपक्रम के साथ किसी व्यवसाय से होने वाली कोई भी आय जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का संचालन और रखरखाव करती है।

iii) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की किसी भी इकाई से उसके व्यवसाय से कोई आय जिसके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसा केन्द्र स्थापित करने को अनुमोदित किया गया है।

b) कटौती के लिए शर्तें

1) इस धारा के अन्तर्गत कटौती तभी मिलती है जब आय की विवरणी में दावा किया जाता है।

2) उपरोक्त आय परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अर्जित की जानी चाहिए।

3) कर निर्धारण के लिए आय की वापसी के साथ एक निर्धारित रूप में चार्टर्ड एकाउटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कना होगा कि कटौती का सही दावा किया गया है।

c) कटोती की अधिकतम रकम

उपरोक्त आय की 100% कटौती गत वर्ष से संबंधित करनिर्धारण वर्ष के साथ शुरू होने वाले 5 करनिर्धारण वर्षों के लिए दी जाती है जिसमें उपरोक्त व्यवसाय के लिए अनुमति प्राप्त की गई थी और उसके बाद लगातार 5 करनिर्धारण वर्षों के लिए ऐसे आय का 50% प्राप्त किया गया था।

नोट :

1) विदेश स्थित बैंकिंग का अर्थ है एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित बैंक की शाखा और जिसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के उप धारा (1) के खंड (A) के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त की है।

2) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जिसे केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) के तहत अनुमोदित किया है।

15.6.11 सहकारी समितियों के आय के संबंध में कटौती (धारा 80P)

a) इस धारा के अन्तर्गत सहकारी समिति की कुछ निर्दिष्ट आय के लिए 100% कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो निर्दिष्ट गतिविधियों में लगी हुई है, इस शर्त के अधीन कि सहकारी समिति की ऐसी आय को सकल कुल आय में शामिल है।

b) बैंकिंग, कुटीर उद्योग, कृषि उत्पादों का विपणन (सदस्यों द्वारा उगाया गया) का व्यवसाय करने वाली सहकारी समितियों के लाभ से 100% कटौती, सदस्यों के लिए (बीज, पशुधन आदि) की खरीदी गई सामग्री सदस्यों के प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद, अपने सदस्य के श्रम का सामूहिक निपटान प्रदान करने, मछली पकड़ने और संबंद्ध गतिविधियों, और दूध फल/सब्जी और तेल की आपूर्ति के प्राथमिक सीमित के व्यवसाय से उपलब्ध है।

c) उपभोक्ता सहकारी समिति के मामले में 1,00,000 रुपये तक की कटौती की अनुमति है जबकि किसी अन्य मामले में यह 50,000 रुपये हैं।

15.7 विदेशी मुद्रा विनियमय से उपार्जन के अन्तर्गत समाप्त हुए प्रावधान

15.7.1 प्रोफेसरों, शिक्षकों आदि के लिए विदेशों से प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में कटौती (धारा 80R)

इस धारा के अन्तर्गत कटौती करनिर्धारण वर्ष 2005-06 से समाप्त कर दिया गया है।

15.7.2 विदेशी स्रोतों से व्यावसायिक आय के संबंध में कटौती (धारा 80RR)

धारा (80RR) के अन्तर्गत करनिर्धारण वर्ष 2005-06 से समाप्त कर दिया गया है।

15.7.3 भारत के बाहर प्रदान की गई सेवा के लिए प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में कटौती (धारा 80RRA)

करनिर्धारण वर्ष 2005-06 से धारा 80RRA के अन्तर्गत कटौती समाप्त कर दी गई है।

15.8 रॉयल्टी आय के संबंध में कटौतियाँ

15.8.1 पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय के संबंध में कटौती (धारा 80QQB)

a) कटौती के लिए शर्तें

i) पुस्तक की कृति साहित्यिक कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के कार्य की होनी चाहिए।

ii) पुस्तक के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मलित नहीं होंगे निदेशिका, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, जर्नल या विद्यालय की पाठ्यपुस्तकें शामिल नहीं होंगी।

iii) यदि रॉयल्टी का भुगतान एकमुश्त नहीं किया जाता है और यदि यह प्रतिशत पर आधारित है और वर्ष के दौरान पुस्तकों के मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक रॉयल्टी की दर है, तो कटौती सकल कुल आय में से 15% ही स्वीकृत होगी।

iv) कटौती तब तक उपलब्ध नहीं है जब तक कि आय के विवरण में इसका दावा न किया जाए।

v) ऐसी किसी भी कटौती की अनुमति तब तक नहीं दी जाती है जब तक कि करदाता प्रपत्र (form no.) (प्रपत्र संख्या 10CCD) में आय की वापसी के साथ-साथ कर निर्धारण अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाए।

vi) जब कोई रॉयल्टी आय भारत के बाहर से अर्जित की जाती है, तो इस धारा के उद्देश्य से इतनी आय को ध्यान में रखा जाएगा जैसा कि भारत में लाया जाता है या उसके द्वारा, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में करदाता गत वर्ष के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर, जिसमें ऐसी आय अर्जित की जाती है या ऐसी आगे की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में अनुमति दे सकता है। जब तक करदाता आय की वापसी के साथ निर्धारित फार्म (फार्म नंबर 10एच) में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता, तब तक किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

c) **कटौती की अधिकतम रकम**

इस धारा के अनतर्गत ऐसी रॉयल्टी की आय का 100 प्रतिशत या 3,00,000 रुपये जो दोनों में कम को कटौती की अनुमति दी जाएगी।

15.8.2 पेटेन्ट पर रॉयल्टी के संबंध में कटौती (धारा 80RRB)

a) कटौती की पात्रता

यह कटौती उस व्यक्ति को दी जाती है जो भारत में निवासी है और एक पेटेण्टी (Patentee) है।

b) कटौती के लिए शर्तें

1) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2003 को या उसके बाद पेटेंट पंजीकृत किया जाना चाहिए।

2) करदाता गत वर्ष की समाप्ति से 6 महीने के भीतर भारत में ऐसी आय (परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा) लाया होगा।

3) जब कोई रॉयल्टी आया भारत के बाहर से अर्जित की जाती है, तो इस धारा के उद्देश्य के लिए इतनी आया को ध्यान में रखा जाएगा जैसाकि भारत में लाया जाता है, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में करदाता, गत वर्ष के अंत के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर, जिसमें ऐसी आय अर्जित की जाती है या ऐसी आय आगे की अवधि में सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में अनुमति दे सकता है।

c) कटौती की अधिकतम रकम

ऐसी आय का 100 प्रतिशत या 300,000 रु. दोनों में जो कम है।

15.9 बचत खाते के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80TTA और TTB)

यदि एक व्यक्ति अथवा संयुक्त हिन्दू परिवार करदाता किसी बैंक या डाकघर या सहकारी समिति (बैंकिंग व्यवसाय में कार्यरत) के बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज की आय प्राप्त करता है तो ऐसी ब्याज की राशि अथवा 10,000 रु. (जो दोनों में से कम हो), की कटौती प्राप्त कर सकता है। यदि करदाता के एक से अधिक उक्त प्रकार के बचत खाते हैं तो यह 10,000 की कटौती सीमा सभी बचत खातों के ब्याज के योग के लिए होगी। वरिष्ठ नागरिकों एवं अति वरिष्ठ नागरिकों को यह कटौती नहीं प्राप्त होती है।

b) यदि करदाता का एक नाम से डाकघर बचत खाता है तो उसे 3500 रु. की 1000 रु. से अतिरिक्त कटौती स्वीकृत होगी और यदि यह डाकघर बचत खाता संयुक्त रूप में है तो कटौती की अतिरिक्त राशि 7000रु. होगी। इन कटौतियों का कोई सम्बन्ध मान्य कटौती 10,000 रु. से नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों की जमा धनराशि पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 TTB) निवासी वरिष्ठ नागरिक करदाता (जिसकी गतवर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष या अधिक की आयु हो) अपनी सकल कुल आय में से सम्पूर्ण ब्याज की राशि (जो बैंक अथवा डाकघर अथवा बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति से प्राप्त हो)

अथवा 50,000 रु. (जो दोनों में कम हो) की कटौती प्राप्त कर सकता है। वित्तीय वर्ष (2018–19) तथा कर निर्धारण वर्ष (2019–20) से वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज सम्बन्धी छूट के लिए धारा 80 TTB जोड़ी गयी है अतः अब उन्हें धारा 80 TTA की छूट नहीं प्राप्त होगी।

15.10 शारीरिक रूप से अयोग्य (द्वियांग) व्यक्ति के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80U)

a) **करदाता की पात्रता** : यह कटौती भारत में ऐसे निवासी करदाताओं को मिलेगी जो शारीरिक अयोग्यता (40% से कम नहीं) से पीड़ित है तथा चिकित्सा प्राधिकारी ने उन्हें गत वर्ष के लिए असमर्थता प्रमाण–पत्र दे दिया है।

b) **कटौती प्राप्त करने के लिए शर्तें** : करदाता को किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र की आयकर की विवरणी के साथ संलग्न करना होगा।

c) **कटौती की अधिकतम मात्रा** : 75,000 रु. की कटौती मिलेगी और यदि करदाता गम्भीर रूप से असहाय है तो कटौती की रकम 1,25,000 रु. होगी। असहाय बीमारी को गंभीर माना जायेगा यदि वह 80% से अधिक है।

बोध प्रश्न क

1) निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है?

   a) धारा 80D के अन्तर्गत कटौती निम्न के सम्बन्ध में उपलब्ध है :

      i) बीमा प्रीमियम

      ii) लाभांश

      iii) जमा पर ब्याज

      iv) दान

   b) धारा 80DDB के अन्तर्गत कटौती किसकी विशिष्ट बीमारी की चिकित्सा के सम्बन्ध में मान्य हैं :

      i) आश्रित रिश्तेदार

      ii) आश्रित असमर्थ रिश्तेदार

      iii) करदाता स्वयं अर्थात् कोई भी आश्रित रिश्तेदार

      iv) कोई भी रिश्तेदार

   c) धारा 80CCC की कटौती किस सीमा तक मान्य हैं :

      i) 1,00,000 रु.

      ii) 1,50,000 रु.

      iii) 1,20,000 रु.

      iv) 1,40,000 रु.

   d) धारा 80D की कटौती मान्य है यदि प्रीमियम का भुगतान किया जाता है :

      i) LIC

ii) GIC

iii) GIC या अन्य किसी बीमाकर्त्ता जो कि 1RDA के द्वारा अनुमोदित है

iv) LIG और GIC

2) रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए।

a) धारा 80E के अन्तर्गत कटौती करदाता द्वारा वित्तीय संस्था से उच्च शिक्षा के लिए लिये गए ..... के सम्बन्ध में मान्य है।

b) धारा 80G के अन्तर्गत कटौती ..... के सम्बन्ध में मान्य है।

c) धारा 80GG के अन्तर्गत अधिकतम कटौती ..... रु. प्रतिमाह मान्य ह।

d) राष्ट्रीय बाल कोष को दान ..... की दर से मान्य है।

3) निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है अथवा गलत?

a) बच्चों की शिक्षा के लिए लिये गये ऋण पर पिता को धारा 80B के अन्तर्गत छूट मिलती है।

b) धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ सकल कुल आय से अधिक हो सकती है।

c) राष्ट्रीय खेल कोष को दान 100 प्रतिशत छूट के लिए योग्य है।

d) कर निर्धारण वर्ष 2006–07 से धारा 80L के अन्तर्गत कटौती समाप्त कर दी गई है।

उदाहरण 1

मि. X द्वारा प्रदत्त निम्न सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए धारा 80C के अन्तर्गत उपलब्ध कटौतियों की गणना कीजिए।

विवरण	रु.
• सकल कुल आय	4,85,000
• वैधानिक भविष्य निधि	20,000
• स्वयं के जीवन पर बीमा प्रीमियम (पालिसी निर्गत तिथि 01.04.2015, बीमा राशि 20,000रु0)	6,000
• पिता के जीवन पर बीमा प्रीमियम भुगतान	4,800
• पत्नी की जीवन पर बीमा प्रीमियम भुगतान	2,000
• गैर–आश्रित वयस्क पुत्र के जीवन पर बीमा प्रीमियम भुगतान	2,500
• आश्रित भाई के जीवन पर जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	2,000
• वर्ष 2011 में निर्गत 50,000 रु. की पालिसी पर विवाहित पुत्री के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	12,000
• सुकन्या समृद्धि खाते में अंशदान	50,000
• तीन पुत्रों की शिक्षा के लिए टयूशन फीस का भुगतान (2500 रु : 2800 रु + 3400 रु.)	8,700
• जीवन बीमा (LIC) निगम म्यूचल फण्ड में अंशदान	2,000
• 5 वर्षीय आयकर बचत सावधि जमा एबीआई में	30,000
• 5 वर्षीय साविध जमा डाक घर में	10,000
• यूलिप में अंशदान	5000
• एसबीआई से लिए गए गृह निर्माण ऋण का भुगतान (ब्याज 25,000 रु + मूल राशि 20,000 रु)	45,000
• सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में जमा राशि	15,000
एन.एसी.सी. IX निगर्म का क्रय	20,000

हल

धारा 80C के अन्तर्गत अनुमन्य कटौतियाँ (कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

विवरण	रु.
• वैधानिक भविष्य निधि में अंशदान	20,000
• स्वयं के जीवन पर बीमा प्रीमियम	6,000
• पिता के जीवन पर बीमा प्रीमियम भुगतान	शून्य (अमान्य)
• पत्नी की जीवन पर बीमा प्रीमियम भुगतान	2,000

• गैर–आश्रित वयस्क पुत्र के जीवन पर बीमा प्रीमियम भुगतान	2,500
• आश्रित भाई के जीवन पर जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	शून्य (अमान्य)
• विवाहत पुत्री के जीवन पर जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान (बीमित राशि का अधिकतम 20%)	10,000
• सुकन्या समृद्धि खाते में अंशदान	50,000
• टयूशन फीस का भुगतान (दो बच्चों के लिए मान्य 2800 + 3400)	6,200
• जीवन बीमा (LIC) निगम म्यूचल फण्ड में अंशदान	2,000
• 5 वर्षीय आयकर बचत सवधि जमा एवीआई में	30,000
• 5 वर्षीय सावधि जमा डाकघर में	10,000
• यूलिप में अंशदान	5,000
• गृह निर्माण ऋण का भुगतान (मूल राशि)	20,000
• एनएससी IX निर्गम का क्रय	20,000
• सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में जमा राशि	15,000
कुल राशि	**1,98,700**

धारा 80C के अन्तर्गत कटौती योग्य अधिकतम राशि की सीमा 1,50,000 रु. तक मान्य है। अतः धारा 80-C के अन्तर्गत स्वीकृत अधिकतम कटौती 1,50,000 रु होगी।

अतः कर योग्य आय = सकल कुल आय – धारा 80-C के अन्तर्गत कटौती जोकि 4,85,000 रु. – 1,50,000 रु. = 3,35,000 रु.

उदाहरण 2

भारत के निवासी कपिल द्वारा गत वर्ष में अपनी आय सम्बन्धी निम्न सूचनाएं प्रदान की गयीं हैं।

विवरण	रु.
सकल कुल आय	60,00,000
(एकाकी व्यवसाय से आय 40,00,000 रु. व्यक्तियों के समूह से लाभ 10,00,000 रु. प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) 10,00,000 रु. फर्म के लाभ में 1/4 भाग, 5,00,000 रु0)	
दान (Donations):	
i) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष	50,000
ii) जवाहर लाल नेहरू स्मृति कोष	75,000
iii) राज्य में प्रर्थना एवं पूजा के लिए प्रसिद्ध गुरूद्वारे की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु	1,00,000
iv) प्रसिद्ध मन्दिर के पुर्वउद्वार हेतु दी गयी रकम	1,00,000
v) राष्ट्रीय बाल कोष	20,000
vi) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष हेतु दी गई रकम	30,000

viii) स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	50,000
ix) महिला संरक्षण गृह में कमरे के निर्माण हेतु अंशदान (पूंजीगत प्रकृति)	20,000
x) आन्ध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात सहायता कोष में अंशदान	50,000
xi) स्वच्छ गंगा कोष में अंशदान	50,000
xii) जैन धर्मशाला की मरम्मत हेतु अंशदान	25,000
xiii) इन्दिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट में अंशदान	50,000
xiv) जनसंख्या कार्यक्रम में प्रोत्साहन हेतु अंशदान (सरकारी कार्यक्रम)	1,00,000
xv) नगर महापालिका को जनता के लिए नल लगाने हेतु अंशदान	2,50,000
xvi) दान योग्य संस्था को अंशदान धारा 80G के अन्तर्गत	1,50,000
xvii) विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवन की मरम्मत हेतु अंशदान	50,000
xviii) Autism, मस्तिष्क घात, मानसिक, कमजोरी तथा बहु–असमर्थता से पीड़ित व्यक्तियों के काल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट में अंशदान	50,000
xix) प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष में अंशदान	1,50,000

उसने नोटीफाइड म्यूचल फण्ड की यूनिटों में 20,000 रु. लगाये एवं अपने चिकित्सा अध्ययनरत पुत्र की ट्यूशन फीस हेतु 25000 रु. दिये। अपनी पत्नी एवं पुत्र के लिए उसने पीपीएफ खातें में 40,000 रु. जमा किये। सरकार की अधिसूचित बचत योजना के अन्तर्गत उसने 50,000 रु. सूचीबद्ध समता अंशों में विनियोजित किये। उसने 10,000 रु. इक्विटी ओरिएन्टेड फण्ड की सूचीबद्ध यूनिट में 10,000 रु. विनियोजित किये।

मि. कपिल की करनिर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु कर–योग्य की गणना कीजिए।

हल

मि. कपिल की करयोग्य आय (कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

विवरण	रु.	रु.
a) व्यावसाय अथवा पेशे से आय :		
i) एकाकी व्यवसाय से लाभ	40,00,000	
ii) व्यक्तियों के समूह से लाभ	10,00,000	
iii) फर्म में 1/4 भाग का लाभ	कर मुक्त	50,00,000
b) अन्य स्रोतों से आय		
i) प्रतिभूतियों पर ब्याज		10,00,000
सकल कुल आय		60,00,000
घटाइये : कटौतियाँ		
i) धारा 80C विनियोग आदि (20,000 रु + 25,000 रु. + 40,000 रु)	85,000	
ii) धारा 80 CCG (सूचीबद्ध समता अंश एवं सूचीबद्ध इक्विटी ओरिएन्टेड फण्ड की यूनिट)	शून्य	

iii) धारा 80G के अन्तर्गत		
a) 4,00,000 रु. के दान का 100% (I एवं III श्रेणी के दानों का योग)	4,00,00	
b) 6,66,500 रु. का 50% (II एवं IV श्रेणी दानों का योग 2,75,000 रु + 3,91,500 रु)	3,33,250	8,18,250
कर योग्य आय		51,81,750

दान के सम्बन्ध में नोट :

दान के सम्बन्ध में गणना क्रिया

I श्रेणी दान (100%)

	रु.
i) रा.सु. कोष	50,000
ii) प्र.मं.रा.स. कोष	30,000
iii) रा.वाल कोष	20,000
iv) स्वच्छ भारत कोष	50,000
v) आंध्र प्र.मु.च.स. कोष	50,000
vi) स्वच्छ गंगा कोष	50,000
vii) Autism इत्यादि पीड़ित राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट में अंशदान	50,000
	3,00,000

II श्रेणी दान (50%)

	रु.
a) ज.ल.ने. स्मृति कोष	75,000
b) प्र.मं.सूखा राहत कोष	1,50,000
c) इ.गां. स्मृति ट्रस्ट	50,000
	2,75,000

III श्रेणी दान (योग्य राशि का 100%)

	रु.
परिवार नियोजन प्रो. हेतु अंशदान	1,00,000
	1,00,000

IV श्रेणी दान (योग्य राशि का 50%)

	रु.
a) अनुमोदित दानयोग्य संस्था को अंशदान	1,50,000
b) न.म. को नल हेतु अंशदान	2,50,000
c) ऐतिहासिक भवन की मरम्मत	50,000
d) गुरूद्वारा का पुर्नउद्वार	1,00,000
	5,50,000

III श्रेणी एवं IV श्रेणी के दोनों की संयुक्त योग्य राशि (Qualifying Amount) निम्न में से जो कम हो वह होगी।

i) दोनों श्रेणियों के दानों की राशियों का योग = (1,00,000 + 5,50,000) = 6,50,000 रु.

ii) समायोजित कुल आय का 10%

= [49,15,000 × 10%] =

[कटौती के लिए योग्य राशि (Qualifying Amount) = 60,00,000 रु. – 85,000 रु. (80–C) – 10,00,000 रु. व्यक्तियों के समूह में भाग = 4,91,500 अतः कटौती योग्य राशि 4,91,500 × 10/1.0 = 4,91,500 रु.]

कटौती योग्य इस राशि (4,91,500 रु) में से 1,00,000 रु. परिवार नियोजन प्रो. सम्बन्धी है जो 100% इस राशि से घटा दिये जायेंगे।

शेष राशि 49,15,00 रु. – 1,00,000 रु. = 3,91,500 रु. पर 50% कटौती योग्य होंगे।

उदाहरण 3

दिल्ली के मि. हरीश कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए निम्न सूचनाएं प्रदान करते हैं।

		रु.
a)	सकल कुल आय	6,00,000
b)	जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान (पालिसी की राशि 70,000 रु. पालसी 01.04.2012 के पूर्व निर्गत हुई)	17,500
c)	स्वच्छ भारत कोष में दान	
d)	स्वयं पर निर्भर संतान के लिये स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान	5,000
e)	स्वयं पर पूर्णतः निर्भर विकलांग पिता के स्वास्थ्य उपचार पर व्यय की गयी राशि	75,000
f)	मि. हरीश दिल्ली में 9000 रु. प्रतिमाह के किराये के मकान में रहते हैं। उनका अन्य कोई रिहायशी मकान कहीं पर नहीं है जिसके वह स्वामी हों परन्तु अलीगढ़ में उनकी एक फैक्टरी है जिसकी किराये की आय अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में सम्मलित की जाती है।	

मि. हरीश की कर योग्य आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2020–21) के लिए

विवरण	रु.	रु.
सकल कुल आय		6,00,000
घटाइये : कटौतियाँ		
धारा 80C के अन्तर्गत (बीमित राशि का 20% क्योंकि बीमा पालसी 01.04.2012 से पूर्व निर्गत है)	14,000	
धारा 80D स्वास्थ्य बीमा हेतु	5,000	
धारा 80DD विकलांग निर्भर पिता के उपचार के लिए	75,000	
धारा 80G के अन्तर्गत दान स्वच्छ भारत कोष (100%)	10,000	
धारा 80GG के अन्तर्गत किराया भुगतान हेतु	58,400	1,62,400
(नोट देखिये)		4,37,600

नोट

1) जीवन बीमा प्रीमियम बीमित राशि के 20% तक ही कटौती के लिए मान्य है क्योंकि बीमा पालसी 01.04.2012 से पूर्व ली गई है।

2) धारा 80GG के अन्तर्गत निम्न में से न्यूनतम कटौती योग्य होगा रु.

(i) 5000 रु. प्रतिमाह 60,000

ii) समायोजित कुल आय (Adjusted Total Income) का 25% [4,96,000×25/100] 1,24,000

iii) किराये भुगतान का समायोजित कुल आय के 10% के ऊपर आधिक्य [1,0800 (12×9000) - 49600 ×10/100] 58,400

iv) समायोजित कुल आय =

[6,00,000 रु. – 14,000 रु. (80C) – 5,000 रु. (80D) – 75000 रु. (80DD) – 10000 रु. (70G] = 4,96,000]

उदाहरण 4

1 अप्रैल 2014 को मि. रामजी ने व्यवसाय प्रारम्भ किया। गत वर्ष 2020–21 हेतु वह निम्न सूचनाएं प्रदान करते हैं :

a)	बायो खाद उत्पादन हेतु जैव श्रेणीकरणीय अविशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से आय (Income from the business of the collecting and processing of bio-degradable waste for or producing bio-fertilizer)	2,60,000
b)	मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय	3,50,000
c)	मुर्गी पालन से आय	92,000
d)	पशुपालन से आय	95,000
e)	यू.टी.आई के यूनिट से लाभांश	5,000
f)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	8,000
g)	विदेशी कम्पनी के अंशों पर लाभांश	5,000
h)	राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाते पर ब्याज	62,000
i)	50,000 रु. की पालसी जो 01.04.2012 के पूर्व ली गयी थी उस पर जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	14,000
j)	01.04.2017 को 1,20,000 रु. की ली गयी पालसी पर जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	15,000
k)	मि. रामजी द्वारा लिखित पुस्तक पर अधिकार शुल्क की आय (पुस्तक को कलात्मक प्रकृति की मान्यता प्राप्त है)	3,20,000

निम्न दशाओं में मि. रामजी की कर योग्य आय की गणना कीजिए–

a) जबकि उसकी आयु 46 वर्ष हो।

b) जबकि उसकी आयु 65 वर्ष हो।

c) मि. रामजी धारा 80QQB के अधीन योग्यता रखते हैं।

मि. रामजी की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य आय की गणना

विवरण			दशा a (आयु 46 वर्ष)	दशा b (आयु 65 वर्ष)
a)	मकान सम्पत्ति से आय		3,50,000	3,50,000
b)	व्यवसाय अथवा पेशे से आय :			
	i) बायो खाद उत्पादन हेतु जैव अविशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से आय		2,60,000	2,60,00
	ii) मुर्गी पालन से आय		92,000	92,000
	iii) पशुपालन से आय		95,000	95,000
c)	अन्य स्रोतों से आय :			
	i) यू.टी.आई. लाभांश		करमुक्त	करमुक्त
	ii) सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज		8,000	8,000
	iii) विदेशी कम्पनी से लाभांश		5,000	5,000
	iv) सेविंग बैंक खाते पर ब्याज		62,000	62,000
	v) अधिकार शुल्क की आय		3,20,000	3,20,000
	सकल कुल आय		11,92,000	11,92,000
घटाइये : कटौतियाँ				
i)	धारा 80C	रु.		
	a) स.प्रतिभूति पर ब्याज	8,000		
	b) 50,000 रु. पालसी का 20%	10,000		
	c) 1,20,000 रु. पालसी का 10%	12,000		
		30,000		
ii)	धारा 80JJA 100%	2,60,000		
iii)	धारा 80QQB रायल्टी	3,00,000		5,90,000
		5,90,000		
iv)	धारा 80TTA		6,02,000	6,02,000
v)	धारा 80 TTB		10,000	50,000
	शुद्ध कर योग्य आय		5,92,000	5,52,000

उदाहरण 5

धारा 80QQB के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए निम्न करदाताओं के लिए कटौती की गणना कीजिए–

करदाता का नाम	S	T	U	R
a) धारा 80QQB के अन्तर्गत अधिकार शुल्क	1,00,000	2,10,000	4,20,000	9,00,000
b) पुस्तक के विक्रय मूल्य पर अधिकार शुल्क की दर	15%	12.5%	18%	शून्य
c) प्रकाश को कापी राइट एक मुश्त प्राप्त राशि	–	–	–	9,00,000
d) अधिकार शुल्क अर्जन पर व्यय रु.	10,000	20,000	50,000	1,10,000
e) क्या अधिकार शुल्क विदेश प्राप्त हुआ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
e) विदेश से प्राप्त अधिकार शुल्क जो परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में 30 सितम्बर 2019 तक प्रेषित किया गया।	लागू नहीं	लागू नहीं	3,00,000	लागू नहीं

हल

करदाता का नाम	S	T	U	R
a) विदेश से प्राप्त अधिकार शुल्क जो परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में 30 सितम्बर 2019 तक प्रेषित किया गया।	लागू नहीं	लागू नहीं	3,00,000	लागू नहीं
b) एक मुश्त प्राप्त राशि	–	–	–	9,00,000
c) अधिकार शुल्क (15%) से अधिक नहीं	1,00,000	2,10,000	3,00,000	–
उपरोक्त (a), (b), (c) में न्यूनतम	1,00,000	2,10,000	3,00,000	9,00,000
घटाइये :				
अधिकार शुल्क के अर्जन पर व्यय	10,000	20,000	50,000	1,10,000
शुद्ध अधिकार शुल्क आय	90,000	1,90,000	2,50,000	7,90,000
धारा 80QQB के अन्तर्गत अधिकतम कटौती 3,00,000 रु. अथवा शुद्ध अधिकार शुल्क आय (जो दोनों में कम हो)	90,000	1,90,000	2,50,000	3,00,000

नोट :

18% = 4,20,000 रु. अतः 15% = 4,20,000 × 15%/18% = 3,50,000 रु.

उदाहरण 6

वाई लि. रिहायशी एवं वाणिज्यिक सम्पत्तियों के निर्माण का कार्य मुम्बई में करती है। 1 अप्रैल 2016 को इसने एक 1800 वर्ग मीटर का भूखण्ड एक क्षेत्र (Locality) में लिया (जोकि मुम्बई में 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है)। कम्पनी भूखण्ड पर रिहायशी इकाइयाँ बनाना चाहती है और इसके लिए उसने 10 जून 2016 को स्थानीय सत्ता से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। प्रत्येक रिहायशी इकाई का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हागा। इस परियोजना के लिए वाई.लि. प्रथक लेखा पुस्तक रखती है। वाई.लि. की विभिन्न स्रोतों से आय (अध्याय VI A कटौतियों से पूर्व) निम्न प्रकार है –

रु. लाख में

गत वर्ष	क्षेत्र में गृह निर्माण परियोजना	अन्य गृह निर्माण परियोजना	योग
2016–17	–70	970	900
2017–18	300	900	1200
2018–19	530	–30	500
2019–20	500	1100	1600

क्षेत्र की गृह निर्माण परियोजना 20 अप्रैल 2019 में पूर्ण हो गयी। 1 मई 2019 को स्थानीय सत्ता ने परियोजना सम्पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया। धारा 80 IBA की अन्य शर्ते भी कम्पनी पूर्ण करती है। धारा 80IBA के अन्तर्गत उपलब्ध कटौती की गणना कीजिए।

हल

क्योंकि करदाता द्वारा धारा 80IBA की समस्त शर्ते पूर्ण की जा रही है अतः इस धारा (80-IBA) के अन्तर्गत वह निम्न कटौतियों के लिए पात्रता रखता है –

रु. लाख में

गत वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	पात्र गृह निर्माण परियोजना से आय	धारा 80-IBA के अन्तर्गत कटौती
2016–17	2017–18	–70	शून्य
2017–18	2018–19	300	300
2018–19	2019–20	530	500 (Note)
2019–20	2020–21	500	500

नोटः धारा 80IBA के अन्तर्गत उपलब्ध कटौती किसी वर्ष में 500 (लाख) रु. से अधिक नहीं हो सकती।

उदाहरण 7

9) एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी (जूलो एण्ड सन्स) ने अपना व्यवसाय 1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भ किया। यह उत्तर भारत में फुटकर विक्रय केन्द्रों का स्वामित्व रखती है और संचालन करती है। इसने गत वर्श 2018–19 में निम्न व्यक्तियों की नियुक्ति की–

नियुक्ति की तिथि	कर्मचारियों की संख्या	पद नाम	प्रति व्यक्ति वेतन रू0
मई 1, 2019	10	टीम नेता	30,000
जून 1, 2019	12	निरीक्षक	25,000
अगस्त 1, 2019	6	सामान्य कर्मचारी	18,000
नवम्बर 1, 2019	20	विक्रय टीम के सदस्य	10,000

विक्रय टीम के सदस्यों को नकद भुगतान किया जाता है। अन्य सभी दषाओं में कर्मचारियों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक किलियरिंग व्यवस्था से उनके खाते में वेतन हस्तान्तरित किया जाता है। निम्न परिस्थितियों में धारा 80-JJAA के अधीन कर निर्धारण वर्श 2020–21 के लिये उपलब्ध कटौती की गणना कीजिये।

a) जब फर्म की बिक्री (Turnover) गत वर्श में 5 करोड़ रू0 हो और धारा 44 AB के अन्तर्गत टैक्स आडिट लागू होता है।

b) जब फर्म की बिक्री (Turnover) गत वर्श में 75 लाख रू0 हो तथा धारा 44 AB के अन्तर्गत टैक्स आडिट लागू न हो।

उत्तर :

प्रथम परिस्थिति में (a) :

i) धारा 80-JJAA के अन्तर्गत मान्य कटौती 11,59,200 रू0

ii) धारा 37 (1) के अन्तर्गत मान्य कटौती 81,64,000 रू0

द्वितीय परिस्थिति में (b) :

इस परिस्थिति में धारा 80-JJAA के अधीन कोई भी कटौती मान्य नहीं है क्योंकि धारा 44 AB के अन्तर्गत टैक्स आडिट प्रभावी नहीं होता है।

प्रथम परिस्थिति के लिये सहायता संकेत (Hint):

	धारा 37 (i) के अन्तर्गत मान्य वेतन कटौती रू0	धारा 80-JJAA के अन्तर्गत कटौती रू0
i) 10 टीम नेता जिनकी नियुक्ति 1 मई 2018 को हुई (30,000 रू ×10×11)	33,00,000	शून्य (नोट–1)
ii) 12 निरीक्षक जिनकी नियुक्ति 1 जून 2018 को हुई (25,000 रू ×12×10)	30,00,000	9,00,000 (नोट–2)
iii) 6 सामान्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2018 को हुई (18,000 रू ×6×8)	8,64,000	2,59,200 (नोट–3)
iv) 20 विक्रय टीम के सदस्य जिनकी नियुक्ति 1 नवम्बर, 2018 को हुई (10,000 रू ×20×5)	10,00,000	शून्य (नोट–4)
	81,64,000	11,59,200

नोट–1 : धारा 80 JJAA के अर्न्तगत कोई कटौती मान्य नहीं होगी क्योंकि वेतन अधिकतम सीमा 25000 प्रति कर्मचारी से अधिक है। धारा 37 (i) के अन्तर्गत कटौती मान्य है।

नोट–2 : धारा 80 JJAA के अर्न्तगत प्रति कर्मचारी के वेतन पर 30% की दर से कटौती मान्य है। धारा 37 (i) के अन्तर्गत सम्पूर्ण राषि कटौती के लिये मान्य है।

नोट–3 : धारा 80 JJAA के अर्न्तगत वेतन का 30% कटौती के लिए मान्य है। धारा 37 (i) के अन्तर्गत सम्पूर्ण राषि कटौती की कटौती मान्य है।

नोट–4 : विक्रय टीम के सदस्यों ने 240 दिन से कम कार्य किया है अतः धारा 80 JJAA के अर्न्तगत कोई कटौती नहीं मान्य है। धारा 37 (i) के अन्तर्गत सम्पूर्ण राषि की कटौती मान्य है।

नोट–5 : धारा 37 (i) का उल्लेख व्यवसाय अथवा पेषे की आय षीर्शक में देखिये।

15.11 सारांश

किसी व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना के लिए सबसे पहले विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत शुद्ध आय की गणना की जाती है तथा विभिन्न शीर्षकों के आय के योग को सकल कुल आय कहा जाता है। सकल कुल आय से धारा 80 के अन्तर्गत कुछ कटौतियां स्वीकृत की गई हैं, जो किसी आय को कमाने के लिए किए गए व्यय के सम्बन्ध में नहीं होती बल्कि इन कटौतियों का उद्देश्य करदाताओं को प्रोत्साहन देना है ताकि सरकार करारोपण द्वारा निश्चित सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य प्राप्त कर सके। इन कटौतियों का वर्णन अध्याय VI(A) में किया गया है। कटौतियों को घटाने के बाद बची हुई आय करयोग्य आय कही जाती है।

यहाँ यह बात विशेष रूप से याद रखना चाहिए कि अध्याय VI (A) के अन्तर्गत दी गयी कटौतियां सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती अर्थात दूसरे शब्दों में कटौतियों को घटाने के बाद कुल आय नकारात्मक नहीं हो सकती।

15.12 शब्दावली

कटौतियाँ : वह राशि जो अध्याय VI (A) के नियमों के आधार पर सकल कुल आय से घटा दी जाती है ताकि कुल आय की गणना की जा सके।

सकल कुल आय : प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत निकाली गयी शुद्ध आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं।

कुल आय : वह आय जिसको आयकर अधिनियम में दिए नियमों के अनुसार निकाला जाता है तथा जिस पर कर राशि की गणना की जाती है।

15.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

क1) अ) i); ब) iii); स) ii); द) iii)

2) अ) ऋण पर ब्याज; ब) दान; स) 5,000 रु. प्रति माह द) 50%

3) अ) असत्य; ब) असत्य; स) सत्य; द) सत्य

15.14 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

प्रश्न :

1) सकल कुल आय से क्या तात्पर्य है तथा इसकी गणना कैसे की जाती है?

2) धारा (80IB) के अन्तर्गत गृह निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में क्या कटौती उपलब्ध है।

3) श्रीमती अलका की सकल कुल आय 1,00,000 रु. है जिसमें 20,000 रु. दीर्घकालीन पूंजी लाभ भी शामिल है। उसको चिकित्सा बीमा के सम्बन्ध में 12,000 रु. की कटौती स्वीकृत है। गत वर्ष के दौरान उसने एक कॉलेज को 8000 रु. का दान दिया जो विश्वविद्यालय के द्वारा सम्बद्ध है। धारा 80G के अन्तर्गत कटौती की रकम की गणना कीजिए। कटौती की रकम क्या होती है अगर वह दान निम्न में से किसी को दिया होता।

   i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, अथवा

   ii) परिवार नियोजन को प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार को दान, अथवा

   iii) राष्ट्रीय बाल कोष

   (उत्तर : धारा 80G के अन्तर्गत कटौती 3400 रु (i) 8000 रु. (ii) 6800 रु. (iii) 8000 रु.

4) प्रोफेसर आर.के. मित्तल की सकल कुल आय 30,00,000 है जिसमें गत वर्ष 2019–20 के दौरान 5 लाख रु. का दीर्घकालीन पूंजी लाभ शामिल है। उसने निम्नलिखित दान दिये।

   i) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को 1,00,000 रु.

   ii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष को 70,000 रु.

   iii) मंदिर को ठीक कराने के लिए 1,60,000 रु. (अनुमोदित)

   iv) राजनीतिक पार्टी को 90,000 रु.

   v) गरीब बच्चों को 70,000 रु. की कीमत की पुस्तकें

   vi) सार्वजनिक पूण्यार्थ संस्था को 1,00,000 रु.

   vii) उत्तर प्रदेश सरकार को परिवार नियोजन प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 1,00,000 रु.

   धारा 80G के अन्तर्गत कटौती की रकम की गणना कीजिए।

   (उत्तर 3,45,000 रु)

5) प्रोफेसर गर्ग की गत वर्ष 2019–20 में सकल कुल आय 5,00,000 रु. है और उन्होंने निम्नलिखित दान दिये।

   i) गुजरात मुख्यमंत्री भूकम्प सहायता कोष 10,000 रु.

   ii) साम्प्रदायिक समुदाय के लिए राष्ट्रीय फाउण्डेशन हेतु 15,000 रु.

   iii) नगर पालिका निगम जो परिवार नियोजन प्रोत्साहन के लिए अनुमोदित है को 40,000 रु.

   iv) अनुमोदित संस्था को दिये 25,000 रु.

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु धारा 80G के अन्तर्गत कटौती की गणना कीजिए।

(उत्तर : धारा 80G के अन्तर्गत कटौती 70,000 रु)

6) मि. प्रताप की सकल कुल आय 48 लाख रुपये है और वह गत वर्ष 2019–20 निम्न दान देते हैं :

i) 40,000 रु. राजीव मैमोरियल फण्ड में।

ii) 1,00,000 रु. प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष में।

iii) 35,000 रु. सामुदायिक सद्भाव हेतु स्थापित राष्ट्रीय संस्था।

iv) 10,000 रु. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष।

v) 40,000 रु. प्रधानमंत्री अर्भिनिया भूकम्प राहत कोष।

vi) 15,000 रु. आन्ध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष।

vii) 1,00,000 रु. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष।

viii) 60,000 रु. राष्ट्रीय बाल कोष।

ix) 2,50,000 रु. कानपुर नगर निगम को एक गैर राष्ट्रीय प्रमुखता (National Eminence) वाले लड़कों का एक हाईस्कूल की स्थापना के लिए कानपुर में

x) 4,00,000 रु. ताज महल की मरम्मत के लिए

xi) 10,000 रु. मन्दिर की मरम्मत के लिए दिये मन्दिर में फजा आर्चना उसी इलाके के लोग करते हैं।

xii) 50,000 रु. मूल्य की पुस्तकें गरीब विद्यार्थियों में वितरण हेतु एक विद्यालय को दी।

xiii) 50,000 रु. एक निर्धन छात्र को इग्लैंड में पढ़ाई करने हेतु दिये।

xiv) 1,00,000 रु. एक ऐसी धर्मशाला को दिये जो कि पूर्णतः पुण्यार्थ उद्देश्य से स्थापित की गयी थी तथा जो धारा 80G (5)(vi) के अन्तर्गत आयकर कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है। धर्मशाला का प्रयोग सभी जाति एवं धर्मों के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

xv) 1,00,000 रु. एक रैन बसेरा बनाने हेतु दिये जिसका प्रयोग केवल हिन्दू जाति क लोग ही कर सकते हैं किसी भी अन्य जाति के लोग नहीं।

xvi) 1,00,000 रु. परिवार नियोजन प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को दिये। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए मि. प्रताप की कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर

a) सीमा के साथ योग्यदान = 8,50,000 रु. (Qualifying Donations with Limit)

b) कुल योग्य दान = 8,80,000 रु. (Total Qualifying Amount of Donations)

c) धारा 80G के अन्तर्गत 100% कटौती = 3,00,000 रु.

d) धारा 80G के अन्तर्गत 50% कटौती = 2,90,000 रु.

e) कुल आय = 42,10,000 रु.

7) गत वर्ष 2019–20 में मि. जोसेफ ने निम्न भुगतान किये–

i) GIC को चेक द्वारा अपनी पत्नी (जो उन पर निर्भर नहीं हैं) के स्वास्थ्य बीमा हेतु 9,000 रु. दिये।

ii) GIC को चेक द्वारा 9,000 रु. स्वयं (जोसफ) के स्वास्थ्य बीमा के लिए दिये।

iii) अपने वयस्क पुत्र (जो उन पर निर्भर है) के स्वास्थ्य के बीमा के लिए 4,000 रु. चेक द्वारा GIC को दिये।

iv) अपनी अवयस्क पुत्री (जो उन पर निर्भर है) के स्वास्थ्य बीमा के लिए GIC को 6000 रु. नकद भुगतान किया।

v) अपने भाई (जो उन पर निर्भर है) के स्वास्थ्य बीमा के लिए GIC को चेक द्वारा 6000 रु. दिये।

vi) अपने 63 वर्षीय, भारत में निवासी पिता जो उन पर (जोसेफ पर) निर्भर नहीं है के स्वास्थ्य बीमा हेतु GIC को 40,000 रु. चेक द्वारा भुगतान किया।

vii) अपनी माँ (जो उन पर निर्भर है) के स्वास्थ्य बीमा के लिए GIC को चेक द्वारा 14,000 रु. भुगतान किया।

viii) अपने बाबा (Grand parent) के स्वास्थ्य बीमा के लिए GIC को चेक द्वारा 5,000 रु. भुगतान किया।

ix) अपने अवयस्क पुत्र (जो उन पर निर्भर नहीं है) के स्वास्थ्य बीमा हेतु GIC को 1000 रु. चेक द्वारा भुगतान किये।

x) अपने समूह बीमा हेतु जीवन बीमा निगम को 100 रु. का भुगतान किया।

xi) उसने 6000 रु. निरोधक स्वास्थ्य परीक्षण (Preventive health check-up) हेतु भुगतान किया।

a) धारा 80D के अन्तर्गत मान्य कटौती की गणना कीजिए।

b) कटौती की राशि क्या होगी यदि उसके (जोसेफ) पिता भारत में अनिवासी होते।

उत्तर

a) 1) स्वयं, जीवन साथी तथा आश्रित बच्चों (निरोधक स्वास्थ्य परीक्षण सहित) 27000 रू0 परन्तु अधिकतम सीमा 25000 रू0 होने के कारण 25000 रू0 तक की कटौती मान्य होगी।

2) माता–पिता (चाहे आश्रित हों या नहीं) के सम्बन्ध में 54,000 रू0 परन्तु अधिकतम सीमा 50,000 रू0 होने के कारण 50,000 रू0 तक की कटौती मान्य होगी।

3) कुल कटौती = 75000 रू0 (25000 रू0 + 50,000 रू0)।

b) जब जोसेफ के पिता भारत में अनिवासी होंगे, उन्हें वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी नहीं मिलेगी और उनके सम्बन्ध में अधिकृत कटौती 25000 रू0 तक सीमित कर दी जायेगी। अतः इस परिस्थिति में कुल कटौती 50,000 रू0 (25000+25000 रू0) होगी

8) नियम में धारा 80-EE के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिये कटौती की राषि क्या होगी? सभी दशाओं में करदाता व्यक्ति है रिहायशी सम्पत्ति क्रय करने हेतु ऋण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से लिया गया है–

करदाता का नाम (परिस्थिति संख्या)	प्रार्थना पत्र की तिथि	ऋण स्वीकृति तिथि	ऋण की स्वीकृत धनराशि (रू0)	रिहायशी मकान सम्पत्ति का मूल्य	ऋण स्वीकृत की तिथि पर क्या करदाता किसी अन्य सम्पत्ति का स्वामी है	गत वर्ष 2019–20 के लिये देय ब्याज (रू0)
परिस्थिति–1 A	मार्च 11, 2019	मई 10, 2019	35 लाख	50 लाख	नहीं	75,000
परिस्थिति–2 B	मार्च 11, 2019	मई 10, 2019	35 लाख	50 लाख	नहीं	50,000
परिस्थिति–3 C	मार्च 11, 2019	मई 10, 2019	35 लाख	50 लाख	नहीं	15,000
परिस्थिति–4 D	मार्च 15, 2019	मई 10, 2019	35 लाख	50 लाख	नहीं	50,000
परिस्थिति–5 E	मार्च 11, 2019	मई 10, 2019	37 लाख	50 लाख	नहीं	50,000
परिस्थिति–6 F	मार्च 11, 2019	मई 10, 2019	35 लाख	53 लाख	नहीं	50,000
परिस्थिति–7 G	मार्च 11, 2019	मई 10, 2019	35 लाख	50 लाख	हाँ	50,000

उत्तर :

परिस्थिति–1 करदाता A धारा 80-EE की सभी षर्तो को पूरा करता है, अतः कटौती की राषि 50,000 रू0 होगी।

परिस्थिति–2 B धारा 80-EE के अन्तर्गत 50,000 रू. की कटौती प्राप्त की जा सकती है।

परिस्थिति–3 C धारा 80-EE के अन्तर्गत 15,000 रू. की कटौती प्राप्त की जा सकती है।

परिस्थिति–4 ऋण गत वर्श 2018–19 में स्वीकष्त नहीं हुआ है अतः D द्वारा यह कटौती धारा 80-EE के अर्न्तगत नहीं प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि धारा 24 के अन्तर्गत कटौती मांगी जा सकती है। प्रार्थना पत्र की तारीख अप्रासंगिक है।

परिस्थिति–5 क्योंकि स्वीकष्त ऋण की राषि निर्धारित अधिकतम सीमा 35 लाख रू0 से अधिक है अतः धारा 80-EE के अन्तर्गत कटौती स्वीकष्त नहीं होगी। यद्यपि करदाता E द्वारा धारा 24 के अन्तर्गत कटौती मांगी जा सकती है।

परिस्थिति–6 क्योंकि सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित अधिकतम सीमा 50 लाख से अधिक है अतः F को धारा 80-EE के अधीन कटौती स्वीकष्त नहीं होगी।

परिस्थिति–7 G के स्वामित्व में ऋण स्वीकष्त की तिथि पर अन्य रिहायषी सम्पत्ति भी है अतः उसे धारा 80-EE के अन्तर्गत कटौती नहीं प्राप्त होगी। यद्यपि G को धारा 24 के अन्तर्गत कटौती मिल सकती है।

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

इकाई 16 व्यक्तियों का कर निर्धारण (Assessment of Individuals)

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 कुल आय की गणना के विभिन्न चरण

16.3 विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना

16.4 सकल कुल आय की गणना

16.5 अध्याय VI (A) के अन्तर्गत कटौती

16.6 विभिन्न उदाहरण (कुल आय की गणना)

16.7 व्यक्तियों के कर दायित्व की गणना (उदाहरण सहित)

16.8 सारांश

16.9 शब्दावली

16.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

16.11 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

16.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना कर सकेंगे;
- सकल कुल आय की गणना कर सकेगे;
- चालू वर्ष में ही हानियों का समायोजन कर सकें तथा अशोधित हानि को समायोजन के लिए आगे ले जा सकेंगे; और
- कुल आय की गणना कर सकेंगे।
- कर दायित्व की गणना कर सकेंगे।

16.1 प्रस्तावना

आपको ज्ञात होगा कि निवास स्थान के स्तर के आधार पर करदाता का कर दायित्व निर्धारित होता है। आयकर करदाता की गत वर्ष की कुल आय पर कर निर्धारण वर्ष के वित्त–अधिनियम (Finance Act) द्वारा निर्धारित आयकर की दर के आधार पर लगाया जाता है। कुछ आय (Total Income) का आशय ऐसी आय है जो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निकाली गयी हो। कुल आय के द्वारा ही करदाता द्वारा देय आयकर या कर वापसी की राशि का निर्धारण होगा। इस इकाई में आपको विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना की विधि तथा आय से विभिन्न कटौतियों के बाद कर योग्य आय की गणना के बारे में बताया गया है। आप व्यक्ति करदाता के कर दायित्व की गणना एवं निर्धारण कर सकेंगे।

16.2 कुल आय की गणना के विभिन्न चरण

कुल आय की गणना करते समय निम्न विधि अपनायी जाती है :

i) किसी विशिष्ट शीर्षक के प्रत्येक स्रोत से कर योग्य आय की गणना

ii) प्रत्येक शीर्षक के कर योग्य आय की गणना

iii) सकल कुल आय की गणना

iv) स्वीकृत कटौतियों की राशि का निर्धारण

v) कुल आय की गणना

vi) इसके बाद गणना की गई कुल आय को पूर्णांकित किया जायेगा। इसके लिए कुल आय को रू0 10 के सन्निकट पूर्णांकित किया जाता है।

16.3 विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी करदाता की कुल आय को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जाता है :

- वेतन से आय
- मकान सम्पत्ति से आय
- व्यापार या पेशे से लाभ
- पूँजी लाभ
- अन्य स्रोतों से आय

प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना के लिए आयकर अधिनियम में विशिष्ट नियम दिये गये है। कटौती देने या न देने के किसी विशिष्ट नियम की अनुपस्थिति में व्यापार के सकल लाभ या प्राप्तियों में से धारा 37 के अन्तर्गत व्यापार के सभी आयगत व्यय तथा अन्य आयों में से उन आयों को कमाने के लिये किये गये व्यय घटा दिये जाते हैं।

प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों की आय की अलग–अलग गणना की जाती है। उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति एक से अधिक व्यापार का स्वामी है तो प्रत्येक व्यापार के लाभ या हानि की गणना अलग–अलग की जायेगी तथा सभी व्यापारों की आय के योग को व्यापार या पेशे से लाभ शीर्षक की आय कहा जायेगा। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति को एक से अधिक व्यवहारों से पूंजी लाभ प्राप्त हुआ हो तो प्रत्येक व्यवहार के पूंजी लाभ को पूंजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत रखा जायेगा तथा उसके योग को ''पूंजी लाभ'' शीर्षक की आय कहेंगे।

यदि किसी शीर्षक के अन्तर्गत एक से अधिक आय के स्रोत हो तथा कुछ स्रोतों से लाभ तथा अन्य में हानि हो तो ऐसी हानि का उसी शीर्षक के लाभ से समायोजन (set-off) किया जायेगा और बची हुई शुद्ध राशि उस शीर्षक की आय होगी। उदाहरण के लिए किसी करदाता के एक व्यापार में 50,000 रू0 का शुद्ध लाभ हो

तथा दूसरे व्यापार में 20,000 रू0 की शुद्ध हानि हो तो व्यापार या पेशे से लाभ शीर्षक की शुद्ध आय केवल 30,000 रू0 की होगी। परन्तु यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सट्टा व्यापार की हानि का केवल अन्य सट्टा व्यापार के लाभ से ही समायोजन किया जा सकता है। किसी गैर सट्टा व्यापार के लाभ से नहीं।

16.4 सकल कुल आय की गणना

प्रत्येक शीर्षक की शुद्ध आय की गणना के पश्चात् विभिन्न शीर्षकों की शुद्ध आय का योग किया जाता है। यदि किसी शीर्षक का शुद्ध नकारात्मक या हानि हो तो ऐसी हानि को अन्य शीर्षक के शुद्ध आय से समायोजित किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप यदि ''व्यापार या पेशे से लाभ'' शीर्षक के अन्तर्गत 1,00,000 रू0 की शुद्ध आय हो तथा ''मकान सम्पत्ति से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत 30,000 रू0 की शुद्ध हानि हो तो इस हानि को व्यापार के लाभ से समायोजित किया जायेगा तथा इस प्रकार ''व्यापार या पेशे से लाभ'' शीर्षक की शुद्ध राशि केवल 70,000 रू0 होगी। सट्टा व्यापार की हानि को किसी अन्य शीर्षक की आय से समायोजित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त समायोजन के पश्चात् आय की गणना का अगला चरण उन हानियों के समायोजन से है जो पिछले वर्षो में पर्याप्त आय न होने के कारण समायोजित नहीं हो सकी और उन्हें आगे लाया गया। ऐसी हानियों के समायोजन के सम्बन्ध में निम्न नियम हैं :–

- पिछले वर्ष की आगे लायी गयी हानि का उसी शीर्षक की आय से समायोजन किया जायेगा।
- पिछले वर्ष की आगे लायी गयी सट्टे की हानि का केवल सट्टा व्यापार के लाभ से ही समायोजन किया जायेगा।
- पिछले वर्ष की लायी गयी गैर सट्टे व्यापार की हानि को तभी पूरा किया जायेगा यदि वह व्यापार जिसमें हानि हुई हो, बन्द न हुआ हो।
- व्यापार की हानि को समायोजित करने के लिये अगले आठ वर्षो तक आगे लाया जायेगा पर यह सीमा अशोधित (unabsorbed) ह्रास पर लागू नहीं होगी।
- दीर्घकालीन पूंजी हानि का समायोजन भी अगले आठ वर्षो तक आगे ले जाकर दीर्घकालीन 'पूंजी लाभ' से किया जाएगा। परन्तु अल्प कालीन पूँजी हानि का समायोजन दीर्घकालीन पूँजी लाभ अथवा अल्पकालीन पूँजी लाभ मं से किसी से भी हो सकता है।

जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में यदि किसी व्यापार की पिछले वर्षो की अशोधित हानि 60,000 रू0 हो तो उसे व्यापार से शुद्ध लाभ अथात् 70,000 रू0 से घटा दिया जायेगा और इस प्रकार इस शीर्षक की आय केवल 10,000 रू0 ही होगी। इसी प्रकार यदि पिछले वर्ष की अशोधित हानि 70,000 रू0 हो तो ''व्यापार या पेशे से लाभ'' शीर्षक की आय शून्य होगी परन्तु यदि पिछले वर्षो की अशोधित हानि 80,000 रू0 हो तो चालू वर्ष में केवल 70,000 रू0 की हानि का ही समायोजन किया जायेगा तथा शेष 10,000 रू0 की अशोधित हानि को समायोजन के लिये आगे ले जाया जायेगा।

परन्तु यह तभी सम्भव है यदि हानि वाला व्यापार चालू हो तथा हानि आठ वर्षो से अधिक आगे न लायी गयी हो।

हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में करदाता को परिवार की आय से मिली राशि पर कर नहीं लगता है और न वह उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती है। यदि हिन्दू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत परिश्रम से कोई आय प्राप्त करता है तो ऐसी आय को करयोग्य माना जायेगा और उसकी सकल आय में सम्मिलित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि हिन्दू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य अपनी निजी सम्पत्ति को हिन्दू, अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में परिवर्तन कर देता है तो ऐसी परिवर्तित सम्पत्ति की आय उस सदस्य की व्यक्तिगत कुल आय में सम्मलित होगी न कि हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में।

साझेदारी फर्म के लाभ में से व्यक्ति करदाता का हिस्सा उसकी सकल कुल में शामिल नहीं किया जाता परन्तु यदि उसे फर्म से ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा परिश्रमिक प्राप्त होता है तो वह कर योग्य होगा।

एक व्यक्ति द्वारा भारतीय कम्पनियों से अर्जित कुल लाभांश की रकम 10 लाख रू0 तक कर मुक्त है परन्तु यदि यह राशि 10 लाख रू0 से अधिक है तो 10 लाख रू0 से अधिक लाभांश की राशि पर 10% कर देय होगा। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति करदाता एक या एक से अधिक भारतीय कम्पनियों से कुल 15 लाख रू0 का लाभांश अर्जित करता है तो उसे (15 लाख – 10 लाख) = 5 लाख रू0 पर 10% से 50,000 रू0 कर चुकाना होगा। एक विदेशी कम्पनी से प्राप्त एक व्यक्ति की लाभांश की आय, अन्य स्त्रोतो से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। परन्तु ऋण मिच्युल फण्ड (Debt Mutual Fund) या समता मिच्युल फण्ड (Equity Mutual Fund) से प्राप्त एक व्यक्ति की आय कर मुक्त होती है। एक व्यक्ति करदाता को व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह के सदस्य रूप में इन संघ या समूह से प्राप्त आय सम्बन्ध में निम्न नियम लागू होंगे।

(i) यदि व्यक्तियों के संघ या समूह की कुल आय पर सामान्य दर से आय पर कर लगता है तो सदस्य की आय का भाग उसकी कुल आय में सम्मलित किया जायेगा परन्तु उस पर आयकर नहीं लगेगा।

(ii) यदि व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की कुल आय पर कोई कर नहीं लगता है तो ऐसे संघ या समूह के सदस्य करदाता को इनकी सदस्यता से प्राप्त आय के माग पर कर देना होगा।

(iii) यदि व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की कुल आय पर अधिकतम सीमान्त दर या उससे भी अधिक दर से कर लगता है तो संघ/समूह के सदस्य की आय का भाग, उसकी व्यक्तिगत कुल आय में शामिल नहीं होगा।

एक व्यक्ति करदाता की कृषि आय आयकर मुक्त होती है परन्तु यदि कृषि आय रू0 5000/– से अधिक हो और करदाता की कर योग्य आय (कृषि आय को छोड़कर) आयकर से मुक्त राशि से अधिक हो तो ऐसी कृषि आय को कर दायित्व की गणना करने के उद्देश्य से कुल आय में सम्मिलित किया जाता है।

धारा 60 से 64 के नियमों के अधीन वर्णित मानी गयी आयों (Deemed Incomes) को व्यक्ति करदाता की कुल आय में जोड़ दिया जाता है।

उपरोक्त वर्णित नियमों को ध्यान में रखते हुये एक व्यक्ति करदाता की कुल आय की गणना निम्न प्रकार चार्ट द्वारा की जा सकती है:–

एक व्यक्ति की कुल आय की गणना प्रदर्शन चार्ट

		रू0	रू0
(a)	वेतन शीर्षक से आय		-
(b)	मकान सम्पत्ति शीर्षक से आय		-
(c)	व्यापार अथवा पेशे शीर्षक से आय		-
(d)	पूँजी लाभ :		
	(i) दीर्घकालीन पूंजी लाभ	-	
	(ii) अल्पकालीन पूंजी लाभ	-	
			-
(e)	अन्य स्त्रोतों से आय		-
	सकल कुल आय	-	-
	घटाइये– धारा 80 C से 80 U के अधीन कटौतियों	-	-
	कुल आय		-
	पूर्णांकिंत कुल आय		-

स्पष्टीकरण :

(i) यह आवश्यक नहीं कि करदाता की सभी पाँचों शीर्षकों के अन्तर्गत आय हो। करदाता की आय एक या दो शीर्षकों में भी हो सकती है।

(ii) करदाता की मानी गयी आय हों (धारा 60 से 64 के अधीन) यह आवश्यक नहीं है। यदि इस प्रकार की आय होगी तभी उनसे सम्बन्धित नियम लागू होगा।

(iii) अशोधित ह्रास या हाँनियाँ सदैव नहीं होती है यदि नहीं है तो उनके समायोजन का प्रश्न ही नहीं होता परन्तु दिये होने पर अशोधित ह्रास घटाया जायेगा और हानियों का समायोजन किया जाता है।

(iv) कुल आय की गणना करते समय यदि वेतन शीर्षक की आय की भी गणना करनी हो तो यह ध्यान रखना चाहिये कि :

(a) यदि 'प्राप्त वेतन' (Salary Received) की राशि ज्ञात हो तो इसमें से धारा 16 के अधीन मनोरंजन भत्ता तथा नियोजन कर या व्यवसाय या पेशा कर की राशि (यदि दी गई हो) घटाकर कर योग्य राशि ज्ञात की जाती है। यदि वेतन से आय की राशि संगणित (Computed) दी हो तो इसमें से धारा 16 की कटौतियों को नहीं घटाया जायेगा।

(b) यदि मकान समाप्ति से आय शीर्षक की गणना में प्राप्त किराया (Rent Received) दिया हो तो इसमें से 30% वैधानिक छूट घटा देनी चाहिये।

(c) यदि मकान सम्पत्ति की आय शीर्षक की गणना में मकान सम्पत्ति से आय संगठित (computed) दी हो तो वैधानिक कटौती (जो कि शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% होती है) को नहीं घटाया जायेगा।

(d) यदि घुड़दौड़ (Horse race) या लाटरी (Lottery) से आय अथवा जीती हुई रकम को अन्य साधनों से आय शीर्षक के अन्तर्गत जोड़ने से पूर्व सकल (Gross up) नहीं की जाती है, परन्तु यदि यह लाटरी से जीत की रकम या घुड़दौड़ से प्राप्त रकम के रूप में दी गयी हो तो इसे सकल बनाकर (Gross up करके) अन्य साधनों से आय शीर्षक के अन्तर्गत जोड़ा जाता है।

16.5 अध्याय VI(A) के अन्तर्गत कटौती

कुल आय की गणना का अगला चरण, सकल कुल आय से कटौतियों के सम्बन्ध में है। सकल कुल आय से अध्याय VI (A) में वर्णित कटौतियां घटाई जाती हैं परन्तु यहां यह ध्यान देना आवश्यक है कि कुल कटौतियों की राशि सकल कुल आय की राशि से अधिक नहीं हो सकती। अध्याय VI A की कटौतियों का वर्णन धारा 80C से 80U में किया गया है। उपरोक्त कटौतियों के उपरान्त प्राप्त राशि कुल आय होता है जिस पर वित्त विधेयक में दी गई दरों से कर लगाया गय जाता है।

16.6 विभिन्न उदाहरण

एक व्यक्ति (indicudual) की कुल आय की गणना को निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है:

उदाहरण–1

प्रोफसर विजेता अग्रवाल कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करती है। उसकी कुल आय की गणना कीजिए।

i)	वेतन	5,000 रू0 प्रति माह
ii)	नौकर भत्ता	200 रू0 प्रति माह
iii)	पुस्तकों से प्राप्त रॉयल्टी	18,000 रू0
iv)	लॉटरी से प्राप्त शुद्ध राशि	28,000 रू0
v)	लॉटरी टिकेटस पर व्यय	10,000 रू0
vi)	ताश के खेल में जीत	6,000 रू0

हलः प्रोफेसर विजेता अग्रवाल की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कुल आय की गणना

	वेतन से आय	**रु.**	**रु.**
1)	वेतन	60,000	
	नौकर भत्ता	2,400	
	वेतन से आय		62,400

2)	**अन्य साधनों से आय**		
	पुस्तकों से प्राप्त रायल्टी	18,000	
	ताश के खेल में जीत	6,000	
	लॉटरी (grossed-up) $\frac{28000\times100}{69.4}$	40,346	64,346
	सकल कुल आय		126746
	घटायाः अध्याय VI(A) अर्न्तगत कटौतियाँ धारा 80 QQ G के अन्तर्गत		18,000
	कुल आय		108746
	सन्निकटीकृत कुल आय		1,08,750

उदाहरण 2

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हेमेन्द्र की आय का विवरण इस प्रकार है :

			रूपये
a)	व्यापार के लाभ (शिक्षण संस्था को 20,000 रू0 दान की पूर्ति एवं राष्ट्रीय बचत पत्र में 7000 रू0 का भुगतान करने के बाद)		50,000
b)	पंजीकृत फार्म से 20% लाभ का हिस्सा (आयकर का भुगतान कर दिया गया है)		8,000
c)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)		10,000
d)	विदेशी कम्पनी के अंशों पर लाभांश (सकल)		5,000

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए हेमेन्द्र की कुल आय की गणना कीजिए।

हलः हेमेन्द्र की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कुल आय की गणनाः

			रूपये
1)	**व्यापार के लाभ** (50000 रू0 + 20000 रू0 7000 रू0) पंजीकृत फर्म से लाभ का हिस्सा		77,000 कर मुक्त
2)	**अन्य स्रोतों से आय**		
	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)		10,000
	विदेशी कम्पनी के अंशों पर लाभांश (सकल)		5,000
	सकल कुल आय		92000
	घटाया : कटौतियाँ		
	1) धारा 80 G के अर्न्तगत (9,200 का 50%)		4600
	कुल आय		**87,400**

नोटः– शिक्षण संस्था को दान की राशि की कटौती समायोजित आय $\left(\text{Rs. } 92000 \times \frac{10}{100}\right) = 9200$ के 50 प्रतिशत $\left(9200 \times \frac{50}{100}\right) = 4{,}600$ के बराबर होगी।

उदाहरण 3

निम्नलिखित विवरणों से कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए अमित चौधरी की कुल आय की गणना कीजिए।

		रूपये
i)	वेतन प्रतिमाह	15,000
ii)	भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश	10,000
iii)	हिन्दु अविभाजित परिवार से लाभ का हिस्सा	12,000

iv)	सहकारी समिति से लाभांश	6,000
v)	मकान सम्पत्ति से किराया	10,000

हलः

अमित चौधरी कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कुल आय की गणना :

			रूपये
i)	**वेतन से आय :** 15000×12		1,80,000
ii)	**मकान सम्पत्ति से किराया**	10,000	
	घटायाः वैधानिक कटौती (वार्षिक मूल्य का 30%)	3,000	
	मकान सम्पत्ति से आय		7,000
iii)	**अन्य स्रोतों से आयः**		
	भारतीय कम्पनी से लाभांश		कर मुक्त
	सहकारी समिति से लाभांश		6,000
	सकल कुल आय		1,93,000
	घटायाः धारा 80 CCC से U की कटौतियाँ		**शून्य**
			1,93,000

उदाहरण 4

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए पंकज लाठर की कुल करयोग्य आय की गणना कीजिए।

		रूपये
i)	व्यापार की आय 80,000 रू0 जिसमें 25,000 रू0 ऐजेन्सी समाप्त करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति शामिल है।	80,000
ii)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (शुद्ध)	1,500
iii)	मशीन के बेचने से दीर्घकालीन पूंजी लाभ	16,000
iv)	यू0टी0आई0 की युनिटों से प्राप्त आय	2,000
अ)	फर्म में स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज	3,000

पंकज ने 2,500 रू0 का जीवन बीमा प्रीमियम का भगुतान किया और राष्ट्रीय बचत पत्रों में 5000 रू0 विनियोजित किए (VIII निगर्मन)

हलः

पंकज लाठर की कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कुल करयोग्य आय की गणनाः

		रूपये
i)	**व्यापार से आयः**	80,000
ii)	**अन्य स्रोतों से आयः**	
	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,500
	स्थायी जमा पर ब्याज	3,000
iii)	**पूंजीगत लाभः** मशीन से दीर्घकालीन पूंजी लाभ	16,000
	सकल कुल आय	**1,00,500**
	घटायाः धारा 80 C के अन्तर्गत कटौती (जीवन बीमा प्रीमियम 2500+ राष्ट्रीय बचत पत्रों में विनियोजन 5000)	7,500
	कर योग्य आय	**93,000**

उदाहरण 5

निम्नलिखित विवरणों से अपूर्व की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए।

		रूपये
i)	मकान सम्पत्ति से आय (गणना की गई)	25,000
ii)	भवन से दीर्घकालीन पूंजी लाभ	30,000

iii)	लॉटरी से जीत	80,000
iv)	जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	1,000
v)	सरकारी प्रतिभूमियों पर ब्याज	12,000
vi)	कपड़े के व्यापार से आय	1,25,000
vii)	कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने के व्यवसाय से लाभ	40,000
viii)	डेयरी फार्म के व्यवसाय से लाभ	15,000

हल:

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए अपूर्व की करयोग्य आय की गणना:

		रूपये	रूपये
i)	**मकान सम्पत्ति से आय:**		25,000
ii)	**व्यापार की आय:** कपड़े के व्यापार से आय	1,25,000	
	मशरूम उगाने के व्यवसाय से लाभ	40,000	
	डेयरी फार्म के व्यवसाय से लाभ	15,000	1,80,000
iii)	**पूंजीगत लाभ:**		
	दीर्घकालीन पूंजी लाभ		30000
iv)	**अन्य स्रोतों से आय:**		
	लॉटरी से जीत	80,000	
	सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	12,000	92,000
	सकल कुल आय		3,27,000
	घटाया: धारा 80 C के अन्तर्गत कटौती		1000
	कर योग्य आय		**3,26,000**

उदाहरण 6

निम्नलिखित विवरणों से सुशील की 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की कुल आय की गणना कीजिए।

		रूपये
i)	उत्तर प्रदेश सकरार के 7% बॉड्स पर प्राप्त ब्याज	5,000
ii)	मकान सम्पत्ति से आय	24,000
iii)	भारतीय कम्पनी के पूर्वाधिकार अंशों पर प्राप्त लाभांश	10,000
iv)	दीर्घकालीन पूंजी हानि (वर्ष 2018–19 से सम्बन्धित)	7,000
v)	दीर्घकालीन पूंजी लाभ	5,000
vi)	अल्पकालीन पूंजी लाभ	6,000
vii)	अल्पकालीन पूंजी हानि	2,000

हल:

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए सुशील कुमार की कुल आय की गणना:

		रूपये	रूपये
i)	**मकान सम्पत्ति से आय:**		24,000
ii)	**पूंजीगत लाभ:**		
	दीर्घकालीन पूंजी लाभ	5000	
	दीर्घकालीन पूंजी हानि	5000	
	(वर्ष 2018–19 से सम्बन्धित शेष 2000 रू0 की हानि आगे ले जायी जायेगी)	शून्य	
	अल्पकालीन पूंजी लाभ	6000	
	अल्पकालीन पूंजी हानि	2000	4000
	अन्य स्रोतों से आय:		
	उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण से ब्याज		5000

	सकल कुल आय		33,000
	घटायाः धारा 80 CCC से U तक की कटौतियाँ		शून्य
	कुल आय		33,000

नोटः भारतीय कम्पनी के अंशों पर 10,0000 रू0 तक का लाभांश करमुक्त है।

उदाहरण 7

श्रीमती संतोष अग्रवाल के कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के निम्नलिखित विवरण है।

		रूपये
i)	मकान को एस.बी.आई. को किराये पर उठाने से प्राप्त किराया	10,0000
ii)	पुस्तकों से रॉयल्टी (विश्वविद्यालय)	6,000
iii)	कपड़ा व्यवसाय से लाभ	20,000
iv)	कॉटन व्यवसाय से हानि	25,000
v)	सट्टा व्यवसाय से हानि	30,000
vi)	बैंक जमा पर ब्याज	20,000
vii)	लॉटरी ईनाम (शुद्ध रकम)	20,728
viii)	जीवन बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने पर प्राप्त रकम	40,000

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए श्रीमती संतोष की कुल आय की गणना कीजिए।

a) उसने असमर्थ आश्रित व्यक्ति के उपचार के लिए 13,000 रू0 खर्च किये।
b) उसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को 3000 रू0 का दान दिया।

हलः

श्रीमती संतोष अग्रवाल की कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 की कुल आय की गणनाः

		रूपये	**रूपये**
	मकान सम्पत्ति से आयः		
	मकान से प्राप्त किराया	1,00,000	
घटायाः	वार्षिक मूल्य का 30%	30,000	70,000
	व्यापार से आयः		
	कपड़ा व्यापार से लाभ	20,000	
घटायाः	कपड़ा व्यापार से हानि	25,000	– 5000
	अन्य स्रोतों से आयः		
	बैंक से ब्याज	20,000	
	लॉटरी ईनाम $\frac{20.728\times100}{70}$	29,611	
	किताबों की रायल्टी	6,000	55611
	सकल कुल आय		**1,20,611**
घटायाः	कटौतियाँ : धारा 80 DD के अन्तर्गत (असमर्थ आश्रित के उपचार हेतु)	13,000	
	धारा 80 G के अन्तर्गत (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दी गई राशि)	3000	16000
	कुल आय		**104611**
	सन्निकटीकृत कुल आय		**104610**

नोट :

1) सट्टे की हानि की पूर्ति केवल सेट्टे के व्यापार से होती है।
2) जीवन बीमा के परिपक्व होने पर मिली रकम पूंजीगत प्राप्ति है जोकि धारा 10 (1DD) के अन्तर्गत करमुक्त है।

उदाहरण 8

श्रीमती सुमन गर्ग ने अपनी आय के सम्बन्ध में कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए निम्नलिखित विवरण जमा कराये। वह दिल्ली में रहती है।

i) मूल वेतन 10,000 प्रति माह
ii) महंगाई भत्ता वेतन का 10%
iii) मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 30%
iv) चिकित्सा भत्ता 200 रू0 प्रति माह अपने उपचार के लिए उसने वास्तव में 2000 रू0 खर्च किए।
v) वार्डन भत्ता 400 रू0 प्रति माह
vi) मकान सम्पत्ति से किराया 3,000 रू0 प्रति माह
vii) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान मूल वेतन का 10%
viii) मकान किराया भुगतान 6,000 रू0 प्रति माह
ix) अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था को 20,000 रू0 का दान

उसकी कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कुल आय की गणना कीजिए

हल:

श्रीमती सुमन गर्ग की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 की कुल आय की गणना:

		रूपये	रूपये
i)	**वेतन से आय:**		
	मूल वेतन 10,000×12	1,20,000	
	महंगाई भत्ता वेतन का 10%	12,000	
	वार्डन भत्ता	4,800	
	चिकित्सा भत्ता	2,400	
	मकान किराया भत्ता	शून्य	
	स्कल आय वेतन से आय		1,39,200
	घटाइये: मानक कटौती (स्टैण्डर्ड डिडेक्शन)		50,000
			89,200
	मकान संपत्ति से आय:		
	सम्पत्ति से किराया	36000	
	घटाया वार्षिक मूल्य का 30% 36,000 रु.	10,800	25,200
	सकल कुल आय		**1,14,400**
	घटाया: धारा 80 G के अन्तर्गत कटौती (समायोजित सकल कुल आय की 10% प्रतिबन्धित सीमा का 50% तक सीमित पूर्णयार्थ संस्था को दान। $\left[124400 \times \frac{10}{100} = 12440\ 50\%\ of\ 12440\right] = 6220$)	6,220	
	कुल आय		19620

	घटाया: धारा 80 C के अन्तरर्गत कटौती, प्रमाणित प्रोविडेन्ड फण्ड में अंशदान $(120000 + 12000) = 134000 \times \frac{10}{100}$)	13,400	19,620
	कर योग्य आय		94,780

नोट : समायोजित सकल कुल आय की 10% प्रतिबन्धित सीमा का 50% तक सीमित पूणयार्थ संस्था को दान = 6220 रु.

16.7 व्यक्तियों के कर दायित्व की गणना (उदाहरण सहित)

पीछे के पृष्ठों में वर्णित विधि से करदाता की कुल आय की गणना के उपरान्त उसके कर दायित्व की गणना की जाती है। आयकर किसी कर निर्धारण वर्ष के गत वर्ष की कुल कर योग्य आय पर आय खण्ड के अनुसार निर्धारित कर की दर के अनुसार लगाया जाता है। आयकर की दरों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष वित्त–अधिनियम द्वारा किया जाता है। आयकर लगाने के लिये खण्ड विधि (Slanb system) का प्रयोग किया जाता है। करदाता की कुल आय को विभिन्न खण्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक खण्ड में आने वाली आय पर कर की दर भिन्न होती है। जैसे–जैसे खण्ड की राशि बढ़ती है, आयकर दर भी बढ़ती जाती है।

आयकर की दरें–

(व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संगठन एवं व्यक्तियों के समूह के लिए)

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये आयकर की दरें निम्न प्रकार हैं–

a) **कर की सामान्य दरें (General Rate of Tax):**

कर की यह दरें उस कुल आय पर लागू होती है जो कुल आय में से उन आयों को घटाकर प्राप्त होती है जिन पर विशिष्ट कर की दरों (Specified or special tax rate) से कर लगता हैं आय पर कर की सामान्य दरें निम्न है:–

सामान्य आयकर की दरें,

अधिभार की दर तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दरों की तालिका

सारणी 16.2: कर निर्धारण वर्ष 2020–21

शुद्ध आय	निवासी वरिष्ठ नागरिक	निवासी अति विशिष्ठ नागरिक	अन्य कोई भी
(i) आयकर प्रथम रू0 2,50,000	शून्य	शून्य	शून्य
अगले रू0 50,000	शून्य	शून्य	5%
अगले रू0 2,00,000	5%	शून्य	5%
अगले रू0 5,00,000	20%	20%	20%

अगली शेष राशि पर (रू0 10,00000 से अधिक पर)	30%	30%	30%
(ii) अधिभार दरें			
a) 50 लाख रूपये से अधिक तथा 1 करोड़ रूपये तक की आय पर	10%	10%	10%
b) 1 करोड़ रूपये से अधिक आय पर	15%	15%	15%
c) **उपकरण की दर**			
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (Cess)	4%	4%	4%

निवासी वरिष्ठ नागरिकः वह व्यक्ति जिसकी गत वर्ष में आयु किसी भी समय 60 वर्ष या इससे अधिक हो परन्तु गत वर्ष के अंतिम दिन 80 वर्ष से अधिक न हो।

निवासी अति वरिष्ठ नागरिक : वह व्यक्ति जिसने गत वर्ष में किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो।

b) विशिष्ट अथवा विशेष कर की दरें (Specified or Special Rate of Tax):

सामान्य कर की दरों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट अथवा विशेष कर की दरें भी है जो निम्न प्रकार की आयों पर लागू होती है।

i)	दीर्घकालीन पूंजी लाभ	20%
ii)	अल्पकालीन पूंजी लाभ	15%
iii)	लाटरी की जीत की राशि अथवा घुड़दौड़ या जुए या शर्त या इसी प्रकृति के स्त्रोत से प्राप्त आकस्मिक आय	30%
iv)	घरेलू कम्पनी से 10 लाख रू0 से अधिक के लाभांश की आय	10%

धारा 87 A के अन्तर्गत छूटः

इस धारा के अन्तर्गत उन निवासी कर दाताओं को राहत दी गयी है जिनकी शुद्ध कर योग्य आय रू0 5,00,000 से अधिक न हो। यह छूट कर राशि के 100% या रू0 12,500 (जो दोनों में से कम हो) तक मान्य होगी। इस छूट की राशि को उपकार की गणना से पूर्व घटाया जायेगा।

अधिभारः

अधिभाार एक अतिरिक्त उपकर है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशिष्ठ उद्देश्य के लिय वसूल किया जाता है। अधिभार एक निर्धारित दर से कर योग्य राशि पर देय कर की राशि पर वसूल किया जाता है। इस प्रकार यह कर के ऊपर उपकर है। व्यक्तियों के लिये अधिभार की गणना निम्न प्रकार हैः

(i) यदि शुद्ध आय 50 लाख रू0 से अधिक परन्तु 1 करोड़ रू0 तक है तो आयकर की देयराशि पर 10%

(ii) यदि शुद्ध आय 1 करोड़ रू0 से अधिक है तो आयकर की देय राशि पर 15%

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (Cess)

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर एक अतिरिक्त कर है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वसूल किया जाता है। यह आयकर की रकम + अधिभार (यदि लगता है तो) की राशि पर 4% की दर से लगाया जाता है। यदि अधिभार नहीं लगता तो आयकर की राशि पर इस उपकर की गणना की जाती है।

सारणी 16.4: एक व्यक्ति करदाता की कर दायित्व की गणना का प्रारूप

			रूपये	रूपये
(A)	उस आय पर कर जिस पर आयकर की विशिष्ट दरें लागू होती है:–			
	i)	आकस्मिक आय पर कर 30% (जैसे लाटरी की जीत आदि है।)		× ×
	ii)	दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर 20%		× ×
	iii)	अल्पकालीन पूंजी लाभ जिन पर प्रतिभूति लेनदेन कर (S.T.T.) लागू होता है 15%		× ×
(B)	उस आय पर कर जिस पर उपखण्ड (स्लैब) के अनुसार आयकर की सामान्य दर लागू होती है			× ×
		कुल कर दायित्व		× ×
	घटाइये: धारा 87 ए के अधीन छूट (आदि लागू हो)			× ×
		कर दायित्व		× ×
	जोडिये: अधिभार (यदि लागू हो)			× ×
				× ×
	जोडिये: स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%			× ×
				× ×
	घटाइये: धारा 86 के अन्तर्गत छूट (व्यक्तियों के संघ/ व्यक्तियों के समूह के लाभ में हिस्सा औसत दर से (यदि लागू हो)			× ×
		शुद्ध कर दायित्व		× ×
	घटाइये:			
	(i) स्त्रोत पर कर की कटौती/स्त्रोत पर कर संग्रह		× ×	
	(ii) अग्रिम कर/स्वकर निर्धारण भुगतान		× ×	
	(iii) दोहरे करारोपड़ में राहत		× ×	× ×
		शुद्ध देय कर/कर वापसी		× ×

नोट (1) शुद्ध देय कर की राशि को निकटतम् 10 रू0 में लिखा जायेगा।

(2) यदि लागू हो तो कर निर्धारण में निम्न का समायोजन भी होगा:

a) पूंजी लाभ के विरूद्ध समायोजन छूट सीमा की कर योग्य राशि के अधिकतम तक
b) कृषि आय सम्बन्धी समायोजन
c) अधिभार में सीमान्त छूट
d) न्यूनतम वैकल्पिक कर

e) कर दायित्व में छूटें
f) विवरणी का विलम्ब से दाखिल करने पर अथवा अग्रिम कर में कम जमा राशि पर ब्याज का समायोजन

उपरोक्त सभी समायोजन इस इकाई के आगे के पृष्ठ में चर्चा की गई है।

कर दायित्व अथवा वापसी की गणना के विभिन्न चरण (Steps):–

चरण–1 : उन आयो पर कर की गणना जिन पर विशिष्ट दरें लागू होती है जैसे अल्प अथवा दीर्घ कालीन पूँजी लाभ आदि।

चरण–2 : शेष कर योग्य आय पर सामान्य कर की दर से गणना कीजिए।

चरण–3 : प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की प्राप्त कर राशियों का योग करिये। (चरण 1 + चरण 2)

चरण–4 : धारा 87 A की छूट घटाइये (यदि लागू हो)

चरण–5 : यदि लागू हो तो, अधिमार (10% अथवा 15% आय की राशि के अनुसार) जोडिये।

चरण–6 : अधिमार सहित (यदि अधिभार लागू होता है तो) प्राप्त देय कर पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जोडिये।

चरण–7 : यदि लागू हो तो धारा 86 के अन्तर्गत छूट घटाइये।

चरण–8 : चरण 7 की प्राप्त राशि में से स्त्रोत पर कर की कटौती अथवा स्त्रोत पर कर संग्रह की रकम घटाइये। अग्रिम कर भुगतान/स्वकर निर्धारण द्वारा भुगतान/दोहरे करारोपण की राशि घटाइये।

चरण–9 : शेष राशि देय कर की राशि या कर वापसी की राशि होगी।

चरण–10 : देय कर राशि को 10 रू0 के निकटस्थ किया जाता है।

उदाहरण 9

निम्न दशाओं में श्री अनुज द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2020–21 में देय कर की गणना कीजिए।

(A) जब गत–वर्ष में उसकी कुल आय रू0 1,80,000 हो।
(B) जब गत–वर्ष में उसकी कुल आय रू0 7,10,000 हो।
(C) जब गत–वर्ष में उसकी कुल आय रू0 10,70,000 हो।

श्री अनुज के कर दायित्व की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

पहली दशा (A) **(कुल आय रू0 1,80,000)**			**दूसरी दशा (B)** **(कुल आय रू0 7,10,000)**			**तीसरी दशा (C)** **(कुल आय रू0 10,70,000)**		
राशि	**कर की दर**	**कर**	**राशि**	**कर की दर**	**कर**	**राशि**	**कर की दर**	**कर**
प्रथम रू0 1,80,000	शून्य	शून्य	प्रथम रू0 2,50,000	शून्य	शून्य	प्रथम रू0 2,50,000	शून्य	शून्य
			अगले रू0 2,50,000	5%	12,500	अगले रू0 2,50,000	5%	12,500
			शेष रू0 2,10,000	20%	42,000	अगले रू0 5,00,000	20%	100,000
						शेष रू0 70,000	30%	21,000
कुल कर राशि जोडिये–		शून्य	कुल कर राशि जोडिये–		54,500	कुल कर राशि		13,3500
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%		शून्य	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% $\left(Rs.54500 \times \frac{4}{100}\right)$		2,180	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% $\left(Rs.133500 \times \frac{4}{100}\right)$		5,340
शुद्ध देयकर		**शून्य**	**शुद्ध देयकर**		**56,680**	**शुद्ध देयकर**		**138,840**

उदाहरण–10 :

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये श्री X (आयु 55 वर्ष), श्री Y (आयु 63 वर्ष) तथा श्री Z (आयु 82 वर्ष) की कर योग्य आय क्रमशः 12,00,000 रू0, 15,20,000 रू0 तथा 18,00,0000 रू0 है। प्रत्येक के कर दायित्व की गणना कीजिये।

हल–

श्री अनुज के कर दायित्व की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

श्री X (55 वर्ष) **(कर योग्य आय रू0 1200000)**			**श्री Y (63 वर्ष)** **(कुल आय रू0 15,20,000)**			**श्री Z (82 वर्ष)** **(कुल आय रू0 18,00,000)**		
राशि	**कर की दर**	**कर**	**राशि**	**कर की दर**	**कर**	**राशि**	**कर की दर**	**कर**
प्रथम रू0 2,50,000	शून्य	शून्य	प्रथम रू0 3,00,000	शून्य	शून्य	प्रथम रू0 5,00,000	शून्य	शून्य
अगले रू0 2,50,000	5%	12,500	अगले रू0 2,00,000	5%	10,000	अगले रू0 5,00,000	20%	100,000
अगले रू0 5,00,000	20%	1,00,000	अगले रू0 5,00,000	20%	100,000			
शेष रू0 2,00,000	30%	60,000	शेष रू0 5,20,000	30%	1,56,000	शेष रू0 8,00,000	30%	240,000
कुल देय कर		1,72,500	कुल देय कर		2,66,000	कुल देय कर		340000
जोडिये–अधिभार		शून्य	अधिभार		शून्य	अधिभार		शून्य

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% $\left(172500 \times \frac{4}{100}\right)$		6,900	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% $\left(266000 \times \frac{4}{100}\right)$		10,640	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% $\left(340000 \times \frac{4}{100}\right)$		13,600
शुद्ध देय कर		1,79,400	शुद्ध देय कर		2,76,640	शुद्ध देय कर		3,53,600

विशिष्ट अथवा विशेष कर की दरें–

a) दीर्घकालीन पूँजी लाभ (LTCG):

दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर की दर 20% तथा उपकर 4% लगाया जाता है। यदि दीर्घकालीन पूंजी लाभ, दीर्धकालीन सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (यूनिट के अतिरिक्त) अथवा जीरों कूपन बाण्ड से उत्पन्न हो, तो करदाता को ऐसे दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर जो सूचकांक लागत से अगणित हो पर 20% + 4% उपकर अथवा बिना सूचकांक लागत के आधार पर अगणित दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर 10% + 4% उपकर के आधार पर आयकर लगाने का विकल्प होगा। अनिवासी की दशा में सूचकांक आधारित अथवा गैर सूचकांक आधारित दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 10%+4% उपकर की दर से कर देयता होगी।

b) अल्पकालीन पूँजी लाभ (STCG):

अल्पकालीन पूँजी लाभ पर खण्ड आधरित सामान्य कर की दर से कर लगाया जाता है। यदि अल्पकालीन पूँची लाभ धारा 111 ए0 (प्रतिभूति विनियम कर) से आच्दादित हो तो कर की दर 15%+4% उपकर होगी।

c) जीत से प्राप्त आय पर कर की दर (Rate of Tax on Winnings):

लाटरी, पहेली, घुड़दौड, आदि खेल प्रदर्शन, शर्त अथवा जुए आदि तथा ताश के खेलों इत्यादि से प्राप्त आय पर 30% से कर तथा 4% उपकर लगाया जाता है।

उदाहरण 11

श्री पी0 की कर निर्धारण वर्ष की सकल कुल आय 6,20,000 रू है (इस आय में 80,000 रू0 दीर्घकालीन पूँजी लाभ के, 70,000 रू0 अल्पकालीन पूँजी लाभ के (जिस पर प्रतिभूति विनियम कर दिया गया है) तथा बचत खाते में जमा राशि पर 18,000 रू0 की ब्याज की आय सम्मिलित है)।

यह मानते हुये श्री पी0 द्वारा देयकर की गणना कीजिये कि उसने 1,12,000 रू0 सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा किये है तथा चेक द्वारा 15,000 रू0 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है।

हल–

श्री पी0 की कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2020–21)	रूपये	रूपये	श्री पी0 के कर दायित्व की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2020–21)	रूपये	रूपये
सकल कुल आय (खण्ड दर द्वारा कर योग्य) (620000–(80000 +70000))		470000	दीर्घकालीन पूंजी लाभ (कर की दर 20%, $80,000 \times \frac{20}{100}$)		16,000
घटाइयेः कटौतियाँ			अल्पकालीन पूँजी लाभ (प्रतिभूति विनियम कर योग्य, कर की दर 5%, $\left(70,000 \times \frac{15}{100}\right)$		10,500
i) धारा 80 C (PPF)	1,12,000				
ii) धारा 80 D (स्वास्थ्य बीमा)	15,000				
iii) धारा 80 टी.टी.ए. (ब्याज)	10,000	1,37,000	खण्ड दर से आय पर लगने वाला कर (रू. 3,33,000–रू. 2,50,000) $83000 \times \frac{5}{100}$		4150
खण्ड दर द्वारा कर योग्य आय		3,33,000			30,650
जोड़ियेः			घटाइयेः		
दीर्घकालीन पूंजी लाभ		80,000	धारा 87 A के अन्तर्गत छूटः (कर योग्य आय पर कर रू0 30,650) अथवा अधिकतम सीमा (रू0 2500) जो कम हो		2500
अल्पकालीन पूंजी लाभ (प्रतिभूति विनियम कर योग्य)		70,000			
कुल कर योग्य राशि		4,83,000			28,150
			जोड़िये स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर 4%, $\left(28,150 \times \frac{4}{100}\right)$		1126
					29,276
			कर दायित्व 10 रू0 के कर दायित्व सन्किट		29,280

समायोजन (Adjustments):

(i) निवासी व्यक्तियों की दशा में छूट सीमा से कमी के लिये समायोजन (Adjustment for shortfall of exemption limit in case of resident individuals):

यदि किसी निवासी व्यक्ति करदाता की सामान्य/खण्ड दर से कर योग्य आय अधिकतम प्राप्त कर मुक्त सीमा (रू0 2,50,000/रू0 3,00,000/रू0 5,00,000) से कम है तो दोनों के अन्तर को दीर्घकालीन पूंजी लाभ/अल्पकालीन पूंजी लाभ से समायोजित कर सकते है। उदाहरणार्थ यदि एक निवासी व्यक्ति की कुल आय रू0 2,55,000 है जिसमें रू0 15,000 दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन पूंजी लाभ के है। करदाता की रू0 5,000 की

आय (रू0 2,55,000–रू0 2,50,000) पर कर 20% (यदि दीर्घकालीन पूँजी लाभ है) अथवा 15% (यदि अल्पकालीन पूंजी लाभ है) कर लगाया जायेगा।

(ii) कृषि कर आयः

आयकर अधिनियम की धारा 10 (1) के अन्तर्गत कृषि आय कर मुक्त है। कृषि आय को आयकर की दर ज्ञात करने के लिये करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है परन्तु शर्त यह है कि (i) शुद्ध कृषि आय रू0 5,000 से अधिक हो। (ii) कृषि आय को छोड़कर कुल आय मूल आयकर छूट सीमा से अधिक हो। इन दो शर्तो के लागू होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगीः

a) गैर कृषि आय के योग में शुद्ध कृषि आय जोडिये।

b) उपरोक्त (a) में प्राप्त जोड़ी हुई राशि पर कर की गणना कीजिये।

c) करदाता पर लागू होने वाली अधिकतम कर मुक्त सीमा (रू0 250000 / रू 3,00,000 / रू0 5,00,000) में शुद्ध कृषि आय जोड़िये।

d) उपरोक्त (C) में वर्णित राशियों के योग पर कर की गणना कीजिये।

e) उपरोक्त (b) में आगणित कर की राशि में से उपरोक्त (d) की राशि घटाइये (b-d)

f) उपरोक्त (e) में प्राप्त रकम कुल आयकर की राशि होगी। इस कुल आयकर की रकम में अधिभार जोड़िये (यदि लागू होता है तो) तथा अधिभार जोड़ने के उपरान्त प्राप्त राशि पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जोड़कर करदाता की शुद्ध कर देयता ज्ञात होती है।

उदाहरण 12

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 में 40 वर्षीय निवासी व्यक्ति करदाता की कृषि एवं गैर कृषि आय क्रमशः रू0 1,00,000 तथा रू0 6,00,000 आगणित की गयी है। उसने सार्वजनिक भविष्य निधि में रू0 45000 जमा किये है तथा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रू0 20,000 का भुगतान किया है। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 की उसके कर दायित्व को निर्धारित कीजिये।

हल

		रूपये	रूपये
(a)	**आय का योग**		
	शुद्ध कृषि आय		1,00,000
	गैर कृषि आय		6,00,000
	आय योग		7,00,000
	आय योग (रू0 7,00,000) पर कर की गणना		
	प्रथम रू0 2,50,000 पर	शून्य	शून्य
	अगले रू0 2,50,000 पर	5%	12,500
	प्रथम रू0 2,00,000 पर	20%	40000
			52,500
(b)	**कृषि आय में छूट सीमा जोड़कर** (रू0 1,00,000 + रू0 2,50,000) प्राप्त राशि रू0 3,50,000		
	घटाइये रू0 3,50,000 पर देय कर		
	प्रथम रू0 2,50,000 पर देय कर शून्य	शून्य	

	अगले रू0 1,00,000 पर देय कर 5%	5,000	5,000
	कुल कर दायित्व	47,500	
	जोडिये– 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर		1900
	शुद्ध कर दायित्व		49,400

सीमान्त राहत (Marginal Relief)

सीमान्त राहत करदाता को यह आश्वस्त करने के लिये दी जाती है कि उसकी अधिभार 50 लाख रू0 अथवा 1 करोड़ रू0 से अधिक की आय पर लगने वाला कर (अधिभार सहित), 50 लाख रूपये अथवा 1 करोड़ रू0 से अधिक आय की राशि से ज्यादा नहीं होगा। सीमान्त राहत वस्तुतः अधिभार में राहत होती है। सीमान्त राहत की गणना निम्न चरणों में की जा सकती हैः–

चरण–1 : अधिभार सहित (परन्तु उपकर रहित) करदाता की कुल आय पर कर दायित्व की गणना कीजिये।

चरण–2 : 50 लाख रूपये अथवा 1 करोड़ रूपये पर (जैसी स्थिति हो) अधिभार सहित (उपकर छोड़कर) कर की गणना कीजिये।

चरण–3 : निम्न सूत्र का प्रयोग करके सीमान्त राहत की गणना कीजियेः

सीमान्त राहत = चरण 1 में आगणित कुल आय पर अधिभार की राशि – 70% (कुल आय – 50 लाख रूपये अथवा 1 करोड़ रूपये)

चरण–4 : चरण तीन में आगणित सीमान्त छूट घटाइये।

चरण–5 : चरण 4 में प्राप्त राशि पर 4% उपकर की गणना कीजिये।

उदाहरण 13

निम्न प्रत्येक दशा में श्री आशीष द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में देय कर की राशि की गणना कीजिये–

a) यदि उसकी कर योग्य आय रू0 50,30,000 है।

b) यदि उसकी कर योग्य आय रू0 10180000 है। सीमान्त राहत की गणना भी प्रदर्शित कीजिये।

श्री आशीष के कर दायित्व की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

(a) कर योग्य आय रू0 5030000			(b) कर योग्य आय रू0 1,01,80,000		
आय (रू0)	गणना (रू0)	कर राशि (रू0)	आय (रू0)	गणना (रू0)	कर राशि (रू0)
2,50,000(तक)	शून्य	शून्य	2,50,000 (तक)	शून्य	शून्य
अगले 2,50,000	5% $\left(250000 \times \frac{5}{100}\right)$	12,500	अगले 2,50,000	5% $\left(250000 \times \frac{5}{100}\right)$	12500
अगले 5,00,000	20% $\left(500000 \times \frac{20}{100}\right)$	100,000	अगले 5,00,000	20% $\left(500000 \times \frac{20}{100}\right)$	100,000
शेष 40,30,000	30% $\left(4030000 \times \frac{30}{100}\right)$	12,09,000	शेष 91,80,000	30% $\left(9180000 \times \frac{30}{100}\right)$	27,54,000
	अधिभार एवं उपकर पूर्व कुल कर	1,32,1500		कुल कर अधिभार एवं उपकर से पहले	2866500
	जोडिये– 10% अधिभार $\left(13,21,500 \times \frac{10}{100}\right)$	1,32,150		जोड़िये 10% अधिभार $\left(28,66,500 \times \frac{15}{100}\right)$	4,29,975
	कुल कर (उपकर छोड़कर)	1,45,3650		कुल कर (उपकरण छोड़कर)	3153650
	घटाइये–सीमान्त राहत [-70% (कर योग्य आय–रू0 50,00,000)= 1,32,150–70% [(5,030,000-500,000)=21000]	1,11,150		घटाइये–सीमान्त राहत अधिभार 70% (कर योग्य आय–रू0 10000000)= 286650–70% [(10180000-1000000)=126000]	160650
	उपकर को छोड़कर तथा सीमान्त राहत के बाद कुल कर	1,34,2500		सीमांत राहत के उपरान्त परन्तु उपकर से पूर्व कुल कर	2993000
	जोडिये– स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%	53,700		जोडिये– स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%	119720
	कुल देय कर	13,96,200		कुल देय कर	3112720
	कुल देयकर 10 रू0 में सन्निकटीकरण	13,96,200		कुल देय 10 रू0 में सन्निकटीकरण	3112720

वैकल्पिक न्यूनतम् कर (Alternate Minimum Tax AMT)

यदि किसी गैर कम्पनी करदाता की समायोजित कुल आय 20,00,000 रु. से अधिक हो तो ऐसे करदाता द्वारा देय कर समायोजित कुल आय के 18.5 प्रतिशत + अधिभार+उपकर से कम नहीं हो सकती। यदि किसी करदाता की आयकर की गणना में वैकल्पिक न्यूनतम कर के नियम लागू होते है, तो उसकी आयकर देयता गणना सामान्य नियमों के अधीन एवं वैकल्पिक न्यूनतम कर नियमों के आधीन अलग–अलग

की जाती है तथा इन गणनाओं में कर की जो राशि अधिक होती है, वही देय मानी जाती है।

सारणी 16.5 वैकल्पिक न्यूनतम की गणना

समाजयोजित कुल आय की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है:

	सामान्य नियमों के अधीन कुल आय	–
जोडिये	(i) धारा 80 P के अतिरिक्त धारा 80 IA से धारा 80 RRB तक की गयी कटौती	–
	(ii) यदि दावा योग्य हो तो धारा 10 AA की कटौती	–
	(iii) धारा 35 AD के अन्तर्गत ह्रास की राशि (धारा 32 के अन्तर्गत ह्रास पर कटौती के बाद)	–
	समायोजित कुल आय	–

इस प्रकार वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) =

समायोजित कुल आय 18.5% + अधिभार + उपकर। वैकल्पिक न्यूनतम कर और सामान्य नियमों के अधीन देयकर के अन्तर (AMT- Regnlar Tax) के लिये कर जमा (Tax credit) दिया जाता है। इस प्रकार जमा कर (Tax credit) की राशि को अगले 15 वर्षो तक सामान्य कर के वैकल्पिक न्यूनतम कर पर अधिक्य से समायोजित करने के लिये आगे ले जाया जा सकता है।

उदाहरण 14

82 वर्षीय श्री जय की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये कर योग आय रू0 19,00,000 है। उन्होंने धारा 80QQB के अधीन रू0 3,00,000 की कटौती ली है। वैकल्पिक न्यूनतम कर के नियमों को ध्यान में रखते हुये, उसके कर दायित्व की गणना कीजिये।

हल

कर दायित्व की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

आय (रू0)	गणना	कर (रू0)
प्रथम 5,00,000	शून्य	शून्य
अगले 5,00,000	20%	1,00,000
अगले 9,00,000	30%	2,70,000
		3,70,0000
	जोडिये– 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर $\left[3,70,000 \times \frac{4}{100}\right]$	14,800
	देय कर (×)	3,84,800

समायोजित कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

आय (रू0)	गणना	कर (रू0)
	कुल आय	19,00000
	जोडिये– धारा 80 QQB के अन्तर्गत कटौती	3,00,000
	समायोजित कुल आय	2,200,000
वैकल्पिकआय (रू0)	न्यूनतम कर की गणना 18.5%	गणना कर (रू0)
2200000	$(22,00,000 \times \frac{18.5}{100})$	4,07,000
जोडिये 4%	स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर	16,280
	देय कर (Y)	4,23,280

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिये कर दायित्व = 4,23,280

(रू0 3,84,800 (×) अथवा रू0 4,23,280 (Y) में जो अधिक)

कर जमा (Tax credit) जो आगे ले जाया जायेगा।

= वैकल्पिक न्यूनतम कर – सामान्य कर (AMT – Normal Tax)

= रू0 4,23,280 (Y) & 3]84]800 (×)

= रू0 3,84,80

कर दायित्व से राहतः

व्यक्ति करदाताओं (विशेष रूप से कर्मचारियों) की निम्न से सम्बन्धित धारा 89 एवं अन्य नियमों के अधीन कर दायित्व में राहत प्रदान की जाती है–

(i) वेतन अवशेष (Salary Arreass) की प्राप्ति पर।
(ii) अग्रिम वेतन के सम्बन्ध में।
(iii) ग्रेज्युटी (Gratuity) भुगतान सम्बन्धी।
(iv) सेवा समाप्ति पर क्षतिपूर्ति।
(v) एक मुश्त पैन्शन (Commuted Pension) आदि।

ब्याज (Interest)

एक करदाता निम्न दशाओं में अपने कर दायित्व पर ब्याज के भुगतान के लिये उत्तर दायी होता है–

a) आयकर विवरणी के विलम्ब से दाखिल करने पर।

b) अग्रिम कर की राशि कम जमा होने पर।

विविध उदाहरण

उदाहरण 15 : K एक भारतीय नागरिक एवं आयकर के लिये निवासी है। उसका कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये निम्न विवरण है।

	विवरण	राशि (रू0)
(i)	सकल वेतन	3,90,000
(ii)	व्यवसाय कर का भुगतान किया	1000
(iii)	प्रमाणित भविष्यनिधि में स्वयं का अंशदान	10,000
(iv)	भविष्यनिधि में सेवायोजक का अंशदान	10,000
(v)	भारतीय कम्पनी से लाभांश	2,000
(vi)	भारतीय कम्पनी में जमा राशि की सकल आय	40,000
(vii)	मकान सम्पत्ति से दीर्घकालीन पूंजी लाभ	50,000
(viii)	अल्पकालीन पूंजी लाभ धारा 111 A के अन्तर्गत	40,000

K की कुल आय तथा देयकर की गणना कीजिये।

हल

K की करनिर्धारण वर्ष 2020–21 की कुल आय की गणना

विवरण	धनराशि (रू0)	धनराशि (रू0)
1. वेतन से आय		
सकल वेतन	3,90,000	

घटाइये– मानक कटौती (16 (a)	50,000		
घटाइये– व्यवसाय कर	1,000	51,000	3,39,000

2. पूँजी लाभ से आय		
मकान सम्पत्ति से पूँजी लाभ	50,000	
धारा 111 A के अधीन अल्पकालीन पूंजी लाभ	40,000	90,000
3. अन्य स्त्रोतों से आय		
भारतीय कम्पनी से लाभांश	करमुक्त	
कम्पनी में जमा राशि पर ब्याज	40,000	40,000
सकल कुल आय		4,69,000
धारा 80 C के अधीन कटौती		10,000
कुल आय		4,59,000
देयकर की गणना		
दीर्घकालीन पूँजी लाभ रू0 50,000 @20%		10,000
111 A के अधीन अल्पकालीन पूँजी लाभ 40,000 @ 15%		6,000
शेष रू0 3,79,000 पर कर (459,000 – 50,000 + 40,000)		5,950
कर की गणना –3,69,000 प्रथम 3,69,000 पर – शून्य अगले 1,19,000@ 5% 5,950		
धारा 87 A के अधीन छूट से पूर्व देयकर		21,950

घटाइये धारा 87 A की छूट (कुल आय 12,500 रु. जोकि 500,000 कम है)		12,500
धारा 87 A की छूट के पश्चात देयकर (यदि लागू हो)		9,450
जोड़िये स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%		378
कुल देय कर		9,072
सन्निकटीकृत कर		9,070

उदाहरण 16

श्रीमती माधुरी मुम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की प्रोफेसर है। उनकी कर निर्धारण वर्ष 2019–20 की आय निम्न प्रकार है।

(i) मूल वेतन 60,000 रू0 प्रति माह
(ii) मंहगाई भत्ता वेतन का 20%
(iii) मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 30%
(iv) चिकित्सा भत्ता 500 रू0 प्रतिमाह (वास्तविक स्वयं के इलाज पर व्यय 2,000 रू0)
(v) छात्रावास अधीक्षक भत्ता 2,000 रू0 प्रतिमाह
(vi) मकान सम्पत्ति से किराया 3,000 रू0 प्रतिमाह
(vii) सरकारी प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज 5000 रू0
(viii) भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश 1200 रू0
(ix) बैंक बचत खाते पर ब्याज 52,000 रू0
(x) प्रमाणित भविष्य निधि में मूल वेतन का 10% अंशदान
(xi) करदाता पर निर्भर पिता के स्वास्थ्य बीमा पर 5000 रू0, ससुर के स्वास्थ्य बीमा पर 2000 रू0, भाई के स्वास्थ्य बीमा पर 1000 रू0 बीमा राशि का चेक द्वारा भुगतान
(xii) अनुमोदित दान संस्था को चंदा 100,000 रू0
(xiii) मकान किराया भुगतान 28,000 रू0 प्रति माह

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिय उसकी कुल आय की गणना कीजिये।

हल

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये श्रीमती माधुरी की कुल आय की गणना

विवरण		(रू0)	(रू0)
1. वेतन से आय			
वेतन 60000 रू0 प्रतिमाह		7,20,000	
मंहगाई भत्ता वेतन का 20%		1,44,000	
छात्रावास अधीक्षक भत्ता		24,000	
मकान किराया भत्ता (नोट 2 देखिये)		शून्य	
चिकित्सा भत्ता (रू0 500×12)		6,000	
		8,94,000	
घटाइये मानक कटौती		50,000	8,44,000

2. मकान सम्पत्ति से आय		
मकान सम्पत्ति से किराया (3000 × 12)	36,000	
घटाइये– मानक कटौती 30%	10,800	25200
3. अन्य स्त्रोतों से आय		
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	5,000	
भारतीय कम्पनी से लाभांश	करमुक्त	
बैंक बचत खाते पर ब्याज	52,000	57,000
सकल कुल आय		9,26,200
घटाईये– कटौतियाँ		
धारा 80 C के अधीन (भविष्य निधि)	72,000	
धारा 80 D के अधीन (स्वास्थ्य बीमा)	5,000	
धारा 80 G के अधीन– 83920 रू0 का 50% (नोट 1 देखिये)	41,460	
धारा 80 TTA के अधीन	10,000	1,29,460
कुल आय		7,94,240
नोट–		

1. धारा 80D के अनुसार करदाता के स्वयं पर उसके परिवार के सदस्यों पर और उनके आश्रितों पर अधिकतम 25,000 और 50,000 रु. जैसे भी आश्रीत हो तक की कटौती मान्य है।
2. धारा 80G की Qualifying limit के आधार पर Adjusted सकल कुल आय– 9,326,200 − 72,000–5,000–10,000 = 8,39,200 रू0 = 8,39,200 का 10 % = 83,920रु.
3. मकान किराया भत्ता निम्न का न्यूनतम कर मुक्त है।

(1)	वास्तविक प्राप्त राशि 18,000×12	2,16,000
(2)	भुगतान किया किराया वेतन का 10% i.e. 3,36,000 – 72,000	2,64,000
(3)	वेतन का 50%	3,60,000

- अतः न्यूनतम राशि ही वास्तविक प्राप्त किराया जोकि 2,16,000 है
- यह माना है कि महगाई भत्ता वेतन की शर्तें में न शामिल होने के कारण सवाल में शामिल नहीं किया गया है
- अतः कोई मूल्य सकल कुल आय में जोड़ा नहीं जायेगा।

उदाहरण 17

श्री सुमित द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये निम्न विवरण प्रस्तुत किया गया है। सुमित की आयु 64 वर्ष है।

विवरण	धनराशि (रू0)
फर्म के लाभ में 1/2 हिस्सा	1,80,000
मकान सम्पत्ति से आय (आगणित)	1,25,000
मान्य स्टाक एक्सचेन्ज में 02.12.2019 को समता अंशों के हस्तान्तरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ (1.4.2001 तथा 31.1.2019 को उचित बाजार मूल्य क्रमशः 12000 रू0 तथा 45,000 रू0)	40,000
मकान हस्तान्तरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ	1,30,000
लाटरी से जीत कर काटने के बाद	11,200
जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	25,000

राष्ट्रीय बाल कोष में दान	10,000
साहित्यक पुस्तकों से प्राप्त अधिकार शुल्क	4,24,000

सुमित की कर योग्य आय एवं कर दायित्व की गणना कीजिये।

हल–

श्री सुमित की कुल आय पर 2020–21 के लिए कर निर्धारण

विवरण		(रू0)	(रू0)
1. मकान सम्पत्ति से (आगणित) आय			1,25,000
2. पेशे से आय			
पुस्तकों का अध्किार शुल्क			4,24,000
3. पूँजी लाभ			
अंश हस्तान्तरण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ			
विक्रय मूल्य		40,000	
घटाइये– प्राप्त करने की लागत		40,000	शून्य
नोटः			
वास्तविक लागत– 12000 रू0 तथा	(a) तथा (b) के (i) तथा (ii) में जो कम हो, की राशियों जो अधिक हो		
(a) निम्न दोनों में से कम			
(i) उचित बाजार मूल्य 31.1.2019 – रू0 45,000			
(ii) विक्रय मूल्य – रू0 40,000			
मकान के हस्तान्तरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ		1,30,000	1,30,000
4. अन्य स्त्रोतों के आयः लाटरी से जीत सकल $\left(Rs.11{,}200 \times \frac{100}{70}\right)$			16,000
सकल कुल आय			6,95,000
घटाइये कटौतियाँः			
धारा 80 C के अधीन		25,000	
धारा 80 G के अधीन (रू0 10000 का 100%)		10,000	
धारा 80 QQB के अधीन		3,00,000	3,35,000
कुल आय			3,60,000
कर की गणना			
लाटरी आय पर कर रू0 16,000 का 30%			4,800
दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर कर [रू0 1,30,000-86,000 (रू0 3,00,000-2,14,000) रू0 44000 का 20%]			8,800
रू0 3,00,000 की शेष आय पर कर			शून्य
कुल कर			13,600
घटाइये– धारा 87 A के अधीन कटौती			–
			13,600
जोड़िये 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर			544
कुल देयकर			14,144
सन्निकटीकृत कर			14,140

नोटः 1) फर्म के लाभ में हिस्सा कर मुक्त है।

2) उपरोक्त राशि में कटौती धारा 80QQB के अन्तर्गत होगी 100% और 300,000 जो भी कम हो।

उदाहरण 18

एक व्यक्ति की 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की आय निम्न प्रकार हैः

	विवरण	धनराशि (रू0)
(a)	एक कालेज को 40,000 रू0 दान देने एवं 6,000 रू0 राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा करने के उपरान्त आगणित व्यवसायिक लाभ	1,62,000
(b)	साझेदारी फर्म से 24% पूंजी पर ब्याज	1,20,000
(c)	फर्म से प्राप्त वेतन (जो कि फर्म की आय की गणना में कटौती योग्य है)	1,50,000
(d)	फर्म के लाभ में 1/4 भाग का हिस्सा	80,000
(e)	सरकारी प्रतिभूमियों पर ब्याज	30,000
(f)	भारतीय कम्पनी के अंशों पर लाभांश	2000
(g)	हिन्दू अविभाजित परिवार के लाभ में हिस्सा	40,000

यह मानते हुये कि उसने रू0 49000 सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा किये, उसकी कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिय कुल आय तथा देयकर की गणना कीजिए।

हल

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये कुल आय की गणना

कुल आय के लिए करनिर्धारण वर्ष 2020–21

		(रू0)	(रू0)
	व्यवसाय अथवा पेशे से लाभ–		
(a)	(रू0 1,62,000+40,000+6,000) व्यापार से लाभ	2,08,000	
(b)	फर्म से पूंजी पर ब्याज 12%	60,000	
(c)	साझेदारी फर्म से वेतन	1,50,000	
(d)	फर्म के लाभ में हिस्सा (करमुक्त) (धारा 10(2A))	शून्य	4,18,000
	अन्य स्त्रोतों से आय		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	30,000	
(ii)	भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश	करमुक्त	30,000
	सकल कुल आय		4,48,000
	घटाइये– कटौतियाँ		
	धारा 80 C के अधीन (रू0 6000+49000)	55,000	
(i)	रू0 39,300 का 50% धारा 80G के अधीन	19,650	74,650
	कुल आय		3,73,350
	कर की गणना		
	कर 3,73,350 रू0 पर प्रथम 2,50,000 – शून्य अगले 1,23,350@5%		6,168
	घटाइये– धारा 87A के अधीन कटौती देय कर 5,00,000 रुपये (12,500 रु. या वास्तविक कर 6168 रु. जो भी कम हो		6,168
			शून्य
	जोड़िये 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर		शून्य
	कुल देयकर		शून्य

नोट

1. फर्म से प्राप्त पूँजी पर ब्याज 12% तक कर योग्य होगा।
2. धारा 80 G के लिये समायोजित सकल कुल आय = सकल कुल आय – धारा 80 C की कटौतियों = रू0 4,48,000 – 55,000 = 3,93,000 का 10% = 39,300
3. हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त भाग कर मुक्त होगा। धारा 10 (2A) के अनुसार

बोध प्रश्न क

1) धारा 115JC से 115JF के अनुसार वैकल्पिक न्यूनतम कर के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

2) सीमान्तर राहत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

.....

3) धारा 87 A के अनुसार छूट के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

4) रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

a) ..... कुल आय के पांच शीर्षकों की आय है।

b) ..... को कर के लिए सन्निकटीकरण करते हैं।

c) धारा 80ज्ज। के अन्तर्गत न्यनतम कटौती.....

d) – से की सकल कुल आय की गणना कटौती के प्च्चात कुल आय से की जाती है।

16.8 सारांश

करदाता अपनी कुल आय पर कर देता है। कुल आय को दूसरे शब्दों में कुल कर योग्य आय भी कहा जा सकता है। जो आय के विभिन्न शीर्षकों की कर योग्य आय के योग के बराबर होती है। कुल आय की गणना करते समय पिछले वर्षो की अशोधित हानियों तथा अध्याय VI (A) के अन्तर्गत स्वीकृत कटौतियों को घटा दिया जाता है। अन्तिम आकड़े करदाता के करयोग्य आय होगा जोकि करनिर्धारण वर्ष में आयकर के दरों में बदलाव वित्त विधेयक के अनुसार होता है।

16.9 शब्दावली

छूट : यह छूट निम्न आय वर्ग के करदाता को दी जाती है जिनकी कुल आय 500,000 से ज्यादा न हो धारा 87A के अनुसार आय का 100% आयकर या 12,500 रु0 (इनमें जो कम हो)

अधिभार : यह केन्द्रीय सरकार द्वारा निदिश्ट उद्देश्य के अतिरिक्त कर भार जो कि राजस्व को बढ़ाता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर : यह स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त कर है।

वैकल्पिक न्यूनतम करः यदि समायोजित कुल आय 20,00,000 रु. से अधिक हो तो ऐसे करदाता द्वारा देय कर समायोजित कुल आय के 18.5 प्रतिशत + अधिभार एवं उपकर से कम नहीं हो सकता। धारा 115C से 115F के अनुसार

16.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

4) a. सकल कुल आय, b. कुल, c. Rs 10,000, d. 80 C to 80 U

16.11 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

प्रश्न–

1. एक व्यक्ति की कुल आय की गणना करने की विधि का वर्णन कीजिए।
2. कुल आय से आप क्या समझते हैं? क्या यह सकल कुल आय से भिन्न है? उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए।
3. निम्नलिखित सूचनाओं से स्पर्शा की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए।

	रूपये
व्यवसाय की आय	–20,000
अल्पकालीन पूंजी लाभ	5000
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	1,05,000
बैंको से ब्याज	20,000
सार्वजनिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में जमा	10,000

(**उत्तरः** कर योग्य आय 90,000 रू0, धारा 80 C के अन्तर्गत कटौती 10,000 रू0 और धारा 80ए के अन्तर्गत 10,000 रु.)

4. कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के सम्बन्ध में श्री रमेश अपनी आय का विवरण प्रस्तुत करता है तथा आपसे कर योग्य आय की गणना करने के लिए प्रार्थना करता है।

	रूपये
व्यवसाय की आय	1,20,000
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	60,000
बैंक से ब्याज (सअवधि जमा पर)	5,000
ऋण पत्र पर ब्याज (सकल)	6,000
अंशदान–	
a) जीवन बीमा निगम पेंशन	10,000
b) एल0आई0सी0 प्रीमियम	10,000
सार्वजनिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान	20,000
राष्ट्रीय बचत पत्रों में निवेश	40,000
असमर्थ आश्रित को चिकित्सा उपचार	10,000

(कर योग्य आय 1,01,000 रू0 धारा 80 C के अन्तर्गत कटौती 80,000 रू0)

5. एक करदाता की निम्न सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिये कुल आय की गणना कीजिये।

i) वेतन रू0 40,000 प्रतिमाह
ii) महंगाई भत्ता रू0 12,000 प्रतिमाह
iii) वह अपने वेतन तथा महंगाई भत्ते का 20 प्रतिशत प्रमाणित भविष्य निधि में देता है।
iv) कर्मचारी का वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत अंशदान।
v) मकान से प्राप्त किराया रू0 12,000 प्रतिमाह।
vi) एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त ब्याज रू0 37,200 (सकल)।
vii) जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान रू0 4000

उत्तरः सकल कुल आय रू0 700,000, कर योग्य आय रू0 5,70,000, देयकर 27,560 (सनिक्कटीकृत)

6. निम्न सूचना के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय के 60 वर्षीय प्रोफेसर श्री X की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये कुल आय तथा देय कर की गणना कीजिये।

	विवरण	रूपये
(i)	वेतन रू0 50,000 प्रति माह	6,00,000
(ii)	महंगाई भत्ता वेतन का 50 प्रतिशत	3,00,000
(iii)	अधीक्षक भत्ता रू0 1500 प्रति माह	18,000
(iv)	विश्वविद्यालय परीक्षक पारश्रमिक	85,400
(v)	कलात्मक प्रकृति की पुस्तकों से अधिकार शुल्क	2,73,000
(vi)	ताश के खेल से आय	16,400
(vii)	लाटरी जीत की राशि (सकल)	30,000
(viii)	लाटरी टिकट पर व्यय	5,000
(ix)	बैंक बचत खाते पर ब्याज	17,000
(x)	बैंक में सावधि जमा पर ब्याज	1,00,000
(xi)	प्रमाणित भविष्य निधि में जमा	1,22,000
(xii)	जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान	30,000

उत्तरः सकल कुल आय 13,89,800 रू0, कर योग्य आय 9,16,800 रू0, देय कर रू0 101,920

7. श्री के0आर0 रमन द्वारा प्रदत्त निम्न सूचनाओं के आधार पर उनकी कर निर्धारण वर्ष 2020–21 की कर योग्य आय ज्ञात कीजिये।

	विवरण	रूपये
(i)	फर्म की आय का 1/3 हिस्सा	1,50,000
(ii)	मकान सम्पत्ति से आय (आगणित)	1,20,000
(iii)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	16,000
(iv)	सिक्किम स्टेट लाटरी से जीत (सकल)	45,000
(v)	जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान (1.4.2017 को ली गई 100,000 रु. की पोलिसी पर जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान)	12,000
(vi)	कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	15,000
(vii)	व्यवसाय से आय	2,10,000
(viii)	मशरूम के व्यापार से लाभ	60,000
(ix)	डेरी फार्मिंग से लाभ	80,000
(x)	सावधि जमा (स्टेट बैंक में 15.3.2020 को सांविध जमा)	1,00,000

उत्तरः सकल कुल आय रू0 5,46,000, कटौतियाँ रू0 1,10,000 कुल आय रू0 4,36,000

8. श्री के0पी0 बिरला जो सरकारी कर्मचारी है का 31.3.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की आय का विवरण निम्न प्रकार है।

(a) वेतन रू0 25,000 प्रति माह

(b) वह स्वयं तथा सरकार वेतन का 10 प्रतिशत भविष्य निधि में जमा करते है।

(c) उसके दो फ्लैट है जिनमें से एक 1,500 प्रतिमाह किराये पर उठा है तथा दूसरे में वह स्वयं रहता है जिसका वार्षिक मूल्य रू0 8,000 है। उसने रू0 750 तथा रू0 850 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय फ्लैट के जमीन किराया और बीमा के लिये भुगतान किया। उसने नगर पालिका कर के लिये प्रथम एवं द्वितीय फ्लैट के लिये क्रमशः रू0 500, एवं रू0 525 का भुगतान किया तथा दोनों फ्लैट की पुताई (सफेदी) एवं मरम्मत पर रू0 300 व्यय किये।

(d) उसने वर्ष में रू0 1,42,750 सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में, तथा रू0 700 भारतीय कम्पनियों से लाभांश के रूप में प्राप्त किये। उसने अपने जीवन बीमा पर रू0 7000 का प्रीमियम का भुगतान किया। उसकी कुल आय एवं देयकर का निर्धारण कीजिये।

उत्तरः सकल कुल आय रू0 4,05,000, कर योग्य आय रू0 3,73,000 तथा देयकर रू0 शून्य, (धारा 87A की छूट के पश्चात्)

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 17 फर्म का कर निर्धारण

भाग–A
(सामान्य परिदृश्य)

17.1 प्रस्तावना

17.2 उद्देश्य

17.3 साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा

17.4 साझेदारी फर्म की आधारभूत विशेषतायें

17.5 साझेदारी संलेख

17.6 फर्म का पंजीयन/पंजीकरण

17.7 फर्म का अपंजीकृत होना

भाग–B
(करारोपण की योजना)

17.8 सामान्य नियम एवं कार्य पद्धति/कार्य प्रणाली

17.9 फर्म के कर–निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 184 के प्रावधान

17.10 धारा 184 का अनुपालन (Non-Compliance) न किए जाने की दशा में कर–निर्धारण

17.11 फर्म के कर–निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 40 (b) के प्रावधान

17.12 पुस्तक लाभ की गणना

17.13 फर्म की कुल आय की गणना

17.14 फर्म के कर दायित्व की गणना

17.15 सीमित देयता साझेदारी/सीमित दायित्व वाली साझेदारी, हेतु अनुकल्पी न्यूनतम कर (Alternate Minimum Tax) के प्रावधान

17.16 फर्म से साझेदार की आय की गणना

17.17 पुनर्गठित फर्म का कर निर्धारण

17.18 एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म में चले जाने पर कर निर्धारण

17.19 फर्म द्वारा देय कर के लिये साझेदारों का संयुक्त एवं पृथक दायित्व

17.20 फर्म का विघटन अथवा व्यवसाय का बंद होना

17.21 फर्म द्वारा आय विवरणी दाखिल करना एवं कर भुगतान की प्रक्रिया

17.22 उदाहरण

17.23 सारांश

17.24 शब्दावली

17.25 बोध प्रश्नों के उत्तर

17.26 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

भाग–A

(सामान्य परिदृश्य)

17.1 प्रस्तावना

व्यवसायिक संगठन का परम्परागत स्वरूप एकाकी स्वामित्व है जिसमें सभी व्यवसायिक संसाधनों की आपूर्ति एकाकी व्यवसायी द्वारा स्वयं की जाती है। व्यवसाय का यह स्वरूप छोटे व्यापारों के लिये उपयुक्त होता है परन्तु मध्यम एवं बड़े आकार की इकाईयों के लिये यह उपयोगी नहीं है। एकाकी स्वामित्व सीमित साधनों, सीमित योग्यता, सीमित कुशलता एवं असीमित दायित्व से कुप्रभावित रहता है। जब एकाकी व्यवसाय को बढ़ाना होता है तो व्यवसाय को अधिक पूँजी, अधिक कुशलता एवं कार्यकुशल प्रबन्ध तथा जोखिम एवं दायित्व में सह–भागिता के लिये साझेदारो ंकी आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में एकल स्वामित्व व्यवसाय के प्रसार हेतु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये साझेदारी का निर्माण एक अच्छा विकल्प होता है।

17.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- साझेदारी फर्म की आय पर कर निर्धारण एवं उसके साझेदारों की आय पर कर निर्धारण हेतु करारोपड़ की कौन सी योजना का प्रयोग किया जाता है।
- इस इकाई में हम उन नियमों का भी अध्ययन करेंगे जिनका फर्म एवं साझेदारों पर कर लगाने एवं कर वसूल करने में प्रयोग होता है।
- एक फर्म द्वारा अपनी सही कर योग्य आय की गणना एवं कर देयता को निर्धारित करने में कौन से कर अनुशासन (Tax Discipline) का प्रयोग करना चाहिये।

17.3 साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा

भारत में एक साझेदारी फर्म, साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा संचालित होती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार ''साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिये सहमत हों और जिसका संचालन उन सभी के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है।'' वह सभी व्यक्ति जो साझेदारी में एक दूसरे के साथ सम्मलित हुये हों, व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते है तथा सामूहिक रूप से फर्म कहे जाते है। जिस नाम से व्यवसाय चलाया जाता है उसे फर्म के नाम से जाना जाता है।

17.4 साझेदारी फर्म की आधारभूत विशेषतायें

- साझेदारी दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य समझौता होता है। एक मौखिक समझौता उतना ही वैध होता है जितना लिखित समझौता।
- साझेदारों के मध्य विधि संगत (Lawful) व्यवसाय संचालन की सहमति होनी चाहिये।
- व्यवसाय संचालन का उद्देश्य में उसके लाभ–हानि का बंटवारा होना चाहिये।
- साझेदारों के मध्य पारस्परिक प्रतिनिधित्व (Mutual Agency) होता है। व्यवसाय सभी साझेदारों के द्वारा अथवा किसी एक साझेदार द्वारा सभी साझेदारों की ओर से संचालित किया जा सकता है।
- साझेदारी कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा निर्मित की जा सकती है। बैकिंग व्यवसाय हेतु साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है जबकि अन्य व्यवसायों हेतु यह अधिकतम संख्या 20 हो सकती है।
- फर्म का पंजीकरण कानूनन अनिवार्य नहीं है। यद्यपि पंजीकरण करा लेना फर्म एवं साझेदारों के हित में है।
- साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अधीन संचालित होता है।

17.5 साझेदारी संलेख [PARTNERSHIP DEED]

साझेदारी का निर्माण स्थिति से न होकर अनुबन्ध द्वारा होता है। अनुबन्ध मौखिक अथवा लिखित हो सकता है। दो या दो से अधिक साझेदारों के मध्य लिखित अनुबन्ध ही साझेदारी संलेख अथवा साझेदारी समझौता अथवा साझेदारी के अंतर्नियम कहा जाता है। साझेदारी संलेख में निम्न बिन्दुओं को सम्मलित किया जाता हैः–

- फर्म एवं साझेदारों के नाम तथा पते।
- साझेदारी की अवधि।
- पूँजी में प्रत्येक साझेदार का अंशदान अर्थात साझदारों की पूँजी राशि।
- साझेदारो ंको आहरण करने की अनुमति है अथवा नहीं यदि अनुमति है तो किस सीमा तक और किस प्रकार से अर्थात मासिक, छमाही या वार्षिक।
- पूँजी पर ब्याज की दर साझेदारों द्वारा फर्म को दिये गये ऋण और उस पर ब्याज, तथा साझेदारों द्वारा आहरण और उस पर ब्याज की दर।
- साझेदारों में लाभ–हानि वितरण का अनुपात। साझेदारों में लाभ–हानि का अनुपात यदि निर्धारित न किया गया हो तो लाभ हानि का वितरण सभी साझेदारों में समान अनुपात में होगा।
- साझेदारों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्व।
- साझेदार के प्रवेश एवं उसके अवकाश ग्रहण की प्रक्रिया।
- साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर ख्याति के मूल्यांकन की विधि।

- खाते रखने और उनके अंकेक्षण की विधि।
- साझेदारों का वेतन (यदि साझेदार अधिकृत हों)।
- साझेदारों द्वारा बैंक खातों में व्यवहार सम्बन्धी नियम (जहाँ आवश्यक हो)।
- सम्पत्ति एवं दायित्वों की मूल्यांकन विधि।
- फर्म के विघटन की परिस्थितियाँ।
- साझेदारों में विवाद की दशा में, विवाद का निपटारा किस प्रकार होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार अन्य विषयों को भी साझेदारी संलेख में शामिल किया जा सकता है।

17.6 फर्म का पंजीयन/पंजीकरण

साझेदार फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। एक पंजीकृत फर्म को निम्न लाभ प्राप्त होते है जो कि एक अपंजीकृत फर्म को उपलब्ध नहीं होते हैं:–

- पंजीकृत फर्म को तृतीय पक्षकार के विरूद्ध न्यायालय में वाद (दावा) प्रस्तुत करने का अधिकार होता है।
- पंजीकृत फर्म के साझेदारों को सह साझेदारों के विरूद्ध तथा तृतीय पक्षकार के विरूद्ध अपने दावे हेतु वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है।
- फर्म के पंजीकृत होने पर, फर्म के साझेदारों के कपट अथवा मिथ्यावर्णन के विरूद्ध तृतीय पक्षकार के हितों की भी रक्षा होती है।
- फर्म के पंजीकृत होने पर, एक प्रवेशकर्ता साझेदार को अन्य सह–साझेदार से प्राप्त होने वाली राशियों के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सह–साझेदारों के सद्–भावपूर्वक (Good faith) व्यवहार पर ही केवल निर्भर नहीं रहता है।
- फर्म का पंजीकरण किसी भी समय कराया जा सकता है।

17.7 फर्म का अपंजीकृत होना

एक फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है परन्तु एक अपंजीकृत फर्म को निम्न हाँनिया होती हैः

- फर्म तृतीय पक्षकार के विरूद्ध 100 रू0 से अधिक के ऋण की वसूली का दावा नहीं कर सकती।
- साझेदार को सह साझेदारों एवं फर्म के विरूद्ध अपने अधिकारों के लिये वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता।
- फर्म के अपंजीकृत होने से, तृतीय पक्षकार के फर्म के विरूद्ध अथवा साझेदारों के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्रभावित नहीं होता है। अन्य शब्दों में वे वाद प्रस्तुत कर सकते है।

बोध प्रश्न क

1) बताइये कि निम्न कथन सत्य अथवा असत्य हैः

a) साझेदारी फर्मों का संचालन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार होता है।

b) साझेदारों के मध्य पारस्परिक प्रतिनिधित्व (Mutual Agency) होता है।

c) साझेदारी का निर्माण स्थिति (Status) से होता है न कि अनुबन्ध द्वारा।

d) फर्म का पंजीकरण अनिवार्य है।

भाग–B

(करारोपण की योजना)
(SCHEME OF TAXATION)

17.8 सामान्य नियम एवं कार्य पद्धति/कार्य प्रणाली

फर्म के कर निर्धारण में निम्न प्रक्रिया सम्मलित होती है :

1. फर्म की कुल कर योग्य आय की गणना।
2. फर्म द्वारा देय कर की राशि की गणना।
3. करदाता द्वारा कर के भुगतान की कार्य पद्धति।

उपरोक्त बिन्दुओं की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ नियम एवं विनियमनों (Regulations) का पालन किया जाता है। इनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

a) निवासीय स्थिति (Resident)

फर्म की निवासीय स्थिति को निम्न दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

i) निवासी (Resident)

ii) अनिवासी (Non-Resident)

एक फर्म गत वर्ष में भारत में निवासी उस स्थिति में होती है जब उसका नियंत्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। साझेदारों के निवास स्थान का, फर्म के निवास स्थान के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ व्यापार करने का स्थान हो वहीं से उसका नियंत्रण एवं प्रबन्ध हों व्यापार का स्थान उसके नियंत्रण (पूर्ण अथवा आंशिक) के स्थान से भिन्न हो सकता है।

जब गत वर्ष में एक फर्म का नियंत्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतः भारत के बारह से किया जाता है तब उसे (फर्म को) अनिवासी की श्रेणी में माना जायेगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि एक फर्म असाधारण निवासी (Not ordinarily resident) नहीं हो सकती है।

इस प्रकार एक फर्म केवल या तो निवासी (Resident) हो सकती है और या अनिवासी (Non-Resident) हो सकती है।

b) आय पर करदेयता (Taxability of Income):

किसी आय पर करदेयता निर्धारित करने हेतु निम्न निमय महत्वपूर्ण हैः

i) जब तक विशिष्ट रूप से कर मुक्त न घोषित हों तब तक सभी आयगत प्राप्तियाँ कर योग्य होती है।

ii) जब तक विशिष्ट रूप से कर योग्य न घोषित हो, तब तक सभी पूँजीगत प्राप्तियाँ कर मुक्त होती है।

c) आय के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत करदेयता (Taxability of Income under varions Heads of Income):

आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, आय के 5 शीर्षक है। यद्यपि फर्म की दशा में इनमें से केवल 4 शीर्षकों के प्रावधान लागू होते है, जो निम्न प्रकार हैः

i) मकान सम्पत्ति से आय (Income from House Property)

ii) व्यवसाय अथवा पेश के लाभ (PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION)

iii) पूँजी लाभ [(Capital Gains)]

iv) अन्य स्रोतों से आय [Income from other sources]

d) पृथक अस्तित्व (Separate Entity):

एक फर्म का पृथक अस्तित्व होता है अतः उस पर पृथक रूप में कर लगता है।

e) फर्म का पंजीकरण (Registration of Firm):

नियमों एवं प्रावधानों के विशिष्ट रूप में लागू होने के अतिरिक्त, सामान्यतः करारोपड़ के दृष्टिकोण से, एवं पजीकृत अथवा अपंजीकृत फर्म में कोई भेद नहीं किया जाता है।

f) साझेदारों का हिस्सा (Partner's Share):

साझेदारों का फर्म की आय में हिस्सा (Share) उनकी कुल आय की गणना करते समय नहीं जोड़ा जाता है। साझेदारों की फर्म से आय के अतिरिक्त अन्य आयें भी हो सकती है। अतः करारोपड़ के दृष्टिकोण से साझेदारों की आय की गणना की जाती है।

g) वेतन, अधिलाभ, कमीशन अथवा पारिश्रमिक का भुगतान (Salary, Bonus, Commission or remuneration payment):

साझेदारों द्वारा प्राप्य (Dne) अथवा प्राप्त (Received) कोई वेतन, अधिलाभ, कमीशन अथवा पारिश्रमिक (चाहे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाय) कुछ प्रतिबन्धों के अधीन घटाये जाने हेतु स्वीकृत होते है। इसका विस्तृत वर्णन इस इकाई के अगले पृष्ठों में किया गया हे।

h) ब्याज का भुगतान (Payment of Interest):

यदि कोई फर्म, अपने किसी साझेदार को ब्याज का भुगतान करती है तो वह ऐसी भुगतान की गयी ब्याज की राशि को अपनी कुल आय से घटा सकती हे परन्तु ऐसी ब्याज की अधिकतम दर 12 प्रतिशत तक हो सकती है। ब्याज के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या इस इकाई के अगले पृष्ठों में की गयी है।

i) कर की दर (Tax Rate):

फर्म की आय पर 30 प्रतिशत की स्थायी दर से करारोपड़ किया जाता है। फर्म के ऊपर लगाये जाने वाले 30 प्रतिशत कर के ऊपर अधिभार (Surcharge) (यदि लागू हो तो) एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (Cess) का भी भुगतान देय होता है।

j) अनुकल्पी न्यूनतम कर (Alternate Minimum Tax):

प्रत्येक फर्म, जिसमें सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP) भी सम्मलित है की समायेाजित कुल आय पर 18.5 % का अनुकल्पी न्यूनतम कर लगाया जाता है। यह प्रावधान सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) पर कर निर्धारण वर्ष 2010–11 से प्रभावी है।

पारिश्रमिक/ब्याज का घटाया जाना (Deductibility of Remuneration/ Interest):

निम्न शर्तों के पूरा होने पर साझेदारों का पारिश्रमिक एवं ब्याज कटौती योग्य होता है:

i) यदि यह धारा 36 एवं 37 के अधीन कटौती योग्य है।

ii) धारा 184 की शर्तो को पूरा करते हों।

iii) धारा 40 (b) की शर्तों को पूरा करते हो।

17.9 फर्म के कर निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 184 के प्रावधान

1. फर्म का कर निर्धारण फर्म के रूप में किया जा सकता है यदि
   i) साझेदारी एक प्रलेख के काधार पर बनी है। प्रलेख के अन्तर्गत साझेदारी संलेख के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के नियमानुसार प्रपत्र भी शामिल किये जा सकते है।
   ii) उस प्रलेख में साझेदारों के व्यक्तिगत भाग लिखे है। अन्य शब्दों में, साझेदारी प्रलेख में फर्म के लाभ में साझेदारों के व्यक्तिगत हिस्से का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
2. जिस कर निर्धारण वर्ष में प्रथम बार कर निर्धारण करवाना हो उसके गत वर्ष हेतु फर्म की आय विवरणी के साथ साझेदारी संलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि भी दाखिल की जायेगी। अन्य शब्दों में फर्म की आय की प्रथम विवरणी के साथ, साझेदारी प्रलेख की सत्यापित प्रतिलिपि दाखिल की जानी चाहिए।
3. यदि फर्म के रूप में एक बार किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारण हो गया हो तो बाद के प्रत्येक वर्ष में उस पर फर्म के रूप में ही कर निर्धारण होता रहेगा जब तक कि फर्म के संगठन में परिवर्तन न हो जाये।
4. यदि किसी गत वर्ष में फर्म के संगठन में अथवा लाभ के भाग के अनुपात में परिवर्तन हो जाय तो फर्म सम्बन्धित गत वर्ष की आय विवरणी के साथ संशोधित साझेदारी प्रलेख की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत/दाखिल करेगी।

5. यदि फर्म धारा 144 में वर्णित प्रावधानों की पूर्ति करने में असफल रहती है, तो भी फर्म पर फर्म के रूप में कर निर्धारण होगा परन्तु निम्न कटौतियाँ मान्य नहीं होगीः

   a) फर्म के व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करते समय साझेदारों को दिये गये ब्याज, वेतन, अधिलाभ, कमीशन अथवा पारिश्रमिक चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

   b) धारा 28 (v) के अन्तर्गत उपरोक्त (a) में वर्णित साझेदारो ंकी आय अर्थात ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक को उनके व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जायेगा। संक्षेप में, उपरोक्त (a) में वर्णित आय साझेदारों की आय में सम्मलित नहीं की जायेगी।

17.10 धारा 184 का अनुपालन न किये जाने की दशा में कर निर्धारण

धारा 185 के अनुसार, धारा 184 के प्रावधानों के अनुपालन न करने/अवज्ञा के निम्न परिणाम होंगे :

1. अवज्ञा अथवा अनुपालन न करने वाले कर निर्धारण वर्ष में, फर्म का कर निर्धारण फर्म की भाँति होगा।
2. फर्म की व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना में, साझेदारों को यदि कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा किसी भी नाम से पारश्रमिक का भुगतान किया गया है, तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी।
3. धारा 28 (v) के अन्तर्गत उपरोक्त (a) में वर्णित साझेदारों की आय अर्थात ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा किसी भी नाम से पारिश्रमिक को उनके व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जायेगा। संक्षेप में उपरोक्त (a) में वर्णित आय साझेदारों की आय में सम्मलित नहीं की जायेगी।

17.11 फर्म के कर निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 40 (b) के प्रावधान

धारा 40 (b) के प्रावधानों के अनुसार निम्न व्ययों को अमान्य घोषित किया गया हैः–

i) किसी गैर सक्रिय साझेदार को भुगतान किये गये अथवा भुगतान योग्य वेतन, बोनस, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक की राशि। संक्षेप में ये व्यय अस्वीकृत है।

ii) किसी भी सक्रिय साझेदार को ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान जो न तो साझेदारी प्रलेख में अधिकृत हो और न ही साझेदारी प्रलेख की शर्तो के अनुसार हो। संक्षेप में ये भुगतान अस्वीकृत है।

iii) सक्रिय साझेदार को पारिश्रमिक, साझेदारी प्रलेख की तिथि के बाद देय होना चाहिये। अन्य शब्दों में जब तक कि किसी पूर्व के प्रलेख द्वारा अधिकृत न हो तब तक साझेदारी प्रलेख की तिथि से पूर्व किया गया पारिश्रमिक का भुगतान कटौती हेतु स्वीकृत नहीं होगा। अन्य शब्दों में सक्रिय साझेदार को यदि किसी

पारिश्रमिक का भुगतान साझेदारी प्रलेख से अधिकृत एवं प्रलेख की शर्तो के अधीन, प्रलेख की तिथि के बाद की अवधि के लिये किया जाता है तो ऐसे भुगतान की कटौती स्वीकृत होगी।

iv) फर्म द्वारा सक्रिय साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक यदि साझेदारी प्रलेख से अधिकृत तथा प्रलेख की शर्तो के अनुसार प्रलेख की तिथि के बाद की अवधि के लिए भुगातन किया जाता है, तो वह कटौती हेतु स्वीकृत होगा। यद्यपि कर निर्धारण वर्ष 2011 से प्रभावी नियमों के अधीन, गत वर्ष में सभी साझदारों को किये गये ऐसे भुगतानों का कुल योग निम्न निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होना चाहिये अन्यथा निर्दिष्ट सीमा से अधिक भुगतान की गयी राशि कटौती हेतु अस्वीकृत होगी।

सारणी 17.1: कटौती की राशि निर्दिष्ट सीमातक

		रू0
(a)	यदि पुस्तक लाभ नकारात्मक हो अर्थात हानि की दशा में	1,50,000
(b)	यदि पुस्तक लाभ सकारात्मक हो अर्थात लाभ की दशा में	
	(i) पुस्तक लाभ के प्रथम 3,00,000 रू0 पर	1,50,000 रू0 अथवा पुस्तक लाभ का 90 प्रतिशत जो अधिक हो
	(ii) पुस्तक लाभ के 3,00,000 रू0 से अधिक के शेष पर अर्थात (पुस्तक लाभ–3,00,000 रू0) पर	शेष पुस्तक लाभ का 60 प्रतिशत

v) यदि साझेदारों को ब्याज का भुगतान न तो साझेदारी प्रलेख द्वारा अधिकृत हो और न ही साझेदारी प्रलेख की शर्तो के अनुसार हो तो वह कटौती हेतु अस्वीकृत होगा।

vi) ब्याज का भुगतान साझेदारी प्रलेख की तिथि के बाद का होना चाहिये अन्यथा वह कटौती हेतु स्वीकृत नहीं होगा। इसी प्रकार किसी पूर्व के साझेदारी प्रलेख से अधिकृत तथा साझेदारी प्रलेख की शर्तो के अधीन किसी साझेदार को आगे की अवधि के लिये ब्याज का भुगतान कटौती के रूप में स्वीकृत होगा।

vii) यदि किसी साझेदार को ब्याज का भुगतान साझेदारी प्रलेख से अधिकृत प्रलेख की शर्तो के अनुसार तथा प्रलेख की तिथि के बाद के लिए है तो यह कटौती हेतु मान्य होगा परन्तु शर्त यह है कि ब्याज की साधारण दर (Simple Interest) 12% से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि ब्याज की दर 12 प्रतिशत से अधिक है तो 12 प्रतिशत से ऊपर (Excess) की ब्याज की राशि कटौती हेतु मान्य नहीं होगी।

viii) यदि कोई फर्म आहरण पर ब्याज लगाती है, इसका अर्थ यह है कि फर्म द्वारा एक ही साझेदार से ब्याज लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। इस स्थिति में किसी साझेदार से फर्म द्वारा प्राप्त ब्याज पर वह (फर्म) कर

चुकायेगी परन्तु उसी साझेदार को भुगतान की गयी ब्याज की रकम पर धारा 40 (b) के प्रावधान लागू होगें।

धारा 40 (b) से सम्बन्धित स्पष्टीकरण [Explanation Regarding Section 40 (b)]:

1. फर्म के साझेदारों को सक्रिय साझेदार एवं गैर सक्रिय साझेदार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सक्रिय साझेदार वह व्यक्ति होता है जो फर्म का साझेदार होता है तथा फर्म के व्यवसाय अथवा पेश के संचालन में सक्रिय रूप से कार्यरत रहता है। गैर सक्रिय साझेदार गेर कार्यरत वित्त प्रदान करने वाला अथवा सुप्त साझेदार हो सकता है।
2. जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से अथवा उसके लाभार्थ किसी फर्म में साझेदार होता है तो उसे प्रतिनिधि के रूप में साझेदार कहते है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में साझेदार के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में (व्यक्ति के रूप में) दिया गया ब्याज, धारा 40 (b) के अन्तर्गत विचारणीय नहीं होगा अर्थात उस पर धारा 40 (b) के नियम लागू नहीं होगे।
3. फर्म द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया ब्याज जो प्रतिनिधि साझेदार के रूप में है तथा फर्म द्वारा उस व्यक्ति को भुगतान किया गया ब्याज जिसका वह प्रतिनधित्व कर रहा है इस धारा (धारा 40 (b)) के लिये विचारणीय होगा।
4. पुस्तक लाभ वह शुद्ध लाभ है जो लाभ–हानि खाते द्वारा धारा 28 से धारा 44 D के प्रावधानों के अनुसार समायोजित करके गत वर्ष हेतु ज्ञात किया गया है। इस लाभ को सभी साझेदारों को भुगतान किये गये अथवा देय पारिश्रमिक के योग से बढ़ा दिया जाता है यदि यह राशि फर्म के शुद्ध लाभ की गणना हेतु घटा दी गयी हो।
5. साझेदारी प्रलेख में केवल यह लिखा होने पर कि सक्रिय साझेदार को पारिश्रमिक दिया जायेगा, फर्म ऐसे पारिश्रमिक की कटौती हेतु धारा 40 (b) के अन्तर्गत अधिकृत नहीं होती। धारा 40 (b) के अन्तर्गत की सक्रिय साझेदार के पारिश्रमिक की कटौती हेतु अधिकृत होने के लिये, यह अनिवार्य है कि साझेदारी प्रलेख में प्रत्येक सक्रिय साझेदार को दिये जाने वाली पारिश्रमिक की राशि का उल्लेख हो अथवा अन्य परिस्थिति में पारिश्रमिक की गणना किस प्रकार की जायेगी इसका भी उल्लेख होना चाहिये। इसका आशय यह है कि इन दोनों बातों का प्रलेख में उल्लेख न होने पर धारा 40 b के अन्तर्गत पारिश्रमिक सम्बन्धी कटौती नहीं मिलेगी।

17.12 पुस्तक लाभ की गणना

भागीदारों के पारिश्रमिक में कटौती करने से पहले फर्म का लाभ पुस्तक लाभ है यह लाभ और लाभ हानि खाता द्वारा दिखाया गया है जिस की गणना कर अधिनियम 1961 के धारा 28 से 44 के अन्तर्गत गणना की पाती है प्रावधानों के तहत की गई यह लाभ की गई है। ऐसे लाभ की वृद्धि की जाती है और साझेदारों बशर्ते ऐसा पारिश्रमिक की कटौती शुद्ध लाभ की गणना करते समय प्रदान की हो।

पुस्तक लाभ की गणना के चरण

1) लाभ हानि की गणना करना लाभ हानि खाता के आधार पर है, यदि लाभ हानि दिया गया है तो उसे आगे की गणना का आधार माना जाता है।

2) फिर लाभ हानि खाता में धारा 28 से 44D में दी गई समायोजन किया जायेगा।

3) साझेदारों की दिया गया परिश्रमिक शुद्धलाभ में जोड़ा जायेगा।

4) निकाली गई राशि फर्म की पुस्तक लाभ कहलाती है।

नोट :

A) फर्म की पुस्तक लाभ में निम्नलिखित भेंट शामिल नहीं होंगे।

i) फर्म का पूंजी गतलाभ

ii) अन्य स्रोतों से आय

iii) मकान सम्पत्ति

ख) निम्नलिखित मदों को फर्म के पुस्तक लाभ से घटाया नहीं जाना चाहिए।

नोट :

i) धारा 80C से 80U तक की कटौती फर्म की सकल आय में से की जायेगी।

ii) हानि को आगे बढ़ाना (व्यापार की आय की गणना करते समय यदि कोई हानि है तो उसको घटाया जायेगा।

धारा 40 (b) के प्रावधानों के अधीन पुस्तक लाभ की गणना करनी होती है। पुस्तक लाभ की गणना निम्न प्रारूप में की जा सकती है :

पुस्तक लाभ की गणना का प्रारूप

लाभ–हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ			-
जोडिये:			
(i) अस्वीकृत व्यय जो लाभ–हानि खाते में डेविट किये गये है (धारा 30 से धारा 44 D तक मे वर्णित न हो	-		
(ii) व्यवसाय एवं पेशे के अन्तर्गत कर योग्य आयें जो कि लाभ–हानि खाते में क्रेडिट न की गयी हो।	-		
(iii) साझेदारों को पारिश्रमिक यदि लाभ हानि खाते में डेविट कर दिया गया है	-		
(iv) 12% की दर से अधिक दर का ब्याज	-		-
			-
घटाइये:			
(i) आयें जो व्यवसाय एवं पेशे के आय शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है परन्तु लाभ–हानि खाते में क्रेडिट की गई है	-		
(ii) स्वीकृत व्यय/हानियां परन्तु लाभ हानि खाते मे डेविट नहीं किये गये	-		-
पुस्तक लाभ			-

नोट–1

पुस्तक लाभ की गणना में आगे लाये गयी अशोधित हानि को घटाया नहीं जायेगा।

नोट –2

गैर व्यापारिक आयें तथा उनसे सम्बन्धित गैर व्यापारिक व्ययों को पुस्तक लाभ की गणना हेतु सम्मलित नहीं किया जाता है।

नोट –3

हानि की दशा में उपरोक्त नियम उलट (reverse) हो जायेंगे अर्थात उपरोक्त प्रारूप में जोड़ने वाली मदें हानि से घटायी जायेंगी और घटाने वाली मदें हानि में जोड़ी जायेंगी।

नोट –4

आय के अन्य शीर्षकों की आय जैसे मकान सम्पत्ति से आय, पूँजी लाभ अथवा अन्य स्त्रोतों से आय पुस्तक लाभ की गणना में शामिल नहीं की जाती है।

नोट –5

पुस्तक लाभ की गणना करने में धारा 80 C से धारा 80 U तक की मान्य कटौतियों को सम्मलित नहीं किया जाता है।

फर्म की हानियों की दशा में प्रावधान (Provisions in case of firm's losses):

यदि फर्म अपनी हानि को उसी वर्ष में जिसमें हानि हुई हो को अन्य व्यवसाय के लाभ से पूर्णतः आयकर के नियमों के अधीन न पूरी हुई हानि को आगामी वर्षो में पूरा करने हेतु आगे ले जा सकती है। पूर्ति हेतु आगे लाई गयी हानि से सम्बन्धित नियम निम्न प्रकार है।

a) सट्टे की हानि जिस वर्ष में हुई हो उस वर्ष से ऐसी हानि सट्टे के व्यवसाय के लाभों से अगले 4 वर्षो तक पूरी की जा सकती है।

b) गैर सट्टे के व्यवाय की हांनियों को, हानि के वर्ष से अगले 8 वर्षो तक, फर्म के किसी भी व्यवसाय के लाभ से पूरा किया जा सकता है।

c) जिस वर्ष में अल्पकालीन पूँजी हानि हुई हो उससे अगले 8 वर्षो तक इस हानि को फर्म के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

d) जिस वर्ष में दीर्घकालीन पूँजी हानि हुई हो उससे अगले 8 वर्षो तक इस हानि को फर्म के दीर्घकालीन पूँजी लाभ से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकात है।

e) अशोधित ह्रास की पूर्ति फर्म के व्यवसाय अथवा फर्म की अन्य किसी आय से की जा सकती है।

17.13 फर्म की कुल आय की गणना

जब किसी फर्म का लाभ–हानि खाता, लाभ अथवा हानि की गणना हेतु दिया गया हो तो ऐसे लाभ अथवा हानि में समायोजन उसी प्रकार किया जायेगा जैसे व्यवसाय अथवा पेशे के शीर्षक में लाभों की गणना हेतु किया जाता है। इस प्रकार व्यवसाय अथवा पेशा शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने के पश्चात फर्म की अन्य शीर्षकों (मकान सम्पत्ति से आय, पूँजी लाभ तथा अन्य स्त्रोतों से आय) की आय की गणना की जाती है और इन आयों को उपरोक्त प्रकार से प्राप्त फर्म के व्यवसाय अथवा पेशे शीर्षक की आय में जोड़ दिया जाता है। इन राशियों के जोड़ने के पश्चात, प्राप्त राशि फर्म की सकल कुल आय (GTI) होगी।

उपरोक्त आयों की गणना करने मे धारा 10 से धारा 13 A तक में वर्णित कर मुक्त आयों को नहीं जोड़ा जायेगा।

फर्म की सकल कुल आय में से धारा 80 C से धारा 80 U के मध्य मान्य कटौतियों को घटाने के उपरान्त शेष राशि फर्म की कुल आय होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 80 G, 80 GGA, 80 GGC, 80 IA, 80 IAB, 80 I B, 80 IC, 80 ID, 80 IE, 80 JJA तथा 80 JJAA फर्म पर लागू होती है।

उपरोक्त वर्णित धाराओं के अधीन कटौतियाँ धारा 111-A में वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभ एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ (धारा 112 के अधीन) से नहीं दी जायेगी।

फर्म की कुल आय की गणना का प्रारूप

	रू0	रू0
फर्म की पुस्तक लाभ		-
घटाइयेः सक्रिय साझेदारों को दिया गया परिश्रमिकः		
(a) वास्तविक पारिश्रमिक	-	
(b) वैधानिक सीमा (धारा 40) — जो कम हो	-	-
फर्म के व्यवसाय अथवा पेशे से आय		-
जोडियेः आय के अन्य शीर्षकों एवं स्त्रोतो से आय		-
सकल कुल आय		-
घटाइयेः		
धारा 80 C से 80 U की कटौतियों (जो फर्म पर लागू हो)		-
कुल आय		-
घटाइयेः फर्म द्वारा देय कर (कर की गणना हेतु) कर की गणना का प्रारूप देखें		-
साझेदारों मे उनके लाभ–हानि अनुपात में वितरण योग्य आय		-

17.14 फर्म के कर दायित्व की गणना

फर्म के कर दायित्व की गणना हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है:

(a) शुद्ध लाभ पर कर की गणना कीजिये।

(b) यदि कुल आय 1 करोड़ रू0 से अधिक हो तो 12% अधिभार जोड़िये।

(c) उपरोक्त a एवं b के योग (a+b) पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जोड़िये।

(d) उपरोक्त a, b, c का योग (a+b+c) कर दायित्व होगा

सारणी 17.4: फर्म की कुल आय पर कर दायित्व की गणना हेतु प्रारूप

		रू0
1)	लाटरी की जीत, ताश के खेल, क्रास वर्ग पहेली, घुड़दौड़ इत्यादि की आय तथा अन्य आकस्मिक आयों पर 30% कर	-
2)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर 20% कर	-
3)	धारा 11A में वर्णित प्रतिभूति विनिमय कर दायित्व के साथ, अल्पकालीन पूँजी लाभ पर 15% कर	-
4)	अन्य कर योगय आय पर कर 30%	-
		-
	जोडियेः अधिभार 12% की दर से (यदि लागू हो)	-
		-
	जोडियेः	
	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% की दर से	-
	देय कर	-

नोट :

i) अधिभार 1 करोड़ रू0 से अधिक की कुल आय होने पर लागू होगा।

ii) उपरोक्त प्रारूप में प्रदर्शित कर देय कर, अधिभार में सीमान्त राहत के समायोजन के अधीन है।

जिन फर्मो की कर योग्य आय 1 करोड़ से अधिक हैं उनको कर के 12 प्रतिशत का अधिभार देना होगा। यद्यपि कुल देय आयकर तथा 1 करोड़ रूपये से अधिक आय पर अधिभार की रकम का योग उस कर के रूप में देय राशि से अधिक नहीं होगी जो 1 करोड़ रू0 से अधिक आय हो।

सारणी 17.5: जहाँ फर्म द्वारा अधिभार देय हो, वहाँ फर्म के कर दायित्व की गणना का प्रारूप निम्न होगा

	रू0	रू0
कुल आय पर कर	-	
जोडियेः अधिभार	-	
(a)	-	
अथवा		
1 करोड़ रू0 की राशि पर कर	-	
जोडियेः 1 करोड़ रू0 से अधिक की कर योग्य आय	-	
(b)	-	
(a) अथवा (b) की वह राशि जो कम हो		-
जोडियेः स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%		-
देय कर		-

17.15 सीमित दायित्व साझेदारी अथवा अन्य कोई गैर निगमित करदाता हेतु अनुकल्पी न्यूनतम कर के प्रावधान (धारा 115)

अनुकल्पी न्यूनतम कर (AMT) की गणना सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP) अथवा अन्य गैर निगमित करदाता की समायोजित कुल आय पर की जाती है। निम्न दो शर्तो के पूरा होने पर अनुकल्पी न्यूनतमक कर (AMT) व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संगठन, व्यक्तियों के समूह एवं कृत्रिम वैधानिक व्यक्तियों पर लागू होता हैः

i) उन्होंने धारा 10 AA, 35 AD एवं अध्याय vi के शीर्षक C के अधीन कटोती मांगी हो।

ii) उनकी समायोजित कुल आय 20 लाख रूपये से अधिक हो।

अन्य किसी भी दशा में (सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म तथा गैर निगमित करदाता) 20 लाख रू0 की सीमा नहीं लागू होती है। किसी गत वर्ष हेतु यदि सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP) द्वारा नियमित देय आयकर की राशि, अनुकल्पी न्यूनतम कर (AMT) से कम हो तो उस गतवर्ष हेतु सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP) की समायोजित कुल आय को, कुल आय माना जायेगा। अन्य शब्दों में सीमित दायित्व वाली साझेदारी का कर दायित्व, कर योग्य आय पर देय कर अथवा अनुकल्पी न्यूनतम कर में से जो अधिक हो माना जायेगा।

सीमित दायित्व वाली साझेदारी द्वारा समायोजित कुल आय पर 18.5% की दर + स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर 4% की दर से देय होगा।

सारणी 17.6: सीमित दायित्व वाली साझेदारी LLP की समायोजित कुल आय (Adjusted Total Income) की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है:

	रू0
सीमित दायित्व वाली साझेदारी की कुल कर योग्य आय	-
जोड़िये:	
(i) धारा 80-P को छोड़कर अध्याय की VI-A की धारा 80 H से धारा 80 RRB तक कटौती की मांग	-
(ii) धारा 10-AA के अन्तर्गत मांगी गयी कटौती (यदि कोई हो)	-
(iii)मान्य नियमित ह्रास घटाकर धारा 35 AD में अधीन मांगी गयी कोई कटौती	-
समायोजित कुल आय	-

सारणी 17.7: अनुकल्पी न्यूनतम कर की गणना:

	रू0
18.5% की दर से समायोजित कुल आय पर कर	-
जोड़िये 12% अधिभार (यदि समायोजित कुल आय 1 करोड़ रूपये से अधिक हो)	-
	-
जोड़िये 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	-
अनुकल्पी न्यूनतम कर (AMT)	-

सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) द्वारा समायोजित कुल आय पर भुगतान किये गये कर के सन्दर्भ में, कर के लिये क्रेडिट (Tax credit) सम्बन्धी प्रावधान:

i) अनुकल्पी न्यूनतम कर के भुगतान की राशि का अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आगणित कुल आय पर देय कर पर आधिक्य टैक्स क्रेडिट की राशि होती है। सरल शब्दों में अनुकल्पी कर के भुगतान की राशि– आयकर के अन्य प्रावधानों के अनुसार कुल आय पर देय कर की राशि = टैक्स क्रेडिट की राशि होती है।

ii) जिस वर्ष में टैक्स क्रेडिट मान्य होता है उसके तुरन्त बाद के 15 कर निर्धारण वर्षो तक उसे आगे ले जाया जा सकता है।

iii) अनुकल्पी न्यूनतम कर टैक्स क्रेडिट का प्रयोग = कुल आय पर देय कर – अनुकल्पी न्यूनतम देय कर।

iv) टैक्स क्रेडिट की पूर्ति उस वर्ष में की जायेगी जिसमें कुल आय पर देय कर अनुकल्पी न्यूनतम कर से अधिक होगा। यह पूर्ति उसी राशि तक की जायेगी जितनी राशि उपरोक्त (iii) के अनुसार अधिक होगी।

v) टैक्स क्रेडिट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

vi) यदि कर निर्धारण, पुर्न कर निर्धारण, त्रुटि सुधार के कारण, अपील अथवा रिवीजन एवं निपटारे के कारण देय कर में कमी अथवा वृद्धि होती है तो टैक्स क्रेडिट की राशि इसी आधार पर घट अथवा बढ़ सकती है।

vii) यदि सीमित दायित्व वाली साझेदारी पर अनुकल्पी न्यूनतम कर (AMT) के प्रावधान लागू होते है तो उसे (LLP) को निर्धारित फार्म पर चार्टड एकाउन्टेन्ट से रिर्पोट प्राप्त करनी होगी।

17.16 फर्म से साझेदार की आय की गणना

1. लाभ का भाग (Share of Profit)

फर्म में साझेदार के लाभ का भाग धारा 10 (2A) के अन्तर्गत कर मुक्त है। अतः यह उसकी (साझेदार की) आय में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

2. पारिश्रमिक (Remuneration)

साझेदार प्रलेख के प्रावधानो के अधीन परन्तु धारा 40 b के प्रावधानों का उल्लंघन किये बगैर यदि कोई साझेदार वेतन,, अधिलाभ, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो यह आय के 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य नहीं होगा क्योंकि साझेदार फर्म का कर्मचारी नहीं होता है। इस प्रकार प्राप्त की गयी राशि व्यापार अथवा पेशे से लाभों के शीर्षक में कर योग्य होगी। यद्यपि यदि उपरोक्त वर्णित पारिश्रमिक का साझेदार को धारा 40b के प्रावधानों से अधिक भुगतान किया जाता है तो ऐसे आधिक्य के भुगतान को साझेदार की कर योग्य आय में नहीं जोड़ा जायेगा क्योंकि यह फर्म की कुल आय में अवश्य जोड़ दिया गया होगा और दोहरा करारोपड़ नहीं किया जा सकता।

3. ब्याज (Interest)

यदि कोई साझेदार, साझेदारी प्रलेख के प्रावधानों के अनुसार 12% प्रति वर्ष से अधिक की दर से ब्याज नहीं प्राप्त करता है तो ऐसी ब्याज की राशि व्यवसाय की आय मानी जायेगी और व्यवसाय अथवा पेशे से लाभ के शीर्षक के अन्तर्गत जोड़ी जायेगी।

4. किराया (Rent)

यदि किसी साझेदार द्वारा अपना भवन फर्म को किराये पर दिया जाता है तो उसकी आय मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगी।

5. किराये से मुक्त रहने का मकान (Rent free residential accommodation)

यदि फर्म द्वारा साझेदार को मुक्त बिजली के साथ किराया मुक्त रहने का मकान दिया गया हो तो इस प्रकार का व्यय फर्म के लिये अस्वीकृत होगा। अतः यह राशि साझेदार के लिये (हाथ में) कर योग्य नहीं होगी। अन्यथा दोहरे करारोपण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

6. कटौतियाँ (Deductions)

व्यापार अथवा पेश के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करते समय साझेदार द्वारा निम्न कटौतियों की मांग की जा सकती हैः

a) साझेदार द्वारा फर्म में विनियोग हेतु उधार ली गयी पूँजी पर चुकायी गयी ब्याज की कटोती की मांग स्वीकृत कटौती होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फर्म ने इस राशि का क्या प्रयोग किया है। साझेदार को यह कटौती हर स्थिति में प्राप्त होगी चाहे भले ही किसी हिसाबी वर्ष में उसे फर्म से आय प्राप्त हो अथवा न प्राप्त हो।

b) कभी–कभी साझेदार को फर्म में अपनी पूँजी की एक न्यूनतम राशि सदैव रखनी होती हैं यदि किसी भी कारण से इस न्यूनतम पूँजी की राशि में कमी हो जाती है तो इस कमी की राशि पर फर्म द्वारा ब्याज लिया जा सकता है। साझेदार की ऐसी पूँजी की कमी पर उसके द्वारा चुकाया गया ब्याज कटौती के रूप में स्वीकृत होता है। यदि साझेदार अपने व्यक्तिगत कर चुकाने हेतु अथवा व्यक्तिगत व्ययों के लिये फर्म से किसी राशि का आहरण (Drawings) करता है तो ऐसी आहरण की राशि पर उसके द्वारा फर्म को दिये गये ब्याज की आय में से फर्म को कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

c) यदि साझेदार ने फर्म से पारिश्रमिक कमाने हेतु कोई व्यय किये है तो वे कटौती के लिये स्वीकृत होंगे। यदि साझेदार यात्रा व्यय, कार का ह्रास तथा कार के रख–रखाव के व्यय पारिश्रमिक कमाने हेतु करता है, तो ऐसे व्ययों की कटौती व्यापार अथवा पेश से आय शीर्षक के अन्तर्गत मान्य होगी।

17.17 पुनर्गठित फर्म का कर निर्धारण

जब किसी फर्म के गठन (Constitution) में निम्न परिवर्तन होते है तो एक फर्म को पुनर्गठित (Reconstituted) कहा जाता हैः

i) जब एक या एक से अधिक साझेदार फर्म में साझेदार नहीं रहते (सामान्यतः मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने के कारण) परन्तु शेष साझेदार, साझेदार बने रहते है।

ii) जब एक या एक से अधिक नये साझेदारी में प्रवेश करते है और कम से कम एक पुराना साझेदार फर्म में साझेदार रहता हैं।

iii) जब सभी साझेदारों के लाभ के हिस्से में परिवर्तन हो अथवा कुछ साझेदारो के लाभ के भाग में परिवर्तन हो।

पुनर्गठित फर्म की दशा में, कर निर्धारण के समय फर्म का जो गठन/संगठन होता है, उसी आधार पर कर निर्धारण किया जाता है।

यदि फर्म में दो ही साझेदार हों ओर उनमें से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाये तो फर्म समाप्त हो जाती है और फर्म के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस दशा में साझेदार की मृत्यु से पूर्व एवं पश्चात की अवधि का पृथक–पृथक, कर निर्धारण किया जाता है।

17.18 एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म में चले जाने पर कर निर्धारण

जब (i) एक फर्म के सभी साझेदारो के स्थान पर दूसरे साझेदार आ जायें (ii) फर्म का विघटन हो जाये तथा पुनर्गठित हो जाये, तो यह कहा जाता है कि एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म में चला गया। पुनर्गठित फर्म में सभी साझेदार नये हो सकते है अथवा कुछ नये और कुछ पुराने हो सकते है। इस प्रकार जहाँ व्यवसाय की काफी हद तक पहिचान तथा व्यापार की श्रंखला बनी रहती है वहीं स्वामित्व के परिवर्तन के साथ सम्पूर्ण व्यापार भी हस्तान्तरित हो जाता है। व्यापार एवं पेशे के शीर्षक अन्तर्गत आने वाली फर्म की दशा में एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म में चले जाने पर पूर्व की फर्म एवं बाद की फर्म पर अलग–अलग कर निर्धारण किया जाता है। पूर्व की फर्म (Predecessor firm) की उस आय पर कर निर्धारण होता है जो स्वामित्व हस्तान्तरण के पूर्व की होती है तथा बाद की फर्म (Successor firm) की उस आय पर कर निर्धारण होता है जो स्वामित्व हस्तान्तरण के पश्चात की अवधि से सम्बन्धित हो।

17.19 फर्म द्वारा देय कर के लिये साझेदारों का संयुक्त एवं पृथक दायित्व

धारा 188 A के अनुसार मृतक के कानूनी प्रतिनिधि सहित, प्रत्येक व्यक्ति जो गत वर्ष में फर्म का साझेदार था, फर्म के साथ–साथ, फर्म द्वारा गत वर्ष से सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष हेतु देय कर की राशि, अर्थ दण्ड अथवा अन्य राशि के लिये संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के कर निर्धारण में अथवा अर्थदण्ड के निर्धारण में अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।

17.20 फर्म का विघटन अथवा व्यवसाय का बन्द होना

व्यवसाय बन्द होने से आशय है जब कारोबार (व्यवसाय) पूर्णतः बन्द कर दिया जाता है। फर्म के संगठन में परिवर्तन अथवा उसके स्वामित्व में परिवर्तन होने से व्यवसाय बन्द नहीं होता है। यद्यपि जहाँ विघटन पर फर्म का व्यवसाय अंशों में विभक्त हो जाये तथा व्यवसाय की शाखाओं के भागों को साझेदारों में बांट दिया जाये तो पुराने व्यवसाय को बन्द माना जायेगा। इस बात का कोई प्रभाव नही होगा कि अब भी साझेदारों द्वारा व्यवसाय की शाखाओं एवं भागों का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार के व्यवसाय के कर–निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान निम्न प्रकार हैः

i) जब फर्म द्वारा संचालित व्यवसाय अथवा पेशा बन्द कर दिया गया हो अथवा फर्म का विघटन हो गया हो तब भी फर्म की कुल आय पर कर निर्धारण यह मानते हुये किया जायेगा कि न तो फर्म का व्यापार अथवा पेशा बन्द हुआ और न हीं फर्म का विघटन हुआ हैं

ii) प्रत्येक व्यक्ति जो फर्म के व्यापार के बंद होने के समय अथवा फर्म के विघटन के समय, फर्म में साझेदार था उसका तथा मृतक साझेदार के प्रतिनिधि का संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप में फर्म द्वारा देयकर, दण्ड अथवा अन्य कोई राशि के भुगतान का दायित्व होता है।

iii) किसी कर निर्धारण वर्ष में कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद यदि फर्म का व्यापार बन्द होता है अथवा फर्म का विघटन होता है तो यह कार्यवाही उपरोक्त (ii) में

वर्णित व्यक्तियों (फर्म के साझेदार अथवा मृतक साझेदार के प्रतिनिधि) के विरूद्ध जारी रखा जा सकती है।

बोध प्रश्न ख

1) निम्न मे ंसे प्रत्येक का सही उत्तर चुनियेः

i) पुस्तक हानि की दशा में सक्रिय साझेदार को प्राप्त होने वाला अधिकतम परिश्रामिक हो सकता है।

(a) शून्य (b) 1,50,000 रू0

(c) 3,00,000 रू0 (d) 1,20,000 रू0

ii) धारा 40 (b) के अन्तर्गत फर्म के किसी साझेदार को दिया गया ब्याज निम्न में किस से अधिक होने पर अमान्य होगाः

(a) 6% (b) 12%

(c) 15% (d) 20%

iii) यदि किसी फर्म का पुस्तक लाभ 9,36,000 रू0 हो तो आयकर हेतु सक्रिय साझेदार का पारिश्रमिक मान्य होगा

(a) 6,51,600 रू0 (b) 6,81,600 रू0

(c) 2,70,000 रू0 (d) (a), (b), (c) में कोई नहीं

iv) आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, एक फर्म के साझेदार द्वारा फर्म से प्राप्त पूँजी पर ब्याज कर योग्य होगा।

(a) व्यापार अथवा पेश के लाभ शीर्षक में

(b) मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में

(c) पूँजी लाभ शीर्षक में

(d) अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक मे।

v) धारा 115 JC के अनुकल्पी न्यूनतम कर (AMT) के प्रावधान लागू नहीं होते

(a) कंपनी पर (b) व्यक्ति पर

(c) साझेदारी फर्म पर (d) व्यक्तियों के संगठन पर

2) निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजियेः

a) फर्म की कुल आय पर ..... कर लगता है।

b) कर के दृष्टिकोण से एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP) को .... माना जाता है।

c) जब फर्म की आय ..... से अधिक होती है तो उस पर अधिभार लगाया जाता है।

d) साझेदारों की पूँजी पर ..... ब्याज मान्य है।

e) यदि अधिभार फर्म की आय पर लागू हो तो वह ..... की दर से फर्म की आय पर लगाया जायेगा।

3) बताइये निम्न में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्यः

a) एक साझेदार फर्म से प्राप्त ब्याज एवं पारिश्रमिक पर कर देने हेतु उत्तरदायी होता है।

b) एक साझेदार फर्म से प्राप्त अपने हिस्से के लाभ पर कर देने हेतु उत्तरदायी होता है।

c) साझेदार अपनी आय से फर्म, की हानियों को पूरा कर सकते हैं।

d) अनुकल्पी न्यूनतम कर (AMT) की गणना फर्म की समायोजित कुल आय पर की जाती है।

e) सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP) के जमा कर (Tax Credit) पर ब्याज देय नहीं होता है।

17.21 फर्म द्वारा कर भुगतान एवं आय विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया

1. **कर भुगतान की विधि (Mode of Payment of Tax):**

   कर का भुगतान निम्न में से किसी भी विधि द्वारा किया जा सकता हैः

   a) **भौतिक विधि (Physical Mode):** कागज के चालान को भरकर निर्दिष्ट बैंक में जमा करके कर का भुगतान किया जा सकता है।

   b) **इलेक्ट्रॉनिक विधि (Electronic Mode):** इलेक्ट्रॉनिक विधि का प्रयोग करके भी कर का भुगतान किया जा सकता है। इसे ई–भुगतान विधि (E-Payment Mode) भी कहते है। उस फर्म को जिसके खातों का धारा 44 AB के अन्तर्गत अंकेक्षण कराया जाता है, कर का ई–भुगतान (E-Payment) अनिवार्य है।

2. **कर का अग्रिम भुगतान (Payment of Advance Tax):**

   फर्म को देय तिथियों पर वर्ष की अनुमानित कर देयता के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान करना चाहिये। अग्रिम कर का भुगतान ''जैसे कमाओ वैसे चुकाओ (Pay as you Earn Scheme) के नाम से भी जाना जाता है। अग्रिम कर का भुगतान 10,000 रू0 वार्षिक से अधिक कर देयता होने पर देय होता है तथा इसका भुगतान उसी वर्ष में होता है जिस वर्ष में आय प्राप्त की जाती है।''

3. **आय की विवरणी दाखिल करना (Filing of Return of Income):**

   - प्रत्येक फर्म को लाभ (आय) अथवा हानि होने की दोनों ही परिस्थितियों में आय की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य होता है।
   - ई–फाइलिंग (E-filing) द्वारा आय की विवरणी डिजिटल (Digital) अथवा बिना डिजिटल हस्ताक्षर के दाखिल की जा सकती है।
   - एक साझेदारी फर्म अपनी आय, की विवरणी इलेक्ट्रॉनिक वैरीफिकेशन कोड के अन्तर्गत दाखिल कर सकती है।
   - यदि फर्म के खातों का अंकेक्षण धारा 44 AB के अन्तर्गत होता है तो ऐसी फर्म इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर युक्त विवरणी दाखिल करेगी।

- सामान्यतः फर्म की आय विवरणी नामांकित (Disignated) साझेदार द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। यद्यपि यदि कोई नामांकित साझेदार न हो अथवा नामांकित साझेदार अपरिहार्य कारणों से हस्ताक्षर न कर सकता हो तो कोई भी साझेदार आय की विवरणी दाखिल कर सकता है।
- सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP) में आय की विवरणी प्रबन्ध करने वाले साझेदार (Managing partner) द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
- आय विवरणी, आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में दाखिल की जानी चाहिये।
- आयकर विवरणी को निर्धारित तिथि अथवा उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिये।

बोध प्रश्न ग

1) बताइये क्या निम्न कथन सत्य है अथवा असत्यः

a) यदि फर्म पर धारा 44 AB लागू होती है तो टैक्स का ई–भुगतान विधि (E-payment Mode) से भुगतान करना अनिवार्य है।

b) यदि फर्म का वर्ष में कर दायित्व 10,000 रू0 से अधिक है तो उसे अग्रिम कर का भुगतान करना चाहिये।

c) हानि की दशा में फर्म को आय की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य नहीं है।

d) ऐसी फर्म जिस पर धारा 44 AB लागू होती है आय की विवरण इलेक्ट्रानिकली (Electronically) एवं डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) के साथ दाखिल करेगी।

2) लघु उत्तरी प्रश्न (Short Answer Questions):

a) एक फर्म पर लगने वाली कर की दर क्या है?

.....

.....

.....

.....

b) फर्म का एक फर्म के रूप में कर निर्धारण हेतु लागू होने वाली दो शर्तो को बताइये।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17.22 उदाहरण

उदाहरण 1

X, Y, Z की साझेदारी फर्म जिस पर फर्म के रूप में कर निर्धारण होता है का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु पुस्तक लाभ की गणना कीजिये।

	रू0		रू0
सामान्य व्यय	7,00,000	सकल लाभ	28,75,000
मनोरंजन व्यय	2,75,000	बैंक में जमा पर ब्याज	1,45,000
विज्ञापन	4,45,000	उत्पाद शुल्क की वापसी	1,80,000
किराया दर एवं कर	2,90,000		
साझेदारों का वेतन			
X – रू0 1,00,000			
Y – रू0 1,50,000			
Z – रू0 1,75,000	4,25,000		
पूँजी पर ब्याज			
X – @ 20% रू0 40,000			
Y – @ 10% रू0 20,000			
Z – @ 15% रू0 30,000	90,000		
दान	4,36,000		
आयकर	49,000		
शुद्ध लाभ	4,90,000		
	32,00,000		32,00,000

अन्य सूचनायें:

1. सामान्य व्ययों में 1,25,000 रू0 के व्यय अमान्य है।
2. विज्ञापन के व्ययों में 1,45,000 रू0 एक राजनैतिक दल की स्मारिका में विज्ञापन हेतु सम्मलित है।
3. पूँजी पर ब्याज एवं साझेदारों के वेतन के भुगतानों का प्रावधान साझेदारी संलेख में दिया गया।

हलः

पुस्तक लाभ की गणना

(कर निर्धारण वर्श 2020–21)

	रू0		रू0
लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ			4,90,000
जोड़िये			
अमान्य सीमा तक के सामान्य व्यय	1,25,000		
राजनैतिक पार्टी के प्रकाशन में विज्ञापन के व्यय	1,45,000		
साझेदारों का वेतन	4,25,000		
12 प्रतिशत से अधिक पूंजी पर ब्याज			
X: (Rs. 40,000×8/20) = Rs. 16,000			
Z: (Rs. 30,000×3/15) = Rs. 6,000	22,000		
दान	4,36,000		
आयकर	49,000		12,02,000
			16,92,000
घटाइयेः			
बैंक में जमा पर ब्याज			1,45,000
पुस्तक लाभ			**15,47,000**

नोटः

(i) पुस्तक लाभ की गणना में साझेदारों को पारिश्रमिक पूर्णतः अमान्य है।

(ii) यदि साझेदारी संलेख में अनुमति हो तो 12 प्रतिशत तक पूंजी पर ब्याज मान्य होता है।

उदाहरण 2

यदि पुस्तक लाभ निम्न प्रकार हों तो एक साझेदारी फर्म हेतु मान्य पारिश्रमिक की गणना कीजिये।

परिस्थिति (1) : (-)रू0 3,00,000

परिस्थिति (2) : रू0 1,25,000

परिस्थिति (3) : रू0 2,75,000

परिस्थिति (4) : रू0 5,00,000

परिस्थिति (5) : रू0 8,00,000

साझेदारी संलेख में साझेदारों को निम्न वेतन मान्य हैः

A. जो कि सक्रिय साझेदार है को रू0 2,40,000

B. जो कि गैर सक्रिय साझेदार है को रू0 1,40,000

C. जो कि सक्रिय साझेदार है को रू0 1,20,000

साझेदारों हेतु कर योग्य वेतन की भी गणना कीजिये।

अधिकतम मान्य सीमा की गणना

परिस्थिति	पुस्तक लाभ	(a) पुस्तक लाभ के 3,00,000 रू0 का 90 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रू0 (जो अधिक हो) + शेष का 60 प्रतिशत अथवा (b) वास्तविक राशि (उपरोक्त a या b में जो कम हो)	अधिक राशि (रू0)	अधिकतम मान्य सीमा (रू0)
1.	- 3,00,000	पुस्तक लाभ नकारात्मक (हानि) है	1,50,000	1,50,000
2.	1,25,000	1,25,000 रू0 का 90 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रू0 जो अधिक हो	1,50,000	1,50,000
3.	2,75,000	2,75,000 रू0 का 90 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रू0 जो अधिक हो	2,47,500 (90%)	2,47,500
4.	5,00,000	3,00,000 रू0 का 90 प्रतिशत + शेष 2,00,000 रू0 का 60 प्रतिशत = 3,90,000 रू0 अथवा 1,50,000 रू0 जो अधिक हो	3,90,000	3,90,000
5.	8,00,000	3,00,000 रू0 का 90 प्रतिशत + शेष 5,00,000 रू0 का 60 प्रतिशत = 5,70,000 रू0 अथवा 1,50,000 रू0 जो अधिक हो	5,70,000	5,70,000

नोट– (हानि की दशा में (जब पुस्तक लाभ नकारात्मक हो), 1,50,000 रू0 अधिकतमक मान्य सीमा होगी।)

मान्य पारिश्रमिक की गणना

रू0

	परिस्थिति 1	परिस्थिति 2	परिस्थिति 3	परिस्थिति 4	परिस्थिति 5
वास्तविक मान्य पारिश्रमिक कार्यशील साझेदारों का प्रलेख अनुसार पारिश्रमिक	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000
अधिकतम सीमा	1,50,000	1,50,000	2,47,500	3,90,000	5,70,000
मान्य पारिश्रमिक (उपरोक्त दोनों में जो कम है)	1,50,000	1,50,000	2,47,500	3,60,000	3,60,000

साझेदारी की कर योग्य राशि की गणना

रू0

	परिस्थिति 1	परिस्थिति 2	परिस्थिति 3	परिस्थिति 4	परिस्थिति 5
फर्म हेतु मान्य पारिश्रमिक	1,50,000	1,50,000	2,47,500	3,60,000	3,60,000
A हेतु कर योग्य पारिश्रमिक [मान्य पारिश्रमिक $\times \frac{240000}{360000}$]	1,00,000	1,00,000	1,65,000	2,40,000	2,40,000
B के पारिश्रमिक की कर देयता योग्य राशि (गैर सक्रिय साझेदार)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
C हेतु कर योग्य पारिश्रमिक [मान्य पारिश्रमिक $\times \frac{120000}{360000}$]	50,000	50,000	82,500	1,20,000	1,20,000

उदाहरण 3

निम्न दी गई सूचनाओं से फर्म की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिये।

	रू0
लघु स्तरीय औद्योगिक उपक्रम से लाभ	6,50,000
पशुपालन व्यवसाय से लाभ	2,20,000
अल्पकालीन पूंजी हानि	2,50,000
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	4,50,000

बैंक से ब्याज (सकल)	80,000
अनुमोदित दान योग्य संस्था को चेक द्वारा दान	1,30,000

हल

कुल आय की गणना

(कर निर्धारण वर्श 2020–21)

व्यवसाय से आयः	(रू0)	(रू0)
औद्योगिकि उपक्रम	6,50,000	
पशुपालन	2,20,000	8,70,000
पूँजी लाभः		
दीर्घकालीन पूँजी लाभ (LTCG)	4,50,000	
घटाये अल्पकालीन पूँजी लाभ (ST CL)	2,50,000	2,00,000
अन्य स्त्रोतों से आयः		
ब्याज		80,000
सकल कुल आय		11,50,000
हटायेः धारा 80 G के अर्न्तगत कटौती		47,500
कुल आय		11,02,500

देय कर की गणना

(कर निर्धारण वर्श 2020–21)

	(रू0)
कुल आय रू. 1102500	
दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर कर (रू0 2,00,000 @ 20%)	40,000
9,02,500 पर @ 30% कर	2,70,750
	31,0750
जोड़ियेः 4% स्वास्थ्य एंव शिक्षा उपकार	12,430
देय कर	3,23,180

नोटः धारा 80 G के अन्तर्गत छूट की गणना निम्न प्रकार की गयी हैः

कटौती योग्य राशि : (रू0 11,50,000 – (LTCG) Rs. 2,00,000) का 10 प्रतिशत = रू0 95,000 रू0

कटौतीः 95,000 रू0 का 50 प्रतिशत = 47,5000रू0

उदाहरणः 4

P एवं Q दो साझेदार है और इनका P.Q. कम्पनी जो एक सीमिति उदायित्व साझेदारी है में 1:2 अनुमान में भागीदारी है। सीमित साझेदारी दायित्व साझेदारी

(LLP) का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष मे लाभ–हानि खाता निम्न प्रकार है:

	(रू0)		(रू0)
विक्रय किये गये माल की लागत	12,00,000	विक्रय	23,25,000
कर्मचारियों का वेतन	3,00,000	धारा 48 के अनुसार दीर्घकालीन	
ह्रास	80,000	पूँजी लाभ	40,000
साझेदारों का पारिश्रामक:		अन्य व्यवसायिक प्रात्तियाँ	31,000
P	2,00,000		
Q	1,60,000		
पूँजी पर ब्याजl @ 14%:			
P	28,000		
Q	14,000		
अन्य व्यय	3,93,000		
शुद्ध लाभ	21,000		
योग	23,96,000	योग	23,96,000

अन्य सूचनायें:

i) LLP फर्म के रूप में स्थापित होने हेतु सभी कानूनी औपचारिकतायें पूरी करती है।

ii) धारा 80–1 B के अन्तर्गत LLP को छूट उपलब्ध (मान्य) नही होगी।

iii) LLP ने एक अधिसूचित सार्वजनिक धमार्थ न्यास को चेक द्वारा 80000 रू दान दिया जो कि अन्य व्ययों मे शमिल है।

iv) साझेदारों को वेतन एवं ब्याज साझेदारी संलेख के अनुसार दिये गये हैं।

v) धारा 32 के अनतर्गत ह्रास की मान्य छूट 78,000 रू है।

vi) P एवं Q की आय एवं विनियोग निम्न प्रकार है।

	P **रू0**	**Q** **रू0**
कम्पनी जमा पर ब्याज	30,000	15,000
भारत के बाहर पंजीकृत कम्पनी से लाभांश है	7,000	11,000
दीर्घकीलन पूँजी लाभ	2,80,000	30,000
अल्पकालीन पूँजी लाभ	3,000	(-) 6,000

लाटरी की जीत (आय)	4,000	-
नेशनल हाउसिंग बैक के आवस ऋण खाते में जमा राशि	-	60,000

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु LLP एवं साझेदारों की शुद्ध आय ज्ञात कीजिये तथा कुल आय पर कर दायित्व की गणना कीजिये।।

हलः

PQ Co. (LLP) कुल आय एंव कर दायित्व की गणना

(कर निर्धारण वर्श 2020–21)

	रू0
शुद्ध लाभ	21,000
समयोजनः	
ह्रास	2,000
साझेदारों का पारिश्रमिक	3,60,000
साझेदारों का ब्याज	6,000
अन्य व्यय (दान)	80,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	(-) 40,000
पुस्तक लाभ	4,29,000
घटाइये साझेदारों का परिश्रमिक	
आगणित राशि (3,47,400) अथवा संलेख के अनुसार पारिश्रमिक (3,60,000) जो कम हो ।	3,47,400
व्यवसायिक आय	81,600
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	40,000
सकल कुल आय	1,21,600
घटाइयेः धारा 80G के अर्न्तगत कौटाती (81,600 रू0 के 10% का 50%	4,080
शुद्ध आय	1,17,520
P Q Co. के कर की गणना	**रू0**
LTCG पर कर रू0 40,000 रु0 का 20%	8,000
77,520 रू0 पर 30% की दर से कर	23,256
	31,256
जोड़ियेः स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @ 4%	1,250
कर दायित्व	32,506
सन्निकटीकृत	32,510

P एवं Q की आय की गणना

(कर निर्धारण वर्श 2020–21)

व्यवसायिक आयः	रू0 (P)	रू0 (Q)
P. Q. Co. से पारिश्रमिक (3,47,000 रू0 20:16 में विभाजित)	1,93,000	1,54,400
ब्याज	24,000	12,000
व्यावसायिक आय	2,17,000	1,66,400
पूँजी लाभ दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन पूँजी लाभ	2,83,000	24,000
अन्य स्रोतो से आयः		
P: रू0 30,000 +रू0 7,000+ रू0 4,000	41,000	
Q:रू0 15,000 + % रू0 11,000		26,000
सकल कुल आय	5,41,000	2,16,400
घटाइयेः धारा 80C के अर्न्तगत कटौती	-	60,000
शुद्ध आय	5,41,000	1,56,400
दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर कर (2,80,000 रू0 का 20%)	56,000	-
लाटरी की जीत पर कर (4,000 रू0 का 30%)	1,200	-
शेंष राशि पर कर	350	-
योग	57,550	-
जोड़ियोंः स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @ 4%	2,302	-
कर दायित्व	59,852	-
सन्निकटीकृत	59,850	

नोटः Q की कुल आय 2,50,000, रू0 से कम है अतः कर दायित्व नही है। अतः कर दायित्व नहीं है।

उदाहरण 5

एक फर्म मे P, Q तथा R बराबर के साझेदार है वे गत–वर्ष 2019–20 हेतु निम्न सूचनायें प्रदत्त करते हैः

		रू0
व्यवसाय से लाभ (निम्न राशियों को घटाने के उपरान्त)		1,81,000
(i) P का वेतन		7,000
(ii) GST भुगतान न करने के कारण ब्याज का भुगतान		5,000
(iii) पूँजी पर ब्याज @ 12% ब्याज दर सेः		

P	5,000	
Q	4,000	
R	3,000	12,000
(iv) चेक द्वारा अनुमुदित संस्था को दान		4000
(v) वैज्ञानिक शोध संगठन को दान (लाभ हानि खाते में डेविट नहीं किया गया है)		20,000
अन्य आय:		
(a) दीर्घकालीन पूँजी लाभ		20,000
(b) प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)		
(c) मकान सम्पत्ति से आय (आगणित)		39,000
(d) भारतीय कम्पनीयों से सकल लाभांश		24,000
		10,500

फर्म की कर योग्य आय की गणना कीजियें और इसे साझेदारों में बँटिये। फर्म द्वारा धारा 184 की शर्ते पूर्ण की जाती है।

हल:

कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्श 2020–21)

	रू0
व्यवसाय से लाभ	1,81,000
जोडियेः अस्वीकृत व्यय	
P का वेतन	7,000
दान	4000
	1,92,000
घटाइयेः वैज्ञानिक शोध संगठन को दिये गये दान का 150%	30,000
पुस्तक लाभ	2,22,000
घटाइये: साझेदार का पारिश्रमिक (राशि निर्धारित सीमा से कम है)	7,000
व्यवसायिक आय	2,15,000

कर योग्य आय का विवरण

(कर निर्धारण वर्श 2020.21)

	रू0
मकान सम्मत्ति से आय	24,000
व्यवसाय से आय	2,15,000
पूँजी लाभ (दीर्घकालीन)	20,000
अन्य स्रोतो से आय:	39,000
प्रतिभूतियों पर ब्याज	
लाभांश–कर मुक्त	कर मुक्त
सकल कुल आय	2,98,000
घटाइयेः दान 4000 रू0 का 50 प्रतिशत	2,000
कर योग्य आय	2,96,000

साझेदार की आय का विवरण

(कर निर्धारण वर्श 2020–21)

	P (रू0)	Q (रू0)	R (रू0)
वेतन	7000	-	-
ब्याज	5000	4000	3000
लाभ में हिस्सा	करमुक्त	करमुक्त	करमुक्त
योग	12,000	4,000	3,000

उदाहरण 6

धारा 184 की शर्तों को पूरा करने वाली फर्म में X, Y तथा Z साझेदार है। Z गैर सक्रिय साझेदार है। उनका लाभ हानि अनुपात 3:2:1 है। 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता निम्न प्रकार हैः

विवरण	(डेविट)	विवरण	(क्रेडिट)
	रू0		रू0
अधिष्ठान व्यय (Establishment Expensess)	51,000	सकल लाभ	1,30,000
साझेदार को किराया	10,000	बैंक से ब्याज	4,000
साझेदार का वेतन		सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	6,000
X 35,000			
Y 25,000	60,000	शुद्ध हानि	60,000
पूँजी पर ब्याज (14%)			

X 7,000			
Y 5,600			
Z 1400	14,000		
साझेदार को अधिलाभ (बोनस):			
X 15,000			
Y 10,000			
Z 5,000	30,000		
पेशे पर कर	2,000		
आयकर	12,000		
आयकर हेतु प्रावधान	8,000		
मशीन के विक्रय पर हानि	8,000		
ह्रास	5,000		
योग	2,00,000	योग	2,00,000

a) अधिष्ठान व्यय में रू0 10,000 Z को भुगतान किया गया कमीशन तथा फर्नीचर के क्रय हेतु भुगतान रू0 2,000 सम्मिलित हैं।

b) जिस मशीन को गत वर्ष में रू0 10,000 में विक्रय किया गया है उसका 01.01. 2019 को अपलिखित मूल्य W.D.V. रू0 18,000 थी। नियमों के अधीन ह्रास हेतु 2,000 रू0 मान्य है।

c) फर्म की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु कुल आय की गणना कीजिए।

हल:

फर्म की कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

		रू0
शुद्ध हानि		(-) 60,000
जोड़िये: अमान्य व्यय	रू0	
साझेदार का वेतन	60,000	
साझेदारों का अधिलाभ (बोनस)	30,000	
Z का कमीशन	10,000	
	1,00,000	
साझेदारों को 12% से अधिक ब्याज (1000+800+200)	2,000	
आयकर	12,000	
आयकर हेतु प्रावधान	8,000	
मशीन के विक्रय पर हानि	8,000	
अतिरिक्त ह्रास (5000 - 2000)	3,000	

फर्नीचर क्रय किया	2,000	(+) 1,35,000
		75,000
घटाइयेः व्यवसाय शीर्षक के अन्तर्गत न करारोपित होने वाली आय		
बैंक से ब्याज	4,000	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	6,000	10,000
पुस्तक लाभ		65,000
घटाइयेः सक्रिय साझेदारों का पारिश्रमिकः		
(i) संलेख के अनुसार 85,000 रू0 X एवं Y को अथवा		
(ii) 65000 रू0 का 90% = 58,500 रू0 अथवा 1,50,000 रू0 जो अधिक हो उपरोक्त (i) अथवा (ii) में जो कम है घटाइये		85,000
व्यवसाय से हानि		(a) 20,000
अन्य स्रोतों से आयः		
बैंक से ब्याज		4,000
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज		6,000
		(b) 10,000
कुल सकल हानि (b-a)		10,000

नोटः

1) मशीन के विक्रय पर हानि अल्पकालीन पूंजी हानि है। यह माना गया है कि मशीन के इस ब्लाक में कोई अन्य मशीन नहीं है। क्योंकि कोई अन्य पूंजी लाभ नही है अतः इस अल्पकालीन पूंजी हानि को अगले 8 वर्षो में पूरा करने हेतु आगे ले जाया जायेगा।

2) सक्रिय साझेदारों का वेतन (X और Y) = X और Y का वेतन + X और Y का वेतन

उदाहरण 7

A, B तथा C एक फर्म में बराबर के साझेदार है। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु निम्न विवरण उपलब्ध हैः

(i) लाभ हानि खाते के अनुसार हानि	रू0	रू0
(साझेदार का पारिश्रमिक एवं पूंजी पर		4,84,000

ब्याज डेबिट करने के उपरान्त)

(ii) साझेदारों का पारिश्रमिकः

A	1,68,000	
B	1,68,000	
C	84,000	4,20,000

(iii) पूंजी पर ब्याजः

	1.4.2019 की तिथि पर पूँजी	ब्याज
A	1,00,000	12,000
B	2,00,000	24,000
C	1,00,000	12,000

यदि साझेदारों की अन्य कोई आय न हो तो कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु फर्म एवं साझेदारों की आय की गणना कीजिये।

हलः

फर्म की कुल आय की गणना

(कर निर्धारण वर्श 2020–21)

	रू0
लाभ–हानि खाते के अनुसार हानि	(-) 4,84,000
जोड़ियेः साझेदारों का पारिश्रमिक	(+) 4,20,000
पुस्तक लाभ	(-) 54,000
(i) पुस्तक लाभ का 90% अथवा 1,50,000 रू0 जो अधिक हो अथवा (ii) वास्तविक पारिश्रमिक 4,20,000 रू0 (उपरोक्त (i) अथवा (ii) में जो कम हो)	(-) 1,50,000
फर्म की हानि आगे ले गये	(-) 2,14,000

साझेदारों की आय की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

	A	B	C
	रू0	रू0	रू0
ब्याज	12,000	24,000	12,000
पारिश्रमिक 2:2:1	60,000	60,000	30,000
योग	72,000	84,000	42,000

उदाहरण 8

P, Q तथा R एक फर्म में साझेदार है और लाभ–हानि को 2:2:1 के अनुपात में बांटते है। कर निर्धारण वर्ष 2019.20 में फर्म को व्यवसाय से 2,25,000 रू0 की हानि हुई जिसे पूरा नहीं किया जा सका। 30.11.2019 का P की मृत्यु हो गयी और Q एवं R ने व्यवसाय जारी रखा। वर्ष 2019–20 हेतु फर्म का लाभ 1,35,000 रू0 था। फर्म की आय एवं अशोधित हानि की गणना कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु कीजिये।

हलः

आय एवं अशोधित हानि की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

	P	Q	R
	रू0	**रू0**	**रू0**
1.4.2019 से 30.11.2019 तक का लाभ	36,000	36,000	18,000
1.12.2019 से 31.03.2020 तक का लाभ	-	30,000	15,000
	36,000	66,000	33,000
घटाइयेः आगे लायी गयी हानि	90,000	90,000	45,000
हानि आगे ले गये	शून्य	(-) 24,000	(-) 12,000

नोटः मृतक साझे दार की हानि आगे नहीं ले जायी जा सकती है। अतः यह शून्य है।

उदाहरण 9

श्री आईविन, श्री यू बिन, तथा श्री हीविन एक फर्म में साझेदार है और उनका लाभ हानि अनुपात 5:3:2 है। फर्म के लाभ हानि खाते के अनुसार उसका 31 मार्च 2020 हेतु शुद्ध लाभ 3,00,000 रू0 था। फर्म के लाभ हानि खाते के डेविट पक्ष में निम्न सम्मलित था।

i) आई विन द्वारा 1 अप्रैल 2019 को 18,000 रू0 में क्रय की गयी मोटर साइकिल पर 3600 रू0 का ह्रास। मोटर साइकिल पूर्णतः फर्म के व्यवसाय हेतु प्रयोग की गयी। इस मोटर साइकिल के पेट्रोल एवं मरम्मत आदि के लिये 3600 रू0 प्रति वर्ष के हिसाब से आई विन को मोटर साइकिल भत्ता भी दिया गया।

ii) फर्म के एकाकी विक्रय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु श्रीमती शीविन जो यू विन की पत्नी है को 25,000 रू0 कमीशन दिया गया।

iii) फर्म द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल एक अपील हेतु श्रीमती हर विन जो कि ही विन की पत्नी है को न्यायालय में वकील के रूप में 3,000 रू0 भुगतान किया गया।

iv) वैज्ञानिक शोध पर 80,000 रू0 व्यय किये गये जिसमें 30,000 रू0, 30 सितम्बर 2019 को पूर्ण की गयी प्रयोगशाला के व्यय शामिल है।

v) फर्म द्वारा कर्मचारियों के मध्य परिवार नियोजन प्रोत्साहन पर 10,000 रू0 व्यय किये गये जिसमें से 5000 रू0 पूंजीगत व्यय है।

vi) जीवन बीमा निगम को प्रत्येक साझेदार के 25000 रू0 के बीमा हेतु 5:3:2 के अनुपात में 8000 रू0 का भुगतान किया गया।

फर्म की कुल आय का विवरण बनाइये तथा फर्म द्वारा अपनी कुल आय पर देय आयकर की गणना कीजिये।

हलः

फर्म की कुल आय की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

		रू0
लाभ–हानि खाते के अनुसार लाभ		3,00,000
जोडिये अमान्य मदें	Rs.	
(i) मोटर साइकिल का ह्रास	3,600	
(ii) परिवार नियोजन का पूंजीगत व्यय	5,000	
(iii) जीवन बीमा प्रीमियम	8,000	16,600
कुल आय		3,16,600
3,16,000 रू0 पर 30% आय कर		94,980
जोड़िये स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%		3,799
देयकर		98,779
सन्निकटीकृत 98780 रू0		

नोट :

1. धारा 32 के अन्तर्गत ह्रास मान्य नहीं होगा क्योंकि मोटर साइकिल फर्म की नहीं है।
2. मोटर साइकिल भत्ता धारा 40 (b) के अन्तर्गत नहीं आता। अतः यह लाभ–हानि खातें में सही रूप में दर्शाया गया है।
3. लाभ–हानि की गणना में साझेदारों की पत्नियों को कमीशन एवं फीस के रूप में दी गयी रकम कटौती योग्य मान्य है क्योंकि पत्नियों को भुगतान साझेदारों को नहीं है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी की सम्मत्ति में यह उचित राशि होनी चाहिये।
4. किसी गत वर्ष में किया गया सम्पूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के पूँजीगत व्यय लाभ की गणना में कटौती हेतु मान्य होते है।
5. धारा 37 (i) के अन्तर्गत परिवार नियोजन के कर्मचारियों के मध्य प्रोत्साहन हेतु व्यय कटौती हेतु मान्य होते है।
6. साझेदारों के जीवन पर फर्म द्वारा भुगतान किया प्रीमियम अमान्य होगा।

7. आई विन की कुल आय की गणना में मोटर साइकिल भत्ता शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि यह पूर्णतः व्यवसाय से सम्बन्धित मोटर साइकिल हेतु है।

उदाहरण 10

XYZ & Co. जो कि एक पेशेवर फर्म है और जिसमें X, Y, तथा Z साझेदार है का कर निर्धारण वर्ष 2020–21 रू0 सम्बन्धित गतवर्ष का लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है। सम्बन्धित गतवर्ष हेतु फर्म धारा 44 A के प्रावधानों के अर्न्तगत है:

	रू0		रू0
कार्यालय व्यय	70,000	पेशे से प्राप्तियाँ एवं फीस	2,50,000
सक्रिय साझेदार का परिश्रमिक	1,60,000	अन्य स्रोत से आय	80,000
साझेदारों के पूंजी पर ब्याज 10%	50,000	शुद्ध हानि	25,000
साझेदारी 10%			
ह्रास	75,000		
	3,55,000		3,55,000

अतिरिक्त सूचनायें:

1. धारा 36 एवं 37 के अन्तर्गत कार्यालय व्यय के 70,000 रू0 में 8500 रू0 घटाने योग्य नहीं है। धारा 32 के अन्तर्गत मान्य ह्रास की राशि 65,000 रू0।
2. कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु फर्म एवं साझेदारों की शुद्ध आय ज्ञात कीजिये। आप निम्न कल्पनायें कर सकते है:
   i) पारिश्रमिक एवं ब्याज का भुगतान साझेदारी संलेख के अनुसार किया गया है।
   ii) लाभ–हानि अनुपात 1:3:2 है।
   iii) साझेदारों की अन्य आय

	X	Y	Z
	रू0	रू0	रू0
(i) हिंदू अविभाजित परिवार की आय में हिस्सा	50,000	10,000	70,000
(ii) प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	40,000	20,000	18,000
(iii) व्यक्तियों के संघ से लाभ का आधा भाग	13,000	-	-

व्यक्तियों के संघ ने अपनी आय पर कर नहीं दिया है।

हल:

पुस्तक लाभ की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

		रू0
लाभ हानि खाता के अनुसार शुद्ध हानि		(-) 25,000
जोडिये: अमान्य राशियाँ	Rs.	
(i) व्यय	8,500	
(ii) ह्रास	10,000	
(iii) साझेदार का पारिश्रमिक	1,60,000	(+) 1,78,500
कुल आय		1,53,500
घटाइये गेर पेशेवर अन्य स्त्रोतों से आय		80,000
पुस्तक लाभ		73,500

फर्म की कुल आय की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

	रू0
पुस्तक लाभ	(+) 73,500
घटाइये साझेदारों का मान्य पारिश्रमिक पुस्तक लाभ 73,500 का 90% अथवा 1,50,000 जो अधिक हो अथवा वास्तविक पारिश्रमिक 1,60,000 रू0 जो कम हो।	(-) 1,50,000
पेशे से आय – हानि	(-) 76,500
अन्य स्रोतों से आय	(+) 80,000
फर्म की कुल आय/हानि	3,500

साझेदारों की आय की गणना:

(इस कल्पना के आधार पर कि साझेदारों में पारिश्रमिक एवं ब्याज बराबर–बराबर बांटी गयी है)

	X	Y	Z
	रू0	रू0	रू0
फर्म से पारश्रमिक	53,333	53,333	53,334
फर्म से ब्याज	16,666	16,667	16,666

प्रतिभूतियों पर ब्याज	40,000	20,000	18,000
व्यक्तियों के संघ के लाभ में हिस्सा	13001	-	-
सकल कुल आय	1,23,000	90,000	88,000
घटाइये कटौती	शून्य	शून्य	शून्य
कुल आय	1,23,000	90,000	88,000

उदाहरण 11

'X' एवं 'Y' ऐसी फर्म में साझेदार है जिसका कर निर्धारण फर्म की भांति होता है। लाभ–हानि का विभाजन 60% और 40% क्रमश करते है। फर्म द्वारा एक लघु स्तरीय औद्योगिक उपक्रम संचालित होता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु लाभ–हानि खाता निम्न प्रकार है:

विवरण	रू0	विवरण	रू0
वेतन एवं मजदूरी	5,00,000	सकल लाभ	14,50,000
विज्ञापन	2,00,000	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,00,000
यात्रा व्यय	1,50,000	अशोध्य ऋण वसूली	50,000
आयकर अभिलेख के अनुसार ह्रास	80,000		
चेक द्वारा अनुमोनित दान	70,000		
देय ब्याज	2,00,000		
सामान्य व्यय	4,00,000		
शुद्ध लाभ	3,00,000		
	19,00,000		19,00,000

अतिरिक्त सूचनायें:

i) 25% औद्योगिक उपक्रम की 25% प्लान्ट एवं मशीनरी पुरानी है।

ii) वेतन एवं मजदूरी में X एवं Y को क्रमशः भुगतान किये गये 90,000 रू0 एवं 60,000 रू0 सम्मलित है।

iii) देय ब्याज में निम्न सम्मलित है:

(a) X के अवयस्क पुत्र A द्वारा जमा राशि पर 15% से 30,000 रू0 का भुगतान। 30,000 रू0 ब्याज की राशि है।

(b) 12% की दर से Y को 30000 रू0 का भुगतान।

(c) औद्योगिक उपक्रम हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) से लिये गये ऋण पर 10,000 रू0 का देय ब्याज।

iv) यात्रा व्यय में X द्वारा व्यवसाय हेतु 15 दिवसीय यात्रा सम्मिलित है। इस यात्रा पर उसका होटल का व्यय 5000 रू0 प्रतिदिन था।

v) वेतन एवं ब्याज का भुगतान साझेदारी संलेख द्वारा अधिकृत है।

vi) Y का अवयस्क पुत्र B एक अन्य साझेदारी फर्म के लाभों में सम्मलित किया गया उसने उस फर्म से 40,000 रू0 वेतन एवं 15000 रू0 ब्याज के प्राप्त किये जिसमें से 10,000 रू0 वेतन के और 5000 रू0 ब्याज के फर्म हेतु अमान्य है।

vii) म्यूचल फण्ड से सकल आय X. 30,000 रू0, Y. 50,000 रू0।

viii) वित्तीय वर्ष 2019–20 में X ने 31.03.2020 को N.S.C. के VIII निर्गमन के क्रय में 40,000 रू0 लगाये तथा Y ने सार्वजनिक भविष्यनिधि में 60,000 रू0 जमा किये।

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु (a) फर्म की कुल आय की गणना कीजिये (b) फर्म की कुल आय पर उसके कर दायित्व की गणना कीजिये (c) साझेदार की कुल आय की गणना कीजिये।

हलः

फर्म की कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

	रू0
शुद्ध लाभ	3,00,000
जोडियेः अमान्य व्यय	
(i) X का यात्रा व्यय पूर्णतः मान्य है	
(ii) दान	70,000
(iii) IDBI को ब्याज–भुगतान (धारा 43 B में अमान्य)	10,000
(iv) साझेदार का पारिश्रमिक (रु. 90000+60000)	1,50,000
	6,30,000
घटाइये दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,00,000
पुस्तक लाभ	2,30,000
घटाइयेः साझेदार का पारिश्रमिक	
(i) 2,30,000 रू0 का 90% अथवा 1,50,000 रू0 जो अधिक हो अथवा (ii) वास्तविक पारिश्रमिक 1,50,000 रू0 उपरोक्त 1 एवं 2 में जो कम हो	1,50,000
व्यवसाय की आय	80,000
जोडियेः दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,00,000
सकल कुल आय	4,80,000
घटाइयेः धारा 80 G के अर्न्तगत दान	

योग्य राशि 70,000 रू0 का 10%	
कटौती 7000 रू0 का 50%	3,500
कुल आय	4,76,500

फर्म के कर दायित्व की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

	रू0
76,500 रू0 पर 30% से कर	22,950
दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर 4,00,000 रू0 का 20%	80,000
	102950
जोडियेः स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर 4%	4,118
कर दायित्व	1,07,068
सन्निकटीकृत रू0 107070	

साझेदारों की कुल आय की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

	रू0	रू0
फर्म में हिस्सा– धारा 10 (2 A) के अधीन कर मुक्त	-	-
पारिश्रमिक	90,000	60,000
Y की ब्याज जो फर्म को मान्य है	-	30,000
म्यूचल फण्ड से आय (कर मुक्त)	-	-
अवयस्क पुत्र की ब्याज की आय	30,000	10,000
	1,20,000	1,00,000
घटाइयेः धारा 10 (32) के अन्तर्गत अवयस्क पुत्र की आय	1,500	1,500
	1,18,500	98,500
घटाइयेः धारा 80 C के अन्तर्गत कटौती	40,000	60,000
	78,500	38,500

नोट– B के वेतन को Y की आय में नहीं जोड़ा जायेगा क्योंकि यह उसके स्वयं की परिश्रम से है।

उदाहरण 12

M/s A एवं B की फर्म जिसमें वे 3:2: अनुपात में लाभ–हानि का बंटवारा करते है उसका 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष का लाभ–हानि खाता निम्न प्रकार है:

विवरण	रू0	विवरण	रू0
विक्रय किये गये माल की लागत	6,45,000	विक्रय	1050000
साझेदारों को पारिश्रमिक	3,00,000	लाभांश	30,000
कर्मचारियों का पारिश्रमिक	1,50,000	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	1,80,000
साझेदारों को ब्याज	15,000		
अन्य व्यय	1,20,000		
अदत्त जी0एस0टी0	10,000		
शुद्ध लाभ	20,000		
	12,60,000		12,60,000

अतिरिक्त सूचनायें निम्न प्रकार है:

(1) अन्य व्ययों में निम्न सम्मिलित है:

(i) मनोरंजन व्यय 40,000 रू0

(ii) विक्रय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 10 ऐसे विक्रेताओं को जो निर्धारित विक्रय लक्ष्य से अधिक विक्रय करेंगे उन्हें प्रत्येक को 2500 रू0 प्रति मोबाइल की लागत की दर से मोबाइल दिये गये।

(iii) एक विज्ञापन एजेंन्सी को 35,500 रू0 नकद भुगतान किये गये।

(2) अदत्त जी0एस0टी0 का भुगतान 14 जुलाई 2020 को किया गया।

(3) फर्म का साझेदारी संलेख नहीं है।

(4) A एवं B की अन्य आय क्रमशः 1,00,000 रू0 एवं 81,000 रू0 है।

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु निम्न की गणना कीजिए।

(i) फर्म की कुल आय (ii) फर्म की कुल आय पर कर दायित्व।

हल:

(a) व्यवसाय की आय की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

			रू0
लाभ–हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ			20,000
जोडिये: अमान्य भुगतान:			
साझेदारों को ब्याज			15,000

मनोरंजन पूर्णतः मान्य			-
मोबाइल के विक्रय प्रोत्साहन व्यय (पूर्णतः मान्य)			-
रू0 35,500 का 100% नकद भुगतान			35,500
साझेदारों का पारिश्रमिक			30,0000
			3,70,500
घटाइयेः(i) लाभांश	30,000		
(ii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ	1,80,000		2,10,000
व्यवसाय की आय			1,60,500

(b) फर्म की आय की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

		रू0
व्यवसाय का लाभ		1,60,500
दीर्घकालीन पूँजी लाभ		1,80,000
अन्य स्रोतों के आय–लाभांश		करमुक्त
कुल आय		3,40,500

(c) फर्म के कर दायित्व की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

		रू0
(i) दीर्घकालीन पूँजी लाभ 1,80,000 रू0 का 20%		36000
(ii) अन्य आयें 160500 रू0 का 30%		48150
		84150
जोड़ियेः स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%		1926
कर दायित्व		86076
सन्निकटीकृत		86,080

टिप्पणीः यद्यपि फर्म धारा 184 की शर्तो को पूरा नहीं करती परन्तु फिर भी इसका कर निर्धारण फर्म की भाँति ही होगा। अतः साझेदारो का पारिश्रमिक एवं ब्याज कटौती हेतु मान्य नहीं होगा (फर्म की आय की गणन में)। इन भुगतानो को व्यापार एवं पेशे के लाभों की गणना में साझेदारो की आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

उदाहरण 13

L, P एवं J एक फर्म में साझेदार है और उनका लाभ–हानि अनुपात 7:5:3 है। गत वर्ष 2018–19 मं फर्म को 2,10,000 रू0 की हानि हुई।

30 नवम्बर 2019 को P ने अवकाश ग्रहण किया परन्तु L एवं J ने व्यापार 7:3 के लाभ हानि अनुपात में चालू रखा। 2019–20 के गत वर्ष में फर्म को 315000 रू0 का लाभ हुआ। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु फर्म का कर योग्य लाभ निश्चित कीजिये।

हल:

फर्म के कर योग्य लाभ की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

फर्म का लाभ रू0 3,15,000

1.4.2019 से 30.11.2019 तक का लाभ रू0 2,10,000

1.12.2019 से 31.03.2020 तक का लाभ रू0 1,05,000

साझेदारों का लाभ का हिस्सा:

	L	P	J
	रू0	रू0	रू0
अवकाश ग्रहण तिथि तक का लाभ 2,10,000 रू0 7:5:3 के अनुपात में	98,000	70,000	42,000
अवकाश ग्रहण के बाद का लाभ 10,50,000 रू0 7:3 के अनुपात में	73,500	-	31,500
	1,71,500	70,000	73,500
हानि: 7:5:3 (रू0 2,10,000)	98,000	70,000	42,000
	73,500	शून्य	31,500

		रू0
P के हानि के भाग की अधिकतम मान्य कटौती		शून्य
व्यवसाय से लाभ		3,15,000
घटाइये: हानि (98,000+शून्य+42,000)		1,40,000
व्यवसाय की आय (कुल आय)		1,75,000

उदाहरण 14

31 मार्च 2020 को A. Co. जिसमें A, B तथा C साझेदार है और जिसका कर निर्धारण फर्म की भाँति [Partnership firm assessed as such (PFAS)] होता है का 31 मार्च 2020 को लाभ–हानि खाता निम्न प्रकार है:

विवरण	रू0	विवरण	रू0
विक्रय किए गये माल की लागत	1,77,0000	विक्रय	30,00000
साझेदारों का पारिश्रमिक:		मकान सम्पत्ति का किराया (आधा भाग)	1,00,000
A	2,00,000	ऋण पत्रों पर ब्याज (सकल)	1,20,000
B	2,00,000		
C	2,00,000		

साझेदारों को ब्याज			
A	80,000		
B	80,000		
C	90,000		
मकान सम्पत्ति का नगर पालिका कर (सम्पूर्ण सम्पत्ति)	10,000		
अन्य व्यय	5,00,000		
शुद्ध लाभ	90,000		
	32,20,000		32,20,000

अन्य सूचनायें:

(i) जाँच से ज्ञात हुआ कि फर्म ने D से जो साझेदार A का भाई है से कच्चा माल क्रय किया। बिल की राशि 62000 रू0 थी (बाजार मूल्य 4,80,000 रू0) 5 अगस्त 2019 को बिल का नकद भुगतान किया गया।

(ii) 1 दिसम्बर 2019 को फर्म ने गत वर्ष 2018–19 हेतु 50,000 रू0 के अदत्त सीमा शुल्क का भुगतान किया। यह राशि 2018–19 के गत वर्ष से सम्बन्धित होने के कारण इसको लाभ हानि में डेविट नहीं किया गया है।

(iii) C सक्रिय साझेदार नहीं है। वेतन साझेदारी संलेख के अनुसार दिया गया है।

(iv) 35,000 रू0 का पूँजी पर ब्याज धारा 40 B के अन्तर्गत कटौती हेतु मान्य नहीं है।

(v) फर्म का एक मकान है जिसका भूतल व्यवाय में प्रयोग होता है और प्रथम खण्ड किराये पर उठा है। नगरपालिका कर 31.03.2020 को देय था जिसका भुगतान 1 जुलाई 2020 को किया गया।

(vi) फर्म ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में 20,000 रू0 चेक द्वारा दान दिया। यह 20,000 रू0 की राशि अन्य व्ययों में सम्मलित है और लाभ–हानि खाते में डेविट है।

साझेदारों की आय की आय की गणना कीजिये।

हल:

पुस्तक लाभ की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

		रू0
शुद्ध लाभ		90,000
जोड़िये अमान्य मदें:		
साझेदारों का पारिश्रमिक		6,00,000
साझेदारो ंको ब्याज के अधिक्य का भुगतान		35,000
किराये पर उठाये भाग (1/2) का नगर पालिका कर		5,000
भाई को अधिक्य का भुगतान		14,000
नगद भुगतान 48,000 रू0 का शत प्रितिशत अमान्य		48,000

दान		20,000
		(a) 8,12,000
घटाइयेः सीमा कर		50,000
किराया		1,00,000
ऋण पत्रों पर ब्याज		1,20,000
		(b) 2,70,000

पुस्तक लाभ (a - b)			5,42,000
घटाइये: साझेदारो ंका पारिश्रमिक			
(i) 3,00,000 रू0 पर 90% अथवा 1,50,000 रू0 (जो अधिक हो)	2,70,000		
+ 2,42,000 रू0 पर 60%	1,45,200		
	4,15,200		
अथवा			
(ii) संलेख के अनुसार 5,00,000 रू0 (जो (i) एवं (ii) में कम हो)			4,15,200
व्यवसाय की आय		(A)	1,26,800
मकान सम्पत्ति से आयः			
सकल वार्षिक मूल्य G.A.V. किराया			1,00,000
घटाइयेः नगर पालिका कर (अदत्त)			-
वार्षिक मूल्य			1,00,000
घटाइयेः वार्षिक मूल्य का 30%			30,000
		(B)	70,000

अन्य स्रोत से आयः			
ऋण पत्रों पर ब्याज		(C)	1,20,000

सकल कुल आय (A+B+C)		3,16,800
घटाइयेः धारा 80G के अन्तर्गत कटौतीः दान		20,000
कुल आय	(D)	2,96,800

साझेदारों की आय की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

	A	B	C
	रू0	रू0	रू0
1. ब्याज (14% अमान्य)	68800	68800	77400
2. A एवं B का पारिश्रमिक (2:2)	207600	207600	-
3. लाभ में हिस्सा–कर मुक्त	-	-	-
साझेदारों की कर योग्य आय	276400	276400	77400

17.23 सारांश

एक फर्म का फर्म के रूप में कर निर्धारण करने हेतु यह आवश्यक है कि उसका साझेदारी संलेख हो और उसमें प्रत्येक साझेदार का हिस्सा वर्णित हो। जिस कर निर्धारण वर्ष में प्रथम बार कर निर्धारण की मांग की गयी हो, उसके गत वर्ष हेतु फर्म की आय विवरणी के दाखिल करते समय साझेदारी संलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि भी दाखिल की जानी चाहिये। साझेदारों को पारिश्रमिक तथा ब्याज का भुगतान, साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत होना चाहिये। विधान में साझेदारों को देय पारिश्रमिक की एक सीमा निर्धारित है जिससे अधिक पारिश्रमिक का भुगतान करने पर वह अमान्य होगा चाहे भले ही वह साझेदारी संलेख द्वारा अधिकृत हो। ये सीमायें निम्न है:–

प्रथम 3,00,000 रू0 के पुस्तक लाभ पर अथवा हानि की दशा में– 1,50,000 रू0 अथवा पुस्तक लाभ का 90 प्रतिशत जो दोनों में अधिक हो। 3,00,000 रू0 से अधिक पुस्तक लाभ पर 60 प्रतिशत।

फर्म को धारा 184 एवं धारा 40 (b) के प्रावधानों का पालन करना होगा। यदि फर्म धारा 184 की शर्तो की पूर्ति नहीं करती है तो भी फर्म पर फर्म के रूप में कर लगेगा। परन्तु साझेदारों को पारिश्रमिक एवं ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। इसी प्रकार धारा 40 (b) के प्रावधानों के अनुसार ही कटौती मांगी जा सकती है।

फर्म की आय की गणना पुस्तक लाभ एवं लाभ–हानि खाते के समायोजन पर निर्भर है। यदि फर्म के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म का कर–निर्धारण पुर्नसंगठित स्वरूप के आधार पर किया जायेगा।

फर्म के विघटन अथवा व्यवसाय संचालन की समापन की दशा में फर्म की कुल आय पर कर निर्धारण यह मानकर किया जायेगा जैसे व्यवसाय का विघटन या संचालन समाप्त ही नहीं हुआ है तथा इस प्रकार के विघटन या व्यवसाय के संचालन की समाप्ति पर फर्म पर देय कर, दण्ड अथवा ब्याज के लिये साझेदार संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप में उत्तरदायी होंगे।

साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार (परन्तु धारा 40 (b) के प्रावधानों से अधिक नहीं) यदि साझेदारों का वेतन, अधिलाभ, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक का भुगतान

किया जाता है तो फर्म से साझेदारों की आय की गणना करते समय ये आयें साझेदारों की व्यवसाय से आय मानी जायेगी न कि वेतन शीर्षक की आय। यदि साझेदारी संलेख, पूँजी पर ब्याज तथा ऋण पर ब्याज की अनुमति देता है तो इन्हें फर्म के लाभ से घटाने की अनुमति होगी परन्तु ब्याज की दर 12 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि फर्म द्वारा किसी साझेदार के भवन में व्यवसाय किया जाता है तथा साझेदार को इसका किराया दिया जाता है, तो यह किराये का भुगतान फर्म का मान्य व्यय होगा।

फर्म की हानियों को, आयकर नियमों के अधीन भविष्य में पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है। एक साझेदार द्वारा फर्म की हानि में अपने हिस्से को अपनी अपनी आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

कर का भुगतान भौतिक रूप (Physical Mode) में अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके (E-Payment Mode) से किया जा सकता है। जिस फर्म का आयकर अधिनियम को धारा 44 AB के अन्तर्गत अपने खातों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है उसको अपने कर का भुगतान भी ई–भुगतान रूप (E-Payment Mode) द्वारा करना अनिवार्य है। एक फर्म आयकर कानून के अन्तर्गत अग्रिम कर भुगतान के लिये भी उत्तरदायी होती है।

एक फर्म को लाभ हो अथवा हानि, दोनों ही परिस्थितियों में उसे आय की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य होता है। यदि आयकर विवरणी की ई–फाइलिंग (E-Filing) की जाती है तो सभी फर्मो के लिये इस पर डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) करना अनिवार्य नहीं है परन्तु यदि फर्म द्वारा धारा 44 AB के प्रावधानों के अन्तर्गत विवरणी दाखिल की जाती है तो उस पर डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) होने चाहिये।

17.24 शब्दावली

1. **साझेदारी :** भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिये सहमत हों और जिसका संचालन उन सभी के द्वारा अथवा इन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है।

2. **साझेदार :** वह सभी व्यक्ति जो साझेदारी में एक दूसरे के साथ सम्मलित होकर व्यवसाय की लाभ हानि को एक दूसरे के साथ बांटते है, साझेदार कहलाते है।

3. **फर्म :** साझेदारी में व्यक्तिगत रूप से इसका प्रत्येक सदस्य साझेदार एवं सामूहिक रूप से फर्म के नाम से जाने जाते है। जिस नाम से व्यवसाय का संचालन किया जाता है उसे फर्म का नाम माना जाता है।

4. **सक्रिय/कार्यरत साझेदार :** यह फर्म का वह साझेदार होता है जो फर्म के व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से कार्य करता है। एक निष्क्रिय/गैर कार्यरत (Non-working) साझेदार फर्म के क्रिया–कलापों में भाग नहीं लेता है।

5. **पुस्तक लाभ :** धारा 30 से धारा 44 D के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित गत वर्ष हेतु लाभ–हानि खाते द्वारा आगणित शुद्ध लाभ की रकम को पुस्तक लाभ (Book Profit) कहते है। यदि शुद्ध लाभ की गणना करते समय सभी साझेदारों को दिये

गये पारिश्रमिक का योग घटा दिया गया हो तो ऐसे कुल पारिश्रमिक को पुस्तक लाभ की गणना हेतु शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाता है।

6. **सीमित दायित्व वाली साझेदारी [Limited Liability Partnership (LLP)]:** सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP) वह साझेदारी होती है जो सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 की धारा 2 के अनुसार बनाई एवं पंजीकृत की गयी हो। इस प्रकार सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP) एक समामेलित समूह है जिसका समामेलन सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अन्तर्गत होता है। सीमित दायित्व साझेदारी का अस्तित्व वैधानिक रूप से इसके साझेदारों से पृथक होता है। सीमित दायित्व साझेदारी का दायित्व उसकी सम्पूर्ण सम्पत्तियों तक होता है परन्तु साझेदारों का दायित्व सहमति के आधार पर उनके अंशदान (Contribution) तक सीमित होता है। अतः सीमित दायित्व साझेदारी में कम्पनी/निगमित (Corporate) ढ़ांचे एवं साझेदारी फर्म ढ़ांचे दोनों के ही तत्व (विशेषतायें) सम्मलित होते हैं।

7. **अनुकल्पी न्यूनतम कर [Alternate Minimum Tax (AMT)]:** अनुकल्पी न्यूनतमक कर (AMT) के प्रावधान सभी साझेदारी फर्म पर प्रभावी होते है। धारा 115 JC के अनुसार फर्म द्वारा देय कर समायोजित कुल आय के 18.5 प्रतिशत + (अधिभार + स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत) से कम नहीं हो सकता। सभी साझेदारी फर्म जिसमें सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म भी सम्मलित है, जब तक समायोजित कुल आय का 18.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से कर का भुगतान नहीं करती, वे धारा 80 HH से धारा 80 RRB तक में उपलब्ध कटौतियों की मांग नहीं कर सकती अर्थात धारा 80 HH से धारा 80 RRB की कटौतियाँ नहीं मिलेगी।

8. **समायोजित कुल आय (Adjusted Total Income):** समायोजित कुल आय = कर योग्य आय + यदि कोई हो तो अध्याय VI A की धारा 80 H से धारा 80 RRB (धारा 80 P को छोड़कर) के अन्तर्गत मांगी गयी कटौती+धारा 10 AA के अन्तर्गत कटौती (यदि कोई हो)+ धारा 35 AD के अन्तर्गत कटौती (यदि कोई हो)– नियमित मान्य ह्रास।

9. **आय विवरणी की ई–फाइलिंग (E-filing of Return of Income):** जब आय की विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक विधि (Electronic Mode) द्वारा दाखिल किया जाता है तो इसे आय विवरणी की ई–फाइगि कहा जाता है।

17.25 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न क

(a) सत्य (b) सत्य (c) असत्य (d) असत्य

ख

1) (i) b (ii) b (iii) a (iv) a (v) a

2) (a) 30% (b) सामान्य साझेदारी फर्म (c) एक करोड़
(d) 12% प्रति वर्ष (e) 12% प्रति वर्ष

3) (a) सत्य (b) असत्य (c) असत्य (d) सत्य (e) सत्य

ग

(a) सत्य (b) सत्य (c) असत्य (d) सत्य

17.26 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1) फर्म का साझेदार कौन हो सकता है? एक सक्रिय एवं निष्क्रिय साझेदार में अन्तर कीजिये।

2) फर्म के कर निर्धारण के सम्बन्ध में पुस्तक लाभ को उदाहरण साहित समझाइये।

3) फर्म की कुल आय की गणना विधि की प्रक्रिया समझाइये। इस प्रकार की गणना का एक प्रारूप दीजिये (बनाइये)।

4) धारा 40 (b) के अन्तर्गत फर्म की व्यापार एवं पेशे से आय की गणना में कौन सी मदें कटौती हेतु अमान्य है?

5) फर्म के कर निर्धारण से सम्बन्धित धारा 184 के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिये।

6) फर्म द्वारा आय की विवरणी दाखिल करने से सम्बन्धित नियमों को पूर्णतः समझाइये।

7) निम्न सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु फर्म की कुल आय तथा उसके द्वारा देय कर की गणना कीजिये।

		रू0
(i)	एक औद्योगिक उपक्रम का लाभ	35,000
(ii)	कांच के व्यवसाय का लाभ	25,000
(iii)	अल्पकालीन पूँजी लाभ	20,000
(iv)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	40,000
(v)	बैंक से ब्याज	6,000
(vi)	मकान सम्पत्ति से 10,000 रू0 की हानि (यह हानि मकान निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज के कारण है)	
(vii)	अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था को चेक से दिया गया दान	15,000

उत्तर.: (a) कुल आय रू0 1,12,200 (b) कर दायित्व रू0 30850

8) चार्टर्ड एकांउटेंट की फर्म कमल एण्ड कम्पनी का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि खाता निम्न प्रकार है।

	रू0		रू0
व्यय	85,000	अंकेक्षण फीस	80,000
ह्रास	40,000	कर से संबन्धित सलाह देने से प्राप्ति	62,000
साझेदारों की पूंजी पर ब्याज	8,000	शुद्ध हानि	58,000
साझेदारों का पारिश्रमिक	67,000		
	2,00,000		2,00,000

अतिरिक्त सूचनायें:

(i) व्यय के 85,000 रू0 में शामिल 16,000 रू0 धारा 36, 37 (i) तथा 43 (b) के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है।

(ii) धारा 32 के अधीन मान्य ह्रास 42000 रू0।

(iii) धारा 40 (b) के अधीन ब्याज के 800 रू0 तक कटौती योग्य नहीं है।

साझेदारों के संदर्भ में कटौती योग्य पारिश्रमिक एवं धारा 40 (b) के अधीन पुस्तक लाभ की गणना कीजिये।

उत्तरः पुस्तक लाभ 23,800 रू0, मान्य पारिश्रमिक 67,000 रू0

9) X, Y एवं Z एक फर्म में बराबर के साझेदार है। गत वर्ष हेतु फर्म की आय का विवरण निम्न है:

		रू0
(a)	व्यवसाय से आय (साझेदारों का पारिश्रमिक डेविट करने के उपरान्त)	3,00,000
(b)	दीर्धकालीन पूँजी लाभ	1,20,000
(c)	बैंक जमा पर ब्याज	50,000
(d)	साझेदारों का पारिश्रमिक	1,80,000
(e)	अशोधित ह्रास	30,000
(f)	व्ययवसाय की हानि आगे लाये	3,00,000
(g)	विशिष्ट सम्पत्तियों में विनियोजन से पूँजी लाभ	35,000
(h)	पूंजी लाभ खाता योजना 1988 में जमा की गई राशि	45,000

उत्तरः (a) पुस्तक लाभ रू0 4,50,000 (b) कुल आय रू0 60,000

(c) कर दायित्व रू0 14,560.

10) साझेदारी फर्म X, Y और Co. कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु नित्न विवरण प्रदत्त करती है:

	रू0	रू0
निम्न को डेबिट करने के उपरान्त लाभ–हानि खाते के अनुसार हानि	1,50,000	
(a) साझेदारों का पारिश्रमिक:		

	X	90,000	
	Y	60,000	
	Z	30,000	1,80,000
(b)	पूँजी पर ब्याज 16% की दर से		
	X	20,000	
	Y	24,000	
	Z	18,000	62,000
(c)	एकस्व अधिकार प्राप्त किया		1,00,000
(d)	चेक द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया गया दान		20,000
(e)	प्रारम्भिक व्ययों का भुगतान		20,000
साझेदार का पारिश्रमिक साझेदारी संलेख के अनुसार है			
फर्म की कुल आय की गणना कीजिये			

उत्तरः पुस्तक का लाभ रू0 156500, कुल आय – शून्य

11) बोस एण्ड कम्पनी लोहे एवं अन्य धातु के सामान का कारोबार करती है तथा 40,00,000 रू0 की बिक्री दर्शाती है। उसके द्वारा क्रय 42,50,000 रू0 है। उसके अन्तिम रहतियाँ का मूल्य (a) लागत के आधार पर 10,00,000 रू0 तथा (b) बाजार दर के अनुसार 9,00,000 रू0 था।

उनके स्थापना एवं अन्य व्यय 2,50,000 रू0 के थे। व्ययों में निम्न सम्मलित हैः

	रू0
अशोध्य ऋण	12,000
अशोध्य ऋण संचय	6000
चेक द्वारा राजनैतिक दल को चन्दा	3000
मनोरंजन व्यय	6000
पेशा कर	1000
व्यापारिक रहतिये की चोरी से हानि	5000
उनके द्वारा अपरे स्वामित्व वाले व्यवसायिक स्थल के मालिकाना हक के बचाव की वैधानिक लागत	7250
मोटर बेचने से हानि। मोटर का अपलिखित ह्रासित मूल्य 47,000 रू0 था और उसका विक्रय 40,000 रू0 में किया गया।	7000

इनके पार अन्य मोटर है जिसका ह्रासित मूल्य 77,000 रू0 है। इस पर 15%. ह्रास का प्रावधान करना है।

फर्म की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

उत्तरः कर योग्य आय 4,00,400 रू0।

12) A, B तथा C एक फर्म में बराबर के साझेदार है। संलेख के अनुसार निम्न को घटाने के पश्चात उसके 31.03.2020 को लाभ हानि खाता के द्वारा प्रदर्शित 99,750 रू0 का लाभ है:

(i) A एवं B को क्रमशः 17,000 रू0 एवं 18,000 रू0 का वेतन

(ii) C को अधिलाभ (Bonus) 15,000 रू0

(iii) 20% की दर से आगणित A को पूँजी पर ब्याज 5,000 रू0

(iv) B को व्यवसायिक प्रांगण के किराये हेतु किया गया भुगतान 15,000 रू0

(v) C को 5,000 रू0 का कमीशन

यह मानते हुये कि यह एक पेशेवर फर्म है तथा सभी साझेदार सक्रिय है, कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु फर्म के पुस्तक लाभ एवं कुल आय की गणना कीजिये।

उत्तर : (a) पुस्तक लाभ रू0 1,56,750

(b) कुल आय रू0 1,01,750

13) 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु मेसर्य एक्स वाई पोटरी वर्क्स का लाभ–हानि खाता निम्न है:

	रु.		रु.
स्कन्ध	1,50,000	विक्रय	4,50,000
क्रय	1,30,000	स्कन्ध	25,000
दण्ड एवं जुर्माना	59,000	मकान सम्पत्ति से किराया	12,000
कार्यालय व्यय	4000		
विक्रय व्यय	10,000		
साझेदारों को ब्याज	6,000		
शुद्ध लाभ	1,28,000		
	4,87,000		4,87,000

i) X की पूँजी पर 8% की दर से 6000 रू0 ब्याज का भुगतान किया गया।

ii) दण्ड एवं जुर्माना कच्चे माल के अवैध क्रय–विक्रय के कारण लगाया गया है।

iii) X एवं Y को देय पारिश्रमिक क्रमशः 2,00,000 रू0 एवं 1,00,000 रू0 को लाभ–हानि खाते में डेविट नहीं किया गया है।

iv) X एवं Y को दिये पारिश्रमिक क्रमशः 2,00,000 रू0 एवं 1,00,000 रू0 को लाभ–हानि खाते में डेविट नहीं किया गया है।

v) X एवं Y फर्म में बराबर के साझेदार है।

फर्म द्वारा देय कर एवं साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिये।

उत्तर : (a) पुस्तक लाभ रू0 1,75,000

(b) सकल कुल आय G.T.I. रू0 25,900

(c) देयकर 8,081 रू0 अथवा सन्निकटीकृत 8,080 रू0

(d) साझेदार की आय X-1,11,000 रू0 Y- 52,500 रू0

14) X, Y एवं Z एक फर्म में साझेदार है और जो लाभ को क्रमशः 2/5, 2/5 तथा 1/5 में बांटते है। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु लाभ–हानि खाता निम्न प्रकार हैः

		रू0		रू0
विविध व्यापारिक व्यय		1,22,000	सकल लाभ	4,88,200
पूँजी पर ब्याज @ 13%			" प्रतिभूतियों पर ब्याज	
X 13,000			सकल	10,000
Y 6,500				
Z 6,500		26,000		
" Y को किराया		20,000		
" Y को वेतन		72,000		
" Z का कमीशन		36,000		
" शुद्ध लाभ		2,22,200		
		4,98,200		4,98,200

फर्म की कुल आय तथा साझेदारों की कर योग्य आय की गणना कीजिये। Y एवं Z सक्रिय साझेदार है।

उत्तर : (a) पुस्तक लाभ 3,22,200 रू0

(b) व्यवसाय की आय 2,14,200 रू0

(c) कुल आय 2,24,200 रू0

(d) साझेदारों की कर योग्य आय

(X-12,000 रू0, Y-78,000 रू0 तथा Z-42,000 रू0)

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

इकाई 18 आय की विवरणी दाखिल करना तथा आयकर पदाधिकारी

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य

18.1 प्रस्तावना

18.2 आय की विवरणी

18.2.1 आय का विवरणी प्रस्तुत करना [धारा 139(I)]

18.2.2 विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथियाँ

18.2.3 केन्द्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को आय के प्रतिफल की आवश्यकता से मुक्त करने का अधिकार (धारा 139(1c))

18.2.4 स्थायी खाता संख्या (पैन) [धारा 139 (a)]

18.2.5 आधार नम्बर अंकित करना [धारा 139(aa)]

18.2.6 कर विवरणी बनाने वालों द्वारा विवरणी दाखिल करने की नयी योजना [धारा 139(b)]

18.2.7 विवरणी के सही फार्म का चयन [नियम 12]

18.2.8 आय की विवरणी देर से दाखिल करना [धारा 139(4)]

18.2.9 आय की संशोधित विवरणी [धारा 139(5)]

18.2.10 आय की विवरणी का दोषपूर्ण होना [धारा 139(9)]

18.2.11 बोर्ड द्वारा दस्तावेज रहित विवरणी दाखिल करने की सुविधा [धारा 139(C)]

18.2.12 हानि की विवरणी [धारा 139(3)]

18.3 कर-निर्धारण के प्रकार

18.3.1 स्वयं कर–निर्धारण

18.3.2 अग्रिम कर और देय तिथियों की किस्त [धारा 211]

18.3.3 नियमित कर निर्धारण

18.3.4 सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण [धारा 144]

18.3.5 पुनः कर निर्धारण [धारा 147]

18.3.6 परोटेक्टिव कर निर्धारण

18.4 विवरणी का ई-फाइलिंग/प्रत्याय दाखिल करना [धारा 139(d)]

18.5 आयकर पदाधिकारी

18.5.1 विवरणी का सत्यापन [धारा 140]

18.5.2 देर से दाखिल की गई विवरणी का परिणाम

18.5.3 विवरणी में गलत सूचना देने का परिणाम

18.6 सारांश

18.7 शब्दावली

18.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

18.9 स्व–परख प्रश्न/अभ्यास

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

18.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- विवरणी के निर्धारित फार्म का चुनाव तथा उसे दाखिल करने की निर्धारित तिथियाँ जान सकेंगे।
- आय की विवरणी में दी जाने वाली सूचनाओं की सूची,
- आय की विवरणी के देर से दाखिल करने पर तथा गलत सूचना देने के परिणाम के बारे में जान सकेंगे।
- विवरणी की कार्यविधि के विभिन्न चरणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- आयकर पदाधिकारियों की सूची एवं उनके कार्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना

पूर्व की इकाई में आपकों आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के आधार पर कुल आय की गणना के सम्बन्ध में बताया गया है। कुल आय की गणना के पश्चात् इसकी सूचना आयकर पदाधिकारियों को दी जाती है तथा आयकर का भुगतान किया जाता है। प्रस्तुत इकाई में आपको आय की विवरणी दाखिल करने की विधि तथा आयकर अधिकारियों द्वारा कर–निर्धारण की विधि के सम्बन्ध में बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको आयकर पदाधिकारियों तथा उनके कार्यो की जानकारी दी जाएगी।

18.2 आय की विवरणी

आयकर दायित्व के निर्धारण के लिए प्रत्येक ऐसे करदाता को जिसकी कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा (कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए रू0 2,50,000/–, रू0 3,00,000/– रू0, 5,00,000/–) से अधिक हों, एक निर्धारित फार्म पर, निर्धारित तिथि तक, अपने आय की विवरणी को आयकर अधिकारी के पास दाखिल करना आवश्यक है। आय की विवरणी के आधार पर ही कुल आय का निर्धारण करके करदाता द्वारा देय आयकर या उसको वापस मिलने वाली कर राशि (Refund of tax) का निर्धारण किया जाता है। करदाता द्वारा विवरणी जमा करने पर आयकर पदाधिकारी उसमें दी गयी सूचनाओं को सत्य मानते हुए आयकर की राशि का निर्धारण कर सकते हैं। अथवा अन्य परिस्थितियों में आयकर पदाधिकारी करदाता को यह आदेश दे सकते हैं कि वह विवरणी में दी गई सूचनाओं की पुष्टि के लिए समुचित साक्ष्य (Evidence) प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त आयकर पदाधिकारी स्वयं करदाता की विवरणी के सम्बन्ध में जांच कर सकते हैं, या करदाता से पूछ सकते हैं या करदाता को अन्य सूचना देने के लिए आदेश दे सकते हैं। ताकि कर योग्य आय का निर्धारण किया जा सके। उपरोक्त जानकारी के पश्चात् आयकर पदाधिकारी करदाता द्वारा विवरणी में दिखाई गई कुल आय में आवश्यक संशोधन करते हैं।

18.2.1 आय का विवरणी प्रस्तुत करना

धारा 139 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के पास कुल आय से अधिक आय की उसकी वापसी को प्रस्तुत करने के दायित्व के तहत न्यूनतम कर योग्य सीमा है। यदि

व्यक्ति अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो वह आय की विवरणी को प्रस्तुत करेगा।

18.2.2 विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथियाँ (Due Dates for Filing the Return)

धारा 139 (1) में करदाता द्वारा आयकर कार्यालय में विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि के बारे में बताया गया है। आय की विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि का निर्धारण करदाता की स्थिति (Status), आय के स्रोत, अर्थात् (आय व्यापार या पेशे से आय है) या इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से है तथा खातो का अंकेक्षण होने या न होने के आधार पर होता है। आय की विवरणी जमा करने की निर्धारित तिथियाँ निम्न हैं:–

		करदाता का वर्गीकरण	सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष की अंतिम तिथि
(a)	i)	कम्पनी	30 सितम्बर
	ii)	कम्पनी के अलावा अन्य कोई एसा व्यक्ति है, जिसके खाते इस अधिनियम के अन्तर्गत अंकेक्षित होते हैं	
	iii)	फर्म का एक क्रियाशील साझेदार जिसके खाते इस अधिनियम के अन्तर्गत अंकेक्षित होते हैं।	
	iv)	एक व्यक्ति जिसको अपनी आय की विवरणी आर्थिक आधारों (Economic indicators) के आधार पर दाखिल करनी होती है।	
(b)		यदि करदाता को अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विशिष्ट घरेलू व्यवहारों के लिये धारा 92 E के अन्तर्गत रिपोर्ट दाखिल करनी हो।	30 नवम्बर
(c)		अन्य किसी भी करदाता की दशा में।	31 जुलाई

विवरणी का दाखिल होना

i) धारा 139 (i) के अर्न्तगत सभी कर दाताओं को जिनकी गत वर्ष की कुल आय अधिकतम कर मुक्त सीमा से अधिक है अनिवार्यतया आय की विवरणी दाखिल करनी होगी।

ii) यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आय कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है तो ऐसी दशा में भी आय की विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

iii) आय की विवरणी (i) निर्धारित फार्म में, (ii) देय तिथि या उसके पूर्व, एवं (iii) निर्धारित ढंग से सत्यापित एवं हस्ताक्षरित करके आय कर कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

iv) यदि विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि पर अवकाश हो तो अवकाश की तिथि से अगले दिन को विवरणी दाखिल करने की अंतिम कुछ शर्तो के अधीन विवरणी देने में किया जा सकता है।

करदाता द्वारा देय आयकर के निर्धारण में सर्वप्रथम प्रतिवर्ष आय की विवरणी दाखिल की जाती है। विवरणी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अतः इसको दाखिल करते समय समुचित सावधानी रखना आवश्यक है। विवरणी में गलत सूचना देने पर या किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने पर करदाता केवल अर्थदंड देने के लिए ही उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उस पर सापराध (Criminal) मुकदमा चलाया जा सकता है।

18.2.3 केन्द्र सरकार ने किसी भी व्यक्ति को आय के प्रतिफल की आवश्यकता से मुक्त करने का अधिकार (धारा 139(1)

धारा 1391C के तहत केन्द्र सरकार किसी भी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों को अधिकारिक गजट में अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के आधार पर आय की वापसी से छूट देती है।

18.2.4 स्थाई खाता संख्या (पैन) [धारा 139 A]

प्रत्येक करदाता को आयकर विभाग की ओर से एक स्थायी संख्या (Permanent Account Number) आवंटित की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 139 A के अनुसार यदि किसी करदाता की कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो तो उसे अपने क्षेत्र के आयकर कार्यालय में स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन पत्र देना चाहिए। स्थायी खाता संख्या उल्लेख आय की विवरणी पर तथा आयकर विभाग के साथ किए गए प्रत्येक पत्र व्यवहार में होना चाहिये। स्थायी खाता संख्या आवंटन से पूर्व करदाताओं का सामान्य सूचक रजिस्टर संख्या (General Index Register Number or GIR Number) दिया जाता था पर अब धीरे–धीरे सभी करदाताओं को स्थायी खाता संख्या आवंटित करके भविष्य में सामान्य सूचक रजिस्टर संख्या को समाप्त कर दिया जाएगा।

स्थायी खाता संख्या विवरण को पहचानने के लिए, कर अदायगी के लिए एवं करदाता से प्राप्त पत्राचार के लिए एवं इन सभी को कर–निर्धारण रिकार्ड के साथ जोड़ता है जिससे वापसी क्लेम करने में शीघ्रता आती है। स्थायी खाता संख्या 10 शब्दों एवं अंकों का होता है। नियम 114 B में वर्णित व्यवहारों के प्रपत्रों पर पैन संख्या का उल्लेख अनिवार्य है। इन व्यवहारों में से कुछ निम्न प्रकार हैः–

i) किसी बैंक बचत एवं डाकघर बचत में 50,000 रू0 से अधिक जमा करने पर

ii) किसी भी समय 50000 रू0 से अधिक का किसी होटल/रेस्टोरेण्ट के बिल का भुगतान करने पर

iii) 10,00,000 रू0 अथवा इससे अधिक की अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय

iv) डी मैट खाता खोलने के लिए

v) किसी बैंक में खाता खोलने पर

vi) किसी भी बैंक में 50,000 रू0 या इससे अधिक की सावधि जमा करने पर

vii) मोटर वाहन के क्रय–विक्रय पर

viii) विशिष्ट मदो/सेवाओं/व्यक्तियों को छोड़कर, किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं का 2,00,000 रू0 से अधिक का क्रय–विक्रय

18.2.5 आधार नम्बर अंकित करना [धारा 139(aa)] (Quoting of Aadhar Number)

धारा 139 AA के अधीन एक व्यक्ति को 01.07.2018 से निम्न दशाओं में आधार नम्बर लिखना आवश्यक है:

i) स्थाई खाता संख्या (PAN) प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देने पर।

ii) आयकर विवरणी को भरते समय आधार नम्बर का उल्लेख करना।

एक व्यक्ति को आधार नम्बर प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र देने पर एक नामांकन संख्या (Enrolment ID No.) दिया जाता है। जब तक ऐसे व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या (PAN) न प्राप्त हो जाये, उस समय तक वह उपरोक्त वर्णित नामांकन संख्या (Enrolment ID No.) का प्रयोग स्थायी खाता संख्या के स्थान पर करेगा।

प्रत्येक व्यक्ति को आधार नम्बर निर्धारित प्राधिकारी को करना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के अन्तर्गत सूचित करना आवश्यक है।

निर्धारित समय के अन्तर्गत आधार नम्बर सूचित न करने पर आवंटित की गयी स्थायी खाता संख्या (PAN) अमान्य मानी जायेगी तथा अधिनियम की अन्य व्यवस्थायें लागू होगी और यह माना जायेगा जैसे स्थायी खाता संख्या (PAN) के लिये आवेदन ही नहीं किया गया।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों या वर्गो या राज्य या राज्य के किसी भाग पर धारा 139 AA के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

18.2.6 कर विवरणी बनाने वालों द्वारा विवरणी दाखिल करने की नयी योजना (New Scheme for submission of return through Tax Return Preparers) [Section 139(b)]

धारा 139 (b) के अन्तर्गत बोर्ड के नियमों के अनुसार किसी आय विवरणी तैयार करने हेतु कुछ विशिष्ट वर्ग/वर्गो के व्यक्ति की सुविधा की व्यवस्था की गयी है। ऐसे वर्ग/वर्गो के व्यक्ति विवरणी तैयार करके उसे (विवरणी को) जमा भी कर सकते है। विवरणी बनाने वाले व्यक्ति द्वारा विवरणी बनाने में किस तरीके का प्रयोग करेंगे, यह भी इस धारा के अन्तर्गत बताया गया है साथ ही विवरणी बनाने वालों को विवरणी पर अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे। इस योजना के अन्तर्गत विवरणी बनाने वाली की योग्यता, उनकी आचार संहिता तथा उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों पर लागू नहीं है जिनके खातों का कर अंकेक्षण अथवा अन्य किसी कानून के अधीन अंकेक्षण किया जाता हों

18.2.7 विवरणी के सही फार्म का चयन (Section of correct form of Return Rule 12)

आयकर विभाग द्वारा 07 प्रकार की विवरणी निर्धारित की गई है। एक करदाता द्वारा विवरणी का चुनाव करदाता की स्थिति (Status) तथा उसके आय के स्त्रोतों के आधार पर किया जाता है।

सारणी 18.1: आयकर विवरणी (ITR) के प्रकार

आयकर विवरणी	विवरणी प्रयोगकर्ता
आयकर विवरणी–1 (सहज)	वेतन शीर्षक से आय वाले व्यक्तियों हेतु/एक मकान सम्पत्ति (जो कि गत वर्ष से आगे लाई गयी हानि न हो)/अन्य स्त्रोतों से आय (जो कि हानि नहीं होनी चाहिये) तथा लाटरी एवं घुड़दौड़ की आय नहीं होनी चाहिये।
आयकर विवरणी–2	व्यक्तियों तथा संयुक्त हिन्दू परिवार जिनकी व्यापार अथवा पेशे की आय न हो। यद्यपि उनकी अन्य आय के शीर्षकों में आय हो सकती है।
आयकर विवरणी–2A	जिन व्यक्तियों ने हिन्दु अविभाजित परिवार की व्यापार अथवा पेशे एवं पूंजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत आप प्राप्त नहीं होती है।
आयकर विवरणी–3	ऐसे व्यक्तियों एवं संयुक्त हिन्दू परिवारों हेतु जो फर्म में साझेदार हो परन्तु वह फर्म के कारोबार में कार्य नहीं करते और न ही लाभ प्राप्त करते है। वह वेतन, कमीशन, बोनस, ब्याज तथा पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते है।
आयकर विवरणी–4	यह विवरणी उन व्यक्तियों और संयुक्त हिन्दू परिवारों के लिये है जिनके एकल स्वामित्व के अन्तर्गत व्यवसाय अथवा पेशे से आय है।
आयकर विवरणी–4 (सुगम)	इस फार्म का उपयोग उन व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों फार्म (लिमिटेड लाइबिलिटि पार्टनरशिप को छोडकर) के लिये है जिनकी अधिनियम की धारा 44 AD, तथा 44 AE के अन्तर्गत आय होती है।
आयकर विवरणी–5	यह फार्म सिर्फ फर्म, सीमित दायित्व वाली साझेदारी, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संघ, सहकारी समितियों, कृतिम वैधानिक व्यक्तियों एवं स्थानीय सत्ताओं (व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार या जिनके ऊपर आई.टी.आर.–7 लागू नहीं है) द्वारा प्रयोग में लाया जायेगा।
आयकर विवरणी–6	उन कम्पनियों को छोड़कर जो धारा 11 के अन्तर्गत छूट मांगती है, शेष सभी कम्पनियों द्वारा इस विवरणी का प्रयोग हो सकता है।
आयकर विवरणी–7	इस विवरणी का प्रयोग कम्पनी करदाता सहित उन व्यक्तियों के द्वारा किया जायेगा जिन्हें अधिनियम की धारा 139 (4A), (4B), (4C), (4D) के अन्तर्गत आय का विवरण देना आवश्यक हो।
आयकर विवरणी–V	जब आयकर विवरणी 1, 2, 3, 4, 5 में दी गयी आय अथवा सीमान्त लाभों से सम्बन्धित सूचनायें बिना डिजिटल (Digital) हस्ताक्षर के इलेक्ट्रोनिकली (Electronically) सम्प्रेषित की गयी हो तब इस फार्म की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त फार्म आयकर कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। वैकल्पिक रूप में इस फार्मो को वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते है।

18.2.8 आय की विवरणी देर से दाखिल करना (धारा 139 (4)) (Related Return 139(4)

यदि करदाता द्वारा उसको स्वीकृत समय में, अपनी आय का विवरण दाखिल नहीं करता है तो वह किसी भी गत वर्ष की 'आय की विवरणी' सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से पूर्व अथवा कर निर्धारण पूर्ण होने से पहले (जो दोनों में पहले हो) प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन उसे इसके लिए विलम्ब की अवधि के लिए ब्याज चुकाना होगा। यह ब्याज धारा 234 A अथवा 234 F अथवा दोनों के अधीन हो सकता है।

18.2.9 आय की संशोधित विवरणी (धारा 139 (5)) (Revised Return Sec 139(5)

यदि किसी व्यक्ति को आय की विवरणी जमा करने के बाद ऐसी जानकारी होती है कि विवरणी में कोई भूल या त्रुटि हो गई है तो वह सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व अथवा सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद एक वर्ष के अन्दर जो भी तिथि पहले आये किसी भी समय दूसरी संशोधित विवरणी को भरकर जमा कर सकता है। संशोधित विवरणी दाखिल करते ही मूल विवरणी वापस ली गयी मान ली जाती है और संशोधित विवरणी मूल विवरणी के रूप में मान ली जाती है।

18.2.10 आय की विवरणी का दोषपूर्ण होना (धारा 139 (9)) (Defective return Sec. 139(9)

यदि कर–निर्धारण अधिकारी की सम्मति में करदाता द्वारा जमा की गयी आय की विवरणी दोषपूर्ण है तो वह करदाता को दोष सुधारने के लिए सूचना देगा तथा सूचना से 15 दिन के अन्दर उस दोष को सुधारने का अवसर प्रदान करेगा। यदि करदाता आय की विवरणी को तिथि के बाद अर्थात् निर्धारित अवधि के बाद जमा करता है तो उसके द्वारा जमा आय की विवरणी अवैध मानी जायेगी तथा यह माना जायेगा कि करदाता आय की विवरणी दाखिल/जमा करने में असफल रहा है। यदि करदाता 15 दिन की निर्धारित अवधि के बाद परन्तु कर निर्धारण से पूर्व विवरणी दाखिल करता है तो कर अधिकारी विलम्ब को क्षमा कर सकता है और विवरणी को वैध मान सकता है।

18.2.11 बोर्ड द्वारा दस्तावेज रहित विवरणी दाखिल करने की सुविधा (Facility of Annexure Less Returns (Sec 139(c)]

प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसी एक वर्ग या व्यक्तियों के लिये यह नियम बना सकता है कि वह अधिनियम के प्रवधान के अधीन अपनी विवरणी के साथ दस्तावेज, विवरण, प्राप्ति रसीद, प्रमाण–पत्र, अंकेक्षण रिपोर्ट या अन्य किसी चाहे गये दस्तावेजों को संलग्न न करें। यद्यपि उक्त सभी दस्तावेजां को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18.2.12 हानि की विवरणी (धारा 139 (3)) (Return of Lossses)

आयकर अधिनियम की धारा 139 (3) के अन्तर्गत हानि की दशा में विवरणी को दाखिल करना अनिवार्य नहीं है लेकिन अगर विवरणी देय तिथि तक दाखिल नहीं की गयी है तो हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

उदाहरण 1

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्रीमती रिचा की धारा 234A के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं से देय ब्याज की गणना कीजिए।

विवरणी दाखिल करने की तिथि	20 जनवरी 2020
विवरणी की देय तिथि	31 जुलाई 2019
स्रोत पर कर की कटौती	4,000 रू0
अग्रिम कर का भुगतान	9,000 रू0
स्वयं कर–निर्धारण पर कर का भुगतान	3,000 रू0
आय के निर्धारण के आधार पर भुगतान योग्य कर	25,200 रू0

हलः

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्रीमती ऋचा के व्याज की गणना

	रु.	रु.
भगुतान योग्य कर		25,200
शेषः अग्रिम कर का भुगतान		9,000
स्रोत पर कर की कटौती	4,000	13,000
देय कर		12,200

विवरणी को दाखिल करने में की गई देरी के लिए 12,200 रू0 पर 1 प्रतिशत प्रति माह और महिने के भाग पर ब्याज वसूल किया जाएगा।

विवरणी दाखिल करने में देरी 5 महीनें 20 दिन अर्थात् 6 महिने

इसलिए भुगतान योग्य ब्याज $\frac{12,200\times1\times6}{100} = 732$ रू0

नोटः स्वयं कर–निर्धारण पर कर का भुगतान धारा 234 ए के अन्तर्गत ब्याज की गणना करने के लिए नहीं घटाया जाएगा।

18.3 कर–निर्धारण के प्रकार

18.3.1 स्वयं कर निर्धारण

यद्यपि एक वित्तीय वर्ष (जिसे गत वर्ष कहा जाता है) की आय ठीक अगले वित्तीय वर्ष (कर–निर्धारण वर्ष) में करयोग्य होती है परन्तु आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर वास्तव में गत वर्ष के अंतर्गत ही एकत्रित कर लिया जाता है। कर का गत वर्ष में ही भुगतान अस्थायी होता है क्योंकि अंतिम रूप से कर–निर्धारण सम्बन्धी कर–निर्धारण वर्ष में होता है और निर्धारित की गई कुल करदेयता में से गत वर्ष में ही अग्रिम भुगतान की गयी आयकर की राशि को घटाकर शेष करदेयता निकाली

जाती है या करदाता को वापस मिलने वाली कर राशि की गणना की जाती है। गत वर्ष में ही आयकर को निम्न दो तरीकों से एकत्रित किया जाता है:

i) **उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती (Tax Deduction at Source ot T.D.S.): धारा 190**

उद्‌गम स्थान पर कटौती का तात्पर्य एक आय को भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान से पूर्व देय आय में से निर्धारित आयकर घटाकर शेष राशि का भुगतान करना है। इस प्रकार की कर की कटौती वेतन, प्रतिभूतियों पर ब्याज, अन्य ब्याज, बीमा कमीशन, लाभांश, लाटरियों से जीत, घुड़दौड़ से जीत इत्यादि की राशि में से की जाती है तथा भुगतान करने वाला व्यक्ति कर की राशि काटकर भुगतान करता है तथा काटी गई कर राशि को सरकारी खजाने में जमा कर देता है। यदि लॉटरी जीतने वाली राशि 10,00,000 सकल श्री 'A' को देय है जोकि भारत के निवासी हैं, फिर लॉटरी जीतने पर उसके स्रोत पर कर की कटौती 30% होगी यानि 30,000 रुपये।

करदाता की आय पर आयकर उदगम स्थान पर कटौती की दर पर लगाया जायेगा और इस तरह कर को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जायेगा।

a) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति, हिन्दु अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समूह (AOP)/BOI व्यक्तियों का निकाय, साझेदारी फार्म आदि के मामले सबन्ध में अधिभार लगाया जायेगा।

b) कुल आय रुपये 1 करोड से अधिक होने पर आय पर कर का 2% अधिभार लगाया जायेगा।

c) आयकर की एक समान दर पर वेतन से आय को छोड़कर सभी आय पर उदगम के स्थान पर कर की कटौती होगी कर की कटौती करते समय स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू नहीं होता है यह केवल 4% पर लागू होता है। यदि भुगतान अनिवासी को किया जाता है।

ii) **कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax)**

यदि करदाता को ऐसे स्रोतों से आय प्राप्त होती है जहाँ स्रोत पर आयकर काटने का प्रावधान न हो तो ऐसी स्थिति में करदाता को अपनी आय पर अग्रिम कर का भुगतान करना पड़ता है। अग्रिम कर के लिए करदाता को गत वर्ष में होने वाली कुल आय का अनुमान लगाकर उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित आयकर की दर से देय आयकर की गणना करनी पड़ती है। कुल देय आयकर की राशि में से स्रोत पर काटी गई कर राशि को घटाकर अग्रिम कर की राशि निकाली जाती है तथा उसका भुगतान निम्न लिखित दी सारणी 18.2 में दी गई तिथियों तक कर दिया जाता है:

18.3.2 अग्रिम कर और देय तिथियों की किस्त (धारा 211(a))

धारा 44 AD अथवा 44 ADA के अन्तर्गत आने वाले करदाताओं को छोड़कर शेष सभी करदाता (धारा 211 को संदर्भित) अग्रिम कर का भुगतान गत वर्ष में 4 किस्तों में करेंगे। विभिन्न किश्तों की तिथियाँ एवं देय राशि निम्न प्रकार है:–

सारणी 18.2 : अग्रिम कर की निर्धारित तिथियां

किस्त की देय तिथि	देय राशि
15 जून या इससे पूर्व	अग्रिम कर की राशि का कम से कम 15 प्रतिशत
15 सितम्बर या इससे पूर्व	आयकर की राशि का कम से कम 45 प्रतिशत पहली किस्त की चुकाई गयी राशि घटाकर (45–15) 30 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
15 दिसम्बर या इससे पूर्व	अग्रिम कर की राशि का कम से कम 75 प्रतिशत पहली एवं दूसरी किस्त की राशि घटाकर (75–45) 30 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
15 मार्च या इससे पूर्व	अग्रिम कर की राशि का शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) पूर्व की किस्तों में चुकाई गयी राशि घटाकर(100–75) 25%

क्रदाता द्वारा अग्रीम कर का भुगतान जो कि धारा 44AD था 44 ADA के अन्तर्गत आता हो (धारा 211 (b))

जो करदाता धारा 44 AD अथवा 44 ADA के अन्तर्गत आच्छादित होते है, उन्हें अग्रिम कर की सम्पूर्ण राशि का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 मार्च अथवा उससे पूर्व करना होगा।

प्रथम एवं द्वितीय अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान के पश्चात करदाता अपनी चालू आय के पुर्नअनुमान के आधार पर शेष अग्रिम कर की किस्तों की राशि घटा या बढ़ा सकता है। इस स्थिति में पूर्व की किस्तों के भुगतान में कमी पर ब्याज देनी होगी।

18.3.3 नियमित कर–निर्धारण (Regular Assessment)

करदाता द्वारा जमा की गयी आय की विवरणी के आधार पर, आयकर अधिकारी कर का निर्धारण कर सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए :

i) आय की विवरणी के आधार पर यदि कोई कर अथवा उस पर ब्याज की रकम करदाता पर निकली हैं तो उसके भुगतान हेतु करदाता को सूचना भेजी जायेगी।

ii) यदि करदाता ने अधिक रकम जमा कर दी है तो इसके लिए 'वापसी' भेजी जायेगी।

समायोजनः उपर्युक्त कर की अतिरिक्त रकम अथवा वापसी की रकम की गणना करने से पूर्व कुछ समायोजन किये जायेंगे।

i) गणितीय अशुद्धियों एवं अशोधित हानि में सुधार।

ii) आगे लाई गई हानियाँ, कटौतियाँ व छूटें जिनकी मांग की गई है।

समायोजन करने के बाद अगर करदाता के द्वारा आय की विवरणी में घोषित आय में वृद्धि हो जाती है तो कर–निर्धारण अधिकारी निम्न को ध्यान में रखेगा।

i) बढ़ी हुई आय पर निर्धारित दर से कर–निर्धारण करेगा।

ii) समायोजन के बाद अगर हानि कम हो जाती है या हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है तो कर–निर्धारण अधिकारी उसकी कुल आय अथवा हानि और कर को निर्धारित करेगा तथा सही कर का निर्धारण करके लिखित देगा।

iii) यदि कोई समायोजन नहीं आवश्यक हो तो, विवरणी की पावती ही इस बात की सूचना मानी जायेगी कि न तो कोई राशि करदाता द्वारा देय है, और न उसे कोई वापसी होगी।

18.3.4 सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण (धारा 144) (Best Judgement Assessment)

कर–निर्धारण अधिकारी सभी सम्बन्धित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए आय अथवा हानि का अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता द्वारा भुगतान किये जाने वाले कर का निम्न स्थिति में निर्धारण करेगा।

i) जब व्यक्ति विवरणी जमा करने में असफल रहता है।

ii) जब व्यक्ति नोटिस की शर्ते पूरी नहीं करता है।

iii) जब कोई व्यक्ति विवरणी दाखिल करने के बाद, नोटिस धारा 143/2 की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे सबूत और दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है।

iv) जहाँ कर निर्धारण अधिकारी खातों की सत्यता एवं उचित होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट न हो।

v) जहाँ कर निर्धारण अधिकारी आश्वस्त हो कि लेखों की निरन्तर कोई उचित विधि नही अपनायी गई है।

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के परिणाम :

i) कर की वापसी अस्वीकृत की जा सकती है।

ii) करदाता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

iii) उप–आयुक्त की पूर्व–अनुमति से उसका पंजीयन रद्द किया जा सकता है।

iv) डिप्टी कमिश्नर (अपील) के समक्ष सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विपरीत अपील किए जाने के मामले में करदाता को नए सबूत पेश करने से रोका जाता है।

उपायः

i) करदाता सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण के विरूद्ध उप–आयुक्त (अपील) के यहाँ अपील कर सकता है।

ii) अगर निर्णय उप–आयुक्त (अपील) के द्वारा किया गया है तो करदाता आयुक्त (अपील) के यहाँ अपील कर सकता है।

iii) अगर निर्णय आयुक्त (अपील) के द्वारा किया गया है तो करदाता अपीलेट ट्रिब्युनल में अपील कर सकता है।

iv) मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जा सकता है।

नोटः– करदाता को सुनवाई का अवसर दिये बगैर सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

18.3.5 पुनः कर–निर्धारण (धारा 147) (Re-assessment Sec.(47)

यदि कर–निर्धारण अधिकारी को किसी कारण से यह विश्वास हो जाय कि करदाता का कर–निर्धारण करते समय किसी गत वर्ष की आय, कर लगने से छूट गई है तो वह पुनः कर का निर्धारण कर सकता है। पुनः कर–निर्धारण करने से पूर्व कर–निर्धारण अधिकारी करदाता की अपनी आय की विवरणी जमा करने हेतु एक नोटिस जारी करेगा। कर–निर्धारण अधिकारी को ऐसा करने के लिए कारण रिकार्ड करने होंगे।

उदाहरण 2

कर–निर्धारणी अधिकारी ने श्रीमती ऊषा को धारा 148 के अर्न्तगत कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 की आय का निर्धारण जो कि उसके अनुसार कर–निर्धारण होने से छूट गयी थी करने का नोटिस जारी किया।

ऐसे निर्धारण की कार्यविधि के दौरान उसको निम्नलिखित जानकारी हुई :–

i) कुछ अन्य आय जो की उसी कर–निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित थी तथा कर–निर्धारण होने से छूट गयी थी।

ii) कुछ आय जो कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 से सम्बन्धित थी कर–निर्धारण होने से छूट गयी थी।

इस सम्बन्ध में कर–निर्धारण अधिकारी को क्या कार्यवाही करनी चाहिए।

हल :

धारा 148 के अन्तर्गत अन्य नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है और

i) वह ऐसी आय को उस आय के साथ कर निर्धारण कर सकता है जिस आय की कार्यविधि चल रही है।

ii) कर–निर्धारण अधिकारी को धारा 148 के अर्न्तगत अलग नोटिस जारी करना पड़ेगा।

18.3.6 परोटेक्टिव कर–निर्धारण (Protective Assessment)

जब प्रथम दृष्टिकोण में यह मालूम न हो सके कि वास्तव में आय किस व्यक्ति ने प्राप्त की है और यह प्रतीत हो कि या तो आय 'ए' ने अथवा 'बी' ने अथवा दोनों ने प्राप्त की है तो कर–निर्धारण अधिकारी 'ए' एवं 'बी' दोनों के खिलाफ आय का कर–निर्धारण करने की कार्यविधि प्रारम्भ कर सकता है ताकि वह उनमें से किसी एक को कर चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहरा सके। इस प्रकार के कर–निर्धारण में करदाता से कर की वसूली नहीं की जा सकती।

बोध प्रश्न क

निम्न कथन सत्य हैं, अथवा असत्य बताइए

i) वेतन भोगी करदाताओं के लिए आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 31 मई है।

ii) एक करदाता जिसके पास क्रेडिट कार्ड है आय की विवरणी दाखिल करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

iii) अगर आय की विवरणी देय तिथि के बाद दाखिल किया जाता है तो ब्याज 1% प्रति माह की दर से चार्ज किया जायेगा।

iv) सहज फार्म 2E है।

18.4 विवरणी का ई-फाइलिंग/प्रत्याय दाखिल करना

धारा 139(d), बोर्ड निम्नलिखित के लिए नियम प्रदान कर सकता है :

i) किसी भी वर्ग या व्यक्तियों का वर्ग को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों की श्रेणी या वर्ग आवश्यक होंगे। (ii) प्रपत्र और इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। (iii) दस्तावेज, बयान, रसीदें, प्रमाण पत्र, या लेखा परीक्षित रिपोर्टें जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिर्टन के साथ दाखिल नहीं हो सकती है, लेकिन मूल्यांकन अधिकारी की मांग पर उसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। (iv) कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिर्टन दाखिल किया जा सकता है। वर्तमान में, बोर्ड न उपर्युक्त तर्ज पर नियमों को बनाया और तदनुसार निर्दिष्ट, आंकलन किया है कि करदाता का धारा 44 AB के अन्तर्गत रोकना है और सभी कंपनियां अपने रिर्टन ई–फाइल में जमा करेगी।

18.5 आयकर पदाधिकारी (Tax Authorities)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (The Central Board of Diret Taxes) केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्यक्ष करों कानूनों (Direct Taxes) के प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है।यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत रास्व विभाग (Department of Revenue) का एक भाग के रूप में कार्य करता है। बोर्ड के 6 सदस्य तथा एक अध्यक्ष (Chairman) होता है। यह मुख्य आयकर आयुक्तों तथा आयकर आयुक्तों का कार्यक्षेत्र निर्धारित करता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सहायता इससे संलग्न कार्यालयों द्वारा होती है जो विभिन्न महानिदेशक (Director General) के देख–रेख में कार्य करते हैं इस प्रकार के महानिदेशालय निम्न है।

i) आयकर निदेशालय (Directorate of Income Tax)

ii) लेखा–परीक्षा निदेशालय (Directorate of Audit)

iii) अनुसंधान, सांख्यिकी तथा जन–सम्पर्क निदेशालय (Directorate of Research, Statistics and Public Relations)

iv) प्रबंध सेवा निदेशालय (Directorate of Management)

v) व्यवस्था निदेशालय (Directorate of Systems)

vi) अन्वेषण निदेशालय (Directorate of Investigation)

vii) वसूली निदेशालय (Directorate of Recovery)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वास्तव में कर सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण करता है। जिसको अनेक अधिकारियों द्वारा कार्य रूप में लाया जाता है, जो निम्न चार्ट आयकर समाकन को से स्पष्ट है–

चार्ट 18.1 : आयकर पदाधिकारी की संरचना

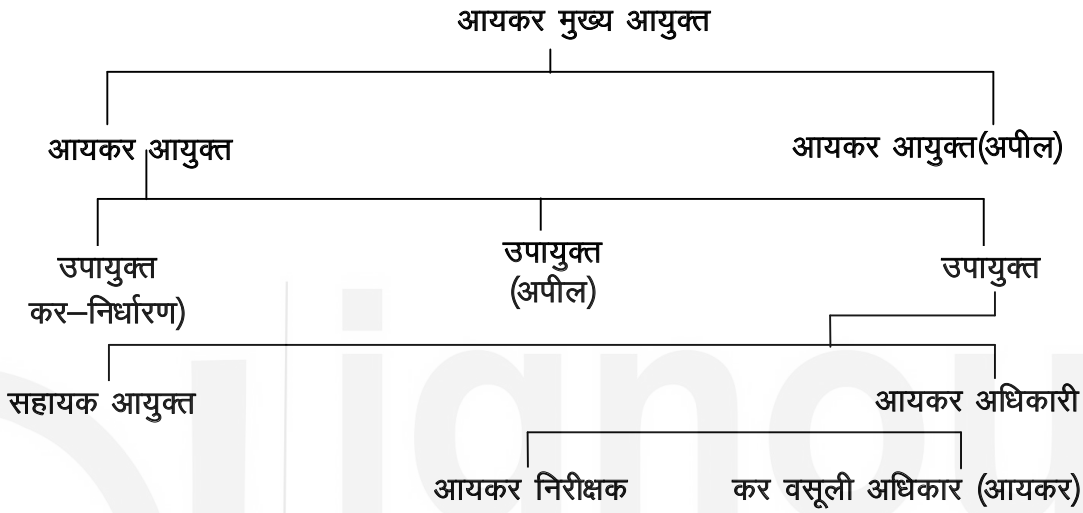

उपरोक्त आयकर पदाधिकारियों के कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. **आयकर निरीक्षक (Inspector)** : ये कराधान अधिकारी की सहायता के लिए सर्वोक्षण और पूछतांछ के मामले में बाहरी कर्तव्यों के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है।

2. **आयकर अधिकारी (Income Tax Officer)** : आयकर अधिकारी कर–निर्धारण सम्बन्धित सौपे गए कार्यक्षेत्र के भीतर इसका कार्यक्षेत्र आय की विवरणी, मूल्यांकन, संग्रह कर की वसूली तथा इससे सम्बन्धित अन्य कार्य के लिए ज़िम्मेदार होता है।

3. **उपायुक्त (Deputy Commissioner)** : उपायुक्त का मुख्य कार्य सहायक आयुक्तों तथा आयकर अधिकारियों के कार्यो का निरीक्षण करना तथा उन्हें आवश्यक निर्देश देना होता है।

   उपआयुक्त (करनिर्धारण), उपयुक्त वह अधिकारी है, जिनके लिए महत्वपूर्ण मामलों को मूल्यांकन और अन्य संबंधित मामलों के लिए सौपा गया है।

   उपायुक्त (अपील) सहायक आयुक्तों और आयकर अधिकारियों के ऐसे आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है और फैसला करता है जैसे कि सीबीडीटी तय कर सकता है।

4. **आयकर आयुक्त (Income Tax Commissioner)** : आयुक्त अपने अधीन कार्यरत उपायुक्तों के कार्यो का निरीक्षण करता है तथा मुख्य आयुक्त के द्वारा अपनी रिपोर्ट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को देता है। वह अपने अधीन कार्यरत

उपायुक्तों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करता है। आयकर आयुक्त, उपायुक्त (अपील) के न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

5. **आयकर आयुक्त अपील (Income Tax Commissioner Appeal)** : राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण करदाताओं की अपील आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा सुनी तथा निश्चित की जाती है जबकि कम महत्वपूर्ण अपीलों की सुनवाई उपायुक्त (अपील) द्वारा की जाती है।

6. **आयकर मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner of Income Tax)** : मुख्य आयुक्त केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा आयकर आयुक्तों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह अपने क्षेत्र में आयकर के प्रबंध तथा प्रशासन का कार्य करता है।

18.5.1 विवरणी का सत्यापन

किसके द्वारा सत्यापित किया जाना है [धारा 140]

आय की विवरणी दाखिल करने के बाद उसमें दी गई सूचनाओं के सही होने का सत्यापन होना आवश्यक है। सूचनाओं के सत्यापन के दौरान यदि वे गलत पाई जाती हैं तो करदाता इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। रिटर्न में दी गई जानकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अंत में सत्यापित किया जाना आवश्यक है कि यह सत्य और दोष रहित है। सत्यापन एक प्रतिज्ञान है और यदि यह गलत पाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

धारा 140 में निधार्रित किया रिर्टन करदाता द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

1. *किसी व्यक्ति के स्थिति में* a) व्यक्ति स्वयं, b) अधिकृत व्यक्ति की ओर से, यदि वह भारत में नहीं रहता है, तो c) अभिभावक या उसकी ओर से अधिकृत सक्षम व्यक्ति द्वारा, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम है।

2. *हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में* – कर्ता द्वारा या परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा, अगर भारत में कर्ता मौजूद नहीं है या मानसिक रूप से अक्षम है।

3. *कंपनी की स्थिति में* – प्रबंध निदेशक या किसी निदेशक द्वारा यदि प्रबंध निदेशक कुछ वैध करणों की वजह से रिर्टन का सत्यापन नहीं कर पाता है।

4. *फर्म की स्थिति में* – प्रबंध साझेदार या किसी अन्य सझेदार को (नाबालिग नहीं होने पर), अगर प्रबन्ध साझेदार किसी भी अपरिहार्य कारणों से सत्यापन कने में सक्षम नहीं है;

5. *सीमित देयता साझेदारी स्थिति में* – नामित साझेदार या किसी अन्य साथी द्वारा अगर नामित साझेदार किसी भी कारण से सत्यापित करने में सक्षम नहीं है;

6. *स्थानीय प्राधिकारी की स्थिति में* – प्रमुख अधिकारी द्वारा;

7. *राजनीतिक दल के स्थिति में* – पार्टी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा;

8. *किसी अन्य एसोसिएशन की स्थिति में* – प्रमुख अधिकारी द्वारा या एसोसिएशन के किसी सदस्य द्वारा।

सत्य होने के अतिरिक्त विवरणी में दी गई सूचनाओं का पूर्ण होना भी आवश्यक है। ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाना नहीं चाहिए जिसका सम्बन्ध करदाता की करयोग्य आय से हो तथा जिसका प्रभाव करदेयता के निर्धारण पर पड़ता हो। अतः विवरणी दाखिल करते समय जहाँ भी आवश्यक हो, सूचना से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरणस्वरूप विभिन्न शीर्षकों की आय के साक्ष्य के रूप में करदाता को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

वेतन

a) पारिश्रमिक के सम्बन्ध में नियोक्ता का प्रमाण–पत्र

b) नियोक्ता द्वारा स्रोत पर काटे गए कर का प्रमाण पत्र

मकान संपत्ति से आय

a) विवरणी में दिखाई गयी आय की गणना करने की विधि

b) भुगतान किए गए ब्याज का विवरण

व्यापार या पेशे से आय

a) यदि व्यापार या पेशे में नियमित लेखा बही रखी गयी हो–

i) निर्माण या व्यापार खाते (Manufacturing of Trading Account) की प्रति।

ii) लाभ–हानि खाते (Profit and Loss Account) की प्रति।

iii) आर्थिक चिट्ठे (Balance Sheet) की प्रति।

iv) ह्रास के दावे का विवरण।

v) यदि खाते अंकेक्षित हो तो अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति।

vi) भुगतान किए गए विभिन्न करों का विवरण

ख) यदि व्यापार में नियमित लेखा बही न रखी जाती हो:

i) कुल आय की गणना की विधि का विवरण

ii) ह्रास के दावे का विवरण।

अन्य स्रोतों से आय

a) लाभांश से आय के सम्बन्ध में लाभांश वारंट तथा स्रोत पर काटे गए कर का विवरण।

b) ब्याज से आय के सम्बन्ध में ब्याज वारंट या ब्याज की आय के विवरण के साथ स्रोत पर काटे गए कर का विवरण

c) रायल्टी, लाटरी से जीत की राशि, पुनः किराए पर उठाए गए मकान की संपत्ति से आय के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण के साथ स्रोत पर काटे गए आयकर का विवरण।

पूँजी लाभ

a) पूँजी लाभ तथा उसकी गणना की विधि का विवरण।

b) पूँजी लाभ तथा हस्तांतरण मूल्य के पुनः विनियोग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, ताकि पूँजी लाभ के सम्बन्ध में आंशिक या पूर्ण कर छूट ली जा सकें

c) विशिष्ट बैंकों में पूँजी लाभ के जमा करने का प्रमाण–पत्र।

सभी दशाओं में (In all cases)

पाठ VI A (Chapter VI A) के अन्तर्गत माँगी गयी कटौतियों के सम्बन्ध में साक्ष्य (Evidence) देना अथवा माँगे जाने पर देना आवश्यक होता है। इस प्रकार की कटौतियों में से कुछ निम्न प्रकार हैः–

धारा 80 D के अन्तर्गत	–	स्वास्थ्य बीमा की रसीद
धारा 80 DD के अन्तर्गत	–	स्थाई शारीरिक अक्षमता के सम्बन्ध में योग्य चिकित्सक का प्रमाण–पत्र
धारा 80 G/GGA के अन्तर्गत	–	दिये गये दान/अंशदान की रसीद
धारा 80 GG के अन्तर्गत	–	किराया भुगतान की रसीद
धारा 80 RRB के अन्तर्गत	–	पेटन्ट राशि की प्राप्ति की रसीद आदि।

बोध प्रश्न ख

i) ई-फाइलिंग क्या है

.....

.....

.....

.....

ii) आयकर विवरणी(ITR)–5 और आयकर विवरणी(ITR)–6 क्या है।

.....

.....

.....

.....

18.5.2 देर से दाखिल की गई विवरणी का परिणाम (Consequences of Delay in Filing Return)

यदि निर्धारित तिथि तक आय की विवरणी दाखिल नहीं की जाती है तो उसके निम्न परिणाम होते हैः

i) कराधान अधिकारी करदाता को उचित अवसर देने के पश्चात् एकपक्षीय कर–निर्धारण कर सकता है। जिसको सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर–निर्धारण (Exparte Assessment) भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे कर–निर्धारण में कराधान अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सर्वोत्तम निर्णय लेकर कर की राशि निर्धारित करता है। इस प्रकार एकपक्षीय कर–निर्धारण अनुमान के आधार

पर किया जाता है परन्तु न्यायालय के निर्णयों के अनुसार इस प्रकार का अनुमान समुचित होना चाहिए।

ii) उपरोक्त के अतिरिक्त करदाता को देय राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देना पड़ता है। यह ब्याज निर्धारित तिथि से विवरणी जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए या यदि एकपक्षीय कर–निर्धारण कर दिया गया हो तो विवरणी की निर्धारित तिथि से एकपक्षीय कर–निर्धारण पूर्ण होने तक की अवधि के लिये निकाला जाता है। यह ब्याज कर निर्धारण पूर्ण हो जाने पर देय आयकर की राशि पर निकाला जाता है तथा यह अग्रिम कर की राशि पर देय ब्याज के अतिरिक्त होता है।

iii) उपरोक्त के अतिरिक्त आयकर विभाग करदाता के विपरीत उपयुक्त मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा भी चला सकता है। जिसके निर्णय के आधार पर करदाता को कड़ी कैद की सजा भी हो सकती है जो निम्न है :

a) यदि देय आयकर की राशि एक लाख रूपये से अधिक हो तो छः माह से लेकर सात वर्ष की कड़ी कैद की सजा।

b) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में तीन महीने से लेकर तीन वर्ष तक की कड़ी कैद की सजा।

उपरोक्त कड़ी कैद के अतिरिक्त करदाता पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रभावी अयकर विवरणी के लिए देर से दाखिल शुल्क नियत तारीख के बाद यानि 31 अगस्त 2019 से धारा 234F के तहत लागू होगा इसकी अधिकतम जुर्माना की राशि 10,000 रुपये तक हो सकती है यदि आयकर विवरणी को नियत तारीख (31 अगस्त) के बाद परन्तु 31 दिसम्बर से पहले करते हैं तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

बोध प्रश्न ग

1) विवरणी देर से दाखिल करने के परिणामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) पुनः कर निर्धारण से आप क्या समझते हैं? यह किन परिस्थितियों में किया जाता है।

.....

.....

.....

.....

.....

3) दोषपूर्ण विवरणी, विवरणी नहीं होता है, विवेचना कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

18.5.3 विवरणी में गलत सूचना देने का परिणाम (Consequences of Incorrect Information)

विवरणी में दी गई गलत सूचना निम्न दो प्रकार की हो सकती है। निम्नलिखित में इनकी चर्चा की गई है

i) **स्पष्ट गलतियाँ (Prima Facie Errors)** : इस प्रकार की गलतियाँ वे होती हैं जो आय की सूचना के सम्बन्ध में नहीं होती बल्कि कुछ गलत कटौतियों के कारण, करदाता द्वारा निकाली गयी कुल कर योग्य आय गलत होती है जोकि आय कर अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं है। या करदाता आय की गणना करते समय कुछ गणितीय गलतियाँ जैसे जोड़–घटाने की गलती कर देता है। उदाहरण के लिए जैसे जानकारी के अभाव में करदाता अपने निजी व्यय को व्यापार का व्यय व्यापारिक आय की गणना करते दिखा देता है। अतः ऐसी गलतियों में करदाता किसी प्रकार का छलकपट नहीं करता है बल्कि आयकर के प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण कुल आय की गणना करते समय गलती कर देता है। उदाहरण के लिए किसी पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय के रूप में व्यापार की आय से घटाना, परन्तु यह चोरी के उद्देश्य से न किया गया हो जैसे कार के क्रय मूल्य को आय की विवरणी में व्यापार की आय से घटाना। अतः ऐसी गलतियों में छल–कपट या कर चोरी के उद्देश्य का अभाव होता है। इस तरह की गलतियाँ अनजाने में की गई गल्तियाँ हैं और यहाँ तत्थ को छुपाया नहीं गया है। इसके लिए कानून तुलनात्मक रूप से उदार दृष्टिकोण रखता है।

ii) **सही सूचना को छुपाना (Concealment of Correct Information)** : यदि आय के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना नहीं दी जाती या गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलती के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं क्योंकि ऐसी गलती छलपूर्वक धोखा देने के उद्देश्य से की जाती है। इसके अंतर्गत या तो आय के सम्बन्ध में सूचना नहीं दीं जाती या जो सूचना दी जाती है वह सही नहीं होती। उदाहरण के लिए करदाता ने 20,000 रू0 कमीशन के रूप में कमाया हो और वह अपने आय की विवरणी में इसे या तो बिल्कुल न दिखाए या केवल 10,000 रू0 दिखाए।

iii) प्रथम स्थिति में वह आय सम्बन्धी सूचना छुपाता है तथा दूसरी स्थिति में वह गलत सूचना देता है। इस प्रकार की गणना के अन्य उदाहरण हैं जहाँ विक्री को दबा दिया गया है; दावा किया गया खर्च या तो बिल्कुल भी नहीं किया गया है या बढ़ाये गए आंकड़ों पर दिखाया गया है, प्राप्त की गई कोई भी आय या तो नहीं दिखाई गई है या एक के द्वारा अर्जित आय को दूसरे के द्वारा अर्जित आय में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दिखाया जाता है। यह केवल कुल आय की

गणना की गलती नहीं होती, अतः आयकर अधिनियम में इसको गंभीर गलती के रूप में माना गया है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की गलतियों के निम्न परिणाम होते है :–

a) यदि करदाता द्वारा दाखिल की गयी आय की विवरणी में स्पष्ट गलतियाँ हों तो अधिनियम के अनुसार कराधान अधिकारी बिना करदाता को सूचित किए उसे ठीक कर सकता है। ऐसा त्रुटियों को सुधार कर, कराधान अधिकारी करदाता की कुल आय की गणना करता है तथा उस पर करदाता द्वारा देय कर को भी निर्धारित करता है।

b) यदि करदाता द्वारा अपनी आय की विवरणी में किसी आय को छुपाया गया हो या आय के सम्बन्ध में गलत सूचना दी गई हो तो कराधान अधिकारी करदाता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद अर्थदण्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू करता है। अर्थदण्ड छुपाई गई आय की कर राशि के 100 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत तक हो सकता है। इसके अलावा करदाता विभाग द्वारा दायर की गई शिकायत पर कर से बचने के लिए स्वेच्छाचारी प्रयास के अपराध के संबंध में अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है िकवह आयकर अधिनियम के तहत किसी भी कर दंड या ब्याज से बचने का प्रयास करेगा, तो वह करदाता को दंडित किया जा सकता है।

i) यदि 1 लाख रूपये से अधिक की कर की चोरी का प्रयत्न किया गया हो तो कड़ी कैद की अवधि 6 महीने से 7 वर्ष तक हो सकती है तथा इसके अतिरिक्त करदाता पर अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।

ii) अन्य दशाओं में कड़ी कैद की अवधि तीन महीने से 3 वर्ष के बीच हो सकती है तथा अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।

18.6 सारांश

एक करदाता को उपयुक्त फार्म का चुनाव कर अपनी आय की विवरणी निर्धारित तिथि तक जमा करनी चाहिए। कर–निर्धारण का कार्य आय की विवरणी दाखिल करने से प्रारम्भ होता है जो या तो करदाता स्वेच्छा से करता है या कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई नोटिस के आधार पर करता है। वैसे करदाता का यह कर्तव्य है कि वह कर–निर्धारण अधिकारी के नोटिस की प्रतीक्षा किए बगैर स्वेच्छा से अपनी आय की विवरणी नियमित रूप से दाखिल करें। यदि करदाता आय की विवरणी जमा नहीं करता तो उसे ब्याज देने का दायित्व होता है। करदाता को आय की विवरणी पूर्ण सावधानी से भरनी चाहिए क्योंकि विवरणी में गलत आय की गणना करने पर करदाता को अतिरिक्त कर देने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यदि करदाता अपनी आयकर विवरणी में गलत सूचना देता है या किसी आय को आयकर से बचाने के लिए घोषित नहीं करता तो परिणामस्वरूप सजा के रूप में वह अर्थदण्ड या कारावास की सजा या दोनों के लिए उत्तरदायी होता है।

आय की विवरणी कराधान अधिकारी द्वारा बिना किसी संशोधन के या स्पष्ट गलतियों के संशोधन के बाद स्वीकार कर ली जाती है तथा उसके आधार पर कर–निर्धारण करके करदाता द्वारा देय कर की नोटिस या उसको वापस मिलने वाले कर की सूचना दे दी जाती है। यदि कराधान अधिकारी आय की विवरणी की जांच करना चाहे तो

वह इस आशय की सूचना करदाता को देता है। जिसमें करदाता को स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा एक निश्चित तिथि पर उसके कार्यालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया जाता है। ऐसी सुनवाई के पश्चात् तथा कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच–पड़ताल के बाद कुल देय कर की गणना की जाती है तथा उसकी सूचना करदाता को दे दी जाती है।

यदि करदाता ने निर्धारित तिथि तक आय की विवरणी दाखिल नहीं की हो तथा एकपक्षीय कर–निर्धारण न किया गया हो तो कर–निर्धारण अधिकारी अपनी सूचना के आधार पर तथा उन कारणों का लेखा–जोखा करके करदाता का कर–निर्धारण कर सकता है।

यदि किसी करदाता का कर–निर्धारण पूरा हो चुका हो तो भी कर–निर्धारण अधिकारी अपनी सूचना और जांच के आधार पर उन कारणों का लेखा करके पुनः कर–निर्धारण का आदेश दे सकता है लेकिन पुनः कर–निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष से निर्धारित अवधि के बाद प्रारम्भ नहीं की जा सकतीं

18.7 शब्दावली

अतिरिक्त कर (Additional Tax) : इसका तात्पर्य कर की राशि के अतिरिक्त भार से है जो करदाता की आय की विवरणी में स्पष्ट गलतियों में संशोधन के बाद देय होता है।

कर–निर्धारण (Assessment) : कर–निर्धारण का आशय कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता की विवरणी के आधार पर, सूचना के आधार पर तथा कुछ दशाओं में एक पक्षीय कुल कर योग्य आय का निर्धारण है।

कर–निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : गत वर्ष के ठीक बाद वाला वित्तीय वर्ष कर–निर्धारण वर्ष होता है। गत वर्ष, वह वित्तिय वर्ष है जो (1 अप्रैल से 31 मार्च) में आय को अर्जित की गई है।

सूचना पत्र (Intimation) : यह कर–निर्धारण अधिकारी का पत्र होता है जो करदाता को देय कर तथा ब्याज के सम्बन्ध में भेजा जाता है।

मांग सूचना पत्र (Notice of Demand) : एक वैधानिक सूचना जो मांग से पहले अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए।

स्पष्ट गलतियों का संशोधन (Prima Facie Adjustment) : स्वीकृत कटौतियों को घटाना तथा अस्वीकृति कटौतियों को न घटाना तथा गणितीय गलतियों में सुधार स्पष्ट गलतियों का संशोधन कहा जाता है।

विवरणी (Return) : यह एक निर्धारित फार्म होता है जिसमें करदाता अपनी आय का विवरण देता है।

जाँच (Scrutiny) : कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता की आय की विवरणी के अन्वेषण को जांच कहते हैं।

18.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) i) असत्य ii) असत्य iii) सत्य iv) असत्य

18.9 स्व–परख प्रश्न/अभ्यास

प्रश्न

1) आय की विवरणी देर से दाखिल करने का क्या परिणाम होता है?
2) स्थायी खाता संख्या से आप क्या समझते हैं। स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र देने में चूक करने के क्या परिणाम होते हैं?
3) कौन–कौन कर अधिकारी है तथा उनके क्या–क्या कार्य हैं?
4) 'वंचित आय' के कर–निर्धारण के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के क्या प्रावधान हैं?

कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. अग्रवाल, बी0के0, आयकर विधान एव लेखें, नवयुग साहित्य सदन 24/139, बाग राम सहाय, लोहा मण्डी, आगरा–2
2. आहुजा एण्ड गुप्ता, आयकर विधान एवं लेखे, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स (प्रा0) लिमिटेड, 34, लाजपत कुंज, आगरा
3. गौर एण्ड नारंग, आयकर विधान एवं प्रैक्टिस, कल्याणी पब्लिशर्स, बी–1/1292, राजेन्द्र नगर, लुधियाना
4. जैन, आर0के0, आयकर विधान एवं लेखे, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0) लिमिटेड, 34, लाजपत कुंज, आगरा
5. मेहरोत्रा, एच0सी0, आयकर विधान एवं लेखे, साहित्य भवन, आगरा

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

इकाई 19 आयकर विवरणी का ऑनलाइन दाखिला

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 आयकर विवरणी (आईटीआर) का अर्थ

19.3 आई० टी० आर दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज

19.4 आई० टी० आर दाखिल के लाभ

19.5 इलेक्ट्रानिक रूप से आयकर विवरणी दाखिल करना

19.5.1 इलेक्ट्रानिक विवरणी दाखिल करने के प्रक्रिया

19.6 रिटर्न की भौतिक फाइलिंग पर ई–फाइलिंग के लाभ

19.7 प्रत्येक चरण में ईफाइलिंग के लिए मार्गदर्शन

19.8 ई–फाइलिंग में क्या करें और क्या न करें

19.9 शब्दावली

19.10 सारांश

19.11 स्वपरख प्रश्न

19.12 संलग्रक

19.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप :

- समझ सकेंगे कि आई० टी० आर क्या है
- जान सकेंगे कि आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज क्या है;
- सीख सकेंगे कि ई–फाइलिंग दाखिल करने की प्रक्रिया
- समझ सकेंगे ई फालिंग दाखिल करने के लाभ
- दाखिल करने की प्रत्येक चरण को समझना और
- ई फाइलिंग के दाखिल के लिए क्या करे और क्या न करे।

19.1 प्रस्तावना

भारतीय के आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) के अनुसार गत वर्ष में किसी भी व्यक्ति के पास अधिकतम राशि से अधिक करमुक्त राशि है जिसके ऊपर कर नहीं लगाया गया है उसे आयकर विवरणी दाखिल करना चाहिए। आयकर विवरणी की दाखिल या तौ भौतिक माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है तो इसे ई–फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के नाम से जाना जाता है।

पिछली इकाई 18 में, हम पहले ही रिटर्न दाखिल करने और कर अधिकारियों के बारे में चर्चा कर चुके है, इस इकाई मे इलेक्ट्रनिक रिटर्न आयकर विवरणी को दाखिल करने के बारे में एक सक्षिप्त विवरण देंगे। मूल रूप से, ई–रिटर्न दाखिल करने का अर्थ है इंटरनेट का उपयोग करके व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल करता है।

व्यक्ति पेशेवर की मदद लेकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है या फिर इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज करके भी फाइल किया जा सकता है, जिसकी विस्तृत प्रक्रिया आगे इकाई में बताया गया है। रिटर्न की भौतिक फाइलिंग से ई–फाइलिंग अधिक लाभप्रद है क्योंकि या प्रसंस्करण समय की बचत करता है, व्यक्तियों और व्यवसायी को 2–3 सप्ताह के भीतर अधिक तेजी से धन वापस प्राप्त हो सकता है। इलेक्ट्रानिक में गणना स्वचालित रूप से की जाती है जो त्रुटियों के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है, और यह सटीक एवं सुधार रखती है। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल और अधिक सुविधाजनक भी है क्योंकि व्यक्ति अपनी उपयुक्तता के अनुसार इसे 24×7 घंटे कभी भी फाइल कर सकता है।

19.2 आयकर विवरणी (आईटीआर) का अर्थ

आयकर विवरणी मूल रूप से वह फार्म जिसमें करदाता आयकर विभाग को अपनी आय और कर के बारे में जानकारी प्रदान करता हैं। आयकर विवरणी दाखिल करने के विभिन्न फार्म है जैसे आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7 हैं। आयकर विवरणी के दायरे मे आने वाले हर व्यक्ति को आयकर विवरणी दाखिल करना चाहिए, क्योंकि यह विभिन्न गतिविधियों के लिए बहुत मददगार है चाहे वह या तो ऋण, विदेशी वीजा, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करे या वित्तीय आदि से निपटें मे मददगार होता है। आईटीआर का उपयोग एक सबूत दस्तावेज के रूप में किया जा सकता है जो व्यक्ति की वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता है। इसके अलावा एक करदाता की आय का एक हिस्सा है चाहे वेतनभोगी या व्यापारिक व्यक्ति हो उसकी स्रोत (टीडीएस) पर ही कर की कटौती के रूप में कर काटा जाता है। लेकिन, यदि आपने कुछ निवेश किया है तो वह कर योग्य आय से घटाया दिया जाऐगा। उस स्थिति में आपके अपने आयकर स्लैब के अनुसार आपका वास्तविक बकाया कर भुगतान की गई राशि से बहुत कम हो सकता है और भुगतान किए गए अतिरिक्त कर का दावा किया जा सकता है और वापस किया जा सकता है लेकिन केवल तभी जब आप अपने करों का दाखिल हर वर्ष के 31 जुलाई की नियत तारीख पर करें। इसका विस्तृत अध्ययन आप पिछली इकाइयों में कर चुके है।

19.3 आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज

एक व्यक्ति को आईटीआर दाखिल करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की जरूरत होती है। आईटीआर फाइल करने से पहले, एक व्यक्ति को यह सुनिक्षित करना होगा कि उसने सभी आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा किया है। आईटीआर भरने के लिए किसी व्यक्ति के लिए दस्तावेजों की फॉर्म 16, आधार कार्ड पैन कार्ड, नियोक्ता द्वारा काटे गए करों, बैंक विवरणी, शेयरों/म्यूचुअल फंड के लिए (स्तोत से कटोंती का सर्टिफिकेट एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी, एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन

सर्टिफिकेट कर के भुगतान सम्बन्धित दस्तावेज विदेशी कर भुगतान विवरणी आदि हैं। फार्म–16 में एक व्यक्ति द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित वेतन और काटे गए टीडीएस का विवरण प्रदान किया जाता है। संक्षेप में, यह किसी कर्मचारी के वेतन, भत्तों और कटौतियों को ध्यान में कर के भुगतान सम्बन्धित दस्तावेज है।

19.4 आईटीआर दाखिल करने के लाभ

भले ही कुछ व्यक्तियों के लिए आईटीआर अनिवार्य नहीं हैं। फिर भी व्यक्ति आईटीआर दाखिल करके लाभ उठा सकते हैं।

आईटीआर दाखिल करने के कुछ लाभों पर नीचे चर्चा की गई है :

कानून का पालन करने वाला नागरिक होना: किसी भी अन्य लाभ की तरह आईटीआर दाखिल करके एक व्यक्ति कानून का पालन करने वाला नागरिक बन जाता है। इसमें आयकर विभाग को उसकी आय और करदाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

रिफंड का दावा: कुछ मामलों में, स्रोत कर की कटौती (टीडीएस) की व्यक्ति के नाम पर किए गए कुछ निवेश पर की जा सकती है।

आईटीआर दाखिल करने से व्यक्ति को अधिक कर वापसी को दावा करने में मदद मिलती है

दस्तावेजों की प्रस्सकरण: आईटीआर दाखिल करने से किसी व्यक्ति की कुल अर्जित आय और उस पर भुगतान किए गए करों का एक निश्रित अवधि में विस्तृत विवरण दिया जाता है। इन दस्तावेजों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आसान ऋण और वीजा प्रसंस्करण के लिए स्वीकार किया जाता है।

घाटे को आगे ले जाना: एक व्यक्ति एक निश्चित वर्ष के लिए घाटा उठा सकता है। बाद के वर्षों की आय के विरूद्ध उन्हें घाटे को आगे बढ़ाने के विकल्प केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त होता है जो संबंधित कर निर्धारण वर्ष में आईटीआर दाखिल करते हैं।

19.5 इलेक्ट्रानिक रूप से आय की विवरणी दाखिल करना

ई–फाइलिंग का मतलब है व्यक्ति द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल कर आयकर विवरणी दाखिल करना। व्यक्ति या तो किसी पेशेवर की मदद लेकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है या फिर इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज करके भी फाइल किया जा सकता है।

19.5.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया

मूल रूप से, भारत में ई–फाइलिंग के पांच प्रमुख चरण हैं जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है:

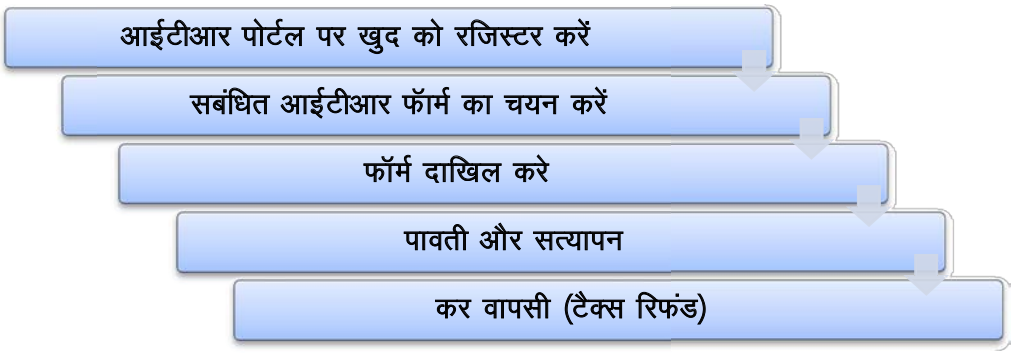

चित्र 19.1: भारत में ई–फाइलिंग के चरण

1. **आईटीआर पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें:** ई–फाइलिंग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पहला कदम आयकर विभाग की वेबसाइट में आईटीआर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना है। व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या और जन्म तिथि प्रदान करने के लिए कहा जाएगा और एक लॉग इन आईडी (1.) और पासवर्ड जरनेट किया जाएगा। आगे के चरण के लिए इसी आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा।

2. **संबंधित आईओआर फॉर्म का चयन करें:** पोर्टल पर पंजीकरण और लॉग इन करने के बाद एक वेतनभोगी व्यक्ति को आईटीआर फॉर्म का चयन करना होगा।

3. **फॉर्म भरना:** आईटीआर फॉर्म दोनों तरीके से ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम के जरिए भरे जा सकते है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए प्रत्येक चरण की प्रक्रिया इसी इकाई में आगे समझाया गया है। ऑफलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म वेबसाइट पर "डाउनलोड सेक्शन–आईटीआर फॉर्म" से भर सकते हैं, यहां से इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटी डाउनलोड (Income Tax Return Utility) कर भर सकते है और फिर उसे वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं।

4. **पवती और सत्यापन:** साइट पर रिटर्न अपलोड करने के बाद, व्यक्ति को आईटीआर से फॉर्म की पावती प्राप्त होगी। यदि आधार विवरण (Adhar) आयकर साइट पर अपडेट नहीं हैं तो उसे एक साधारण पोस्ट या स्पीउ पोस्ट के माध्यम से अगले 120 दिनों के भीतर ई–फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आईटीआर 1 पर उल्लिखित पते पर आयकर विभाग को आईटीआर 1 की भौतिक हस्ताक्षरित प्रति जमा करनी होगी।

5. **कर वापसी:** यदि कर बकाया करों और अनुमानित करों की कुल राशि की राशि से कम है जो करधारक द्वारा भुगतान किया गया है, तो वह कर वापसी के लिए पात्र है। टैक्स रिफंड मूल रूप से करों पर रिफंड होता है जब कर देयता भुगतान किए गए करों से कम होती है।

19.6 आयकर के विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप दाखिल के लाभ

भौतिक रूप से आयकर का दाखिला

भौतिक रिटर्न की तुलना में ई–फाइलिंग ने ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है। यह निम्नलिखित कारणों से है:

- **एक सबूत के रूप में कार्य करता है:** यह दस्तावेज के रूप में कार्य करता है और यह आसान आईटीआर 1 किसी भी प्रकार की वित्तीय देयता के लिए किसी भी समय सबूत के रूप में आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है।

- **सुविधाजनक:** ई–फाइलिंग के मामले में समय और स्थान की कोई बाधा नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे किसी भी स्थान पर और कभी भी 24×7 अपनी सुविधा के अनुसार फाइल कर सकता है।

- **त्रुटि मुक्त:** ई–फाइलिंग गणना में स्वचालित रूप से किया जाता है जो गलतियां करने की संभावना को कम करता है और त्रुटियों के लिए, कोई क्षेत्र न रहे है इस प्रकार गणना की मात्रा में सटीकता से सुधार करता है।

- **समय की बचत:** यह प्रसंस्करण समय में कटौती करता है, व्यक्तियों और व्यवसाय को 2–3 सप्ताह के भीतर अधिक तेजी से धन वापस प्राप्त हो सकता है।

- **गोपनीय:** यह बेहतर सुरक्षा के रूप में भौतिक रूप से आयकर विवरणी दाखिल करने की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि आकंडे को प्राप्त करना किसी के लिए सुलभ नहीं है।

19.7 प्रत्येक चरण मे ई–फाइलिंग के लिए मार्गदर्शन

चरण 1: वेबसाइट पर जाएं https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home

निम्नलिखित चित्र में विंडो पंजीकरण के लिए दिखाई देगी, जहां से एक नया व्यक्ति स्वंय को पंजीकृत कर सकता है।

चित्र 19.2: अपने आप को ई-फलिग के लिए कैसे रजिस्टर करे।

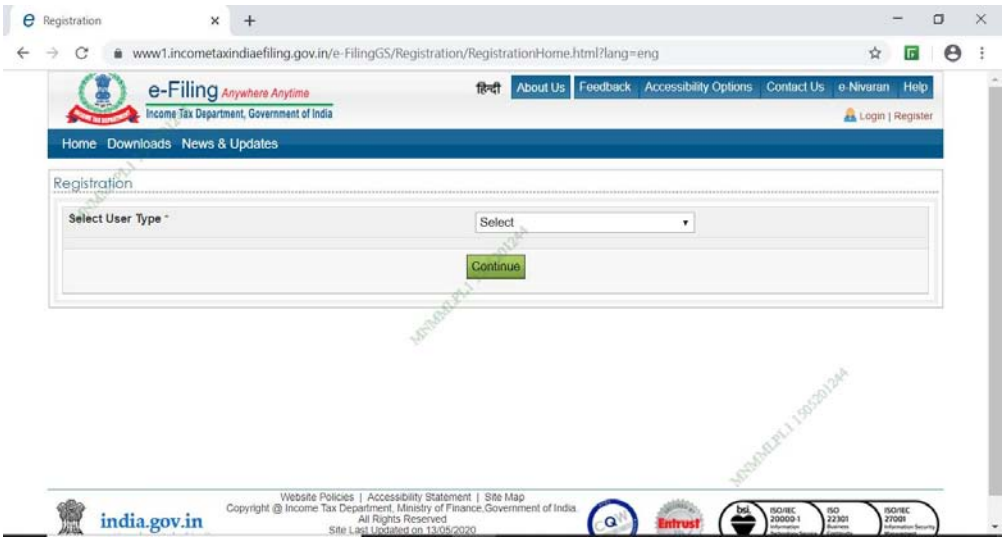

चित्र 19.3: विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्त्ता का चयन

"चुनें" विकल्प पर क्लिक करके एक ड्रॉपडाउन मेनू दिखाई देगा। व्यक्ति एचयूएफ (HUF) व्यक्ति के अलावा वाह्य एजेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर काटने वाला एवं कर एकत्रित करने वाला करने वाला थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी डेवलपर आदि जैसे विभिन्न विकल्प दिखाई देंगे। जहां से आपको "व्यक्ति" का चयन करना होगा और जारी रखने पर क्लिक करना होगा। फिर चित्र 19.4 में दिखई गई विंडो दिखाई देगी, जिसके लिए बुनियादी विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

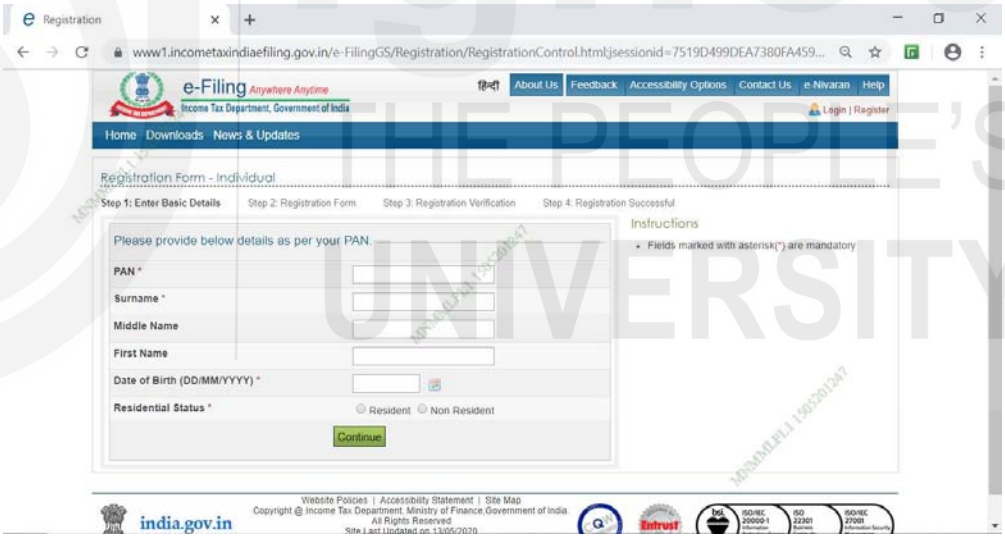

चित्र 19.4: आधारभूत विवरण

सभी आवश्यक विवरण प्रदान करने के बाद, जैसे उदाहरण के लिए पैन कार्ड नंबर, नाम, जन्म तिथि (डीओबी) आवासीय स्थिति, इन सभी को दर्ज करने के पश्चात आप सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएंगे। और एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा और उसकी मदद से आप आगे बढ़ सकेंगे।

चरण 2: सफलतापूर्वक अपने आप को दर्ज करने के बाद आप वेबसाइट के होम पेज पर जाएं https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home एक बार फिर से और अब 'रजिस्ट्ररयूजर' पर लॉगिन करके क्लिक करें यहां से चित्र 19.5 के दाईं ओर दूसरे विकल्प पर दिखाया गया है।

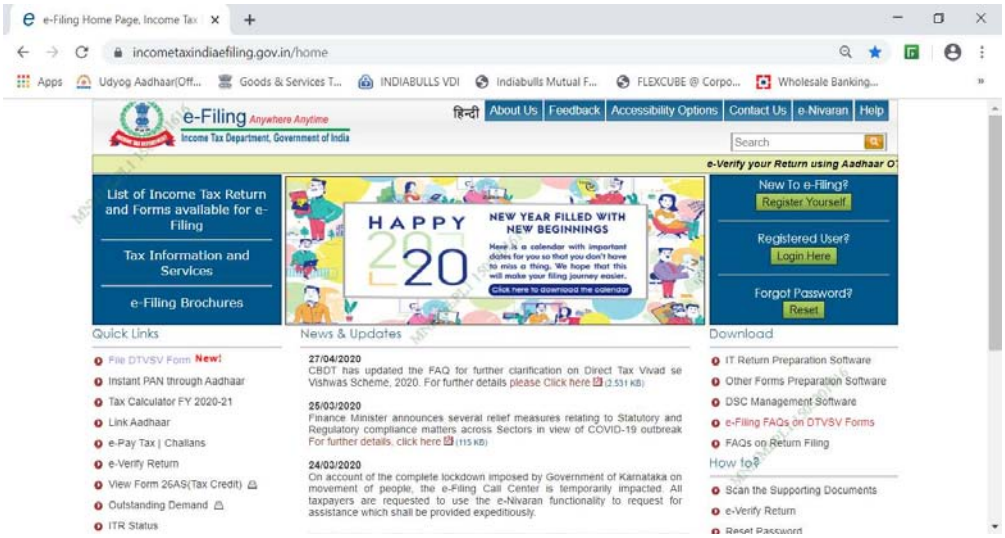

चित्र 19.5: रजिस्ट्रर यूजर

यहां लॉगिन पर क्लिक करने के बाद चित्र 19.6 में दिखाई देने वाली निम्नलिखित विंडो दिखाई देगी। यहां अपनी रजिस्टर्ड लॉगइन आईडी और पासवर्ड डालें और दिए गए कैप्चा को एंटर करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

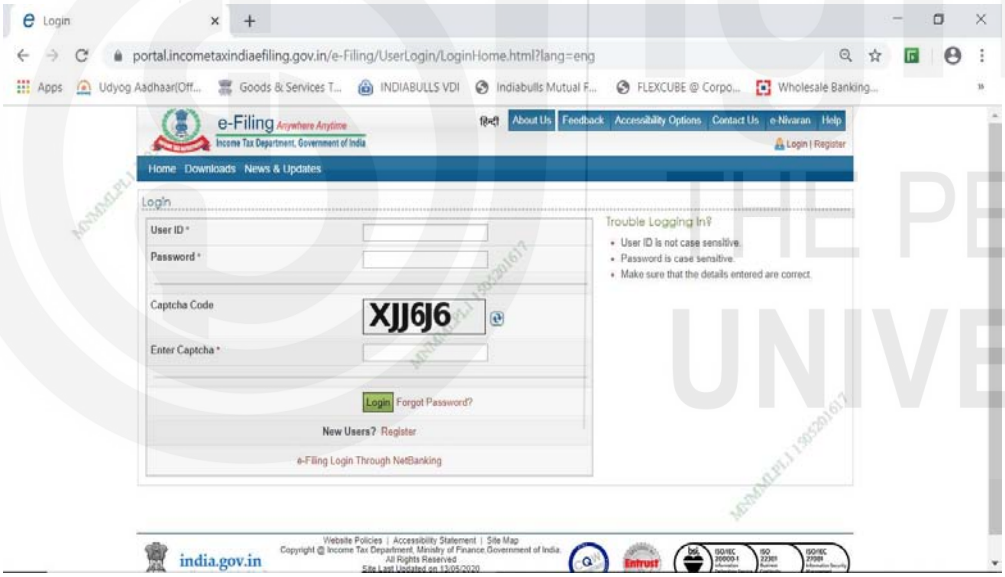

चित्र 19.6: लॉगिन विंडो

चरण 3: लॉगइन करने के बाद, निम्नलिखित विंडो दिखाई देगी और अब आयकर रिटर्न दाखिल करने पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े में दिखाया गया है,

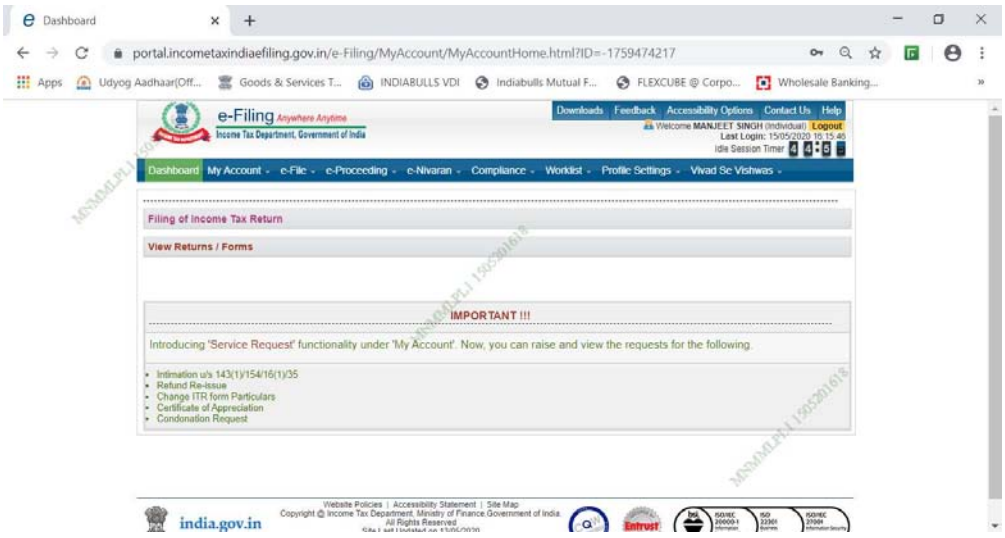

चित्र 19.7: आयकर रिटर्न दाखिल करना

चरण 4 : आयकर रिटर्न की विडो मे क्लिक करने के बाद चित्र 19.8 में दिखाई गई विडों दिखाई देगी। जहां से किसी व्यक्ति को पैन करनिर्धारण वर्ष आईटीआर फॉर्म नंबर और सबमिशन मोड में एंट्री करनी होगी है और फिर जारी रहने पर क्लिक करना होगा है।

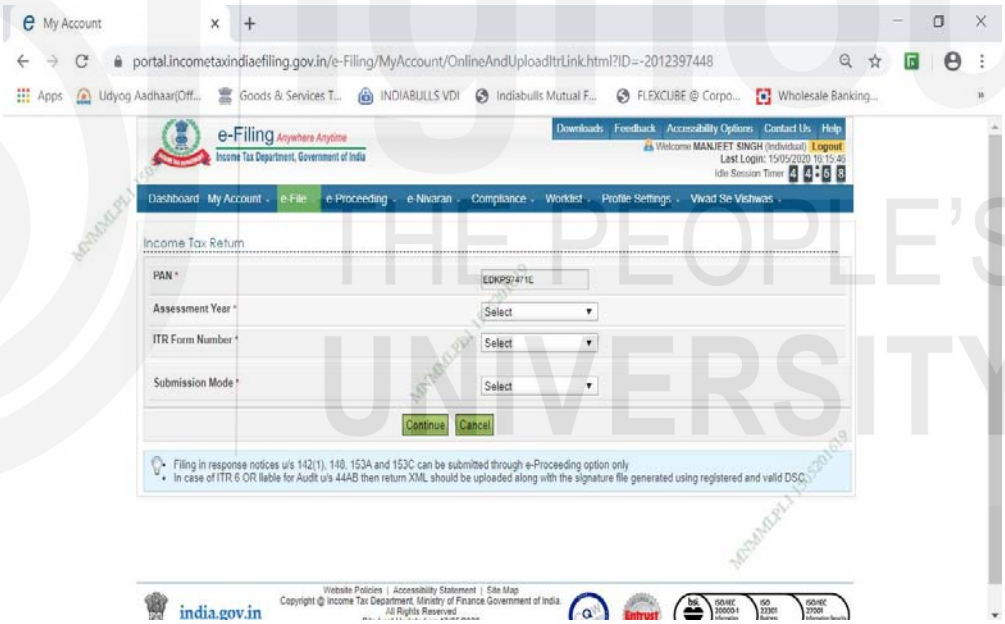

चित्र 19.8: ई-फाइल

आईटीआर 1 सहज भारतीय आयकर रिटर्न

आईटीआर–1 फॉर्म, जिसे सहज (हिंदी में आसान) भी कहा जाता है, वेतनभोगी व्यक्तियों (यानी वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन और व्याज आय) के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म हैं। ज्यादातर वेतनभोगी लोगों के लिए बेसिक आईटीआर फॉर्म आईटीआर–1 है। नया आईटीआर–1 फॉर्म वेतन, मकान संपत्ति से आय और आय के अन्य स्रोतों जैसे ब्याज आय आदि से 50 लाख रूपये तक की कुल आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लागू है।

चरण 5 : व्यक्ति को नीचे चित्र 19.9 में विड़ो में दिए गए सामान्य निर्देशों को पढ़ने की आवश्यकता है; निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद, अगले आइकन भाग पर क्लिक करें चित्र 19.10 में दिखया गया एक सामान्य जानकारी के लिए विंड़ो दिखाई देगी।

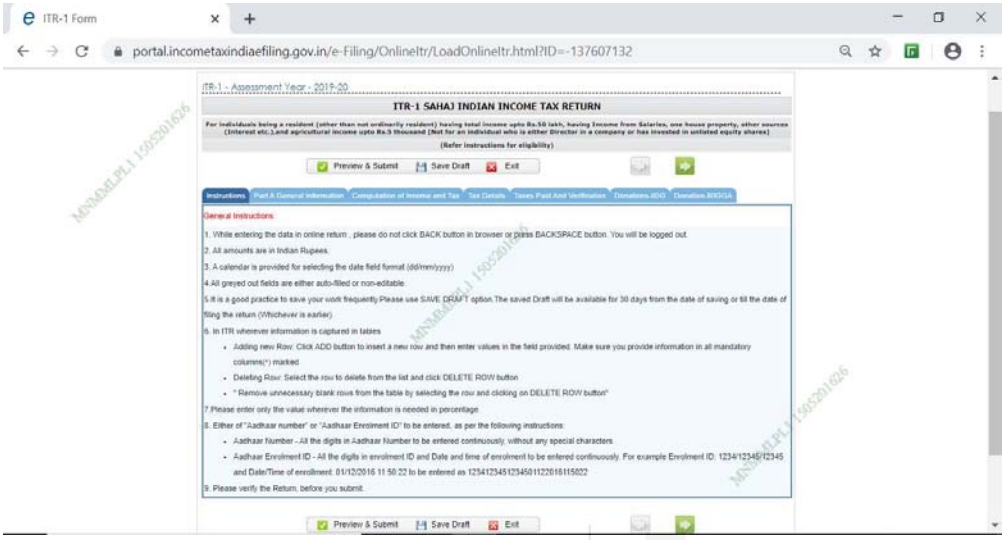

चित्र 19.9: सामान्य निर्देशन

चरण 6 : यहां आपको उदाहरण के लिए सभी जानकारी भरनी होगी, जैसे पैन कार्ड नंबर, नाम, आधार कार्ड नंबर, जन्म तिथि, पता और अन्य।

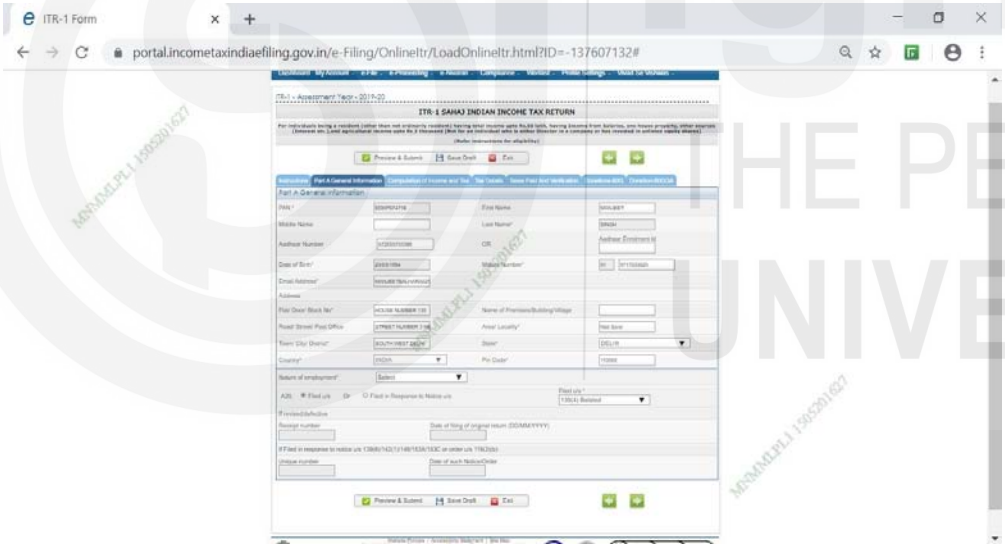

चित्र 19.10: भाग एक सामान्य जानकारी

चरण 7: सामान्य जानकारी भरने के बाद, व्यक्ति को अगले आइटम यानी आयकर की गणना पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है जैसा कि चित्र 19.11 में दिखाया गया है। यहां, आय और करों की गणना के लिए व्यक्ति, व्यक्ति को भाग बी में दिए गए सकल कुल आय का विवरण भरने की आवश्यकता है, भाग सी में दिए गए कटौती और कर योग्य कुल आय, भाग डी में दिए गए कर की गणना करेगा।

सभी मूल्यों को सही स्थान पर रखने से राशि की गणना होगी जो कि "कुल कर, शुल्क और ब्याज की सही राशि को बतायेगा।?

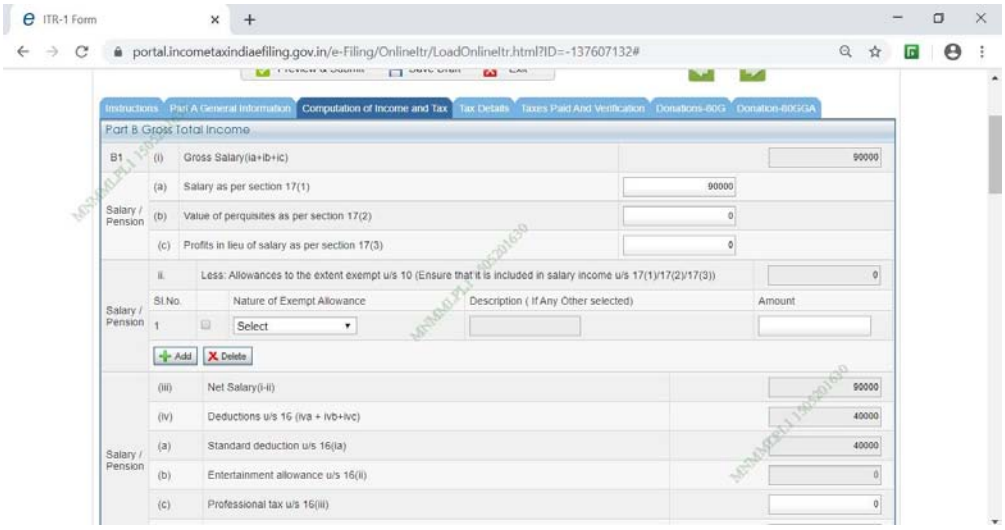

चित्र 19.11: आय और कर की गणना

चरण 8: फिर, अगले आइकन यानी टैक्स विवरण पर क्लिक करें जैस कि चित्र 19. 12 में दिखाया गया है। यहां एक व्यक्ति को टीडीएस 1 (वेतन से स्रोतों पर काटे गए टैक्स का विवरण), टीडीएस 2, आईटी आदि भरना होगा।

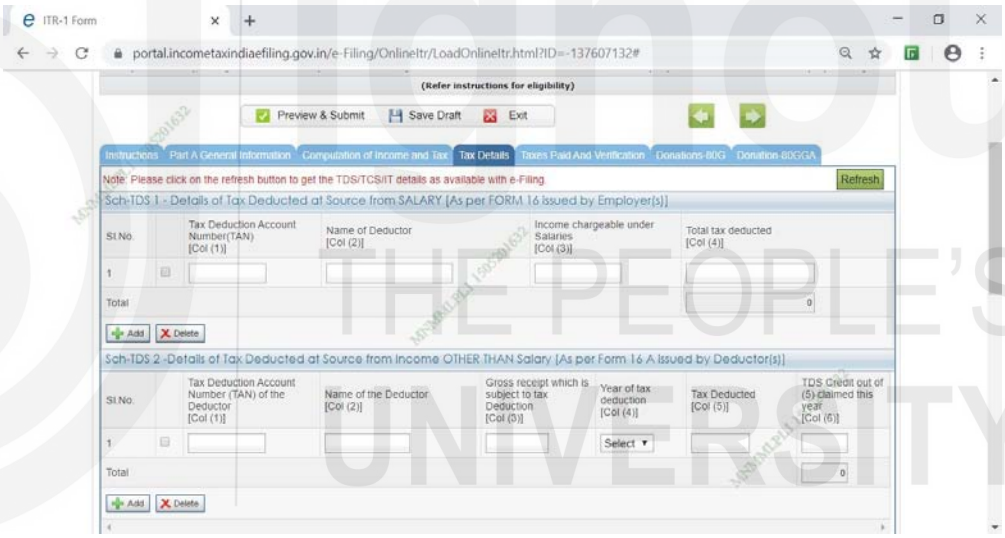

चित्र 19.12: कर विवरण

चरण 9: सभी कर विवरण दर्ज करने के बाद अगले आइकन यानी, करों का भुगतान और सत्यापन पर क्लिक करें जैसा कि चित्र 19.13 में दिखाया गया है। पहले के हिस्सों में भरी गई जानकारी की मदद से भुगतान किए गए करों और सत्यापन पर क्लिक करना, इस प्रमुख के तहत दिए गए विकल्प जैसे कुल अग्रिम कर का भुगतान, कुल स्वतः कर निर्धारण कर का भुगतान, कुल टीडीएस का दावा किया गया, कुल करों का भुगतान किया गया, देय राशि, रिफंड आदि स्वचालित (AUTO) भरे जाएंगे।

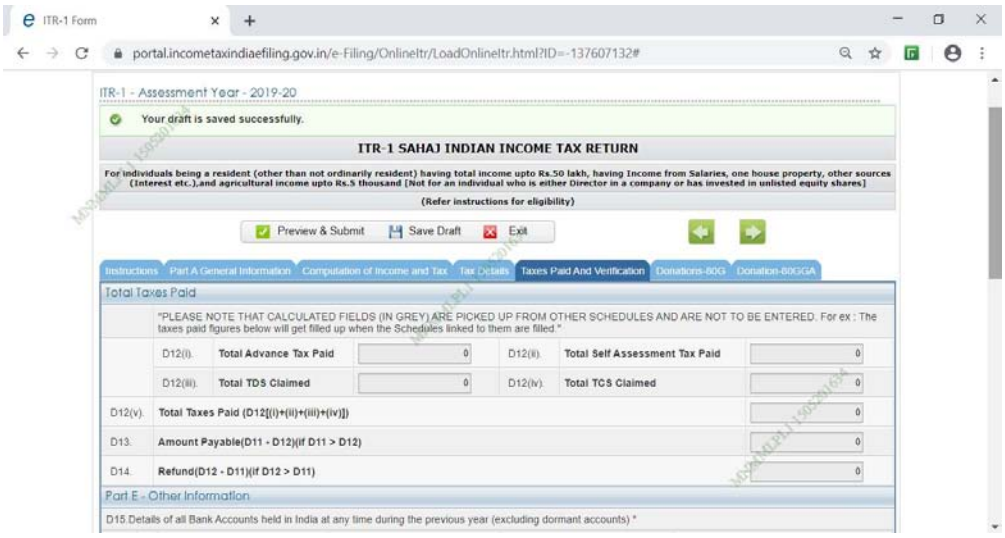

चित्र 19.13: भुगतान किए गए कर और सत्यापन

फिर अन्य जानकारी जैसा कि भाग ई में दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र 19.14 में दिखाया गया है कि जैसे बैंक खाता विवरण दर्ज करना होगा यहां, आपको न्यूनतम एक बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा। फिर, सत्यापन के लिए, एक व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण जैसे, नाम, पिता का नाम, और पैन कार्ड नंबर, स्थान, तिथि आदि दर्ज करना होगा और प्रदान किए गए विवरणों को ई–सत्यापित करने के लिए सत्यापन विकल्प का चयन करना होगा। आईटीआर फाइलिंग के बाद उन्हें दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर सत्यापित करना होगा। आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने आईटीआर को सत्यपित करना अनिवार्य है। यदि दर्ज आईटीआर को करदाता द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर सत्यपित नहीं किया जाता है, तो, इसे वैध नहीं माना जाएगा, यानी, इसका मतलब यह होगा कि किसी व्यक्ति ने आपका आईटीआर दायर नहीं किया है। आयकर विभाग करदाता को अपने आयकर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए कई तरीके प्रदान करता है। जिसे मोटे तौर पर दो प्रमुख श्रेणियों यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन में वर्गीकृत किया जा सकता है। ई–सत्यापन के रूप में आमतौर पर जानी जाने वाली ऑनलाइन विधि में आधार ओटीपी का उपयोग करने, डिजिटल हत्साक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करने या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड या ऑफलाइन प्रक्रिया का उपयोग करने वाली तीन प्रक्रियाएं सीपीसी कार्यालय में बेगलुरू को हस्ताक्षरित आईटीआर में भेजकर की जा सकती हैं।

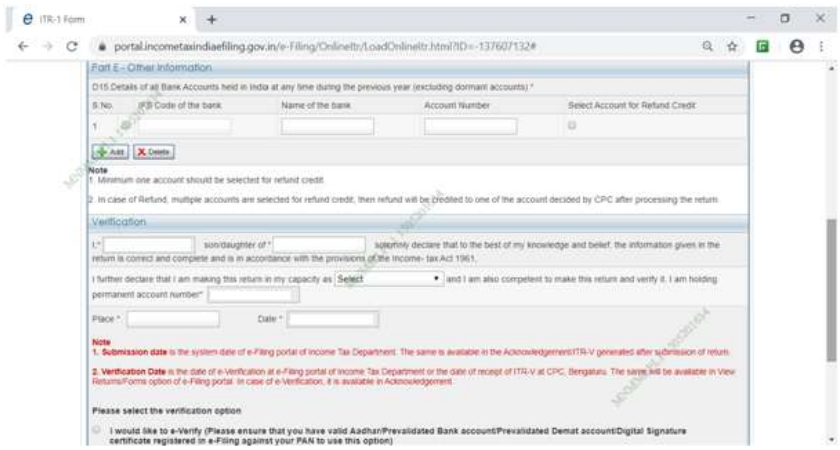

चित्र 19.14: अन्य जानकारी

चरण 10: फिर अगले आइकन जो कि दान 80 G पर क्लिक करें जैसा कि चित्र 19.15 में दिखाया गया है। यहां, योग्य सीमा के बिना 100% कटौती के अधिकारी खण्ड ए–डोनेशन में किए गए दान का विवरण दर्ज करें, खण्ड 'B' बिना अर्हता सीमा के 50% के लिए कटौती के अधिकारी, खण्ड 'C' दान अर्हता प्राप्त सीमा के अधीन 100% कटौती के अधिकारी और खण्ड 'D' 50% कटौती के अधिकारी परन्तु खण्ड C एवं D में प्राप्त सीमा के अधीन है।

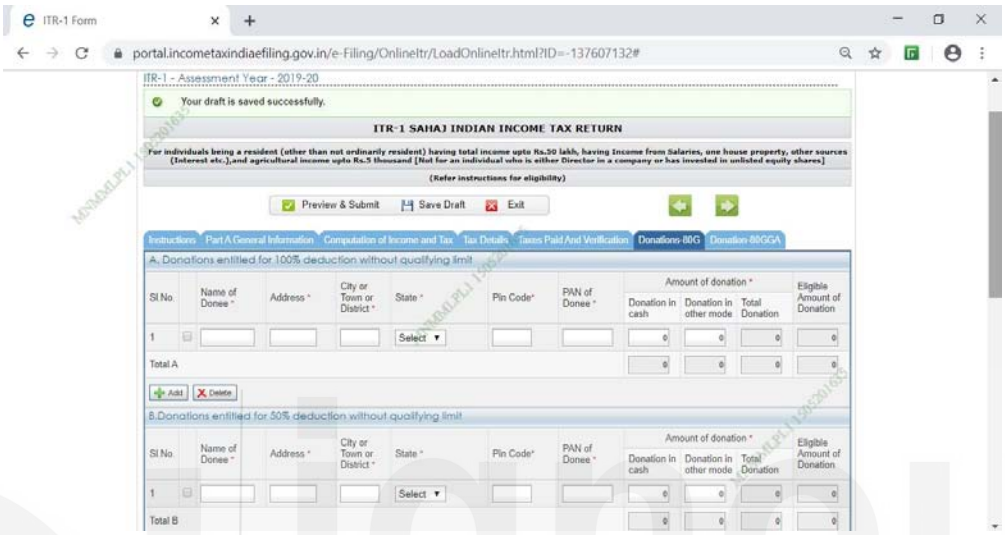

चित्र 19.15: दान 80–जी

चरण 11: अगले आइकन यानी दान 80GGA पर क्लिक करें जैसा कि चित्र 19.16 में दिखाया गया है। यहां आपको वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कियो गये दान का विवरण दर्ज करना होगा । जैसा कि चित्र 19.15 में दिखाया गया है।

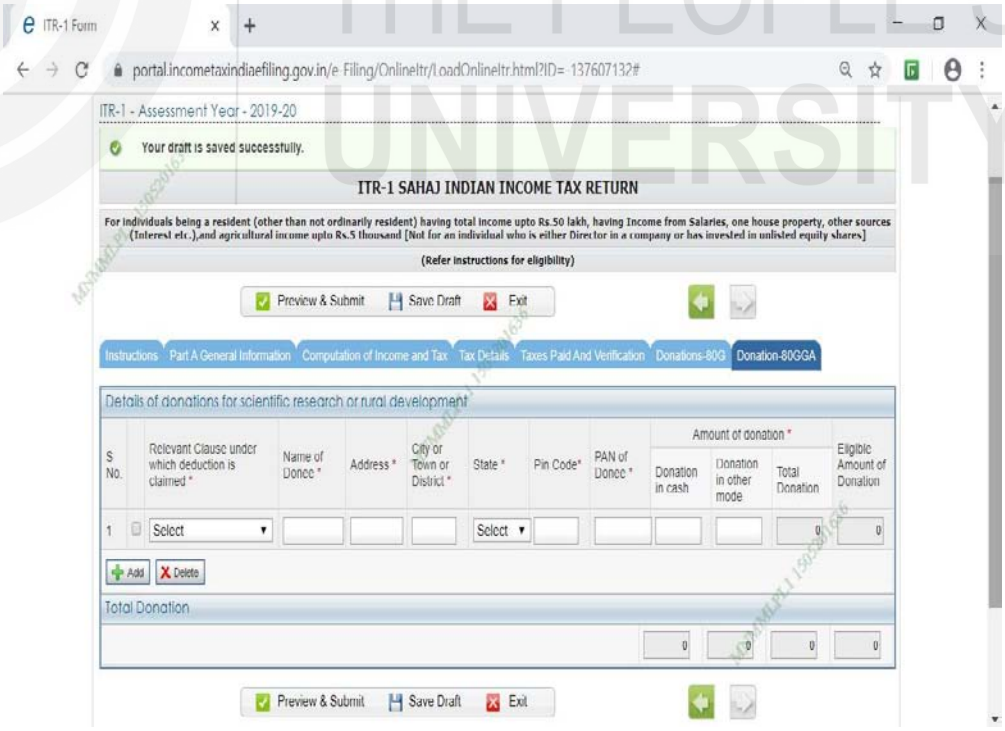

चित्र 19.16: दान 80–जी ए

सभी विवरण भरने के बाद "पूर्वावलोकन और सबमिट" (preview and submit) पर क्लिक करें। इस प्रकार, सबमिट बटन ई–रिटर्न की फाइल पर क्लिक करना सबमिट हो गया माना जायेगा।

19.8 आईटीआर की ई–फाइलिंग में क्या करे और क्या नहीं करे

किसी भी व्यक्ति को आयकर विवरणी दाखिल करते समय (क्या करे और क्या न करे) को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जोकि

निम्न प्रकार है।

तालिका 1: आईटीआर की ई–फाइलिंग का 'क्या करे' और 'क्या न करें'

'क्या करें'	'क्या न करें'
✓ पात्रता के अनुसार सही आईटीआर फॉर्म का चयन करें	✗ पात्रता के बावजूद किसी भी फार्म का चयन करना।
✓ आईटीआर विवरणी को कम से कम एक महीने पहले फाइल करें	✗ अंतिम समय में तेजी से आईटीआर भरना।
✓ सटीक व्यक्तिगत डेटा प्रदान करते हैं	✗ व्यक्तिगत विवरण में हेराफेरी
✓ दाखिल करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ तैयार रखें।	✗ आय के किसी भी स्रोत को छिपाना।
✓ अपनी आय के सभी स्रोतों का खुलासा करें दाखिल करना शुरू करें।	✗ सभी आवश्यक दस्तावेजों के बिना विवरणी दाखिल करना शुरू करना
✓ कटौती का दावा कैसे करें, इस प्रक्रिया को समझें।	✗ कटौती का दावा बिना साक्ष्य के करना।
✓ हमेशा अंतिम प्रस्तुती जमा (Final Submit) करने से पहले फिर से एक बार पूरी जांच।	✗ बिना दुबारा जांच फार्म जमा करना।

बोध प्रश्न क

1. आयकर रिटर्न की ई–फाइलिंग क्या है?

.....

.....

.....

.....

2. रजिस्टर और लॉग इन विकल्प के बीच क्या अंतर है?

.....

.....

.....

.....

3. आयकर रिटर्न दाखिल करने के क्या फायदे हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

4. ई–आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

19.9 सारांश

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 139 (1) के अनुसार, गत वर्ष में कुल आय रखने वाले किसी भी व्यक्ति को करमुक्त राशि से अधिक, जोकि करमुक्त नहीं है, को अपना आईटीआर या आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

आईटीआर मूल रूप से वह फार्म है जिसमें अपनी आय और कर के बारे में आयकर विभाग को जानकारी दाखिल करता है। आईटीआर के विभिन्न रूप जैसे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6, और आईटीआर 7 हैं। आईटीआर के दायरे में आने वाले हर व्यक्ति को इसे फाइल करना चाहिए, क्योंकि यह विभिन्न गतिविधियों के लिए बहुत मददगार है चाहे वह या तो ऋण, विदेशी वीजा, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करे या वित्तीय नुकसान आदि से निपटें।

एक व्यक्ति को आईटीआर दाखिल करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आईटीआर फाइल करने से पहले, एक व्यक्ति को यह सुनिक्षित करना होगा कि उसने सभी आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा किया है। आईटीआर भरने के लिए किसी व्यक्ति के लिए दस्तावेजों की सूची जैसे फॉर्म 16, आधार कार्ड किराया करार दस्तावेज, नियोक्ता द्वारा काटे गए करों का दस्तावेज, बैंक विवरणी, शेयरों/म्यूचुअल फंड के लिए लेन–देन विवरणी, टीडीएस सर्टिफिकेट, एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी, एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट, टैक्स पेड प्रूफ, प्रॉपर्टी के खरीदार, विदेशा टैक्स रिटर्न आदि जैसे निवेश विवरण हैं।

रिटर्न दाखिल करना या तो भौतिक माध्यम में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा सकता है। जब रिटर्न दाखिल करने का काम ऑनलाइन किया जाता है तो इसे इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) की ई–फाइलिंग के नाम से जाना जाता है। रिटर्न की ई–फाइलिंग के लिए विभिन्न कदमों मे एक आईटीआर पोर्टल पर खुद को

पंजीकृत कराके कर सकते है– संबंधित आईटीआर फॉर्म का चयन करें, फॉर्म भरने, पावती और सत्यापन और कर वापसी कर सकते है।

रिटर्न की भौतिक फाइलिंग से ज्यादा ई–फाइलिंग अधिक लाभप्रद है क्योंकि यह प्रसंस्करण के समय में कटौती करता है, व्यक्ति और व्यवसाय 2–3 सप्ताह के भीतर अधिक तेजी से फंड प्राप्त कर सकते हैं। यह त्रुटियों के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है क्योंकि हर गणना स्वचालित रूप से की जाती है, इस प्रकार, सटीकता में सुधार करता है। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुविधाजनक भी है।

आईटीआर के ई–फाइलिंग के दाखिले के समय 'क्या करे' पात्रता के अनुसार सही आईटीआर फॉर्म को चुने, कम से कम एक महीने पहले आईटीआर फाइल करें, सटीक व्यक्तिगत डेटा उपलब्ध कराएं, दाखिल करते समय अपनी तरफ से सभी आवश्यक दस्तावेज रखें आदि और आईटीआर के ई–फाइलिंग के दाखिले के समय क्या न करे की में पात्रता किसी भी फॉर्म को गैर–बुनियादी रूप से न चुने, व्यक्तिगत विवरण में हेरीफेरी, आय के किसी भी स्रोत को छुपना एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों के बिना विवरणी दाखिल करना, बिना दस्तावेज के कटौतियों का दावा करना।

19.10 शब्दावली

आयकर रिटर्नः आयकर रिटर्न वह फॉर्म है जिसमें करदाता अपनी आय और कर के बारे में आयकर विभाग को जानकारी दाखिल करता है।

रिटर्न की ई–फाइलिंगः ई–फाइलिंग या इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑनलाइन पर अपना आयकर रिटर्न जमा करता है।

ITR 1: आईटीआर – 1 फॉर्म, जिसे सहज भी कहा जाता है, वेतनभोगी व्यक्तियों (यानी वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन और ब्याज आय) के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म है।

स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस): स्रोत पर आय कर कटौती लाभांश या परिसंपत्ति बिक्री पर कर एकत्र करने का एक साधन है, भुगतानकर्ता को शेष राशि का भुगतान करने से पहले देय कर में कटौती करने की आवश्यकता होती है।

19.11 स्वपरख प्रश्न

1. आईटीआर क्या है? आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेजों की सूची दें।
2. आयकर रिटर्न दाखिल करने के विभिन्न लाभ क्या हैं?
3. भारत में आईटीआर की ई–फाइलिंग के लिए पांच प्रमुख कदमों की व्याख्या करें?
4. भौतिक फाइलिंग पर आईटीआर के ई–फाइलिंग के क्या फायदे हैं?
5. आईटीआर की ई–फाइलिंग के दौरान विभिन्न 'क्या करे' और 'क्या नहीं करे' हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए?

19.12 संलग्नक (ANNEXURE)

FORM ITR-1 SAHAJ

INDIAN INCOME TAX RETURN

[For individuals being a resident (other than not ordinarily resident) having total income upto Rs.50 lakh, having Income from Salaries, one house property, other sources (Interest etc.), and agricultural income upto Rs.5 thousand]
[Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares]
(Refer instructions for eligibility)

Assessment Year 2020-21

PART A GENERAL INFORMATION

PAN	Name	Date of Birth (D D M M Y Y Y Y)	Aadhaar Number (*12 digits*)/Aadhaar Enrolment Id (*28 digits*) (If eligible for Aadhaar No.)
Mobile No.	Email Address	Address: *Flat/Door/Block No. Name of Premises/Building/Village Road/Street/Post Office Area/Locality Town/City/District State Country PIN code*	

Filed u/s *(Tick)* *[Please see instruction]*	☐ 139(1)-On or before due date, ☐139(4)-Belated, ☐139(5)-Revised, ☐ 119(2)(b)- After Condonation of delay.	Nature of employment- ☐ Central Govt. ☐ State Govt. ☐ Public Sector Undertaking ☐ Pensioners ☐ Others ☐ Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)
Or Filed in response to notice u/s	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐153A ☐ 153C	

If revised/defective, then enter Receipt No. and Date of filing original return (*DD/MM/YYYY*)	/ /
If filed in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order	/ /
Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]	
Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)	Amount (Rs) (If Yes)
Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)

PART B GROSS TOTAL INCOME — Whole- Rupee(₹) only

B1	i	Gross Salary (ia + ib + ic)			i
SALARY / PENSION		a Salary as per section 17(1)	ia		
		b Value of perquisites as per section 17(2)	ib		
		c Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic		
	ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 *(drop down to be provided in e-filing utility)* (Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3))			ii
	iii	Net Salary (i – ii)			iii
	iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)			iv
		a Standard deduction u/s 16(ia)	iva		
		b Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb		
		c Professional tax u/s 16(iii)	ivc		
	v	Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv)			B1
B2		Tick applicable option ☐ Self-Occupied ☐ Let Out ☐ Deemed Let Out			
HOUSE PROPERTY	i	Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year			i
	ii	Tax paid to local authorities	ii		
	iii	Annual Value (i – ii)			iii
	iv	30% of Annual Value	iv		
	v	Interest payable on borrowed capital	v		
	vi	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	vi		
	vii	Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative) Note: - Maximum loss from House Property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2			B2
B3		Income from Other Sources *(drop down to be provided in e-filing utility specifying nature of income)*			B3
		Less: Deduction u/s 57(iia) *(in case of family pension only)*			
B4		Gross Total Income (B1+B2+B3) *(If loss, put the figure in negative)* Note: To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2			B4

PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer instructions for Deduction limit as per Income-tax Act)

Whether, you have made any investment/ deposit/ payments between 01.04.2020 to 30.06.2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter VIA? [Yes/No]
(If yes, please fill schedule DI)

80C	80CCC	80CCD(1)	80CCD(1B)	80CCD(2)	80D (*Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility*)	80DD (*Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility*)	80DDB (*Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility*)	80E	80EE
80EEA	80EEB	80G (*Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility*)	80GG	80GGA (*Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility*)	80GGC	80TTA	80TTB	80U (*Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility*)	
Total deductions					C1			Total Income (B4-C1)	C2

Exempt Income: For reporting purpose	*Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section*

कर विवरणी
। ऑनलाइन
दाखिला

PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE								
D1	Tax payable on total income		D2	Rebate u/s 87A		D3	Tax after Rebate	
D4	Health and education Cess @ 4% on D3		D5	Total Tax and Cess		D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	
D7	Interest u/s 234A		D8	Interest u/s 234B		D9	Interest u/s 234C	
D10	Fee u/s 234F		D11	Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10 – D6)				
D12	Total Taxes Paid		D13	Amount payable (D11-D12) (if D11>D12)		D14	Refund (D12-D11) (if D12>D11)	

PART E – OTHER INFORMATION

Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)

Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Select Account for Refund Credit
I				

1. Minimum one account should be selected for refund credit.
2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return.

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments

	BSR Code	Date of Deposit *(DD/MM/YYYY)*	Serial Number of Challan	Tax paid
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
R1				
R2				

Schedule-TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C/27D issued by the Deductor(s)/ Employer(s)/ Payer(s)/ Collector(s)]

	TAN of deductor/Collector or PAN/ Aadhaar No. of the Tenant	Name of the Deductor/ Collector/Tenant	Gross payment/ receipt which is subject to tax deduction /collection	Year of tax deduction/ collection	Tax Deducted/ collected	TDS/TCS credit out of (5) claimed this Year
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)	Col (6)
T1						
T2						

Schedule DI - Details of Investment

Investment/ Deposit/ Payments for the purpose of claiming deduction under Part B of Chapter VIA

Section	Eligible amount of deduction during FY 2019-20 (As per Part C- Deductions and taxable total income)	Deduction attributable to investment/expenditure made between 01.04.2020 to 30.06.2020 (Out of Col No.2)
Col (1) (ii)	Col (2)	Col (3)
80C		
80CCC		
80CCD(1)		
80CCD(1B)		
80CCD(2)		
80D		
80DD		
80DDB		
80E		
80EE		
80EEA		
80EEB		
80G		
80GG		
80GGA		
80GGC		
Total		

VERIFICATION

Stamp Receipt No., Seal, Date & Sign of Receiving Official

I, son/ daughter of solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____(*drop down to be provided in e-filing utility*) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____(*Please see instruction*).

Date: **Signature:**

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:		
Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof		

इकाई 20 सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) द्वारा कुछ प्रमुख मामलों पर फैंसले

इकाई की रूपरेखा

20.0 उद्देश्य

20.1 प्रस्तावना

20.2 सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख मामले

20.2.1 केसः भारत वी पटेल निर्णय का विश्लेषण, 2018 (वेतन से आय)

20.2.2 सूर्या रोशनी लिमिटेड बनाम ईपीएफओ, 2019 एलएलआर 339 (सभी भत्तों पर भविष्य योगदान)

20.2.3 CIT बनाम पोदार सीमेंट (प्र.) लिमिटेड (मकान सम्पत्ति से आय)

20.2.4 यूनिवर्सल प्लास्ट लिमिटेड बनाम सीआईटी (व्यवसाय की संपत्ति पट्टे पर देकर करदाता द्वारा अर्जित आय)

20.2.5 शिवकुमार खेनी (एचयूएफ) बनाम ITOITA No. 792/Bang/2019 (पूँजी लाभ)

20.2.6 सीआईटी बनाम ओ के अरूमगहम चेट्टीअर एंड अनर (अन्य स्रोतों से आय)

20.2.7 सीआईटी v एम.आर. दोशी 211 आईटीआर (आय का मिलाना)

20.2.8 आयकर रिटर्न और पैन आवेदन दाखिल करने के लिए आधार की अनिवार्य करने का फैसला देना

20.3 सारांश

20.4 शब्दावली

20.5 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

20.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप समझ सकेंगे।

- आयकर के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकों सम्बन्धित केसों में उच्चतम न्यायालय के मामलों का समझना;
- आयकर के प्रावधानों के आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसलों को समझना।

20.1 प्रस्तावना

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आयकर अधिनियम के नियमों और विनियमों से संबंधित विभिन्न मामलों पर उच्चतम न्यायाल द्वारा दिए गए फैसले पर चर्चा करना है। यह मामलो की सरलीकृत समझ प्रदान करता है ताकि छात्र उन्हें व्यावहारिक प्रश्नों से संबंधित कर सके और व्यावहारिक ज्ञान के साथ सैद्धांतिक समझ प्राप्त कर सकें। इसलिए यह इकाई विभिन्न आय प्रमुखों के अन्तगर्त आयकर के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करती हैं।

20.2 सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) के प्रमुख मामलें

20.2.1 केसः भारत वी पटेल निर्णय का विश्लेषण 2018 (वेतन से आय)

भारत वी पटेल (करदाता) प्रोक्टर एंड गैंबल (पीएंडजी) इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, जो पीएंडजी, यूएसए की सहायक कंपनी थी। करदाता पीएंडजी के साथ एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था और 1991 से 1996 तक बिना किसी प्रतिफल के स्टॉक प्रशंसा अधिकार (Stock appreciation right) (एसएआरएस) जारी किया गया था। 1997 में इन एसएआरएस के मोचन (Redemption) पर करदाता को पीएंडजी (यूएसए) से 6,80,40,649 रूपये की राशि प्राप्त हुई। कर निर्धारण, अधिकारी ने उक्त राशि को 'अनुलाभ' माना और इसे वेतन से आय के रूप में कर लगाया। इसके बाद की अपीलों को आयकर आयुक्त (अपील) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने खारिज कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने अपील की अनुमति दे दी, जिसे फिर राजस्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। राजस्व विभाग ने दलील दी कि (एसएआरएस) के मोचन पर प्राप्त राशि पर वेतन के रूप में कर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वे धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ थे। उनका कहना था कि यह राशि एक नियोक्ता–कर्मचारी संबंध के निर्वाह के दौरान एक कर्मचारी के रूप में करदाता को प्राप्त हुई थी और इसलिए, प्राप्त राशि को कर योग्य वेतन माना जाना चाहिए। कर अधिकारियों ने आईटीएटी विशेष पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि एसएआरएस के मोचन पर प्राप्त राशि एक राजस्व प्राप्ति थी जो 'वेतन से आय' के रूप में कर के लिए उत्तरदायी थी, क्योंकि भुगतान की प्रकृति मुख्य रूप से नकद या अन्यथा में आस्थगित मजदूरी या बोनस भुगतान या नकद या अन्य है। दूसरी ओर, करदाता का कहना था कि एसएआरएस के मोचन से प्राप्त राशि को केवल पूंजीगत लाभ के रूप में माना जा सकता है।

ऐसी प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में इस मुद्दे का निपटारा कर दिया हे, जिसमें यह माना गया है कि धारा 17 (2) में संशोधन से पहले एसआरएस मोचन के कारण प्राप्त राशि पर वेतन के रूप में कर नहीं लगाया जाएगा। एसएआरएस के मोचन पर धारा 17 (2) की प्रयोज्यता का विश्लेषण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक सिद्धांत को बहाल किया कि एक राशि की प्राप्ति को 'आय' के रूप में माना जा सकता है इससे पहले कि एक राशि की प्राप्ति को 'कर योग्य' बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एसएआरएस के मोचन से प्राप्त राशि को केवल पूंजीगत लाभ के रूप में माना जा सकता है न कि 1991 से पहले धारा 17 (2) के तहत 'अनुलाभ' के रूप में, क्योंकि आयकर अधिनियम में तब शेयर आधारित पुरस्कारों पर कर लगाने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था।

20.2.2 सूर्या रोशनी लिमिटेड बनाम ईपीएफओ, 2019 एलएलआर 339 (सभी भत्तों पर भविष्य योगदान)

हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भविष्य निधि आयुक्त बनाम विवेकानंद विद्यामंदिर और अन्य संबद्ध अपीलों के मामले में पारित किए गए फैसले को पीएफ (भविष्य निधि) अंशदान के लिए उत्तरदायी 'मूल मजदूरी' और भत्तों के दायरे पर विचार किया गया। उक्त निर्णय 28 फरवरी, 2019 तक मूल मजदूरी क्या है यह बहुत स्पष्ट नहीं था। अब, एकमात्र विकल्प जो नियोक्ताओं के पास सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना था। यह मुद्दा खासतौर पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रेनॉल्ड्स

पेन के प्रबंधन के मामले में दिए गए फैसले के बाद सामने आया, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सूर्या रोशनी के मामले में और निश्चित के रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय में विवेकानंद विद्यामंदिर प्रकरण में भी यही फैसला दिया गया। यह निर्णय वर्ष 2011 से प्रतीक्षा में था।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 2 (बी) और धारा 6 के अन्तगर्त दो परिभाषाओं के आधार पर, यदि हम इसे स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं तो यह कहता है कि भविष्य निधि का अंशदान का भुगतान करने के लिए कुछ भत्तों/घटकों/राशियों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। स्पष्ट रूप से बाहर रखी गई भत्तों की सूची में मकान–किराया भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, बोनस, कमीशन या कर्मचारी को उसके रोजगार या ऐसे रोजगार में किए गए कार्य और नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी कार्य की प्रस्तुत के संबंध में देय कोई अन्य समान भत्ता भी शामिल है।

मजदूरी के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित मानदंडों को मानव संसाधन द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि किसी भी मजदूरी/भत्ते का भुगतान सार्वभौमिक रूप से किया जाता है, तो आवश्य रूप से और साधारण रूप से सभी की इस तरह की परिलब्धियां मूल मजदूरी है। सभी प्रबन्धक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है या किसी प्रबन्धक के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता है, उसे मूल मजदूरी की परिभाषा से बाहर रखा गया है, जहाँ विशेष रूप से अवसर का लाभ उठाने वालों को भुगतान किया जाता है, उसे अधिनियम, 1952 की धारा 2 (बी) के अन्तगर्त परिभाषित मूल मजदूरी नहीं माना जायेगा। दूसरे शब्दों में, किसी कर्मचारी को देय भुगतान केवल अवसर का लाभ उठाने या विशेष कार्य करने के अवसर पर मिलने वाली मजदूरी की परिभाषा से बाहर रखा गया है। विशेष प्रोत्साहन या कार्य के माध्यम से कोई भी भुगतान मूल मजदूरी नहीं है।

परिभाषा के अनुसार मूल मजदूरी में विशिष्ट छूट को छोड़कर सभी भुगतान शामिल हैं। ऐसे सभी भत्ते जो सामान्यत, आवश्यक और समान रूप से कर्मचारियों को दिए जाते हैं, को मूल मजदूरी का हिस्सा माना जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 2 (बी) (11) के अनुसार मजदूरी की परिभाषा में भ्रम मुख्य रूप से ''कमीशन'' और ''किसी अन्य समान भत्ते'' के रूप में की अभिव्यक्ति से उत्पन्न दो अलग–अलग भाव होता है और इसलिए ''कोई अन्य भत्ता'' एक संग्रह छूट के रूप में माना जाता है, जिससे पीएफ देनदारियों को बाहर करने के लिए मजदूरी के विभाजन के मिथ्याकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अभिव्यक्ति ''कमीशन या किसी अन्य समान कर्मचारी को देय भत्ता'' एक सतत् शब्द है जिसका अर्थ कमीशन या किसी अन्य ''कमीशन'' भत्ते की तरह जो कुछ भी नामकरण द्वारा संदर्भित किया जाता है। इस प्रकार, ''मूल मजदूरी'' स्पष्ट रूप से उपरोक्त परिभाषा में संदर्भित छूट के अधीन है।

20.2.3 सीआईटी (कमीशनर ऑफ इनकम टैक्स) बनाम पोदार सीमेंट (पी) लिमिटेड, 1997 (मकान सम्पत्ति से आय)

प्रतिवादी (पोडर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड) एक कम्पनी है और अधिनियम के तहत एक करदाता हैं (बाद में इसे करदाता कहा जाता है)। यह एक नेपियन सी रोड, बॉम्बे पर ''सिल्वर आर्क'' नामक इमारत में फ्लैट न. 231, 232, 241 और 242 वाले चार प्लैटों का मालिक है। उक्त भवन के बिल्डर मालाबार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हैं चार

उपरोक्त फ्लैटों में से दो को प्रतिवादी कंपनी ने बिल्डरों से सीधे खरीदा था और अन्य दो को सहायक कम्पनी ने खरीदा था और बाद में करदाता द्वारा अगस्त, 1973 में पूर्ण भुगतान के बाद फ्लैंटों का कब्जा लिया गया था। यह आम बात है कि इन सभी फ्लैटों को विभिन्न व्यक्तियों को किराये पर दिया गया। इन फ्लैंटों से किराये की आय को कर निर्धारण वर्षों 1975–76 और 1976–77 में विपणनी दाखिल की गई। यह करदाता का मामला था कि फ्लैटों से किराये की आय अधिनियम की धारा 56 के तहत ''अन्य स्रोतों से आय'' के रूप में होनी चाहिए थी क्योंकि करदाता कंपनी के फ्लैटों में संपत्ति का ''कानूनी मालिक'' नहीं था। इस तरह के दावे कर निर्धारण अधिकारी के सामने मुख्य रूप से इस आधार पर रखा गया था कि संपत्ति (चार फ्लैट) को शीर्षक सहकारी समितियों को नहीं दिया गया था जो कि फ्लैटों के खरीदारों द्वारा बनाई गई थी और इसलिए कि स्वामित्व करदाता के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया गया था, फ्लैटों से किराये की आय का मूल्यांकन 'मकान सम्पत्ति से आय' (अधिनियम की धारा 22 के अन्तगर्त) के रूप में नहीं किया जा सकता है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कराधान के उद्देश्य से, 'मालिक' शब्द की व्याख्या किसी संपत्ति के केवल 'कानूनी मालिक' तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। 'मालिक' शब्द के लिए एक रचनात्मक व्याख्या देते हुए, अदालत ने राय दी कि सम्पत्ति की आय पर उस व्यक्ति के लिए कर लगाया जायेगा जिसे आय प्राप्त हुयी थी और जिसके अधिकार में मकान की संपत्ति से आय प्राप्त होती हो।

20.2.4 यूनिवर्सल प्लास्ट लिमिटेड बनाम सीआईटी (व्यवसाय की संपत्ति पट्टे पर देकर करदाता द्वारा अर्जित आय)

करदाता ने पीवीसी शीट और संबंध उत्पादों के निर्माण के व्यवसाय को ले जाने के लिए ''यूपीएल फैक्टरी'' के रूप में एक कारखाने की स्थापना की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस उद्यम से, करदाता को दो साल तक नुकसान हुआ। इसके बाद 13 मार्च, 1977 को 7 वर्षों की अवधि के लिए मेसर्स लेदराइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड लाइसेंसधारी के साथ ''छूट्टी और लाइसेंस'' नाम से करार किया गया। इस समझौते में नवीनीकरण का विकल्प दिया गया है। लाइसेंसधारक को इसे अगले तीन साल की अवधि के लिए नवीनीकृत करना होगा। लाइसेंसधारी को 1 अप्रैल, 1977 से प्रभावी कारखाने के शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत ओर 24 लाख रूपये का लाइसेंस शुल्क देना था। पहले तीन महीनों के लिए जो कर निर्धारण वर्ष 1977–78 से संबंधित लेखांकन वर्ष में करदाता को उक्त अवधि के दौरान लाइसेंसधारक द्वारा केवल 6 लाख रूपये का ही लाइसेंस शुल्क प्राप्त हुआ है, क्योंकि लाइसेंसधारी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया था। उस राशि को करदाता द्वारा व्यावसायिक आय के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। आयकर अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया कि यह व्यावसायिक आय थी और अन्य स्रोतों से आय के समान मूल्यांकन किया। हालाँकि, आयकर आयुक्त (अपील) ने अपीलार्थी करदाता की याचिका को स्वीकार कर लिया कि यह उसकी व्यावसायिक आय थी और उसने 27 अप्रैल, 1985 को अपील की अनुमति दी। राजस्व ने आयकर अपीली ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलकर्ता के आदेश के खिलाफ असफल अपील की। अधिनियम की धारा 256 (2) के तहत राजस्व द्वारा दायर एक आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह मामले का विवरण निकाले

और इसके बारे में पूर्वोक्त प्रश्न का उल्लेख करे। 6 फरवरी, 1992 को उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में और करदाता के खिलाफ नकारात्मक फैसला दिया।

अदालत ने इस मुद्दे पर विभिन्न मिसालों पर विचार किया और कानून को निम्नानुसार निर्धारित किया – (1) कोई सटीक परीक्षण यह पता लगाने के लिए नहीं लगाया जा सकता है कि क्या किसी करदाता की आय लीज पर देने या परिसंपतियों को देने से प्राप्त होने वाली राशि व्यवसाय या पेशे के लाभ के अन्तगर्त आयेगीं, (2) यह कानून और तथ्य का मिलाजुला प्रश्न है और इसे व्यवसाय के व्यवसायी की दृष्टि से तथ्यें पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में उस समझौते की सही व्याख्या सहित निर्धारित किया जाना है, जिसके तहत परिसंपत्तियों को किराये पर दिया जाता है। (3) जहां व्यवसाय की सभी संपत्तियां को किराये पर दे दिया जाता है, जिस अवधि के लिए संपत्ति किराये पर उठाई जाती है। यह पता लगाने के लिए एक प्रासंगिक कारक है कि क्या करदाता का उद्देश्य पूरी तरह से व्यवसाय से बाहर जाना है या वापस आना और पुनः आरंभ करना है। वही (4) यदि केवल या कुछ व्यवसायिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से किराये पर दिया जाता है, जबकि करदाता अपनी अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ जारी रखा रहे है, तो यह व्यवसाय की संपत्ति का शोषण करने का मामला है, अन्यथा उन्हें उस व्यवसाय के लिए लाभ कमाने के लिए अपने स्वयं के उपयोग के लिए नियोजित करना; लेकिन अगर व्यवसाय कभी शुरू नहीं हुआ है या पर बिना किसी कारण बन्द हुआ था, लेकिन फिर से शुरू होने का कोई इरादा नहीं है, तो संपत्ति भी व्यावसायिक संपत्ति नहीं रह जाएगी और लेनदेन केवल मालिक के द्वारा संपत्ति का शोषण होगा, लेकिन व्यावसायिक संपत्ति का शोषण नहीं होगा। यह फैसला किया गया था कि करदाता द्वारा व्यवसाय की संपति को पट्टे पर देकर अर्जित की गई राशि उसके द्वारा किए गए व्यवसाय से आय नहीं होगी।

20.2.5 शिवकुमार खेनी (एचयूएफ) बनाम ITOITA No. 792/Bang/2019 (पूँजी लाभ)

करदाता ने 14.3.2013 को 20 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि ली और ऐसी भूमि पर एक आवासीय घर का निर्माण किया। इस हद तक उपयोग किए गए पूंजीगत लाभ की राशि को अधिनियम की धारा 54 अन्तगर्त कटौती के रूप में दावा पेश किया गया था। 14.03.2013 के पट्टे अनुबन्ध के अनुसार करदाता द्वारा पहले से ही खर्च किए गए गए 4.9 लाख रूपये की राशि की प्रतिपूर्ति के बाद वह एक भवन बनाने का अधिकारी था। खंड 10 के अनुसार, आवासीय भवन का स्वामित्व और शीर्षक (भूमि को छोड़कर) पट्टे की अवधि के लिए करदाता का ही होगा और इसके समाप्त हुई अवधि में भवन का शीर्षक पट्टिका का होगा। करदाता ने कुछ संपत्ति बेच दी और पट्टे की भूमि पर एक आवासीय निर्माण के लिए उपयोग किए गए पूंजीगत लाभ के संबंध में धारा 54 के अन्तगर्त छूट का दावा पेश किया।

कर निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर अधिनियम की धारा 54 में छूट देने से इनकार कर दिया कि चूंकि करदाता जमीन का मालिक नहीं था, इसलिए कटौती का दावा करने के लिए अधिनियम की धारा में 54 में निर्धारित शर्त को संतुष्ट नहीं करता है। न्यायालय ने इस बात पर निर्णय दिया कि स्वामित्व में इस तरह के विभाजन स्वीकार्य नहीं है। कर निर्धारित अधिकारी के अनुसार, करदाता के पास केवल उस भूमि पर लीजहोल्ड ब्याज था जिस पर भवन का निर्माण किया गया था। उनका

विचार था कि करदाता के पास सुपर स्ट्रक्चर को अलग करने का कोई अधिकार नहीं था। धारा 54 के अनुसार, आवासीय घर के निर्माण में पूंजीगत लाभ का उपयोग किया जाना चाहिए। करदाता, तात्कालिक मामलें में, पूंजीगत लाभ का उपयोग करके निर्मित सुपर स्ट्रक्चर का मालिक बन गया था और यह लीज डीड से स्पष्ट था कि कि किस जमीन पर किस निर्माण को रखा गया था, यह करदाता को लीज पर दिया गया था, इसलिए धारा 54 के तहत कटौती की जा सकती थी। अतः धारा 54 के अन्तगर्त कटौती अस्वीकृत नहीं होनी चाहिए।

20.2.6 सीआईटी बनाम ओ के अरूमगहम चेट्टीअर एंड अनर (अन्य स्रोतों से आय)

श्री अरूमुधम चेट्टियार 3 रूपये की दैनिक मजदूरी पर एक साइकिल की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति है। उन्होंने 2 रूपये में एक लॉटरी का टिकट खरीदा और इनमा का 25 प्रतिशत श्री रामास्वामी चेट्टियार के साथ साझा करने को सहमत हुऐ, जिन्हें 50 पैसे की जरूरत थी, अपने भोजन के लिए। यह समझौता लिखित में नहीं हुआ था। उस लॉटरी की टिकट से 17,85,000 रूपये का इनाम अर्जित हुआ।

इन दोनों व्यक्तियों ने संबंधित इनाम की राशि कर उद्देश्य के लिए पेशकश की। अब यह सवाल उठा कि पुरस्कार के द्वारा अर्जित की गई राशि का आंकलन व्यक्तियों का समुदाय (AOP) की स्थिति में हो या न हो। उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि इस राशि का आकलन AOP की स्थिति में नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों व्यक्तियों के बीच में टिकट खरीदने के उपरान्त यह समझौता हुआ था और श्री अरूमुधम चेट्टियार ने पुरस्कार की राशि में से 25 प्रतिशत साझा करने का समझौता किया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि यह संयुक्त उद्यम का मामला नहीं हैं, तदनुसार इस राशि का आंकलन AOP की स्थिति में नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान मामले में तथ्यों और न्यायिक घोषणाओं पर प्रकाश डालते हुए, इस निष्कर्ष पर आया गया कि लॉटरी से जीती हुई रकम का मूल्यांकन AOP को स्थिति में नहीं होना चाहिए।

ट्रिब्यूनल ने अधिनियम के अंतगर्त धारा 64 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए बताया कि अलग–अलग व्यक्तियों की आय को मिलान नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल के आदेश अनुसार, व्यक्तियों का समुदाय (AOP) और व्यक्तियों का निकाय (BOI) के आकलन के लिए पृथक अस्तित्व होना चाहिए। वर्तमान मामले में दोनों व्यक्तियों ने न तो अन्य उद्देश्यों के लिए संयुक्त किया था और न ही दोनों में कोई अन्य सामान्य रिश्ता था। इसलिए, दोनों की सामान्य कर निर्धारण इकाई की स्थिति आंकलन करने का कोई आधार नहीं था। यह मामला यह भी दर्शाता है कि एकत्रीकरण या अमिश्रित करना, समझौते की वैधता पर निर्भर नहीं करता।

20.2.7 सीआईटी v एम.आर. दोशी 211 आईटीआर (आय का मिलाना)

आमतौर पर, नाबालिग बच्चे की आय को पिता या माता की आय के साथ जोड़ा जाना चाहिए, दोनों में से जिसकी आय अधिक हो। हालाँकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CIT vs M.R. Doshi 211 ITR 1 के मामले में बहुत ही दिलचस्प निर्णय दिया गया था।

करदाता, एक व्यक्ति ने ट्रस्ट के दो प्रसंविदा और एक पूरक विलेख को निष्पादित किया था, जिसका प्रभाव यह था कि ट्रस्टों से आय होगी वह उसके तीन बेटों द्वारा व्यस्कता प्राप्त होने तक जमा की जानी थी। तब संचयी आय को तीन समान हिस्सों में विभाजित किया जाना था और प्रत्येक बेटे के संबंधित 1/3 हिस्से का भुगतान उसे कर दिया जाता। सवाल यह था कि क्या ट्रस्टों की आय को आयकर अधिनियम की धारा 64 (1) (v) के प्रावधानों के तहत करदाता की कुल आय में शामिल किया जा सकता था या नहीं।

गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण को उस हस्तान्तरणकर्त्ता की आय में शामिल किया जा सकता है। बशर्ते कि स्थानान्तरण के अन्तगर्त ऐसी सम्पत्तियों से लाभ हो या जोकि हस्तान्तरणकर्त्ता के जीवनसाथी या नाबालिक बच्चों के लिए आस्थगित कर दिया था। अन्य शब्द में करदाता द्वारा सम्पत्ति के मूल्यांकन में कर की चोरी जैसे निपटान या ट्रस्ट का निर्माण ताकि सम्पत्ति हस्तांतरण से उत्पन्न आय हस्तान्तरणकर्त्ता के जीवनसाथी अथवा अव्यस्क बच्चों को प्राप्त हो सके, ताकि हस्तान्तरणकर्त्ता को ऐसी आय पर उत्पन्न कर का भुगतान न करना पड़े। अगर ऐसी आय उस बच्चे को व्यस्कता होने पर प्रदान होती है तो उपखण्ड v में दिये गये प्रावधानों का दिखावा किया जाता है तभी व्यवस्थापकों द्वारा जैसे इस आय को दर्शाया गया है वैसा न समझा गया होता है।

उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना कि वर्तमान मामले में ट्रस्टों का यह संचयी प्रभाव था, इसलिए निर्धारित के तीन बेटों द्वारा व्यस्कता प्राप्त होने तक आय जमा की जानी है। संचयी आय को तब तीन बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक बेटे को एक हिस्सा देना होगा। इसलिए प्रत्येक पुत्र को व्यस्कता प्राप्त होने के बाद भुगतान करना होता है। धारा 64 (1) (v) के अन्तगर्त एक निर्धारित की कुल आय की गणना में, इस तरह की आय को शामिल करने से संपत्ति का आकलन करने वाले को हस्तांतरित होने से उत्पन्न होता है, अन्यथा पर्याप्त प्रतिफल के लिए, कि इस सीमा तक की आय संपत्ति उसके नाबालिग बच्चों को तत्काल या स्थगित लाभ के लिए हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया कि करदाताओं द्वारा नाबालिग बच्चों के लिए पर्याप्त कर नियोजन प्राप्त किया जा सकता है, खासकर जब नाबालिग बच्चे के लाभ के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है जो नाबालिग बच्चों को व्यस्कता प्राप्त करने तक संचय प्रदान करता है।

20.2.8 आयकर रिटर्न और पैन आवेदन दाखिल करने के लिए आधार की अनिवार्य करने का फैसला देना

एक संख्या उपरोक्त प्रावधान को चुनौती देते हुए न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी याचिकाकर्त्ताओं में केरल के पूर्व मंत्री और सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम शामिल थे। अधिकांश निर्णय ने पुष्टि की कि धारा 139 एए के प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 निजता के अधिकार के ट्रिपल परीक्षण को पूरा करता है। इसकी वैधता बिनॉय विस्वाम के मामले संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर निरस्त करके प्रावधान को बरकरार रखा गया था। अनुच्छेद 21 जो गोपनिया के अधिकार को प्रदान करता है पर प्रश्न चिन्ह लग गया। इस मामले की दुबारा जाँच के.एस. पुट्टस्वामी केस के सिद्धांतों के आधार पर की गई हालांकि इस मामले की जाँच के बाद समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए गोपनीयता का उल्लखन अर्थात्: (i) एक कानून का अस्तित्व; (ii) 'वैध राज्य हित'; तथा (iii) इस तरह के कानून को

'आनुपातिकता का परीक्षण' पास करना चाहिए। बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये सभी परीक्षण संतुष्ट हैं। हालांकि विनाय विश्वम केस में भी इस सभी पहलुओं पर विशेष चर्चा की गई है। बाद में न्यायधीश डी.वाई. चन्द्रचुड ने आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को हटा दिया।

20.3 सारांश

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अनुसार, कुल आय के कर और गणना के लिए शुल्क को आय के पाँच प्रमुख शीर्षकों के अन्तगर्त वेतन, मकान सम्पत्ति से आय, पूंजी लाभ और व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों के आय से लाभ आता है। इन प्रमुखों के अन्तगर्त कुल आय को जोड़ा जाता है और आयकर रिटर्न में दर्शाया जाता है। इसके बाद कुल आय पर टैक्स की गणना शुरू वर्ष विशेष आयकर दर के अनुसार की जाती है। लेकिन, यदि किसी भी मद में किसी लेन–देन के पक्षकारों की ओर से या किसी मामले के बीच कोई विवाद होता है, तो ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय में ले जाया जाता है, और आगे उच्चतम न्यायालय में ले जा सकते है जो अपना फैसला देने के लिए बाध्य है। इस तरह का फैसले को पक्षकारों को मानना अनिवार्य है।

20.4 शब्दावली

सुप्रीम कोर्ट : यह भारत के संविधान के अन्तगर्त सर्वोच्च न्यायिक अदालत है।

भत्ते : यह नियोक्ता द्वारा कुछ विशेष खर्चों को पूरा करने के लिए कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली एक निश्चित मौद्रिक राशि है।

पूंजीगत लाभ : पूंजीगत लाभ तभी उत्पन्न होता है जब पूंजीगत सम्पत्ति का हस्तांतरण होता है।

अनुलाभ : ये कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए नकद या अन्य प्रकार के लाभ या सुविधाएँ हैं चाहे वे मुफ्त हों या रियायती दर पर।

20.5 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1. भारत बनाम पटेल निर्णय 2018 की विशेषताएं बताइए।
2. सूर्या रोशनी लिमिटेड बनाम ईपीएफओ 2019, एलएल 339 केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार मूल वेतन को परिभाषित कीजिए।
3. आयकर अधिनियम की धारा 54 में दी गई छूटों को व्याख्या कानूनी केस की सहायता से करे।
4. अवस्यक की आय के मिलान के प्रावधान को कानूनी केस की सहायता से समझाये।
5. क्या आयकर विवरणी दाखिल करते समय और पैन का आवेदन देते समय आधार का होना अनिवार्य है। कोर्ट के निर्णय के अनुसार समझाये।

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।